2016 का विधेयक संख्यांक 18

वित्त विधेयक, 2016

(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्त विधेयक, 2016

खंडों का क्रम

अध्याय 1
प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

अध्याय 2
आय-कर की दरें

2. आय-कर ।

अध्याय 3
प्रत्यक्ष कर
आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन।
4. धारा 6 का संशोधन।
5. धारा 9 का संशोधन।
6. धारा 9क का संशोधन।
7. धारा 10 का संशोधन।
8. धारा 10कक का संशोधन।
9. धारा 17 का संशोधन।
10. धारा 24 का संशोधन।
11. धारा 25क, धारा 25कक और धारा 25ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
12. धारा 28 का संशोधन।
13. धारा 32 का संशोधन।
14. धारा 32कग का संशोधन।
15. धारा 35 का संशोधन।
16. नई धारा 35कखक का अन्तःस्थापन।
17. धारा 35कग का संशोधन।
18. धारा 35कघ का संशोधन।
19. धारा 35गगग का संशोधन।
20. धारा 35गगघ का संशोधन।
21. धारा 36 का संशोधन।
22. धारा 40 का संशोधन।
23. धारा 43ख का संशोधन।
24. धारा 44कक का संशोधन।
25. धारा 44कख का संशोधन।
26. धारा 44कघ का संशोधन।
27. नई धारा 44कघक का अन्तःस्थापन।
28. धारा 47 का संशोधन।
29. धारा 48 का संशोधन।
30. धारा 50ग का संशोधन।

खंड

31. नई धारा 54ङङ का अन्तःस्थापन।

32. धारा 54छख का संशोधन।

33. धारा 55 का संशोधन।

34. धारा 56 का संशोधन।

35. धारा 80 का संशोधन।

36. धारा 80गगघ का संशोधन।

37. धारा 80ङङ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

38. धारा 80छछ का संशोधन।

39. धारा 80झक का संशोधन।

40. धारा 80झकख का संशोधन।

41. नई धारा 80झकग का अंतःस्थापन।

42. धारा 80झख का संशोधन।

43. नई धारा 80झखक का अंतःस्थापन।

44. धारा 80ञञकक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

45. धारा 87क का संशोधन।

46. धारा 92गक का संशोधन।

47. धारा 92घ का संशोधन।

48. धारा 112 का संशोधन।

49. नई धारा 115खक का अन्तःस्थापन।

50 नई धारा 115खखघक का अन्तःस्थापन।

51. धारा 115खङ का संशोधन।

52. नई धारा 115खखच का अन्तःस्थापन।

53. धारा 115ञख का संशोधन।

54. नए अध्याय 12खग का अन्तःस्थापन।

55. धारा 115ण का संशोधन।

56 धारा 115थक का संशोधन।

57. धारा 115नक का संशोधन।

58. धारा 115नग का संशोधन।

59. नई धारा 115नगक का अन्तःस्थापन।

60. नए अध्याय 12ङख का अन्तःस्थापन।

61. धारा 115पक का संशोधन।

62. धारा 119 का संशोधन।

63. धारा 124 का संशोधन।

64. धारा 133ग का संशोधन।

65. धारा 139 का संशोधन।

66. धारा 143 का संशोधन।

67. धारा 147 का संशोधन।

68. धारा 153 के स्थान पर नई धारा 153 का प्रतिस्थापन।

69. धारा 153ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

70. धारा 192क का संशोधन।

71. धारा 194खख का संशोधन।

72. धारा 194ग का संशोधन।

73. धारा 194घ का संशोधन।

74. धारा 194घक का संशोधन।

खंड

75. धारा 194ङङ का संशोधन।

76. धारा 194छ का संशोधन।

77. धारा 194ज का संशोधन।

78. धारा 194ट और धारा 194ठ का लोप।

79. धारा 194ठक का संशोधन।

80. धारा 194ठखक का संशोधन।

81. धारा 194ठखख का संशोधन।

82. नई धारा 194ठखग का अन्तःस्थापन।

83. धारा 197 का संशोधन।

84. धारा 197क का संशोधन।

85. धारा 206कक का संशोधन।

86. धारा 206ग का संशोधन।

87. धारा 211 का संशोधन।

88. धारा 220 का संशोधन।

89. धारा 234ग का संशोधन।

90. धारा 244क का संशोधन।

91. धारा 249 का संशोधन।

92. धारा 252 का संशोधन।

93. धारा 253 का संशोधन।

94. धारा 254 का संशोधन।

95. धारा 255 का संशोधन।

96. नई धारा 270क का अन्तःस्थापन।

97. नई धारा 270कक का अन्तःस्थापन।

98. धारा 271 का संशोधन।

99. धारा 271क का संशोधन।

100. धारा 271कक का संशोधन।

101. धारा 271ककख का संशोधन।

102. नई धारा 271छख का अन्तःस्थापन।

103. धारा 272क का संशोधन।

104. धारा 273क का संशोधन।

105. धारा 273कक का संशोधन।

106. धारा 273ख का संशोधन।

107. धारा 279 का संशोधन।

108. धारा 281ख का संशोधन।

109. धारा 282क का संशोधन।

110. नई धारा 286 का अन्तःस्थापन।

111. धारा 288 का संशोधन।

112. चौथी अनुसूची का संशोधन।

खंड

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

113. धारा 2 का संशोधन।
114. अध्याय 3 के अध्याय शीर्ष का संशोधन।
115. धारा 9 का लोप।
116. धारा 25 का संशोधन।
117. धारा 28 का संशोधन।
118. धारा 47 का संशोधन।
119. धारा 51 का संशोधन।
120. धारा 53 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
121. धारा 57 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
122. धारा 58 के स्थान पर नई धारा 58, धारा 58क और धारा 58ख का प्रतिस्थापन।
123. धारा 59 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
124. धारा 60 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
125. धारा 61 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
126. धारा 62 और धारा 63 का लोप।
127. धारा 64 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
128. धारा 65 का संशोधन।
129. धारा 68 का संशोधन।
130. धारा 69 का संशोधन।
131. धारा 71 का संशोधन।
132. धारा 72 का संशोधन।
133. धारा 73 का संशोधन।
134. नई धारा 73क का अन्तःस्थापन।
135. धारा 156 का संशोधन।
136. 1962 के अधिनियम 52 की धारा 25 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का संशोधन।

सीमाशुल्क टैरिफ

137. धारा 8ग का लोप।
138. पहली अनुसूची का संशोधन।

उत्पाद-शुल्क

139. धारा 5क का संशोधन।
140. धारा 11क का संशोधन।
141. धारा 37ख का संशोधन।
142. तीसरी अनुसूची का संशोधन।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

143. पहली अनुसूची का संशोधन।
144. दूसरी अनुसूची का संशोधन।

अध्याय 5

सेवा कर

145. धारा 65ख का संशोधन।
146. धारा 66घ का संशोधन।

खंड

147. धारा 66ङ का संशोधन।

148. धारा 67क का संशोधन।

149. धारा 73 का संशोधन।

150. धारा 75 का संशोधन।

151. धारा 78क का संशोधन।

152. धारा 89 का संशोधन।

153. धारा 90 का संशोधन।

154. धारा 91 का संशोधन।

155. धारा 93क का संशोधन।

156. नई धारा 101, धारा 102 और धारा 103 का अन्तःस्थापन।

157. वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93क के अधीन जारी अधिसूचना का संशोधन।

अध्याय 6

कृषि कल्याण उपकर

158. कृषि कल्याण उपकर।

अध्याय 7

अवसंरचनात्मक उपकर

159. अवसंरचनात्मक उपकर।

अध्याय 8

समकरण उद्ग्रहण

160. विस्तार, प्रारंभ और लागू होना।

161. परिभाषाएं।

162. समकरण उद्ग्रहण का प्रभार।

163. समकरण उद्ग्रहण का संग्रहण और वसूली।

164. विवरण प्रस्तुत करना।

165. विवरण का प्रसंस्करण।

166. भूल सुधार।

167. समकरण उद्ग्रहण के संदाय में विलंब पर ब्याज।

168. समकरण उद्ग्रहण की कटौती या संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति।

169. विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति।

170. कतिपय मामलों में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना।

171. आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील।

172. अपील अधिकरण को अपील।

173. मिथ्या कथन के लिए दंड।

174. अभियोजन संस्थित करना।

175. आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना।

176. नियम बनाने की शक्ति।

177. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

अध्याय 9

आय की घोषणा स्कीम, 2016

178. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

179. परिभाषाएं।

180. अप्रकटित आय की घोषणा।

181. कर प्रभार्य और अधिभार।

खंड

182. शास्ति।
183. घोषणा करने की रीति।
184. कर का संदाय करने के लिए समय।
185. अप्रकट की गई आय का कुल आय में सम्मिलित न किया जाना।
186. घोषित अप्रकटित आय का संपूरित निर्धारणों की अंतिमता पर कोई प्रभाव न होना।
187. कतिपय मामलों में घोषित अप्रकटित आय का बेनामी संव्यवहार न माना जाना।
188. स्वेच्छया प्रकट की गई आय की बाबत कर का प्रतिदेय न होना।
189. घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में घोषणा का अनुज्ञेय न होना।
190. तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा की गई घोषणा का शून्य होना।
191. घोषणा में विनिर्दिष्ट आस्तियों के संबंध में धन-कर से छूट।
192. आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम के अध्याय 5 के कतिपय उपबंधों का लागू होना।
193. कतिपय व्यक्तियों को स्कीम का लागू न होना।
194. शंकाओं का दूर किया जाना।
195. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
196. नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय 10

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016

197. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
198. परिभाषाएं।
199. संदेय कर की घोषणा।
200. प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियां।
201. संदाय का समय और रीति।
202. कतिपय मामलों में अपराध संबंधी कार्यवाहियां आरंभ करने और शास्ति अधिरोपित करने से उन्मुक्ति।
203. स्कीम के अधीन संदत्त करने का कोई प्रतिदाय न होना।
204. घोषणाकर्ता को कोई अन्य फायदा, छूट या उन्मुक्ति न देना।
205. कतिपय मामलों में स्कीम का लागू न होना।
206. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।
207. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
208. नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय 11

अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016

209. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ।
210. परिभाषाएं।
211. घोषणा करने की प्रक्रिया।
212. कतिपय मामलों में स्कीम का लागू न होना।
213. अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों से उन्मुक्ति।
214. स्कीम के अधीन किए गए आदेश के परिणाम।
215. नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय 12

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

216. 1934 के अधिनियम 2 का संशोधन और प्रारंभ।
217. उद्देशिका का संशोधन।

खंड

218. धारा 2 का संशोधन।

219. नए अध्याय 3च का अंतःस्थापन।

220. धारा 58 का संशोधन।

भाग 2

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का संशोधन

221. 1956 के अधिनियम 74 का संशोधन।

भाग 3

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 का संशोधन

222. 1974 के अधिनियम 47 की अनुसूची का संशोधन।

भाग 4

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 का संशोधन

223. 1976 के अधिनियम 13 का संशोधन।

भाग 5

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का संशोधन

224. 1985 के अधिनियम 61 का संशोधन।

भाग 6

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का संशोधन

225. इस भाग का प्रारंभ।

226. 1999 के अधिनियम 42 का संशोधन।

भाग 7

केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 का संशोधन

227. 2000 के अधिनियम 54 का संशोधन।

भाग 8

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

228. 2001 के अधिनियम 14 का संशोधन।

भाग 9

धन-शोधन अधिनियम, 2002 का संशोधन

229. 2003 के अधिनियम 15 का संशोधन।

भाग 10

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

230. 2004 के अधिनियम 23 का संशोधन।

भाग 11

वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन

231. 2005 के अधिनियम 18 का संशोधन।

भाग 12

वित्त अधिनियम, 2010 का संशोधन

232. 2010 के अधिनियम 14 का संशोधन।

भाग 13

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का संशोधन

233. 2010 के अधिनियम 42 की धारा 2 का संशोधन।

भाग 14

वित्त अधिनियम, 2013 का संशोधन

234. 2013 के अधिनियम 14 का संशोधन।

खंड

भाग 15

वित्त अधिनियम, 2015 का संशोधन

235. 2015 के अधिनियम 20 का संशोधन।

भाग 16

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और संशोधन

236. कतिपय अधिनिमितियों का निरसन और संशोधन।

237. व्यावृत्तियां।

238. बकाया शुल्कों का संग्रहण और संदाय।

पहली अनुसूची।

दूसरी अनुसूची।

तीसरी अनुसूची।

चौथी अनुसूची।

पांचवीं अनुसूची।

छठी अनुसूची।

सातवीं अनुसूची।

आठवीं अनुसूची।

नौवीं अनुसूची।

दसवीं अनुसूची।

ग्यारहवीं अनुसूची।

बारहवीं अनुसूची।

तेरहवीं अनुसूची।

चौदहवीं अनुसूची।

पन्द्रहवीं अनुसूची।

लोक सभा में 29 फरवरी, 2016
को पुरःस्थापित रूप में

2016 का विधेयक संख्यांक 18

[दि फाइनेंस बिल, 2016 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2016

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2016 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 112 तक 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो]; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (iii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक, अध्याय 12चख धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा : 1961 का 43

परंतु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखङ, धारा 115ङ, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(ख) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115थक या धारा 115द की उपधारा (2) या धारा 115नक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखङ, धारा 115खखच, धारा 115ङ, धारा 115ञख और धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे अग्रिम कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो]; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या

"अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों:

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन। **3.** आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (14) की मद (vi) में, "स्वर्ण निक्षेप स्कीम, 1999" शब्दों के पश्चात् "या स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015 के अधीन जारी निक्षेप प्रमाणपत्र" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (23ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(23ग) "सुनवाई" में इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से आंकड़ों और दस्तावेज की संसूचना सम्मिलित है;';

(ग) खंड (24) के उपखंड (xviii) में, "ऐसी सहायिकी या अनुदान प्रतिपूर्ति से भिन्न, जिसे धारा 43 के खंड (1) के स्पष्टीकरण 10 के उपबंधों के अनुसार आस्ति की वास्तविक लागत के अवधारण के लिए हिसाब में लिया जाना है, नकद या वस्तु रूप में सहायता" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2017 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ऐसी सहायिकी या अनुदान,—

(क) या प्रतिपूर्ति से भिन्न जिसे धारा 43 के खंड (1) के स्पष्टीकरण 10 के उपबंधों के अनुसार आस्ति की वास्तविक लागत के अवधारण के लिए हिसाब में लिया जाना है; या

(ख) से भिन्न, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी न्यास या संस्था के निकाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दी जानी है,

नकद या वस्तु रूप में सहायता;";

(घ) खंड (37क) के उपखंड (iii) में, "धारा 194ठखक या" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "धारा 194ठखख या धारा 194ठखग या" शब्द, अंक और अक्षर 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन। **4.** आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2017 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(3) कोई कंपनी किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी कही जाती है, यदि,—

(i) वह कोई भारतीय कंपनी है; या

(ii) उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान उस वर्ष में भारत में है ।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजन के लिए, "प्रभावी प्रबंध का स्थान" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां किसी सत्ता के संपूर्ण कारबार के संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंधन और वाणिज्यिक विनिश्चय, सारवान् रूप से किए जाते हैं । '।

धारा 9 का संशोधन। **5.** आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में स्पष्टीकरण (1) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) हीरों के खनन के कारबार में लगी किसी विदेशी कंपनी की दशा में कोई आय ऐसे क्रियाकलापों के माध्यम से या क्रियाकलापों से जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किसी विशेष जोन में बिना कटे और बिना छंटे हीरे के प्रदर्शन तक सीमित हैं, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाएगी । "।

धारा 9क का संशोधन। **6.** आय-कर अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) में, 1 अप्रैल, 2017 से,—

(i) खंड (ख) में, "करार किया गया है" शब्दों के पश्चात्, "इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विनिर्दिष्ट देश या राज्यक्षेत्र में स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत किया गया है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ट) में, "या भारत से" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 10 का संशोधन। **7.** आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(अ) 1 अप्रैल, 2017 से,—

(i) खंड 12 में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु इस खण्ड में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी अपवर्जित कर्मचारी से भिन्न किसी कर्मचारी द्वारा 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किए गए अभिदाय के कारण हुए संचित अतिशेष की ऐसी रकम की बाबत जो चौथी

अनुसूची के भाग क के नियम 8 के उपबंधों के अनुसार देय और संदेय ऐसे संचित अतिशेष का चालीस प्रतिशत से अधिक है, लागू नही होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "अपवर्जित कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसका वेतन ऐसी राशि से अधिक नहीं है, जो विहित किया जाए;'।

(ii) खंड (12) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(12क) धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम से अपना खाता बंद करने या उससे बाहर निकलने का विकल्प देने पर किसी कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास उस परिमाण तक, जहां तक यह उसके खाता बंद करने या स्कीम छोड़ने के विकल्प के समय उसे संदेय कुल रकम के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है;";

(iii) खंड (13) में,—

(I) उपखंड (ii) में,—

(क) अंत में आने वाले "अथवा" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किए गए अभिदाय से क्रय की गई किसी वार्षिकी के बदले या उसके संराशीकरण में कोई संदाय, जहां यह वार्षिकी का चालीस प्रतिशत से अधिक है, को कुल आय की संगणना में हिसाब में लिया जाएगा; अथवा";

(II) उपखंड (iv) में "ब्याज से अधिक नहीं होता है" शब्दों के स्थान पर "ब्याज से अधिक नहीं होता है; अथवा" शब्द रखे जाएंगे;

(III) उपखंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(v) धारा 80गगघ में विनिर्दिष्ट और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में अंतरण के माध्यम से;";

(आ) खंड (15) के उपखंड (vi) में, "स्वर्ण निक्षेप स्कीम, 1999" शब्दों के पश्चात् "या स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015 के अधीन जारी निक्षेप प्रमाणपत्र" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) 1 अप्रैल, 2017 से,—

(I) खंड (23घक) के स्पष्टीकरण में,—

(1) खंड (क) में उपखंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2002 का 54 "(iक) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (य) में उसका है; या";

(2) खंड (ख) में, " धारा 115नग" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 115नगक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(II) खंड (23चग) में, "किसी विशेष प्रयोजन एकक से प्राप्त या प्राप्य ब्याज के रूप में" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) किसी विशेष प्रयोजन एकक से प्राप्त या प्राप्य ब्याज;

(ख) धारा 115ण की उपधारा (7) में निर्दिष्ट लाभांश,

के रूप में";

(III) खंड (23चघ) में, "खंड (23चग) में" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (23चग) के उपखंड (क) में" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(IV) खंड (34) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस खंड की कोई बात धारा 115खखघक के उपबंधों के अनुसार कर से प्रभार्य लाभांश द्वारा किसी आय को लागू नहीं होगी ।";

(V) खंड (35क) में,—

(क) स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, उक्त धारा में निर्दिष्ट वितरित आय के माध्यम से, 1 जून, 2016 को या उसके पश्चात्, प्राप्त किसी आय को लागू नहीं होगी ";

(ख) स्पष्टीकरण में, “ धारा 115नग” शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 115नगक” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(VI) खंड (38) में,—

(i) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि उपखंड (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किए गए संव्यवहार को और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल विदेशी मुद्रा में संदत्त किया जाता है या संदेय है, लागू नहीं होगी ।”;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘**स्पष्टीकरण—** इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “साम्य उन्मुख निधि” से कोई निधि अभिप्रेत है—

(i) जहां विनिधानीय निधियों में देशी कंपनियों के साम्य शेयरों के माध्यम से ऐसी निधि के कुल आगमों के पैंसठ प्रतिशत से अधिक के विस्तार तक विनिधान किया गया है; और

(ii) जिसकी स्थापना खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि के अधीन की गई है:

परंतु निधि साधारण शेयरधृति की प्रतिशतता की संगणना आरंभिक और अंतिम संख्या के मासिक औसत की वार्षिक औसत के प्रति निर्देश से की जाएगी;

(ख) “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र” का वही अर्थ होगा जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में है; 2005 का 28

(ग) “मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज” का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 43 की उपधारा (5) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में है ।’;

(ई) खंड (48) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(48क) भारत में किसी सुविधा में अपरिष्कृत तेल के भंडारण या भारत में किसी निवासी व्यक्ति को उससे परिष्कृत तेल के विक्रय के मद्दे किसी विदेशी कंपनी को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय :

परंतु यह तब जब,—

(i) विदेशी कंपनी द्वारा भंडारण और विक्रय केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार या ठहराव के अनुसरण में हैं;

(ii) राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, इस निमित्त विदेशी कंपनी और करार या व्यवस्था केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं ।”;

(उ) खंड (49) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(50) उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंध प्रवृत होते हैं, किसी विनिर्दिष्ट सेवा से उद्भूत कोई आय और इस अध्याय के अधीन समकरण उद्ग्रहण से प्रभार्य ।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट सेवा” का वही अर्थ होगा जो उसका वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा 161 के खंड (i) में है ।’ ।

धारा 10कक का संशोधन ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (1) में, “1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2021 के पूर्व” अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2017 से रखे जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vii) में “एक लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “एक लाख पचास हजार रुपए” शब्द 1 अप्रैल, 2017 से रखे जाएंगे ।

धारा 24 का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 24 के खंड (ख) के दूसरे परंतुक में “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष” शब्द 1 अप्रैल, 2017 से रखे जाएंगे ।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 25क, धारा 25कक और धारा 25ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2017 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 25क, धारा 25कक और धारा 25ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'25क. (1) किसी निर्धारिती द्वारा, यथास्थिति, किसी किराएदार से प्राप्त किराए के बकाया या किसी किराएदार से वसूल न किए गए किराए की पश्चात्‌वर्ती वसूल की गई रकम को उस वित्तीय वर्ष की बाबत जिसमें ऐसा किराया प्राप्त या वसूल किया गया है गृह संपत्ति से आय समझी जाएगी और निर्धारिती की "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, चाहे निर्धारिती उस वित्तीय वर्ष में संपत्ति का स्वामी हो या न हो । किराए के बकाया और वसूल न किए गए किराए के पश्चात्‌वर्ती प्राप्त होने के संबंध में विशेष उपबंध ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किराए की बकाया या वसूल न किए गए किराए की तीस प्रतिशत के बराबर राशि, कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।'।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 28 के खंड (vक) में, 1 अप्रैल, 2017 से,— धारा 28 का संशोधन।

(अ) उपखंड (क) में, "किसी कारबार" शब्दों के पश्चात्, "या वृत्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) परंतुक के खंड (i) में, "किसी कारबार" शब्दों के पश्चात्, "या वृत्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (1) में, खंड (iiक) में, "या विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के कारबार में" शब्दों के स्थान पर "या विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के कारबार में" शब्द 1 अप्रैल, 2017 से, रखे जाएंगे । धारा 32 का संशोधन।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 32कग की उपधारा (1क) में,— धारा 32कग का संशोधन।

(i) "किसी पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित और प्रतिष्ठापित ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत की रकम पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक है" शब्दों के स्थान पर, "किसी पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक है और ऐसी आस्ति 31 मार्च, 2017 को या उसके पूर्व प्रतिष्ठापित की जाती है" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां नई आस्तियों का प्रतिष्ठापन, अर्जन के वर्ष से भिन्न किसी अन्य वर्ष में किया जाता है, वहां इस उपधारा के अधीन कटौती उस वर्ष में अनुज्ञात की जाएगी, जिसमें नई आस्तियां प्रतिष्ठापित की जाती हैं :";

(iii) विद्यमान परंतुक में, "परंतु" शब्द के स्थान पर, "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 35 में, 1 अप्रैल, 2018 से,— धारा 35 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ii) में,—

(I) "एक सही तीन बटा चार" शब्दों के स्थान पर, "एक सही एक बटा दो" शब्द रखे जाएंगे;

(II) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां ऐसे संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को किसी रकम का संदाय, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में किया जाता है वहां इस खंड के अधीन कटौती इस प्रकार संदत्त रकम के बराबर होगी;

(ख) खंड (iiक) में "किसी ऐसी राशि के एक सही एक बटा चार गुणा बराबर" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (iii) में "किसी ऐसी राशि के एक सही एक बटा चार गुणा के बराबर" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2कक) में,—

(अ) खंड (क) में "दुगना" शब्द के स्थान पर "एक सही एक बटा दो" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां ऐसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति को किसी रकम का संदाय, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में किया जाता है, वहां इस उपधारा के अधीन कटौती इस प्रकार संदत्त रकम के बराबर होगी;";

(iii) उपधारा (2कख) में,—

(क) खंड (1) में, "दो के बराबर" शब्दों के स्थान पर, "एक सही एक बटा दो के बराबर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (1) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां वैज्ञानिक अनुसंधान (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) या आंतरिक अनुसंधान या विकास सुविधा पर कोई व्यय 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में उपगत किया जाता है, वहां इस खंड के अधीन कटौती इस प्रकार उपगत व्यय के बराबर होगी।";

(ग) खंड (5) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 35कखक का अंतःस्थापन ।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 35कख के पश्चात् निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

दूर-संचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के उपयोग का अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए व्यय।

"35कखक. (1) किसी व्यय के संबंध में, जो दूर-संचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के उपयोग का कोई अधिकार अर्जित करने से पूर्व या तो कारबार से पूर्व या तत्पश्चात् किसी पूर्ववर्ष में किसी समय आरंभ किया गया है और जिसके लिए स्पैक्ट्रम के उपयोग के अधिकार को अभिप्राप्त करने के लिए वास्तव में संदाय किया गया है, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उसके अनुसरण में प्रत्येक सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, ऐसे व्यय की रकम के सुसंगत भिन्न के बराबर कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) धारा 35कखख की उपधारा (2) से उपधारा (8) में अंतर्विष्ट उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, "स्पैक्ट्रम" शब्द प्रतिस्थापित किया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "सुसंगत पूर्ववर्ष" से अभिप्रेत है,—

(अ) किसी ऐसी दशा में, जिसमें दूर-संचार सेवाओं का प्रचालन करने के कारबार के प्रारंभ से पूर्व स्पैक्ट्रम फीस का वास्तव में संदाय किया जाता है, उस पूर्ववर्ष से जिसमें ऐसा कारबार प्रारंभ किया गया, आरंभ होने वाले पूर्ववर्ष;

(आ) किसी अन्य दशा में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें स्पैक्ट्रम फीस का वास्तव में संदाय किया जाता है, आरंभ होने वाले पूर्ववर्ष,

और पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष जिसके/जिनके दौरान ऐसा स्पैक्ट्रम, फीस का संदाय किया जाता है, प्रवृत्त रहेगी;

(ii) "समुचित भिन्न" से वह भिन्न अभिप्रेत है जिसका अंश एक है और जिसका हर सुसंगत पूर्ववर्षों की कुल संख्या है;

(iii) "संदाय वास्तव में किया गया है" से उस पूर्ववर्ष का ध्यान रखे बिना जिसमें व्यय के लिए दायित्व निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अपनाई गई लेखा पद्धति के अनुसार उपगत किया गया था, व्यय का वास्तविक संदाय अभिप्रेत है ।'।

धारा 35कग का संशोधन ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 35कग में, उपधारा (6) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, 1 अप्रैल, 2017 से, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(7) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

धारा 35कघ का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ में 1 अप्रैल, 2018 से,—

(क) उपधारा (1क) का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) जहां कारबार उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (xiv) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, वहां ऐसा कारबार,—

(अ) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी के या ऐसी कंपनियों के किसी संघ के या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य निकाय के स्वामित्वाधीन है;

(आ) उपखंड (क) में निर्दिष्ट अस्तित्व ने विकास या प्रचालन और अनुरक्षण के लिए या किसी नई अवसंरचना सुविधा के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य कानूनी निकाय के साथ करार किया है ।";

(ग) उपधारा (5) में,—

(I) खंड (कञ) के अंत में आने वाले शब्द "और" का लोप किया जाएगा;

(II) खंड (कञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कट) 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार विकास या प्रचालन और अनुरक्षण अथवा किसी अवसंरचना सुविधा के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण की प्रकृति का है; और"

(घ) उपधारा (8) में,—

(I) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(खक) "अवसंरचना सुविधा" से,—

(i) कोई सड़क जिसके अंतर्गत पथकर सड़क भी है, कोई पुल या कोई रेल प्रणाली;

(ii) कोई राजमार्ग परियोजना, जिसके अंतर्गत ऐसी आवासन या अन्य ऐसे क्रियाकलाप, जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न भाग है;

(iii) कोई जल प्रदान परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और मलवाही प्रणाली या ठोस अवशिष्ट प्रबंध प्रणाली;

(iv) कोई पत्तन, विमानपत्तन, भूमिगत जलमार्ग, भूमिगत पत्तन या समुद्र में नौपरिवहन संबंधी चैनल,

अभिप्रेत है;';

(II) खंड (ग) में उपखंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xiv) विकास का अनुरक्षण और प्रचालन या किसी नई अवसंरचना सुविधा का विकास, अनुरक्षण और प्रचालन ।"।

धारा 35गगग का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 35गगग की उपधारा (1) में, "के डेढ गुणा के बराबर राशि" शब्दों का, 1 अप्रैल, 2018 से, लोप किया जाएगा ।

धारा 35गगघ का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 35गगघ की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार ही प्रभावी होंगे, मानो "डेढ़ गुणा के बराबर राशि" शब्दों के स्थान पर, "बराबर राशि" शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ।'।

धारा 36 का संशोधन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) में, 1 अप्रैल, 2017 से,—

(i) उपखंड (ग) के पश्चात्, और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) जहां कोई व्यवस्था, किसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा की जाती है, वहां (इस खंड और अध्याय 6क के अधीन कटौती करने से पूर्व संगणित) कुल आय के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम ।";

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1934 का 2

'(vii) "गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में उसका है ।";

धारा 40 का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में उपखंड (iक) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(iख) किसी विनिर्दिष्ट सेवा के लिए किसी अनिवासी को संदत्त या संदेय कोई प्रतिफल जिस पर वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबन्ध के अधीन समकरण उद्ग्रहण की कटौती की जानी है और ऐसे उद्ग्रहण की कटौती नहीं की गई है या कटौती करने के पश्चात् उसका धारा 139 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व संदाय नहीं किया गया है :

परंतु जहां ऐसे किसी प्रतिफल के संबंध में किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में समकरण उद्ग्रहण की कटौती की गई है या पूर्ववर्ष के दौरान कटौती की गई है किंतु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् संदत्त किया गया है तो ऐसी राशि को पूर्ववर्ष जिसमें ऐसे उद्ग्रहण का संदाय किया गया है कि आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।'।

धारा 43ख का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, 1 अप्रैल, 2017 से,—

(i) खंड (च) में "कर्मचारी के जमा खाते में की किसी छुट्टी के बदले में संदेय है" शब्दों के स्थान पर, "कर्मचारी के जमा खाते में की किसी छुट्टी के बदले में संदेय है, या" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) निर्धारिती द्वारा भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई राशि ।"।

धारा 44कक का संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 44कक की उपधारा (2) के खंड (iv) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2017 से, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) जहां धारा 44कघ की उपधारा (4) के उपबंध उसके मामले में लागू होते हैं और उसकी आय उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो किसी पूर्ववर्ष में आय-कर से प्रभार्य नहीं है;"।

धारा 44कख का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में 1 अप्रैल, 2017 से,—

(i) खंड (ख) में, "पच्चीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (घ) में,—

(क) "कारबार" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं यह आता है, "वृत्ति" शब्द रखा जाएगा;

(ख) "धारा 44कघ के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 44कघक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) "पूर्ववर्ष" शब्द के स्थान पर "पूर्ववर्ष; या" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (घ) के पश्चात् और दीर्घ पंक्ति से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) कारबार करना यदि उसके मामले में धारा 44कघ की उपधारा (4) के उपबंध लागू हैं और उसकी आय उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो किसी पूर्ववर्ष में आय-कर से प्रभार्य नहीं है ।"।

धारा 44कघ का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ में, 1 अप्रैल, 2017 से,—

(क) उपधारा (2) में परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(4) जहां कोई पात्र निर्धारिती, इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किसी पूर्ववर्ष के लिए लाभ की घोषणा करता है और वह ऐसे पूर्ववर्ष के उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष के सुसंगत पांच निर्धारण वर्षों में से किसी के लिए लाभ की घोषणा करता है, जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं है वह ऐसे पूर्ववर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष के पश्चात्वर्ती पांच निर्धारण वर्षों के लिए इस धारा के उपबंधों के फायदों का दावा करने का पात्र नहीं होगा जिसमें लाभ की घोषणा उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं की गई थी ।

(5) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई पात्र निर्धारिती से, जिसे उपधारा (4) के उपबंध लागू होते हैं और जिसकी कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, धारा 44कक की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज का रखा जाना और बनाए रखना अपेक्षित होगा और वह उनकी लेखा परीक्षा कराएगा तथा धारा 44कख की अपेक्षानुसार ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।";

(ग) स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के उपखंड (ii) में, "एक करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 44कघक का अंतःस्थापन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

लाभ और अभिलाभों का उपधारणात्मक आधार पर संगणित करने के लिए विशेष उपबंध ।

'44कघक. (1) धारा 28 से धारा 43ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्धारिती के मामले में, जो भारत में कोई निवासी है और धारा 44कक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वृत्ति में लगा हुआ है और जिसकी सकल प्राप्तियां किसी पूर्ववर्ष में पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हैं, यथास्थिति, ऐसी वृत्ति के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ष में निर्धारिती की सकल प्राप्तियों के पचास प्रतिशत के समतुल्य कोई राशि या निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई पूर्वोक्त दावाकृत राशि से उच्चतर कोई राशि "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसी वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए धारा 30 से धारा 38 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय कोई कटौती को पहले ही पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और उन धाराओं के अधीन कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य संगणित किया गया समझा जाएगा मानो निर्धारिती ने दावा किया था और वस्तुतः सुसंगत प्रत्येक निर्धारण वर्षों के लिए अवक्षयण के संबंध में कटौती अनुज्ञात की गई थी ।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारिती से जो दावा करता है कि वृत्ति से उसके लाभ और अभिलाभ, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट लाभ और अभिलाभों से निम्नतर हैं और जिसकी कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, यह अपेक्षित होगा कि वह लेखा बहियां और दस्तावेज बनाए रखे जैसा कि धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित है तथा उन्हें लेखा परीक्षित कराए और धारा 44कख के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी लेखा परीक्षा की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।'।

धारा 47 का संशोधन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में, 1 अप्रैल, 2017 से,—

(अ) खंड (viiख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viiग) किसी निर्धारिती, जो कोई व्यष्टि है, द्वारा मोचन के माध्यम से प्रभुत्वसंपन्न स्वर्ण बंधपत्र स्कीम, 2015 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रभुत्वसंपन्न स्वर्ण बंधपत्र का कोई अंतरण;";

(आ) खंड (xiiiख) के परंतुक में,—

(I) खंड (ङ) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(II) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङक) उस पूर्ववर्ष के, जिसमें संपरिवर्तन हुआ है, पूर्ववर्ती तीन पूर्ववर्षों में से किसी में कंपनी की लेखा बहियों में आने वाली आस्तियों का कुल मूल्य पांच करोड़ रुपए से अनधिक होता है; और";

(इ) खंड (xviii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(xix) किसी यूनिट धारक द्वारा धारित पूंजी आस्ति, जो कोई यूनिट है या यूनिटें हैं, उस पारस्परिक निधि की स्कीम की समेकित योजना में उसे आबंटन के प्रतिफलस्वरूप किए गए पारस्परिक निधि स्कीम की समेकन योजना में पूंजी आस्ति, जो कोई यूनिट है या यूनिटें हैं, का कोई अंतरण ।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "समेकन योजना" से किसी पारस्परिक निधि की स्कीम के अंतर्गत ऐसी योजना अभिप्रेत है जिसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के अनुसार पारस्परिक निधि की किसी स्कीम के अंतर्गत योजनाओं के समेकन की प्रक्रिया के अधीन विलय होता है;

1992 का 15

(ख) "समेकित योजना" से ऐसी योजना अभिप्रेत है जिसके साथ समेकन योजना का विलय होता है या जो ऐसे विलय के परिणामस्वरूप बनती है;

(ग) "पारस्परिक निधि" से धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई पारस्परिक निधि अभिप्रेत है ।'।

धारा 48 का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 48 में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2017 से रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो—

(क) सरकार द्वारा जारी किए गए पूंजी सूचांकित बंधपत्रों से भिन्न कोई बंधपत्र या डिबेंचर है; या

(ख) प्रभुत्वसंपन्न स्वर्ण बंधपत्र स्कीम, 2015 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रभुत्वसंपन्न स्वर्ण बंधपत्र से भिन्न कोई बंधपत्र या डिबेंचर है,

के अंतरण से उद्‌भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ को लागू नहीं होगी :

परंतु यह भी कि किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी है, उसके द्वारा अभिदत्त किसी भारतीय कंपनी के रुपए के अंकित बंधपत्र के मोचन के समय किसी विदेशी करेंसी के विरुद्ध रुपए के अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप उद्‌भूत किसी अभिलाभ को इस धारा के अधीन प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की संगणना के प्रयोजनों के लिए छोड़ दिया जाएगा :" ।

धारा 50ग का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 50ग की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु जहां प्रतिफल की रकम नियत करने वाले करार की तारीख और पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक ही नहीं हो, वहां स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा करार की तारीख को अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य को ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए लिया जा सकेगा :

परंतु यह और कि पहला परंतुक केवल उस मामले में लागू होगा, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग अंतरण के लिए करार की तारीख को या उससे पहले किसी पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी बैंक खाते की मार्फत इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा प्राप्त किया गया हो ।"।

नई धारा 54ङङ का अन्तःस्थापन

31. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

पूंजी अभिलाभ, किसी विनिर्दिष्ट निधि की यूनिटों में विनिधान पर प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

'54ङङ. (1) जहां दीर्घकालिक पूंजी आस्ति जिसे इस धारा में मूल आस्ति कहा गया है) के अंतरण से पूंजी अभिलाभ उद्भूत होते हैं और निर्धारिती ने ऐसे अंतरण के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर किसी भी समय संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी अंग का दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किया है, वहां पूंजी अभिलाभ पर इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से कम नहीं है तो ऐसा संपूर्ण पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से कम है, तो उसी अनुपात में उतना पूंजी अभिलाभ जैसा कि वह संपूर्ण पूंजी अभिलाभ के प्रति वहन करे जितना कि दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की अर्जन लागत संपूर्ण पूंजी अभिलाभ के प्रति वहन करे, धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं होगा :

परंतु किसी निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में किया गया विनिधान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि किसी निर्धारिती द्वारा ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें मूल आस्ति या आस्तियां अंतरित की गई थीं और पश्चात्वर्ती वर्षों में एक या अधिक मूल आस्तियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में किया गया विनिधान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होगा ।

(2) जहां दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति, इसके अंतरण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर किसी भी समय निर्धारिती द्वारा अंतरित की जाती है, वहां, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार ऐसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित न की गई मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की रकम, पूर्ववर्ष की, जिसमें दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति अंतरित की जाती है, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति से संबंधित "पूंजी आस्ति" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण 1—ऐसे मामले में जहां मूल आस्ति अंतरित होती है और निर्धारिती मूल आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी अंश का किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान करता है और ऐसा निर्धारिती ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम लेता है तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी तारीख को जब ऐसा उधार या अग्रिम लिया गया है, ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति अंतरित कर दी है ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति के संबंध में, "लागत" से मूल आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभों में से ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान की गई रकम अभिप्रेत है;

(ख) "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से ऐसी निधि की, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए 1 अप्रैल, 2019 के पूर्व जारी की गई यूनिट या यूनिटें अभिप्रेत हैं।'।

धारा 54छख का संशोधन ।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 54छख में 1 अप्रैल, 2017 से,—

(क) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'परंतु पात्र स्टार्ट-अप में किसी विनिधान की दशा में इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "31 मार्च, 2017" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2019" शब्द और अंक रख दिए गए हैं;';

(ख) उपधारा (6) में,—

(i) खंड (ख) में,—

(अ) उपखंड (ii) में "विनिर्माण के कारबार में" शब्दों के पश्चात् "या किसी पात्र कारबार में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) उपखंड (iv) में "के लिए अर्हित है" शब्दों के पश्चात् "या कोई पात्र स्टार्ट-अप है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(खक) "पात्र स्टार्ट-अप" और "पात्र कारबार" के वही अर्थ होंगे जो इस धारा की बाबत धारा 80झकग की उपधारा (4) के नीचे स्पष्टीकरण में क्रमशः उनके है ।';

(iii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु किसी पात्र स्टार्ट-अप की दशा में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड द्वारा इस प्रकार प्रमाणित प्रौद्योगिकी चालित स्टार्ट-अप है, "नई आस्ति" के अंतर्गत कंप्यूटर या कंप्यूटर साफ्टवेयर आएंगे ।'।

धारा 55 का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 55 में, 1 अप्रैल, 2017 से,—

(i) उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (1) में "अधिकार है या किसी कारबार" शब्दों के पश्चात्, "या वृत्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के खंड (क) में "कारबार" शब्द के पश्चात्, "या वृत्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 56 का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में, खंड (vii) में, उपखंड (ग) के पश्चात् आने वाले दूसरे परंतुक में, 1 अप्रैल, 2017 से,—

(क) खंड (छ) में, "धारा 12कक" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक; या" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) धारा 47 के खंड (viगख) या खंड (viघ) या खंड (vii) के अधीन अंतरण न माने गए संव्यवहार द्वारा।"।

धारा 80 का संशोधन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 80 में, "धारा 73 की उपधारा (2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात् "या धारा 73क की उपधारा (2)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 80गगघ का संशोधन ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु खंड (क) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन निर्धारिती की मृत्यु पर नामनिर्देशिती द्वारा प्राप्त रकम को नामनिर्देशिती की आय होना नहीं समझा जाएगा ।"।

धारा 80ङङ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

37. आय कर अधिनियम की धारा 80ङङ के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2017 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

आवासीय गृह संपत्ति के लिए, लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती ।

'80ङङ. (1) किसी ऐसे निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि है, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसके द्वारा किसी आवासीय संपत्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था से लिए गए उधार पर संदेय ब्याज की कटौती की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती पचास हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी और यह व्यष्टि की 1 अप्रैल, 2017 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :—

(i) उधार वित्तीय संस्था द्वारा 1 अप्रैल, 2016 को आरंभ और 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया है;

(ii) आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए मंजूर की गई उधार की रकम पैंतीस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(iii) आवसीय गृह संपत्ति का मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(iv) निर्धारिती के स्वामित्व में उधार मंजूर किए जाने की तारीख को कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है ।

(4) जहां इस धारा के अधीन कोई कटौती उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्याज को अनुज्ञात की जाती है, वहां ऐसे ब्याज की बाबत कटौती इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "वित्तीय संस्था" से ऐसी कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है या उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था अथवा कोई आवासीय वित्त कंपनी भी है; 1949 का 10

(ख) "आवासीय वित्त कंपनी" से भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए मकानों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत कोई पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है ।'।

धारा 80छछ का संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछ में, "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2017 से रखे जाएंगे ।

धारा 80झक का संशोधन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में उपधारा (4) के खंड (i) में परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे उद्यम को लागू नहीं होगी जो अवसंरचना सुविधा का विकास या प्रचालन और अनुरक्षण 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ करता है ।" ।

धारा 80झकख का संशोधन ।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकख में उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के उपबंध ऐसे निर्धारिती को, जो कोई विकासकर्ता है, जहां विशेष आर्थिक जोन का विकास 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ होता है, लागू नहीं होंगे ।"।

नई धारा 80झकग का अंतःस्थापन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकख के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध ।

'80झकग. (1) जहां निर्धारती जो पात्र स्टार्ट-अप है, की कुल सकल आय में पात्र कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां इस धारा के अनुसार और उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती की कुल आय की संगणना में ऐसे कारबार से तीन लगातार निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती का निर्धारिती के विकल्प पर उस वर्ष से आरंभ होने वाले पांच वर्षों में से किन्ही तीन वर्षों के लिए, जिसमें स्टार्ट-अप निगमित किया गया था, दावा किया जाएगा ।

(3) यह धारा उस स्टार्ट-अप को लागू होती है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) इसको किसी विद्यमान कारबार का विभाजन, पुनर्गठन करके नहीं बनाया गया है :

परंतु यह शर्त किसी स्टार्ट-अप की दशा में लागू नहीं होगी जिसको निर्धारिती द्वारा धारा 33ख में निर्दिष्ट किसी ऐसे उपक्रम के किसी कारबार की पुनर्स्थापना, पुर्निनर्माण या पुनरुत्थान द्वारा उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और अवधि के भीतर बनाया गया है;

(ii) इसको किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में उपयोग किए गए किसी संयंत्र या मशीनरी को नए कारबार में अंतरित करके नहीं बनाया गया है ।

स्पष्टीकरण 1 — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कोई मशीनरी या संयंत्र जिसका भारत में बाहर निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया था, को इस प्रयोजन के लिए पूर्व में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र नहीं माना जाएगा, यदि सभी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात् :—

(क) ऐसी मशीनरी और संयंत्र का निर्धारिती द्वारा प्रतिष्ठापन से पूर्व किसी समय भारत में उपयोग नहीं किया गया था;

(ख) ऐसी मशीनरी और संयंत्र को भारत में आयात किया गया है;

(ग) ऐसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में अवक्षयण के मद्दे किसी व्यक्ति की निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र के प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी अवधि के लिए कुल आय की संगणना में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय है।

स्पष्टीकरण 2— जहां किसी स्टार्ट-अप की दशा में कोई मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग का किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, का किसी नए कारबार को अंतरण कर दिया जाता है और इस प्रकार अंतरित मशीनरी या संयंत्र या भाग का कुल मूल्य कारबार में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसमें विनिर्दिष्ट शर्त का अनुपालन किया गया समझा जाएगा।

(4) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (11) के उपबंध उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौतियों के प्रयोजन के लिए स्टार्ट-अप को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए:—

(i) "पात्र कारबार" से कोई कारबार अभिप्रेत है जिसमें नवप्रवर्तन, विकास, नए उत्पादों को लगाना या उनका वाणिज्यकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा द्वारा चालित प्रक्रिया या सेवाएं अंतर्वलित हैं;

(ii) "पात्र स्टार्ट-अप" से किसी पात्र कारबार में लगी हुई कम्पनी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(क) इसको 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2019 के पूर्व निगमित किया गया है;

(ख) उसके कारबार का कुल आवर्त 1 अप्रैल, 2016 को आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्षों में से किसी में पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक है; और

(ग) इसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में यथाअधिसूचित अंतर-मंत्रालयी बोर्ड से पात्र कारबार का प्रमाणपत्र है ।'।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख की उपधारा (9) में, 1 अप्रैल, 2017 से,— धारा 80झख का संशोधन ।

(क) खंड (ii) में "1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के पश्चात् "किंतु 31 मार्च, 2017 के अपश्चात्" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (iv) में "1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के पश्चात् "किंतु 31 मार्च, 2017 के अपश्चात्" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) खंड (v) में "1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के पश्चात् "किंतु 31 मार्च, 2017 के अपश्चात्" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 80छख के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2017 से, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 80झखक का अंतःस्थापन ।

"80झखक. (1) जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ या अभिलाभ सम्मिलित हैं जो गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न हुए हैं वहां इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए गृह निर्माण परियोजना ऐसी परियोजना होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(क) परियोजना का ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जो विहित किए जाएं 1 जून, 2016 के पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2019 को या उसके पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया है;

(ख) परियोजना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरी हो गई :

परंतु —

(i) जहां किसी गृह निर्माण परियोजना के संबंध में एक से अधिक बार अनुमोदन प्राप्त किया गया है वहां परियोजना, उस तारीख को अनुमोदित हुई समझी जाएगी जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहली बार अनुमोदित किया गया था;

(ii) परियोजना को सक्षम प्राधिकारी से लिखित में पूर्ण रूप से परियोजना पूरी होने संबंधी समापन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त हो जाने पर परियोजना को पूरा हुआ समझा जाएगा;

(ग) गृह निर्माण परियोजना में सम्मिलित दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों का निर्मित क्षेत्र सकल निर्मित क्षेत्र के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(घ) जहां ऐसी परियोजना चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुम्बई नगर के भीतर या इन नगरों की नगरपालिक सीमा से पच्चीस किलोमीटर क्षेत्र के भीतर अवस्थित है वहां परियोजना एक हजार वर्ग मीटर से अन्यून माप वाले भू-खंड पर है या जहां परियोजना किसी अन्य नगरपालिका या छावनी बोर्ड की अधिकारिता के भीतर अवस्थित है वहां परियोजना दो हजार वर्ग मीटर के भू-खंड पर है;

(ङ) जहां ऐसी परियोजना चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुम्बई के भीतर है या इन नगरों की नगरपालिक सीमाओं से पच्चीस किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर अवस्थित है वहां गृहनिर्माण परियोजना में समाविष्ट आवासीय इकाइयां तीस वर्गमीटर से अधिक नहीं हैं या जहां ऐसी परियोजना किसी अन्य नगरपालिका या छावनी बोर्ड के भीतर अवस्थित है वहां साठ वर्ग मीटर से अधिक नहीं है;

(च) जहां गृह निर्माण परियोजना की कोई आवासीय इकाई किसी व्यष्टि को आबंटित की गई है वहां उस व्यष्टि या ऐसे व्यष्टि के पति या पत्नी अथवा अवयस्क बालकों को किसी गृह निर्माण परियोजना में कोई अन्य आवासीय इकाई आबंटित नहीं की जाएगी;

(छ) परियोजना निम्नलिखित का उपयोग करती है —

(i) जहां परियोजना चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुम्बई नगर या इन नगरों की नगरपालिक सीमाओं से पच्चीस किलोमीटर के क्षेत्र में अवस्थित है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अधीन भू-खंड के संबंध में अनुज्ञेय फर्श क्षेत्र अनुपात का नब्बे प्रतिशत से अन्यून, या

(ii) जहां परियोजना उपखंड (1) में क्षेत्रों से भिन्न किसी अन्य क्षेत्र में अवस्थित है, ऐसे फर्श क्षेत्र अनुपात का अस्सी प्रतिशत से अन्यून; और

(ज) निर्धारिती गृह निर्माण परियोजनाओं के संबंध में पृथक् लेखा बहियां रखता है ।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी उपक्रम को लागू नहीं होगी जो गृह निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किसी व्यक्ति (जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार है) द्वारा दी गई संकर्म संविदा के रूप में करता है ।

(4) जहां गृह निर्माण परियोजना को उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है और जिसके संबंध में किसी कटौती का दावा किया गया है और इस धारा के अधीन अनुज्ञात की गई है, इस प्रकार दावा की गई कटौती की कुल रकम और एक या अधिक पूर्ववर्ष में अनुज्ञात रकम को उस पूर्ववर्ष जिसमें पूरा करने की अवधि का अवसान होता है, के लिए "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्रभार्य आय माना जाएगा ।

(5) जहां आवास के लिए किसी स्कीम के अधीन गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ की किसी रकम का किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन दावा किया गया है और अनुज्ञात की गई है, ऐसे लाभ और अभिलाभ की रकम को इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "निर्मित क्षेत्र" से फर्श स्तर पर किसी आवासीय यूनिट का आंतरिक मापमान अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत दीवारों की मोटाई द्वारा बढ़ाए गए छज्जे और बालकोनियां हैं किंतु इसमें इस प्रकार बांटी गई कोई खुली छत सहित अन्य आवासीय यूनिटों के साथ बांटा गया सामान्य क्षेत्र नहीं है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से भारत सरकार द्वारा सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से सभी फर्शों पर कुर्सी क्षेत्र के कुल आच्छादित क्षेत्र का भू-खंड के क्षेत्र से भाग द्वारा अभिप्राप्त भागफल अभिप्रेत है;

(घ) "गृह निर्माण परियोजना" से कोई परियोजना अभिप्रेत है जिसमें मुख्यतः रिहायशी यूनिटें सम्मिलित हैं जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं और प्रसुविधाएं हैं जैसी सक्षम प्राधिकारी इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए विनिर्दिष्ट करे;

(ङ) "आवासीय यूनिट" से कोई स्वतंत्र गृह निर्माण यूनिट अभिप्रेत है जिसमें रहने, खाना बनाने और स्वच्छता अपेक्षाओं की पृथक् सुविधाएं हैं और उसी भवन में अन्य आवासीय यूनिटों से सुभिन्न रूप से पृथक् है, जो किसी बाह्य दरवाजे से या किसी आंतरिक दरवाजे के माध्यम से किसी सामान्य हाल द्वार और न कि अन्य गृहस्थी के रहने के स्थान से चलकर पहुंच योग्य है ।' ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 80जजकक के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 80जजकक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

'80जजकक. (1) जहां किसी निर्धारिती, जिसको धारा 44कख लागू होती है, की सकल कुल आय में, कारबार से व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी पूर्ववर्ष में, तीन निर्धारण वर्षों के लिए, जिसके अंतर्गत वह निर्धारण वर्ष भी है जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत है जिसमें ऐसा नियोजन दिया गया है, ऐसे कारबार के दौरान उपगत अतिरिक्त कर्मचारी की लागत के तीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । नए कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में कटौती ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी—

(क) यदि कारबार का गठन विद्यमान कारबार के विभाजन या पुनर्निर्माण द्वारा हुआ है :

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे कारबार के संबंध में लागू नहीं होगी जिसका गठन धारा 33ख में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और अवधि के भीतर निर्धारिती द्वारा कारबार के पुनःस्थापन, पुनर्निर्माण या पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप किया गया है;

(ख) यदि कारबार निर्धारिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अंतरण के रूप में या किसी कारबार पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अर्जित किया जाता है;

(ग) जब तक कि निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट उसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) "अतिरिक्त कर्मचारी लागत" से पूर्ववर्ष के दौरान नियोजित अतिरिक्त कर्मचारियों को संदत्त या संदेय कुल परिलब्धियां अभिप्रेत हैं :

परंतु विद्यमान कारबार की दशा में अतिरिक्त कर्मचारी लागत शून्य होगी, यदि—

(क) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या से कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है;

(ख) परिलब्धियां बैंक खाते के माध्यम से पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में बैंक ड्राफ्ट द्वारा या इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग से अन्यथा संदत्त की जाती हैं :

परंतु यह और कि नए कारबार के प्रथम वर्ष में, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान नियोजित कर्मचारियों को संदत्त या संदेय परिलब्धियां अतिरिक्त कर्मचारी लागत समझी जाएगी;

(ii) "अतिरिक्त कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जो पूर्ववर्ष के दौरान नियोजित किया गया है और जिसके नियोजन का प्रभाव पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को नियोजक द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या में वृद्धि है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है,—

(क) कोई ऐसा कर्मचारी जिसकी प्रतिमास कुल परिलब्धियां पच्चीस हजार रुपए से अधिक है; या

(ख) ऐसा कर्मचारी जिसके लिए समस्त अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित कर्मचारी पेंशन स्कीम के अधीन सरकार द्वारा संदत्त किया जाता है; या

1952 का 19

(ग) पूर्ववर्ष के दौरान दो सौ चालीस दिन से कम की अवधि के लिए नियोजित कोई कर्मचारी; या

(घ) कोई कर्मचारी, जो मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग नहीं लेता है;

(iii) "परिलब्धियों" से किसी कर्मचारी को उसके नियोजन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, के बदले में संदत्त संदेय कोई धनराशि अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है —

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर्मचारी के फायदे के लिए नियोजक द्वारा किसी पेंशन या भविष्य निधि या किसी अन्य निधि में संदत्त या संदेय कोई अंशदान; और

(ख) उसकी सेवा के पर्यवसान या अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय संदत्त या संदेय कोई एकमुश्त संदाय जैसे उपदान, पृथक्करण वेतन, छुट्टी नकदीकरण, स्वैच्छिक छंटनी फायदे, पेंशन का संराशीकरण और वैसे ही ।

(3) इस धारा के उपबंध, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा उनके संशोधन से ठीक पूर्व विद्यमान थे, 1 अप्रैल, 2016 को या उससे पहले आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी कटौती का दावा करने वाले पात्र निर्धारिती को लागू होंगे ।'।

धारा 87क का संशोधन ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 87क में "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2017 से रखे जाएंगे ।

धारा 92गक का संशोधन ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक की उपधारा (3क) में, निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) या खंड (viii) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, यदि आदेश करने के लिए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को उपलब्ध परिसीमा की अवधि साठ दिन से कम है तो ऐसी शेष अवधि साठ दिन तक बढ़ाई जाएगी और परिसीमा की पूर्वोक्त अवधि तदनुसार बढ़ाई गई समझी जाएगी ।"।

धारा 92घ का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 92घ में, 1 अप्रैल, 2017 से, —

(i) उपधारा (1) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

'परंतु ऐसा व्यक्ति, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का कोई घटक अस्तित्व है, किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा ।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —

(अ) "घटक अस्तित्व" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (घ) में है;

(आ) "अंतर्राष्ट्रीय समूह" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (छ) में है;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति, उक्त परंतुक में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों को धारा 286 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी को ऐसी रीति में उस तारीख को या उसके पूर्व जैसा कि विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा ।"।

धारा 112 का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में, "असूचीबद्ध प्रतिभूतियां" शब्दों के स्थान पर "असूचीबद्ध प्रतिभूतियां या किसी कंपनी, जो ऐसी कंपनी न हो, जिसमें जनता सारवान रूप से हितबद्ध हो, के शेयर" शब्द 1 अप्रैल, 2017 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 115खक का अंतःस्थापन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 115ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर ।

"115खक. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किंतु धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए किसी व्यक्ति, जो कोई देशी कंपनी है, की कुल आय की बाबत संदेय आय-कर ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर पच्चीस प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों का समाधान हो जाता है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, अर्थात् :—

(क) कंपनी 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् स्थापित और रजिस्ट्रीकृत की गई है;

(ख) कंपनी किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगी है; और

(ग) कंपनी की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कग या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या उपधारा (2कख) या धारा 35कग या धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के उपबंधों के अधीन या धारा 80जजकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन "ग-कतिपय आयों की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन किसी कटौती के बिना की गई है;

(ii) किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से अग्रनीत किसी हानि के मुजरा के बिना की गई है, यदि ऐसी हानि उपखंड (i) में निर्दिष्ट किन्हीं कटौतियों के कारण है; और

(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) से भिन्न धारा 32 के अधीन अवक्षयण ऐसी रीति में अवधारित किया जाता है, जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हानि को पहले ही पूरी तरह प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए ऐसी हानि के लिए कोई अतिरिक्त कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के विकल्प का धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए निर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पहले विहित रीति में प्रयोग किया जाएगा ।"।

50. आय-कर अधिनियम में, धारा 115खखघ के पश्चात् 1 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 115खखघक का अंतःस्थापन ।

'115खखघक. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारिती, जो कोई व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई फर्म, जो भारत में निवासी है, की कुल आय में किसी देशी कंपनी द्वारा संदत्त घोषित, वितरित या संदत्त लाभांशों के द्वारा दस लाख रुपए से अधिक की कोई आय सम्मिलित है तो संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा— देशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर ।

(क) ऐसे लाभांशों द्वारा आय पर संगणित आय-कर की रकम पर दस प्रतिशत की दर से; और

(ख) आय-कर की रकम, जिससे निर्धारिती प्रभार्य होता यदि उसकी कुल आय में से लाभांशों द्वारा आय की पूर्वोक्त रकम को घटा दिया जाता ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट लाभांशों द्वारा उसकी आय को संगणित करने में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती को किसी खर्चे या मोक या हानि के मुजरा के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) इस धारा में, "लाभांश" का वही अर्थ होगा जो "लाभांश" का धारा 2 के खंड (22) में है किंतु उसका उपखंड (ङ) सम्मिलित नहीं होगा ।'।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ में, 1 अप्रैल, 2017 से, उपधारा (2) में, "मोक" शब्द के पश्चात्, " या किसी अवधारित हानि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे। धारा 115खखङ का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 115खखच का अंतःस्थापन ।

'115खखच. (1) जहां किसी पात्र निर्धारिती की कुल आय में भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट में स्वामिस्व के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर,— पेटेंट से आय पर कर।

(क) पेटेंट के संबंध में स्वामिस्व के रूप में आय पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम; और

(ख) आय-कर की ऐसी रकम जो निर्धारिती से उस दशा में प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय की रकम में से खंड (क) में निर्दिष्ट आय घटा दी जाती,

का योग होगा ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यय या मोक की बाबत पात्र निर्धारिती को उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

1970 का 39 (क) "विकसित" से किसी ऐसे आविष्कार, जिसके संबंध में पेटेंट अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् पेटेंट अधिनियम कहा गया है), के अधीन पेटेंट मंजूर किया गया है, के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय अभिप्रेत है;

(ख) "पात्र निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका भारत में निवास है और जो पेटेंटी है;

(ग) "आविष्कार" का वही अर्थ होगा जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में उसका है;

(घ) "एकमुश्त" के अंतर्गत ऐसे स्वामिस्वों के कारण कोई ऐसा अग्रिम संदाय, जो वापस करने योग्य नहीं है, आता है;

(ङ) "पेटेंट" का वही अर्थ होगा जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में उसका है;

(च) "पेटेंटी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आविष्कार का वास्तविक और प्रथम आविष्कारक है, जिसका नाम पेटेंट अधिनियम के अनुसार पेटेंटी के रूप में पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो आविष्कार का वास्तविक और प्रथम आविष्कारक वहां है जहां एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति उस पेटेंट की बाबत उस अधिनियम के अधीन पेटेंटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं;

(छ) "पेटेंटीकृत वस्तु" और "पेटेंटकृत प्रक्रिया" के वही अर्थ होंगे जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) में क्रमशः उनके हैं;

(ज) पेटेंट के संबंध में "स्वामिस्व" से निम्नलिखित के लिए ऐसा प्रतिफल (जिसके अंतर्गत एकमुश्त प्रतिफल है किंतु कोई ऐसा प्रतिफल नहीं है जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य प्राप्तिकर्ता की आय या पेटेंटीकृत प्रक्रिया के उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग के लिए पेटेंटीकृत वस्तु के साथ विनिर्मित उत्पाद के विक्रय के लिए प्रतिफल होगा) अभिप्रेत है,—

(i) पेटेंट के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों (जिनमें अनुज्ञप्ति का मंजूर किया जाना भी है) का अंतरण; या

(ii) पेटेंट के कार्यकरण या उसके उपयोग से संबंधित कोई सूचना प्रदान करना; या

(iii) किसी पेटेंट का उपयोग; या

(iv) उपखंड (i) से उपखंड (iii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के संबंध में कोई सेवा प्रदान करना;

(झ) "वास्तविक और प्रथम आविष्कारक" के वही अर्थ होंगे जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (म) में उनके हैं ।'।

धारा 115जख का संशोधन ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख में,—

(I) उपधारा (2) के पश्चात्,—

(क) स्पष्टीकरण 1 में, 1 अप्रैल, 2017 से,—

(i) खंड (चग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(चघ) धारा 115खखच के अधीन कर से प्रभार्य पेटेंट के संबंध में राजस्व के माध्यम से आय से संबंधनीय व्यय की रकम; या ";

(ii) दीर्घ पंक्ति में,—

(अ) खंड (iiच) के अंत में आने वाले "रकम" शब्द के स्थान पर, "रकम; या" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (iiच) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiछ) धारा 115खखच के अधीन कर से प्रभार्य पेटेंट के संबंध में राजस्व के माध्यम से आय की रकम;";

(ख) स्पष्टीकरण 4 को उसके स्पष्टीकरण 5 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 5 के पहले निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और उसे 1 अप्रैल, 2001 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 4**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के उपबंध किसी निर्धारिती को, जो कोई विदेशी कंपनी है, लागू नहीं होंगे और कभी भी लागू हुए नहीं समझे जाएंगे, यदि—

(i) निर्धारिती किसी ऐसे देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का निवासी है, जिसके साथ भारत ने धारा 90 की उपधारा (1) के अधीन करार किया हुआ है या केंद्रीय सरकार ने धारा 90क की उपधारा (1) के अधीन किसी करार को अंगीकार किया है और निर्धारिती के पास ऐसे करार के उपबंध के अनुसरण में भारत में कोई स्थायी स्थापन नहीं है; या

(ii) निर्धारिती किसी ऐसे देश का निवासी है, जिसके साथ भारत ने खंड (i) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई करार नहीं किया है और निर्धारिती से तत्समय प्रवृत्त कंपनियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करना अपेक्षित नहीं है ।"; 1956 का 1

(II) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इसमें निर्दिष्ट निर्धारिती, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित कोई इकाई है और अपनी आय पूर्ण रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करती है, वहां उपधारा (1) के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "साढ़े अठारह प्रतिशत" शब्द जहां कहीं वे उस उपधारा में आते हैं, "नौ प्रतिशत" शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिए गए हों ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है; 2005 का 28

(ख) "इकाई" से 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित कोई इकाई अभिप्रेत है;

(ग) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में समझा गया है ।'। 1999 का 42

54. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खख के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— नए अध्याय 12खग का अंतः स्थापन ।

‘अध्याय 12खग

भारत में निवासी के रूप में कथित विदेशी कंपनी से संबंधित विशेष उपबंध

115जज. (1) जहां किसी विदेशी कंपनी का किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होना कथित है और ऐसी विदेशी कंपनी उक्त पूर्ववर्ष से पहले के पूर्ववर्ती किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी नहीं रही है, तब इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाएं, कुल आय की संगणना, अनामेलित अवक्षयण, हानियों के मुजरे या अग्रनयन और मुजरे, संग्रहण और वसूली से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध और कर के परिवर्जन से संबंधित विशेष उपबंध, ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो उक्त पूर्ववर्ष के लिए उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू होंगे। भारत में निवासी के रूप में कथित विदेशी कंपनी ।

परंतु यह कि जब विदेशी कंपनी का भारत में निवासी होने के बारे में अवधारण किसी पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण कार्यवाहियों में किया गया है तब इस उपधारा के उपबंध ऐसे पूर्ववर्ष से अगले किसी अन्य पूर्ववर्ष के संबंध में भी लागू होंगे यदि विदेशी कंपनी उस पूर्ववर्ष में भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष उस तारीख को या उससे पूर्व जिसको ऐसी निर्धारण कार्यवाही पूरी हो जानी है, समाप्त होता है ।

(2) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष में किसी फायदा, छूट या राहत का दावा किया गया है और वह विदेशी कंपनी को अनुदत्त की गई और बाद में उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त का पालन करने में असफलता होती है, तो,—

(i) ऐसा फायदा, छूट या राहत गलत तौर पर अनुज्ञात की गई समझी जाएगी;

(ii) निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी उक्त पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुनः संगणना और आवश्यक समाशोधन ऐसे कर सकेगा मानो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन लागू नहीं हुए हों; और

(iii) धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसके संबंध में लागू होंगे और इस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की संगणना उस पूर्ववर्ष के जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्त का पालन करने में असफलता होती है, के अंत से की जाएगी ।

(3) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।’।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण में,— धारा 115ण का संशोधन ।

(क) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(7) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात्, चालू आय में से किसी कारबार न्यास को लाभांशों (चाहे अंतरिम हों या अन्यथा) के माध्यम से विनिर्दिष्ट देशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम के संबंध में इस धारा के अधीन वितरित लाभों पर कोई कर प्रभार्य नहीं होगा :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात विनिर्दिष्ट तारीख तक संचित लाभों और चालू लाभों में से लाभांशों (चाहे अंतरिम हों या अन्यथा) के माध्यम से विनिर्दिष्ट देशी कंपनी द्वारा किसी भी समय घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिर्दिष्ट देशी कंपनी" से ऐसी कोई देशी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें कोई कारबार न्यास, कंपनी की साधारण अंश पूंजी के पूर्ण अभिहित मूल्य का धारक हो जाता है (तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या सरकार अथवा किसी विनियामक प्राधिकारी के किसी अनुदेश के अनुसरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवश्यक रूप से धारित किए जाने के लिए अपेक्षित साधारण अंश पूंजी या सरकार या किसी सरकारी निकाय द्वारा धारित साधारण अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए);

(ख) "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी धृति के कारबार न्यास द्वारा अर्जन की तारीख अभिप्रेत है जैसा कि खंड (क) में विनिर्दिष्ट की जाए ।’;

(ख) इस प्रकार अंतःस्थापित उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘(8) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई है, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में व्युत्पन्न एकमात्र आय के रूप में ऐसे लाभांश को प्राप्त करने वाली कंपनी या व्यक्ति के हाथों में वर्तमान आय में से 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में

(चाहे अंतरिम हो या अन्यथा) ऐसी कंपनी द्वारा घोषित वितरित या संदत्त किसी रकम पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में एकमात्र आय से व्युत्पन्न कुल आय की बाबत वितरित लाभ पर कोई कर प्रभार्य नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है; 2005 का 28

(ख) "इकाई" से 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित कोई इकाई अभिप्रेत है;

(ग) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में समझा गया है ।' 1999 का 42

धारा 115थक का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 115थक की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण में 1 जून, 2016 से,—

(क) खंड (i) में, "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77क" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "कंपनियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में, "ऐसे शेयरों के निर्गमन के लिए प्राप्त रकम" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित ऐसे शेयरों के निर्गमन के लिए प्राप्त रकम" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115नक का संशोधन ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 115नक में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी : —

"(5) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात 1 जून, 2016 को या उसके पश्चात् प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा उसके विनिधानकर्ताओं को वितरित किसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी ।"।

धारा 115नग का संशोधन ।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 115नग में, स्पष्टीकरण में 1 जून, 2016 से,—

(अ) खंड (क) में "या प्रतिभूतियों" शब्दों के पश्चात् "या प्रतिभूति प्राप्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) खंड (घ) में,—

(I) उपखंड (ii) में "भारतीय रिजर्व बैंक" शब्दों के पश्चात् "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(II) उपखंड (ii) के पश्चात् और दीर्घ पंक्ति से पहले निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रयोजनों के लिए बनाई गई प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्गठन कंपनियों द्वारा स्थापित न्यास या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस प्रयोजन के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांत या निदेशों के अनुसरण में है,"; 2002 का 54

(इ) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) "प्रतिभूति प्राप्ति" का वही अर्थ होगा जो उसका वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यछ) में है ।'। 2002 का 54

नई धारा 115नगक का अंतःस्थापन ।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 115नग के पश्चात् और उक्त धारा के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

प्रतिभूतिकरण न्यासों से आय पर कर ।

"115नगक. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति, जो किसी प्रतिभूतिकरण का कोई विनिधानकर्ता है, को, प्रतिभूतिकरण में किए गए विनिधान से प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त कोई आय, उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त आय हो, यदि प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा विनिधान उसके द्वारा प्रत्यक्षतः किए गए हों ।

(2) प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा संदत्त या जमा की गई आय उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के हाथ में उसी प्रकृति और उसी अनुपात में समझी जाएंगी मानो वह पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण द्वारा प्राप्त की गई हो या उसको प्रोद्भूत अथवा उद्भूत हुई हो ।

(3) किसी पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण न्यास को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय, यदि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त या जमा न की गई हो, पूर्ववर्ष के अंतिम दिन पर उक्त व्यक्ति के खाते में उसी अनुपात में जमा समझी जाएगी जिसमें ऐसा व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए हकदार होता यदि उसे पूर्ववर्ष में संदत्त किया गया होता ।

(4) प्रतिभूतिकरण न्यास की ओर से आय को जमा करने या संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी आय के संबंध में कर के लिए दायी है और विहित आय-कर प्राधिकारी को ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में सत्यापित एक विवरण, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान संदत्त या जमा आय के ब्यौरे और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, दिए जाएंगे, प्रस्तुत करेगा ।

(5) उक्त पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत होने के कारण कोई आय, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की आय में सम्मिलित किया गया है, ऐसे व्यक्ति की उस पूर्ववर्ष में कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी जिसमें ऐसी आय प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वस्तुतः उसे संदत्त की गई हो ।"।

60. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12डक के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— नए अध्याय 12डख का अंतःस्थापन ।

'अध्याय 12डख

कतिपय न्यासों और संस्थाओं की अनुवर्धित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

115नघ. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास या संस्था किसी पूर्ववर्ष में— अनुवर्धित आय पर कर ।

(क) किसी ऐसे रूप में संपरिवर्तित हो गई है, जो धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र नहीं है;

(ख) किसी ऐसे अस्तित्व, जो कोई न्यास या संस्था है, से भिन्न किसी अन्य अस्तित्व में विलय हो गई है जिसके उद्देश्य उसके समान हैं और वह धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; या

(ग) जो विघटन पर अपनी आस्तियां किसी न्यास या संस्था अथवा धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था को उस मास से, जिसमें विघटन होता है, अंत से बारह मास की अवधि के भीतर, सभी आस्तियां अंतरित करने में असफल रहती है,

ऐसे न्यास या संस्था की कुल आय की बाबत प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट तारीख को, यथास्थिति, न्यास या संस्था की अनुवर्धित आय पर कर प्रभार्य किया जाएगा और ऐसा न्यास या संस्था अतिरिक्त आय-कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुवर्धित आय पर कर कहा गया है), अनुवर्धित आय पर अधिकतम मार्जिन की दर पर संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अनुवर्धित आय से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसके द्वारा, विनिर्दिष्ट तारीख को न्यास या संस्था की कुल आस्तियों का सकल उचित बाजार मूल्य मूल्यांकन की ऐसी रीति के जो विहित किया जाए, अनुसार संगणित ऐसे न्यास या संस्था के कुल दायित्व से अधिक हो जाता है :

परंतु उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में अनुवर्धित आय की संगणना करते समय ऐसी आस्तियों और दायित्वों, यदि कोई हों, जो ऐसी आस्ति से संबंधित है और जिन्हें उक्त खंड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य न्यास या संस्था को या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अन्य निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्थान को अंतरित कर दिया गया है, की अनदेखी कर दी जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कोई न्यास या संस्था किसी पूर्ववर्ष में ऐसे रूप में संपरिवर्तित समझे जाएंगे, जो धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र न हों, यदि—

(i) धारा 12कक के अधीन इसे प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है;

(ii) इसने अपने उद्देश्यों के उपांतरण को अंगीकार किया है या हाथ में लिया है, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं और—

(क) इसने उक्त पूर्ववर्ष में धारा 12कक के अधीन नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है; या

(ख) धारा 12कक के अधीन नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र फाइल किया है किंतु वह अस्वीकार कर दिया गया है ।

(4) इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित उसकी कुल आय पर किसी न्यास या संस्था द्वारा कोई आय-कर संदेय नहीं है, उपधारा (1) के अधीन अनुवर्धित आय पर ऐसे न्यास या संस्था द्वारा कर संदेय होगा ।

(5) यथास्थिति, प्रधान अधिकारी, या न्यास का न्यासी या संस्था और न्यास या संस्था भी निम्नलिखित तारीख से चौदह दिनों के भीतर अनुवर्धित आय पर कर का सदाय केंद्रीय सरकार के पास जमा करने के लिए दायी होंगे,—

(i) उस तारीख से जब उपधारा (3) के खंड (i) में निर्दिष्ट मामले में, किसी न्यास या संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्द होने का आदेश प्राप्त हो;

(ii) पूर्ववर्ष के अंत पर, उपधारा (3) के खंड (ii) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट मामले में;

(iii) उस तारीख को जब उपधारा (3) के खंड (ii) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में किसी न्यास या संस्था द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकार करने का आदेश प्राप्त हो;

(iv) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में विलयन की तारीख से;

(v) उस तारीख को जब उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट बारह मास की अवधि समाप्त हो ।

(6) किसी न्यास या संस्था द्वारा अनुवर्धित आय पर कर उक्त आय की बाबत कर का अंतिम रूप से संदाय समझा जाएगा और न्यास या संस्था या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस संबंध में किसी और प्रत्यय का दावा इस प्रकार संदत्त कर की रकम की बाबत नहीं किया जाएगा ।

(7) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन न्यास या संस्था या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी आय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिस पर उपधारा (1) के अधीन कर प्रभारित किया गया हो या उस पर कर लगाया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) "संपरिवर्तन की तारीख" से अभिप्रेत है—

(क) उपधारा (3) के खंड (i) में निर्दिष्ट मामले में धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने वाले आदेश की तारीख; या

(ख) उपधारा (3) के खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में किसी उद्देश्य को अंगीकार करने या उपांतरित करने की तारीख;

(ii) "निर्दिष्ट तारीख" से अभिप्रेत है—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आने वाले किसी मामले में संपरिवर्तन की तारीख;

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आने वाले किसी मामले में विलयन की तारीख; और

(ग) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आने वाले किसी मामले में विघटन की तारीख ।

न्यास या संस्था द्वारा कर के असंदाय के लिए संदेय ब्याज ।

115नङ. जहां प्रधान अधिकारी या न्यास का न्यासी या संस्था और न्यास या संस्था, धारा 115नघ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुवर्धित आय पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग को, उस धारा की उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर संदत्त करने में असफल रहता या रहती है, वहां वह अंतिम तारीख के, जिसको ऐसा कर संदेय था, ठीक पश्चात् की तारीख को आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको कर वस्तुतः संदत्त किया गया था, समाप्त होने वाली अवधि के लिए ऐसे कर की रकम पर प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए वास्तविक रूप से दायी होगा या होगी ।

न्यास या संस्था को कब व्यतिक्रमी निर्धारिती माना जाएगा ।

115नच. (1) यदि कोई प्रधान अधिकारी या न्यास का न्यासी या संस्था और न्यास या संस्था, धारा 115नघ के उपबंधों के अनुसार अनुवर्धित आय पर कर संदत्त नहीं करता या करती है, तो उसे उसके द्वारा संदेय कर की रकम की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा और इस अधिनियम के आय-कर के संग्रहण और उसकी वसूली से संबंधित सभी उपबंध लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी मामले में, जहां अनुवर्धित आय पर कर धारा 115नघ की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन संदेय है, ऐसे व्यक्ति को जिसे इसकी उपधारा (2) के अधीन अनुवर्धित आय की संगणना का भाग बनने वाली कोई आस्ति अंतरित हुई है, ऐसे कर और उस पर ब्याज की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा और आय-कर के संग्रहण और वसूली के लिए इस अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे :

परंतु इस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति का दायित्व उस परिमाण तक सीमित होगा जिस तक उसके द्वारा प्राप्त आस्ति दायित्व को पूरा करने के लिए सक्षम है ।'।

धारा 115पक का संशोधन ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 115पक की उपधारा (3) में, "खंड (23चग) में" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "खंड (23चग) के उपखंड (क) में" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2017 से रखे जाएंगे ।

धारा 119 का संशोधन ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "234ङ" अंकों और अक्षर के पश्चात्, "270क" अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (3) के खंड (ख) के पश्चात्, 1 जून, 2016 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 124 का संशोधन ।

"(ग) जहां उस तारीख से, जिस तारीख को उस पर धारा 153क की उपधारा (1) या धारा 153ग की उपधारा (2) के अधीन सूचना तामील की गई थी, एक मास की समाप्ति के पश्चात् या निर्धारण पूरा होने के पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारा 132 या धारा 132क के अधीन कोई कार्रवाई की गई है ।"।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 133ग को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 133ग का संशोधन ।

"(2) जहां कोई जानकारी या दस्तावेज उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के उत्तर में प्राप्त हुई है, वहां विहित आय-कर प्राधिकारी ऐसी जानकारी या दस्तावेज पर कार्रवाई कर सकेगा और निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने का परिणाम उपलब्ध करवा सकेगा ।"।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में,— , धारा 139 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के छठे परंतुक में "धारा 10क या धारा 10खक या अध्याय 6क के उपबंधों" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर " धारा 10 के खंड (38) या धारा 10क या धारा 10खक या अध्याय 6क के उपबंधों" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर 1 अप्रैल, 2017 से रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में, "धारा 73 की उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "या धारा 73क की उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) 1 अप्रैल, 2017 से,—

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) कोई व्यक्ति जिसने उपधारा (1) के अधीन उसे अनुज्ञात समय के भीतर कोई विवरणी नहीं दी है, किसी पूर्ववर्ष के लिए विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत के पूर्व या निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी समय दे सकेगा ।";

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) यदि किसी व्यक्ति को, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् इसमें किसी लोप या किसी गलत कथन का पता लगता है, तो वह सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत में एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व या निर्धारण वर्ष पूरा होने के पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय संशोधित विवरणी दे सकेगा।";

(ग) उपधारा (9) में, स्पष्टीकरण के खंड (कक) का लोप किया जाएगा ।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,— धारा 143 का संशोधन ।

(क) 1 अप्रैल, 2017 से,—

(I) उपधारा (1) के खंड (क) में,—

(अ) उपखंड (i) में अंत में आने वाले "या" शब्द का लोप किया जाएगा;

(आ) उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) दावा की गई हानि की नामंजूरी, यदि पूर्ववर्ष की विवरणी जिसके लिए हानि के मुजरे का दावा किया गया था धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख से परे प्रस्तुत की गई थी;

(iv) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उपदर्शित व्यय की नामंजूरी किंतु जिसे विवरणी में कुल आय की संगणना के लेखे नहीं लिया गया है;

(v) धारा 10कक, धारा 80झक, धारा 80झकख, धारा 80झख, धारा 80झग, धारा 80झघ या धारा 80झङ के अधीन कटौती की नामंजूरी यदि विवरणी धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख से परे प्रस्तुत की गई है; या

(vi) प्ररूप 26कध या प्ररूप 16क या प्ररूप 16 में आने वाली आय में वर्धन जिसे विवरणी में कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं किया गया है :

परंतु ऐसा कोई समायोजन सिवाय निर्धारिती को लिखित या किसी इलैक्ट्रानिकी ढंग के संसूचना देने के सिवाय नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि निर्धारिती से प्राप्त प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, पर कोई समायोजन करने से पूर्व विचार किया जाएगा और उस समय जहां ऐसी संसूचना जारी करने से तीस दिन के भीतर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा समायोजन किया जाएगा;" ।

(II) उपधारा (1घ) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसी विवरणी को उपधारा (3) के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व प्रसंस्कृत किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2016 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में कोई विवरणी दी गई है, वहां, यदि, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या विहित आय-कर प्राधिकारी यदि यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारिती ने कम आय का विवरण नहीं दिया है या आधिक्य हानि संगणित नहीं की है या किसी रीति में कम कर संदत्त नहीं किया गया है, निर्धारिती को उससे यह अपेक्षा करते हुए एक सूचना की तामील की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में या तो उपस्थित हो या निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष ऐसे साक्ष्य को, जिस पर निर्धारिती उस विवरणी के समर्थन में निर्भर करता है, पेश करे या करवाए :

परंतु इस उपधारा के अधीन निर्धारिती पर किसी सूचना की तामील उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें विवरणी दी जाती है, छह मास के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी ।

धारा 147 का संशोधन ।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 147 के स्पष्टीकरण 2 में 1 जून, 2016 से, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) जहां निर्धारिती ने आय की कोई विवरणी नहीं दी है या उसने आय की विवरणी दी है और धारा 133ग की उपधारा (2) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी से प्राप्त जानकारी या दस्तावेज के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि निर्धारिती की आय उस अधिकतम रकम से अधिक है जो कर से प्रभार्य नहीं है या, यथास्थिति, निर्धारिती ने आय का न्यून कथन किया है या विवरणी में अत्यधिक हानि, कटौती, मोक या राहत का दावा किया है;"।

विद्यमान धारा 153 के स्थान पर नई धारा 153 का प्रतिस्थापन ।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्थान पर नई धारा 1 जून, 2016 से रखी जाएगी :—

निर्धारण, पुनः निर्धारण और पुनः संगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा ।

"153. (1) उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें आय पहली बार निर्धारणीय थी, इक्कीस मास की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय धारा 143 या धारा 144 के अधीन निर्धारण का कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 148 के अधीन सूचना की तामील की गई थी, नौ मास की समाप्ति के पश्चात् धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनः निर्धारण और पुनः संगणना का कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें धारा 254 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने वाला आदेश, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया गया था या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश पारित किया गया था, से पहले किसी भी समय धारा 254 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में नए निर्धारण का आदेश किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी उस दशा में जहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के प्रकरण के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया गया है वहां उक्त उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, निर्धारण या पुनः निर्धारण को पूरा करने के लिए उपलब्ध समयावधि को बारह मास के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उस दशा में जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई नया निर्धारण या पुनः निर्धारण करने से भिन्न धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश को पूर्णतः या भागतः प्रभावी बनाया जाना है वहां ऐसे आदेश को उस मास के अंत से जिसमें, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 के अधीन आदेश प्राप्त किया गया था या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश पारित किया गया था, तीन मास की अवधि के भीतर प्रभावी बनाया जाएगा :

परंतु उस दशा में जहां निर्धारण अधिकारी के लिए, उसके नियंत्रण से परे कारणों से, पूर्वोक्त समय के भीतर ऐसे आदेश को प्रभावी बनाना संभव नहीं है वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यदि उसका समाधान हो जाता है तो निर्धारण अधिकारी से लिखित में ऐसे कारणों की प्राप्ति पर ऐसे आदेश को प्रभावी बनाने के लिए छह मास का अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर सकेगा ।

(6) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित वर्गों के निर्धारणों, पुनः निर्धारणों और पुनः संगणना को लागू नहीं होंगे जो उपधारा (3) और उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन—

(i) जहां धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 और धारा 264 के अधीन किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन अपील या निर्देश के रूप में किए जाने से भिन्न कार्यवाही में किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में या उसमें अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश को प्रभावी बनाने के लिए किसी निर्धारिती या किसी

व्यक्ति पर निर्धारण, पुनः निर्धारण और पुनः संगणना की जाती है, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा आदेश, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त या पारित किया जाता है, बारह मास की समाप्ति पर या उससे पहले पूरा किया जाएगा ।

(ii) उस फर्म की दशा में, जहां धारा 147 के अधीन फर्म पर किए गए किसी निर्धारण के परिणामस्वरूप फर्म के किसी भागीदार पर निर्धारण किया जाता है वहां उस मास के अंत से, जिसमें फर्म के मामले में निर्धारण आदेश पारित किया गया है, बारह मास की समाप्ति पर या उससे पहले पूरा किया जाएगा ।

(7) जहां उपधारा (5) या उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी आदेश, निष्कर्ष या निदेश को निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रभावी बनाया जाना है और ऐसा आदेश उसमें विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी द्वारा 1 जून, 2016 से पहले, यथास्थिति, प्राप्त या पारित किया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी, 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले ऐसे आदेश, निष्कर्ष या निदेश को प्रभावी बनाएगा या निर्धारिती की आय का निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना करेगा ।

(8) इस धारा, धारा 153क की उपधारा (2) और धारा 153ख की उपधारा (1) के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुनः निर्धारण का कोई ऐसा आदेश, जो धारा 153क की उपधारा (2) के अधीन परिवर्तित हो गया है, ऐसे प्रवर्तित होने के मास के अंत से एक वर्ष के भीतर या इस धारा अथवा धारा 153ख की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, इसमें जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, पूरा किया जाएगा ।

(9) इस धारा के उपबंध, जैसे ये वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा उनके संशोधन से ठीक पूर्व थे, 1 जून, 2016 से पहले निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना को या उनके संबंध में लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना में निम्नलिखित को अपवर्जित कर दिया जाएगा—

(i) कार्यवाहियों के पूर्ण या उसके किसी भाग को पुनः आरंभ करने या धारा 129 के परंतुक के अधीन निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने में लगा समय, या

(ii) वह कालावधि, जिसके दौरान निर्धारण कार्यवाही किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी गई है, या

(iii) उस तारीख से प्रारंभ होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी, केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को, धारा 143 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (i) के अधीन धारा 10 के खंड (21) या खंड (22ख) या खंड (23क) या खंड (23ख) या खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के उपबंधों के उल्लंघन की सूचना देता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको उन खंडों के अधीन, यथास्थिति, अनुमोदन को वापस लेने के आदेश या अधिसूचना के विखंडन के प्रति निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है, कालावधि, या

(iv) उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को अपने लेखाओं की संपरीक्षा धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन कराने का निदेश देता है, प्रारंभ होने वाली और,—

(क) उस अंतिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको निर्धारिती से ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट उस उपधारा के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है; या

(ख) जहां ऐसे निदेश को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको ऐसे निदेश को अपास्त किए जाने संबंधी ऐसा निदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है; या

(v) उस तारीख से, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को कोई निर्देश करता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली कालावधि; या

(vi) उस तारीख, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 158क की उपधारा (1) के अधीन घोषणा प्राप्त करता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको उस धारा की उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा आदेश किया जाता है, समाप्त होने वाली (साठ दिन से अनधिक की) कालावधि, या

(vii) उस दशा में जहां आय-कर समझौता आयोग के समक्ष किया गया आवेदन उसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया है या उसके समक्ष कार्यवाही किए जाने के लिए उसके द्वारा अनुज्ञात नहीं किया है, वहां उस तारीख से जिसको धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग के समक्ष आवेदन किया जाता है, आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको उस धारा की उपधारा (2) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आदेश प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि, या

(viii) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको धारा 245द की उपधारा (3) के अधीन आवेदन को खारिज करने वाला आदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि, या

(ix) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको धारा 245द की उपधारा (7) के अधीन उसके द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि, या

(x) उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई निर्देश या निर्देशों में से प्रथम निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको अनुरोध की गई सूचना अंतिम रूप से आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या एक वर्ष की कालावधि, इनमें से जो भी कम हो, या

(xi) उस तारीख से, जिसको धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के लिए कोई निर्देश प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि :

परंतु जहां पूर्वोक्त समय या अवधि के अपवर्जन के पश्चात् उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (7) के अधीन निर्दिष्ट वह परिसीमाकाल, जो निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, निर्धारण, पुनः निर्धारण, पुनः संगणना का आदेश करने के लिए उपलब्ध है, साठ दिन से कम है, वहां ऐसी अवशिष्ट अवधि साठ दिन तक विस्तारित की जाएगी और पूर्वोक्त परिसीमा काल तद्नुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह और कि जहां धारा 92गक की उपधारा (3क) के परंतुक के अनुसार अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को उपलब्ध समयावधि साठ दिन बढ़ा दी जाती है, और, यथास्थिति, निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध परिसीमा की अवधि साठ दिन से कम है, वहां ऐसी अवशिष्ट अवधि साठ दिन तक विस्तारित की जाएगी और पूर्वोक्त परिसीमाकाल तद्नुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा:

परंतु यह भी कि जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण, पुनः निर्धारण या, पुनः संगणना का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध परिसीमा की अवधि धारा 245जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात् एक वर्ष से कम की नहीं होगी; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम है, वहां वह एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई समझी जाएगी; और धारा 149, धारा 153ख, धारा 154, धारा 155 और धारा 158खङ के अधीन परिसीमा की अवधि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए और धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए यह परंतुक भी तद्नुसार लागू होगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां उपधारा (6) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी आदेश द्वारा,—

(क) किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में से किसी आय को अपवर्जित किया जाता है, वहां किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय का निर्धारण धारा 150 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसको प्रभावी करने के लिए किया गया निर्धारण समझा जाएगा;

(ख) कोई आय किसी एक व्यक्ति की कुल आय में से अपवर्जित की जाती है और अन्य व्यक्ति की आय मानी जाती है वहां ऐसे अन्य व्यक्ति पर ऐसी आय का निर्धारण धारा 150 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसको प्रभावी करने के लिए किया गया निर्धारण समझा जाएगा यदि उक्त आदेश के पारित किए जाने के पूर्व ऐसे अन्य व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया गया था ।"।

धारा 153ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख के स्थान पर, 1 जून, 2016 से, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समयसीमा ।

"153ख. (1) धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी निर्धारण अधिकारी,—

(क) धारा 153 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत उस वित्तीय वर्ष के अंत से इक्कीस मास की अवधि के भीतर, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम को निष्पादित किया गया है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करेगा;

(ख) उस पूर्ववर्ष से जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, उस वित्तीय वर्ष के अंत से इक्कीस मास की अवधि के भीतर जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारी में से अंतिम का निष्पादन किया गया था, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करेगा :

परंतु धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में निर्धारण या पुनः निर्धारण करने के लिए परिसीमा अवधि इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट अवधि या उस वित्तीय वर्ष के जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती हैं, अंत से नौ मास, इसमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी :

परंतु यह और कि उस दशा में जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था और कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन निर्देश किया जाता है, वहां इस धारा के खंड (क) और खंड (ख) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "इक्कीस मास" शब्दों के स्थान पर "उनतालीस मास" शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह भी कि उस दशा में जहां धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन निर्देश किया जाता है वहां ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए परिसीमा अवधि उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें धारा 132क के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, तैंतीस मास या उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को धारा 153ग के अधीन अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बही या दस्तावेज या आस्तियां सौंपी गई हैं, इक्कीस मास, इसमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को,—

(क) तलाशी की दशा में किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत जिसके मामले में प्राधिकार का वारंट जारी किया गया है, बनाए गए अंतिम पंचनामे में अभिलिखित तलाशी पूरी होने पर,

(ख) धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की दशा में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति पर,

निष्पादित किया गया समझा जाएगा ।

(3) इस धारा के उपबंध जैसे वे वित्त अधिनियम द्वारा उनके संशोधन से ठीक पहले थे, 1 जून, 2016 से पहले किए गए निर्धारण या पुनर्निर्धारण के किसी आदेश को या उसके संबंध में लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना करने में,—

(i) वह अवधि, जिसके दौरान निर्धारण की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है; या

(ii) उस तारीख से, जिसको निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराने का निदेश देता है, प्रारंभ होने वाली और —

(क) उस अंतिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको निर्धारिती से ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट उस उपधारा के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है; या

(ख) जहां ऐसे निदेश को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि जिसको ऐसे निदेश को अपास्त किए जाने संबंधी आदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है; या

(iii) उस तारीख से जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को कोई निर्देश करता है प्रारंभ होने वाली, और उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि; या

(iv) पूरी कार्रवाई या उसके किसी भाग को पुनः आरंभ करने में या निर्धारिती को धारा 129 के उपबंधों के अधीन पुनः सुनवाई का अवसर देने में लगा समय; या

(v) उस दशा में जहां आय-कर समझौता आयोग के समक्ष किया आवेदन उसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया है या उसके समक्ष कार्यवाही करने के लिए उसके द्वारा अनुज्ञात नहीं किया गया है, वहां उस तारीख को जिसको धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग के समक्ष आवेदन किया गया, आरंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आदेश, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि; या

(vi) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको धारा 245द की उपधारा (3) के अधीन आवेदन को खारिज करने वाला आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि; या

(vii) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको धारा 245द की उपधारा (7) के अधीन उसके द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि; या

(viii) धारा 153 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनर्निर्धारण की किसी कार्यवाही या आदेश के बातलीकरण की तारीख से प्रारंभ होने वाली और ऐसी तारीख तक की अवधि जिसको प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसे बातिलीकरण के आदेश को अपास्त करने वाला आदेश प्राप्त होता है; या

(ix) उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान प्रदान के लिए कोई निर्देश या निर्देशों में से प्रथम निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको अनुरोध की गई सूचना अंतिम रूप से प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या एक वर्ष की अवधि, इसमें से जो भी कम हो; या

(x) उस तारीख से जिसको धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के लिए निर्देश प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि;

अपवर्जित की जाएगी :

परंतु यह कि जहां पूर्वोक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात् इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी के पास साठ दिनों से कम उपलब्ध हैं, वहां ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक विस्तारित किया जाएगा और परिसीमा की पूर्वोक्त अवधि को तदनुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह और कि जहां धारा 92गक की उपधारा (3क) के परंतुक के अनुसार कीमत अंतरण अधिकारी को उपलब्ध अवधि साठ दिन तक बढ़ा दी जाती है वहां यदि निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, निर्धारण, पुनर्निर्धारण का आदेश करने के लिए उपलब्ध परिसीमा अवधि साठ दिन से कम है, तो ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक बढ़ा दिया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा अवधि को तदनुसार बढ़ा हुआ समझा जाएगा ।'।

धारा 192क का संशोधन ।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 192क में, पहले परंतुक में "तीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" शब्द, 1 जून, 2016 से रखे जाएंगे ।

धारा 194खख का संशोधन ।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 194खख में, पहले परंतुक में "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए" शब्द, 1 जून, 2016 से रखे जाएंगे ।

धारा 194ग का संशोधन ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (5) में, परंतुक में "पचहत्तर हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द, 1 जून, 2016 से रखे जाएंगे ।

धारा 194घ का संशोधन ।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 194घ के दूसरे परंतुक में, "बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्द, 1 जून, 2016 से रखे जाएंगे ।

धारा 194घक का संशोधन ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 194घक में, "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "एक प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2016 से रखे जाएंगे ।

धारा 194ङङ का संशोधन ।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 194ङङ में, "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2016 से रखे जाएंगे ।

धारा 194छ का संशोधन ।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 194छ की उपधारा (1) में, 1 जून, 2016 से,—

(i) "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) दूसरे परंतुक में "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ज का संशोधन ।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज में, 1 जून, 2016 से,—

(i) "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द, रखे जाएंगे

(ii) पहले परंतुक में "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ट और धारा 194ठ का लोप ।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 194ट और धारा 194ठ का, 1 जून, 2016 से, लोप किया जाएगा ।

धारा 194ठक का संशोधन ।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक में, परंतुक में "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्द, 1 जून, 2016 से रखे जाएंगे ।

धारा 194ठखक का संशोधन ।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखक में, 1 जून, 2016 से,—

(i) उपधारा (1) में, "खंड (23चग) में" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (23चग) के उपखंड (क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, "खंड (23चग) में" "शब्दों, कोष्ठकों, अंकों" और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (23चग) के उपखंड (क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 194ठखख का संशोधन ।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखख में "उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित 1 जून, 2016 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उस पर आय-कर की कटौती,—

(i) जहां पाने वाला निवासी है, दस प्रतिशत की दर से की जाएगी;

(ii) जहां पाने वाला अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी है, प्रवृत्त दरों पर की जाएगी ।"।

नई धारा 194ठखग का अंतःस्थापन ।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान के संबंध में आय ।

'194ठखग. (1) जहां कोई आय धारा 115नगक के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान के संबंध में विनिधानकर्ता को, जो निवासी है, संदेय है वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर—

(i) यदि पाने वाला व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, तो दस प्रतिशत की दर से;

(ii) यदि पाने वाला कोई अन्य व्यक्ति है तब तीस प्रतिशत की दर से,

आय-कर की कटौती करेगा ।

(2) जहां कोई आय धारा 115नगक के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास में किसी विनिधान के संबंध में किसी विनिधानकर्ता को, जो अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर प्रवृत्त दरों पर आय-कर की कटौती करेगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिधानकर्ता" का वही अर्थ होगा जो धारा 115नगक के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है;

(ख) जहां यथापूर्वोक्त किसी आय को ऐसे किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा बहियों में जमा किया जाता है वहां ऐसे जमा किए जाने को पाने वाले के खाते में उस आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।'।

धारा 197 का संशोधन ।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में, "धारा 194ठक" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "धारा 194ठखख, धारा 194ठखग" शब्द, अंक और अक्षर 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 197क का संशोधन ।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 197क में, 1 जून, 2016 से,—

(क) उपधारा (1क) में, "धारा 194घक" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "या धारा 194झ" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (1ग) में, "धारा 194ङङ" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "या धारा 194झ" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 206कक का संशोधन ।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 206कक की उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2016 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) इस धारा के उपबंध,—

(i) धारा 194ठग में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक बंधपत्रों पर ब्याज के संदाय; और

(ii) ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, किसी अन्य संदाय,

की बाबत किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 206ग का संशोधन ।

86. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में, 1 जून, 2016 से,—

(i) उपधारा (1) की सारणी में, क्रम संख्यांक (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

क्र0सं0	माल की प्रकृति	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
"(viii)	दस लाख रुपए से अधिक मूल्य के मोटर यान	एक प्रतिशत;";

(ii) उपधारा (1घ) में,—

(अ) "या आभूषण" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य माल (सोना-चांदी या आभूषण से भिन्न) या उपलब्ध कराई गई किसी सेवा के" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) खंड (ii) में, "रुपए" शब्दों के स्थान पर, "रुपए से अधिक होता है; या" शब्द रखे जाएंगे;

(इ) खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) ऐसे माल से भिन्न कोई माल, जो खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट है या किसी सेवा के लिए, जो दो लाख रुपए से अधिक है :

परंतु इस उपधारा के अधीन किसी ऐसी रकम पर स्रोत पर कर का संग्रहण नहीं किया जाएगा, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन संदायकर्ता द्वारा कर की कटौती की गई है ।";

(iii) उपधारा (1घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ङ) किन्हीं माल (सोना-चांदी और आभूषण से भिन्न) के विक्रय या उपलब्ध कराई गई किसी सेवा के संबंध में उपधारा (1घ) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे क्रेताओं के किसी वर्ग को लागू नहीं होगी जो ऐसी शर्तों को पूरा करते हैं जो विहित की जाएं ।";

(iv) उपधारा (10) के पश्चात्, स्पष्टीकरण के खंड (ग) में, "विक्रय" शब्द के पश्चात्, "या उपधारा (1घ) में निर्दिष्ट उपलब्ध कराई गई सेवा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 211 का संशोधन ।

87. आय-कर अधिनियम की धारा 211 में, उपधारा (1) के स्थान पर, 1 जून, 2016 से निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) चालू आय पर ऐसा अग्रिम कर जो धारा 209 में अधिकथित रीति से परिकलित किया जाता है—

(क) खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारिती से भिन्न उन सभी निर्धारितियों द्वारा जो उसका संदाय करने के लिए दायी हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार किस्तों में संदेय होगा और प्रत्येक किस्त की निश्चित तारीख और ऐसी किस्त की रकम वह होगी जो नीचे की सारणी 1 में विनिर्दिष्ट है :

सारणी 1

किस्त की निश्चित तारीख	**संदेय रकम**
15 जून को या उसके पूर्व	ऐसे अग्रिम कर के पंद्रह प्रतिशत से अन्यून ।
15 सितंबर को या उसके पूर्व	अग्रिम कर के पैंतालीस प्रतिशत से अन्यून, जो पूर्वतर किस्त या संदत्त रकम को, यदि कोई हो, घटाकर आए ।
15 दिसंबर को या उसके पूर्व	अग्रिम कर के पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून, जो पूर्वतर किस्त या संदत्त रकम को, यदि कोई हो, घटाकर आए ।
15 मार्च को या उसके पूर्व	ऐसे कर की संपूर्ण रकम, जो पूर्वतर किस्त या किस्तों में संदत्त रकम को, यदि कोई हो, घटाकर आए;

(ख) धारा 44कघ में निर्दिष्ट किसी पात्र कारबार के संबंध में किसी पात्र निर्धारिती द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, 15 मार्च या उसके पूर्व, ऐसे अग्रिम कर की संपूर्ण सीमा तक संदेय होगा :

परंतु यह कि इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए 31 मार्च को या उसके पूर्व अग्रिम कर के रूप में संदत्त किसी रकम को भी उस दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान संदत्त अग्रिम कर माना जाएगा। ” ।

धारा 220 का संशोधन ।

88. आय-कर अधिनियम की धारा 220 की उपधारा (2क) में, खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु निर्धारिती के आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर करने वाला आदेश उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ है, बारह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा :

परंतु यह और कि आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारिती को सुनवाई का कोई अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह भी कि जहां कोई आवेदन 1 जून, 2016 को लंबित है, वहां आदेश 31 मई, 2017 को या उससे पहले पारित किया जाएगा ।”।

धारा 234ग का संशोधन ।

89. आय-कर अधिनियम की धारा 234ग की उपधारा (1) में, 1 जून, 2016 से,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) धारा 44कघ में निर्दिष्ट पात्र कारबार के संबंध में किसी पात्र निर्धारिती से भिन्न कोई निर्धारिती जो धारा 208 के अधीन अग्रिम कर का संदाय करने का दायी है ऐसे कर का संदाय करने में असफल रहता है, या—

(i) निर्धारिती द्वारा अपनी चालू आय पर 15 जून को या उसके पूर्व संदत्त अग्रिम कर, विवरणी में दी गई आय पर देय कर के पन्द्रह प्रतिशत से कम है अथवा 15 सितंबर को या उसके पूर्व संदत्त ऐसे अग्रिम कर की रकम, विवरणी में दी गई आय पर देय कर के पैंतालीस प्रतिशत से कम है अथवा 15 दिसंबर को या उसके पूर्व संदत्त ऐसे अग्रिम कर की रकम विवरणी में दी गई आय पर देय कर के पचहत्तर प्रतिशत से कम है वहां कंपनी, विवरणी में दी गई आय पर देय कर के, यथास्थिति, पन्द्रह प्रतिशत या पैंतालीस प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत से कम पड़ने वाली रकम पर तीन मास की अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने की दायी होगी;

(ii) निर्धारिती द्वारा अपनी चालू आय पर 15 मार्च को या उसके पूर्व संदत्त अग्रिम कर, विवरणी में दी गई आय पर देय कर से कम है वहां निर्धारिती विवरणी में दी गई आय पर देय कर की कम पड़ने वाली रकम पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु यदि निर्धारिती द्वारा अपनी चालू आय पर 15 जून या 15 सितंबर को या उसके पूर्व संदत्त अग्रिम कर विवरणी में दी गई आय पर देय कर से, यथास्थिति, बारह प्रतिशत या छत्तीस प्रतिशत से कम नहीं है तो वह उन तारीखों को कम पड़ने वाली रकम पर किसी ब्याज का संदाय करने का दायी नहीं होगा;”;

(ii) खंड (ख) में, “कंपनी से भिन्न, ऐसा निर्धारिती” शब्दों से आरंभ होने वाले और “कम पड़ने वाली रकम पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“धारा 44कघ में निर्दिष्ट पात्र कारबार के संबंध में ऐसा कोई पात्र निर्धारिती, जो धारा 208 के अधीन अग्रिम कर का संदाय करने का दायी है ऐसे कर का संदाय करने में असफल रहता है या निर्धारिती द्वारा अपनी चालू आय पर 15 मार्च को या उसके पूर्व संदत्त अग्रिम कर, विवरणी में दी गई आय पर देय कर से कम है वहां निर्धारिती विवरणी में दी गई आय पर देय कर की कम पड़ने वाली रकम पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा :”;

(iii) खण्ड (ख) के नीचे पहले परंतुक में,—

(I) खंड (ख) में, “धारा 2” शब्द और अंक के स्थान पर, “धारा 2; या” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(II) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(ग) “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन उन मामलों में आय जहां आय उक्त शीर्ष के अधीन पहली बार प्रोद्भूत या उद्भूत होती है,’;

(III) दीर्घ पंक्ति में “या खंड (ख)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “या खंड (ख) या खंड (ग)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 244क का संशोधन ।

90. आय-कर अधिनियम की धारा 244क में, 1 जून, 2016 से,—

(अ) उपधारा (1) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) जहां प्रतिदाय, निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 206ग के अधीन स्रोत पर संगृहीत किया जाता है या धारा 199 के अधीन अग्रिम के रूप में संदत्त या संदत्त किया गया समझा जाता है, वहां ऐसा ब्याज निम्नलिखित अवधि में सम्मिलित प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए आधे प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगाः—

(i) यदि आय की विवरणी धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन नियत तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाती है तो निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक जब प्रतिदाय अनुदत्त किया जाता है; या

(ii) उपखंड (1) के अंतर्गत न आने वाली दशा में आय की विवरणी प्रस्तुत किए जाने की तारीख से उस तारीख तक जब प्रतिदाय अनुदत्त किया जाता है;

(कक) जहां प्रतिदाय धारा 140क के अधीन संदत्त किसी कर में से है, वहां ऐसा ब्याज, आय की विवरणी देने या कर के संदाय की तारीख, जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, से उस तारीख तक, जिसको प्रतिदाय मंजूर किया गया है, अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए, आधे प्रतिशत की दर से परिकलित किया जाएगा:

परंतु यदि प्रतिदाय की रकम धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन या नियमित निर्धारण पर यथा अवधारित कर के दस प्रतिशत से कम है तो खंड (क) या खंड (कक) के अधीन कोई ब्याज संदेय नहीं होगा;";

(आ) उपधारा (1) के पश्चात्, 1 जून, 2016 से निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उस दशा में जहां प्रतिदाय नया निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने से अन्यथा पूर्णतः या भागतः धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के परिणामस्वरूप उद्‌भूत होता है, वहां निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन संदेय ब्याज के अतिरिक्त, धारा 153 की उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात अवधि के अवसान की तारीख की पश्चात्‌वर्ती तारीख से, उस तारीख तक जिसको प्रतिदाय मंजूर किया जाता है, आरंभ होने वाली अवधि के लिए तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर परिकलित ऐसे प्रतिदाय की रकम पर अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा ।";

(इ) उपधारा (2) में, "ब्याज संदेय है" शब्दों से पहले, "उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 249 का संशोधन ।

91. आय-कर अधिनियम की धारा 249 की उपधारा (2) के खंड (ख) में, 1 अप्रैल, 2017 से,—

(i) परंतुक के अंत में "अपवर्जित की जाएगी; अथवा" शब्दों के स्थान पर, "अपवर्जित की जाएगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"परंतु यह और कि जहां आवेदन धारा 270कक की उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहां उस तारीख से, जिसको आवेदन किया जाता है, से आरंभ होकर, उस तारीख तक जिसको आवेदन नामंजूर किया जाने वाला आदेश निर्धारिती पर तामील किया जाता है, की अवधि अपवर्जित की जाएगी, या "।

धारा 252 का संशोधन ।

92. आय-कर अधिनियम की धारा 252 में, 1 जून, 2016 से,—

(क) उपधारा (3) के खंड (ख) में, "ज्येष्ठ उपाध्यक्ष को या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (4क) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (5) में, "ज्येष्ठ उपाध्यक्ष को या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 253 का संशोधन ।

93. आय-कर अधिनियम की धारा 253 में,—

(अ) उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2017 से,—

(i) खंड (क) में, "धारा 250" शब्द और अंकों के पश्चात् "धारा 270क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, "या धारा 263 के अधीन" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 270क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) 1 जून, 2016 से,—

(क) उपधारा (2क) और उपधारा (3क) का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2016 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या निर्धारिती, यह सूचना प्राप्त होने पर कि, आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील दूसरे पक्षकार द्वारा की गई है, इस बात के होते हुए भी कि उसके द्वारा ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील न की गई हो, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, आयुक्त (अपील) के आदेश के किसी भाग के विरुद्ध विहित रीति में सत्यापित प्रत्याक्षेपों का एक ज्ञापन फाइल कर सकेगा और ऐसे ज्ञापन का निपटारा अपील अधिकरण द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानो वह उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई अपील हो ।";

(ङ) उपधारा (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2012 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उपधारा (2) या उपधारा (2क) में निर्दिष्ट किसी अपील या उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रत्याक्षेपों के किसी ज्ञापन के मामले में कोई फीस संदेय नहीं होगी जैसा कि वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा इसके संशोधन के पूर्व था ।"।

धारा 254 का संशोधन ।

94. आय-कर अधिनियम की धारा 254 में, 1 जून, 2016 से,—

(क) उपधारा (2) में "आदेश की तारीख से चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर "उस मास के, जिसमें आदेश पारित किया गया था, अंत से छह मास" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2क) में, "या उपधारा (2क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

धारा 255 का संशोधन ।

95. आय-कर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (3) में "पन्द्रह लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास लाख रुपए" शब्द 1 जून, 2016 से रखे जाएंगे ।

1988 का 4

नई धारा 270क का अंतःस्थापन ।

96. आय-कर अधिनियम की धारा 270 [जैसी वह प्रत्यक्ष विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 105 द्वारा उसके लोप से ठीक पूर्व विद्यमान थी] के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आय की कम रिपोर्ट करने और मिथ्या रिपोर्ट करने के लिए शास्ति ।

'270क. (1) निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) या प्रधान आयुक्त या आयुक्त यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अपनी आय की न्यून रिपोर्ट की है, कम रिपोर्ट की गई आय पर, कर के लिए अतिरिक्त शास्ति, यदि कोई हो, का संदाय करने का दायी होगा ।

(2) किसी व्यक्ति के बारे में उसकी आय को कम रिपोर्ट किया गया तब समझा जाएगा जब—

(क) निर्धारित की गई आय धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रक्रियागत विवरणी में अवधारित आय से अधिक है;

(ख) निर्धारित आय वहां, उस अधिकतम रकम से, जो कर से प्रभार्य नहीं है, जहां आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, से अधिक है;

(ग) पुनर्निर्धारित की गई आय से ऐसे पुनः निर्धारण से ठीक पूर्व निर्धारित या पुनर्निर्धारित आय से अधिक है;

(घ) यथास्थिति, धारा 115जख या धारा 115जग के उपबंधों के अनुसार निर्धारित या पुनर्निर्धारित समझी गई कुल आय की रकम, धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रक्रियागत विवरणी में अवधारित समझी गई कुल आय से अधिक है;

(ङ) धारा 115जख या धारा 115जग के उपबंधों के अनुसार निर्धारित समझी गई कुल आय की रकम, वहां उस अधिकतम रकम से, जो कर से प्रभार्य नहीं है, जहां आय की कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है, अधिक है;

(च) निर्धारित या पुनर्निर्धारित आय का प्रभाव हानि कम करने या ऐसी हानि को आय में संपरिवर्तित करने का होगा।

(3) कम रिपोर्ट की गई आय की रकम,—

(i) उस दशा में जहां आय का निर्धारण पहली बार किया गया है,—

(क) यदि विवरणी दे दी गई है, तो निर्धारित आय की रकम और धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अवधारित आय की रकम का अन्तर;

(ख) उस दशा में जहां कोई विवरणी नहीं दी गई है,—

(अ) किसी कंपनी, फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में निर्धारित आय की रकम; और

(आ) मद (अ) के अन्तर्गत नहीं होने की दशा में, निर्धारित आय की रकम और ऐसी अधिकतम रकम जो कर से प्रभार्य नहीं है, का अन्तर;

(ii) किसी अन्य दशा में पुनः निर्धारित या पुनः संगणित आय की रकम और किसी पूर्ववर्ती आदेश में निर्धारित, पुनः निर्धारित या पुनः संगणित आय की रकम का अन्तर,

होगी :

परंतु उस दशा में, जहां कम रिपोर्ट की गई आय धारा 115जख या धारा 115जग के उपबंधों के अनुसार समझी गई कुल आय के अवधारण से उद्‌भूत होती है, वहां कुल कम रिपोर्ट की गई आय की रकम निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित की जाएगी—

(क-ख) + (ग-घ)

जहां,—

क = धारा 115जख या धारा 115जग (जिसे इसमें साधारण उपबंध कहा गया है) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न उपबंधों के अनुसार कुल निर्धारित आय;

ख = कुल आय, जो कर से तब प्रभार्य होती यदि साधारण उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय में से ऐसी कम रिपोर्ट की गई आय की रकम को घटा दिया जाता;

ग = धारा 115जख या धारा 115जग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय;

घ = कुल आय, जो कर से तब प्रभार्य होती यदि धारा 115जख या धारा 115जग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय में से कम रिपोर्ट की गई आय की रकम को घटा दिया जाता :

परंतु यह और कि जहां किसी मुद्दे पर कम रिपोर्ट की गई आय की रकम को धारा 115जख या धारा 115जग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तथा साधारण उपबंधों, दोनों के अधीन माना गया है, वहां ऐसी रकम को मद घ के अधीन रकम का अवधारण करते समय अवधारित कुल आय में से ही घटाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "पूर्ववर्ती आदेश" से उस आदेश के तुरंत पूर्व का ऐसा आदेश अभिप्रेत है जिसके अनुक्रम के दौरान, उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरंभ की गई है;

(ख) ऐसे किसी मामले में जहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण का प्रभाव विवरणी में घोषित हानि कम करने या उस हानि को आय में संपरिवर्तित करने का हो, तो कम रिपोर्ट की गई रकम, दावा की गई हानि और निर्धारित या पुनर्निर्धारित, यथास्थिति, आय या हानि के बीच का अंतर होगी ।

(4) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी निर्धारण वर्ष में किसी प्राप्ति, निक्षेप या विनिधान के स्रोत का, यथास्थिति, उस निर्धारण वर्ष, जिसमें ऐसी प्राप्ति या विनिधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पूर्ववर्ती वर्ष" कहा गया है) होता है, से पूर्व के किसी वर्ष में ऐसे व्यक्ति के निर्धारण में हानि की संगणना करते हुए आय में जोड़ी जाने वाली या घटाई जाने वाली रकम का दावा किया जाता है और ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कोई शास्ति उद्‌गृहीत नहीं की गई थी, तब कम रिपोर्ट की गई आय में, ऐसी रकम, जो ऐसी प्राप्ति, निक्षेप या विनिधान को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, सम्मिलित होगी ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट रकम, निम्नलिखित क्रम में पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कम रिपोर्ट की गई आय की रकम समझी जाएगी—

(क) उस वर्ष से ठीक पूर्व पूर्ववर्ती वर्ष, जो प्रथम पूर्ववर्ती वर्ष है, जिसमें प्राप्ति, निक्षेप, या विनिधान होता है; और

(ख) जहां प्रथम पूर्ववर्ती वर्ष में जोड़ी गई या घटाई गई रकम प्राप्ति, निक्षेप या विनिधान को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहां प्रथम पूर्ववर्ती वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष और इसी प्रकार से ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए न्यून रिपोर्ट की गई आय, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं की जाएगी, अर्थात्:—

(क) आय की ऐसी रकम, जिसके संबंध में निर्धारिती स्पष्टीकरण देता है और, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त या आयुक्त (अपील) का यह समाधान हो जाता है कि स्पष्टीकरण सद्‌भावी है और निर्धारिती ने दिए गए स्पष्टीकरण को साबित करने के लिए सभी तात्त्विक तथ्यों को प्रकट किया है;

(ख) किसी प्राक्कलन के आधार पर अवधारित कम रिपोर्ट की गई आय की रकम, यदि लेखे, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त या प्रधान आयुक्त (अपील) के समाधानप्रद रूप में सही और पूर्ण है किंतु नियोजित की गई पद्धति ऐसी है कि आय की उसमें से समुचित रूप से कटौती नहीं की जा सकती;

(ग) किसी प्राक्कलन के आधार पर अवधारित कम रिपोर्ट की गई आय की रकम, यदि निर्धारिती ने, स्वप्रेरणा से उसी मुद्दे पर परिवर्धन या मोक न करने की कम रकम का प्राक्कलन किया है, अपनी आय की संगणना में ऐसी आय को सम्मिलित किया है और परिवर्धन या मोक न करने के सभी तात्त्विक तथ्यों का प्रकटन किया है;

(घ) जहां निर्धारिती ने धारा 92घ के अधीन यथा विहित जानकारी और दस्तावेजों को बनाए रखा था, वहां कीमत अंतरण निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित सन्निकट कीमत के अनुरूप किए गए किसी परिवर्धन द्वारा व्यपदिष्ट कम रिपोर्ट की गई आय की रकम, को अध्याय 10 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार घोषित किया है और संव्यवहार से संबंधित सभी तात्त्विक तथ्यों को प्रकट किया है; और

(ङ) धारा 271ककख में निर्दिष्ट अप्रकटित आय की रकम ।

(7) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति, कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर की रकम का पचास प्रतिशत के बराबर राशि होगी ।

(8) उपधारा (6) या उपधारा (7) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा आय की किसी मिथ्या रिपोर्ट किए जाने के परिणामस्वरूप आय कम रिपोर्ट की जाती है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर की रकम के दो सौ प्रतिशत के बराबर होगी ।

(9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट आय की मिथ्या रिपोर्ट करने के मामले निम्नलिखित होंगे :—

(क) तथ्यों का दुर्व्यपदेशन या छिपाना;

(ख) लेखा बहियों में विनिधानों को अभिलिखित करने में असफलता;

(ग) ऐसे व्यय का दावा, जो किसी साक्ष्य द्वारा साबित नहीं है;

(घ) लेखा बहियों में किसी मिथ्या प्रविष्टि का अभिलेखन;

(ङ) लेखा बहियों में किसी ऐसी प्राप्ति को अभिलिखित न करना जिसका कुल आय पर प्रभाव है; और

(च) किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के रूप में समझे गए किसी संव्यवहार या कोई विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार, जिसको अध्याय 10 के उपबंध लागू होते हैं, की रिपोर्ट करने में असफलता ।

(10) कम रिपोर्ट की गई आय के संबंध में संदेय कर, संगणित की गई कर की रकम, होगा,—

(क) किसी कंपनी, फर्म या स्थानीय प्राधिकारी के मामले में ऐसी आय पर मानो यह कुल आय थी; और

(ख) किसी अन्य दशा में कम रिपोर्ट की गई आय की रकम का तीस प्रतिशत की दर से।

(11) रकम का कोई परिवर्धन या मोक न किया जाना शास्ति के अधिरोपण के लिए आधार होगा, यदि ऐसे परिवर्धन या मोक न किए जाने से उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए व्यक्ति के मामले में शास्ति के अधिरोपण का आधार बनाया गया है ।

(12) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी, आयुक्त या आयुक्त (अपील) द्वारा लिखित में आदेश द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।'।

नई धारा 270कक का अंतःस्थापन ।

97. आय-कर अधिनियम की इस प्रकार अंतःस्थापित धारा 270क के पश्चात् 1 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

शास्ति आदि के अधिरोपण से उन्मुक्ति।

"270कक. (1) कोई निर्धारिती धारा 270क के अधीन शास्ति के अधिरोपण और धारा 276ग के अधीन कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने से उन्मुक्ति अनुदत्त करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है,—

(क) यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण के अनुसार संदेय कर और ब्याज का ऐसी मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदाय कर दिया गया है; और

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अपील उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर की जाएगी जिसमें उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश प्राप्त किया गया था और आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा तथा ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए और धारा 249 की उपधारा (2) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट, अपील फाइल करने की अवधि के अवसान के पश्चात् धारा 270क के अधीन शास्ति के अधिरोपण और कार्यवाहियों के आरंभ करने से धारा 276ग के अधीन उन्मुक्ति वहां अनुदत्त करेगा, जहां शास्ति की कार्यवाहियां उक्त धारा 270क की उपधारा (9) के अधीन संस्थित न की गई हो।

(4) निर्धारण अधिकारी उस मास की समाप्ति से जिसमें उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किया गया था, एक मास की अवधि के भीतर ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश पारित करेगा :

परंतु आवेदन को अस्वीकार करने का कोई आदेश निर्धारिती को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना, पारित नहीं किया जाएगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन किया गया आदेश अंतिम होगा।

(6) उन मामलों में, जहां उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश आवेदन को स्वीकार करने के लिए किया गया है, वहां धारा 264 के अधीन कोई अपील या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनर्निर्धारण के आदेश के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगा ।"।

धारा 271 का संशोधन ।

98. आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2017 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(7) इस धारा के उपबंध, 1 अप्रैल, 2017 को या बाद में प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण को या उसके संबंध में लागू नहीं होंगे । "।

धारा 271क का संशोधन ।

99. आय-कर अधिनियम की धारा 271क में, "धारा 271" शब्द और अंकों के पूर्व, "धारा 270क या" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2017 से, अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 271कक का संशोधन ।

100. आय-कर अधिनियम में, 1 अप्रैल, 2017 से धारा 271कक को उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और;—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के आरंभिक भाग में "धारा 271" शब्द और अंकों के पूर्व, "धारा 270क या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जांएगे;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 92घ की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज देने में असफल रहता है तो उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पांच लाख रुपए की राशि का संदाय करने का दायी होगा । ";

धारा 271ककख का संशोधन ।

101. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककख में 1 अप्रैल, 2017 से,—

(क) उपधारा (1) के खंड (ग) में, "तीस प्रतिशत से कम नहीं होगी किंतु नब्बे प्रतिशत से अधिक नहीं" शब्दों के स्थान पर, "साठ प्रतिशत की दर से संगणित" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "धारा 271" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 270क या" शब्द, अक्षर और अंक, 1 अप्रैल, 2017 से, अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 271छख का अंतःस्थापन ।

102. आय-कर अधिनियम की धारा 271छक के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 286 के अधीन रिपोर्ट देने में असफलता या अयथार्थ रिपोर्ट देने के लिए शास्ति ।

"271छख. (1) यदि धारा 286 में निर्दिष्ट कोई रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, जिससे रिपोर्ट किए जाने वाले लेखांकन वर्ष के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट दिया जाना अपेक्षित है, ऐसा करने में असफल रहता है, तो उस धारा के अधीन विहित प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् विहित प्राधिकारी कहा गया है), यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा अस्तित्व शास्ति के रूप में निम्नलिखित राशि का संदाय करेगा,—

(क) प्रत्येक दिन जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, के लिए पांच हजार रुपए, यदि असफलता की अवधि एक मास से अधिक नहीं है; या

(ख) प्रत्येक दिन के लिए पन्द्रह हजार रुपए जब असफलता एक मास की अवधि के आगे बनी रहती है ।

(2) यदि धारा 286 में निर्दिष्ट कोई रिपोर्टिंग अस्तित्व, उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन अनुज्ञात अवधि के भीतर सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी, निदेश दे सकेगा कि ऐसा अस्तित्व प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, जो उस दिन से जब सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो, के तुरंत पश्चात् के दिन से प्रारंभ होगी, शास्ति के रूप में पांच हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा।

(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट असफलता, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए आदेश के अस्तित्व पर तामील होने के पश्चात् जारी रहती है, तो उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विहित प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि ऐसा अस्तित्व प्रत्येक दिन

के लिए जब ऐसे आदेश की तारीख से आरंभ होने वाली, ऐसी असफलता बनी रहती है, शास्ति के रूप में पचास हजार रुपए की राशि का संदाय करे ।

(4) जहां धारा 286 में निर्दिष्ट कोई रिपोर्टिंग अस्तित्व, उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार दी गई रिपोर्ट में अयथार्थ सूचना उपलब्ध कराता है और जहां—

(क) अस्तित्व के पास रिपोर्ट फाइल करते समय अयथार्थता का ज्ञान हो किंतु वह विहित प्राधिकारी को सूचित करने में असफल रहे; या

(ख) अस्तित्व को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् अयथार्थता का पता लगे और वह विहित प्राधिकारी को सूचित करने में और ऐसा पता चलने के पन्द्रह दिनों के भीतर यथार्थ रिपोर्ट फाइल करने में असफल रहता है; या

(ग) अस्तित्व, धारा 286 की उपधारा (6) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के उत्तर में, अयथार्थ सूचना प्रस्तुत करता है,

तो विहित प्राधिकारी, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पांच लाख रुपए की राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा ।"।

103. आय-कर अधिनियम की धारा 272क में 1 अप्रैल, 2017 से,— धारा 272क का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,

(क) खंड (ग) में, "लोप करेगा" शब्दों के स्थान पर, "लोप करेगा; या" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ग) के पश्चात्, और दीर्घ पंक्ति से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, ";

(ii) उपधारा (3) में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आने वाले मामले की दशा में, आय-कर प्राधिकारी द्वारा जिसने उसमें निर्दिष्ट सूचना या निदेश जारी किया था;"।

104. आय-कर अधिनियम की धारा 273क में,— धारा 273क का संशोधन ।

(i) 1 अप्रैल, 2017 से, —

(क) उपधारा (1) में,—

(I) खंड (ii) में, "धारा 271" शब्द और अंकों के पूर्व, "धारा 270क या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(II) स्पष्टीकरण में "धारा 271" शब्दों और अंकों के पूर्व "धारा 270क या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के खंड (ख) में "धारा 271" शब्द और अंकों के पूर्व "धारा 270क या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर करने वाला उपधारा (4) के अधीन आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उक्त उपधारा के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है, बारह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा :

परंतु आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारिती को सुनवाई का कोई अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह और कि जहां कोई आवेदन 1 जून, 2016 को लंबित है, वहां आदेश 31 मई, 2017 को या उससे पूर्व पारित किया जाएगा ।"।

धारा 273कक का संशोधन ।

105. आय-कर अधिनियम की धारा 273कक की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर करने वाला उपधारा (3) के अधीन आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उक्त उपधारा के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है, बारह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा :

परंतु आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारिती को सुनवाई का कोई अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह और कि जहां कोई आवेदन 1 जून, 2016 को लंबित है, वहां आदेश 31 मई, 2017 को या उससे पहले पारित किया जाएगा ।"।

धारा 273ख का संशोधन ।

106. आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में, "धारा 271छक" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2017 से "धारा 271छख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 279 का संशोधन ।

107. आय-कर अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (1क) में, "धारा 271" शब्द और अंकों के पूर्व " धारा 270क या" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 281ख का संशोधन ।

108. आय-कर अधिनियम की धारा 281ख में, 1 जून, 2016 से,—

(क) उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'(3) जहां निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन अनंतिम रूप से कुर्क की गई किसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से अन्यून किसी रकम के लिए किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी देता है, वहां निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी कुर्की का प्रतिसंहरण कर सकेगा :

परंतु जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है के संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से निम्न किसी रकम के लिए किसी अनुसूचित बैंक के राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त है, तो वह ऐसी गारंटी को स्वीकार कर सकेगा और कुर्की का प्रतिसंहरण कर सकेगा ।

(4) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन अनंतिम रूप से कुर्क की गई किसी संपत्ति के मूल्य के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, धारा 142क में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश कर सकेगा, जो उस धारा में उपबंधित रीति में संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का प्राकल्लन करेगा और ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निर्धारण अधिकारी को प्राक्कलन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन अनंतिम कुर्की का प्रतिसंहरण करने वाला कोई आदेश,—

(i) जहां उपधारा (4) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश किया गया है, वहां गारंटी की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर; या

(ii) किसी अन्य मामले में गारंटी की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर,

किया जाएगा ।

(6) जहां निर्धारिती पर संदेय किसी राशि को विनिर्दिष्ट करने वाली मांग की सूचना की तामील की जाती है और निर्धारिती, मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उस राशि का संदाय करने में असफल होता है, तो निर्धारण अधिकारी, रकम की वसूली के लिए, उपधारा (3) के अधीन गारंटी का पूर्णतः या भागतः अवलंब ले सकेगा ।

(7) यदि निर्धारिती उपधारा (3) में निर्दिष्ट गारंटी की समाप्ति से पंद्रह दिन पूर्व उपधारा (3) में निर्दिष्ट गारंटी के नवीकरण में असफल रहता है या किसी बराबर रकम के लिए किसी अनुसूचित बैंक की नई गारंटी देने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी, यदि राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए बैंक गारंटी का अवलंब ले सकेगा।

(8) उपधारा (3) में निर्दिष्ट गारंटी के अवलंब द्वारा वसूल की गई रकम उस विद्यमान मांग के विरुद्ध समायोजित की जाएगी, जो निर्धारिती द्वारा संदेय है और अतिशेष रकम, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या उसके समनुषंगी या ऐसे बैंक के, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसके अभिकर्ता के रूप में नियत किया जाए, शाखा में प्रधान आयुक्त या आयुक्त के व्यक्तिगत जमा खाते में, ऐसे स्थान पर जमा की जाएगी, जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त का कार्यालय स्थित है । 1934 का 2

(9) जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए उपधारा (3) में निर्दिष्ट गारंटी की अब और आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत उस गारंटी को निर्मुक्त कर देगा ।

1934 का 2 **स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अनुसूचित बैंक" पद से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कोई बैंक अभिप्रेत होगा ।'।

109. आय-कर अधिनियम की धारा 282क की उपधारा (1) में, "उस प्राधिकारी द्वारा हस्तलेख में हस्ताक्षर किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "उस प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और कागज रूप में जारी किया जाएगा" या इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी प्रक्रिया द्वारा संसूचित किया जाएगा जैसा कि विहित की जाए" शब्द 1 जून, 2016 से रखे जाएंगे । धारा 282क का संशोधन ।

110. आय-कर अधिनियम की धारा 285खक के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 286 का अंतःस्थापन ।

'286. (1) भारत में निवासी प्रत्येक घटक अस्तित्व, यदि वह किसी अंतरराष्ट्रीय समूह, जिसका मूल अस्तित्व भारत में निवासी नहीं है, का घटक है विहित आय-कर प्राधिकारी को (जिसे इसमें विहित प्राधिकारी कहा गया है) ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो विहित किए जाएं,— अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(क) क्या वह अंतरराष्ट्रीय समूह का अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व है; या

(ख) अंतरराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, यदि कोई हो, तथा देश या राज्यक्षेत्र, जिसके उक्त अस्तित्व निवासी हैं के ब्यौरे,

सूचित करेगा।

(2) भारत में निवासी प्रत्येक मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व ऐसे अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में, जिसका वह घटक है, प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला लेखांकन वर्ष के लिए सुसंगत लेखांकन वर्ष की आय की विवरणी के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व विहित प्राधिकारी को ऐसे रूप और रीति में, जो विहित की जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) प्रत्येक देश या राज्यक्षेत्र, जिसमें समूह क्रियाशील है, के संबंध में राजस्व की रकम, आय-कर के पूर्व लाभ या हानि, संदत्त आय-कर की रकम, प्रोद्भूत आय-कर की रकम, कथित पूंजी, संचित उपार्जन, कर्मचारियों की संख्या या मूर्त आस्तियों, जो नकद या नकद के समतुल्य हैं, की बाबत सूचना का संकलन;

(ख) समूह के प्रत्येक घटक अस्तित्व के ब्यौरे जिसके अंतर्गत वह देश या राज्यक्षेत्र सम्मिलित है जिसमें ऐसा घटक अस्तित्व निगमित, संघटित या स्थापित है, और देश या क्षेत्र जहां का वह निवासी है;

(ग) प्रत्येक अस्तित्व के प्रमुख कारबार क्रियाकलाप या क्रियाकलापों की प्रकृति और ब्यौरे; और

(घ) कोई अन्य जानकारी जो विहित की जाए ।

(4) उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न, भारत में निवासी किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व रिपोर्ट किए जाने वाले लेखांकन वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा यदि मूल अस्तित्व ऐसे देश या राज्यक्षेत्र का निवासी है, —

(क) जिसके साथ भारत का उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट आदान-प्रदान वाला करार नहीं है; या

(ख) उस देश या राज्यक्षेत्र में क्रमबद्ध असफलता रही है और उक्त असफलता की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे घटक अस्तित्व को दे दी गई है :

परंतु जहां समूह के एक से अधिक, भारत में ऐसे अस्तित्व हैं, वहां रिपोर्ट एक घटक अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत की जाएगी यदि—

(क) अंतरराष्ट्रीय समूह ने, भारत में निवासी सभी घटक अस्तित्वों की ओर से उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अभिहित किया है; और

(ख) समूह की ओर से जानकारी लिखित रूप में विहित प्राधिकारी को भेज दी गई है ।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, यदि अंतरराष्ट्रीय समूह के किसी अनुकल्पी अस्तित्व ने, इस देश या राज्यक्षेत्र के कर प्राधिकारी के पास उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व उक्त उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जहां ऐसा अस्तित्व निवासी है और निम्नलिखित शर्तों का समाधान हो गया है, अर्थात् :—

(क) उक्त देश या राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है;

(ख) उक्त देश या राज्यक्षेत्र ने उक्त रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिए उपबंध करने वाला करार भारत के साथ किया है;

(ग) विहित प्राधिकारी ने समूह के किसी ऐसे घटक, जो अस्तित्व भारत में निवासी है, को उक्त देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में कोई क्रमबद्ध असफलता सूचित की है;

(घ) उक्त देश या राज्यक्षेत्र घटक अस्तित्व द्वारा लिखित में सूचित किया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय समूह की ओर से अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व है; और

(ङ) विहित प्राधिकारी को उपधारा (1) के अनुसार उपधारा (4) में निर्दिष्ट अस्तित्वों द्वारा सूचित कर दिया गया है ।

(6) विहित प्राधिकारी, किसी रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा दी गई रिपोर्ट के सही होने का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए लिखित में सूचना जारी करके ऐसी जानकारी और दस्तावेज, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के अंदर अस्तित्व से प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगाः

परंतु विहित प्राधिकारी ऐसे अस्तित्व द्वारा किए गए आवेदन पर, तीस दिन की अवधि का विस्तार तीस दिन से अनधिक की और अवधि तक कर सकेगा ।

(7) इस धारा के उपबंध किसी लेखा वर्ष के अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में लागू नहीं होंगे यदि कुल समेकित समूह राजस्व जो ऐसे लेखा वर्ष के पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण में परिलक्षित हैं, ऐसी रकम, जो विहित की जाए, से अधिक नहीं है ।

(8) इस धारा के उपबंध ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन लागू होंगे, जो विहित की जाएं।

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "लेखा वर्ष" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) कोई पूर्ववर्ष, उस मामले में जहां मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व जो भारत में निवासी है; या

(ii) वार्षिक लेखा कालावधि जिसके संबंध में अंतरराष्ट्रीय समूह का मूल अस्तित्व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी अन्य मामले में उस देश या राज्यक्षेत्र के, जिसमें ऐसा अस्तित्व निवासी है, लागू लेखा मानकों के अधीन अपने वित्तीय विवरण तैयार करते हों;

(ख) "करार" से धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार या कोई ऐसा करार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए, अभिप्रेत है;

(ग) "अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व" से अंतरराष्ट्रीय समूह का ऐसा कोई घटक अस्तित्व अभिप्रेत है जिसे समूह द्वारा उस देश या राज्यक्षेत्र, जिसमें उक्त घटक अस्तित्व ऐसे समूह की ओर से निवासी है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मूल अस्तित्व के स्थान पर पदाभिहित किया गया है;

(घ) "घटक अस्तित्व" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का ऐसा कोई पृथक् अस्तित्व जो वित्तीय रिपोर्ट करने वाले प्रयोजनों के लिए उक्त समूह के समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित किया है या उक्त प्रयोजन के लिए इस प्रकार सम्मिलित किया जा सकेगा, यदि अंतरराष्ट्रीय समूह के किसी अस्तित्व के अस्तित्व शेयर विनिमय स्टाक पर सूचीबद्ध किए जाने थे;

(ii) ऐसा कोई अस्तित्व जिसे आकार या तात्त्विकता के आधार पर एकमात्र रूप से अंतरराष्ट्रीय समूह के समेकित वित्तीय विवरण से अपवर्जित किया गया है; या

(iii) खंड (i) या खंड (ii) में सम्मिलित अंतरराष्ट्रीय समूह के किसी पृथक् कारबार अस्तित्व का कोई स्थायी स्थापन, यदि ऐसी कारबार यूनिट वित्तीय रिपोर्ट करने, विनियामक, कर रिपोर्ट करने या आंतरिक प्रबंध नियंत्रण प्रयोजनों के लिए ऐसे स्थायी स्थापन के लिए पृथक् वित्तीय विवरण तैयार करता है;

(ङ) "समूह" में ऐसा मूल अस्तित्व और ऐसे सभी अस्तित्व सम्मिलित हैं जिनके संबंध में, स्वामित्व या नियंत्रण के कारण से, वित्तीय रिपोर्ट करने संबंधी प्रयोजनों के लिए समेकित वित्तीय विवरण —

(i) उस देश या राज्यक्षेत्र, जिसका मूल अस्तित्व निवासी है, में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या लेखांकन मानकों के अधीन तैयार करना अपेक्षित है; या

(ii) यदि किसी उद्यम के साधारण अंश किसी ऐसे देश या राज्यक्षेत्र में, जिसका मूल अस्तित्व निवासी है, स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, तैयार किया जाना अपेक्षित होगा;

(च) "समेकित वित्तीय विवरण" से ऐसे अंतरराष्ट्रीय समूह का वित्तीय विवरण अभिप्रेत है जिसमें मूल अस्तित्व और घटक अस्तित्व की आस्तियां, दायित्व, आय, खर्चे और नकद प्रवाह एकल आर्थिक अस्तित्व के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं;

(छ) "अंतरराष्ट्रीय समूह" से कोई समूह अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं —

(i) दो या अधिक उद्यम जो विभिन्न देशों या राज्यक्षेत्रों के निवासी हैं; या

(ii) कोई उद्यम, जो एक देश या राज्यक्षेत्र का निवासी है, अन्य देशों या राज्यक्षेत्रों में किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कोई कारबार चलाता है;

(ज) "मूल अस्तित्व" से किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का कोई घटक अस्तित्व अभिप्रेत है जो अंतरराष्ट्रीय समूह के एक या अधिक अन्य घटक अस्तित्वों में कोई हित, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, धारित करता है, जैसे कि,—

(i) उसके द्वारा उस देश या राज्यक्षेत्र, जिसका मूल अस्तित्व निवासी है, में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या लेखांकन मानकों के अधीन समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है; या

(ii) उसके द्वारा किसी उद्यम के साधारण अंश किसी ऐसे देश या राज्यक्षेत्र में, जिसका मूल अस्तित्व निवासी है, स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया जाना अपेक्षित होगा,

और ऐसे समूह का कोई घटक अस्तित्व नहीं है, जिससे पहले वर्णित घटक अस्तित्व में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी हित के स्वामित्व के कारण खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत, जिसमें पहले उल्लिखित घटक अस्तित्व का पृथक् वित्तीय विवरण सम्मिलित है, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है;

(झ) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो उसे धारा 92च के खंड (iiiक) में दिया गया है;

(ञ) "रिपोर्ट किए जाने वाले लेखांकन वर्ष" से ऐसा लेखांकन वर्ष अभिप्रेत है जिसके संबंध में उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में वित्तीय और प्रचलनात्मक परिणामों का दर्शित होना अपेक्षित है;

(ट) "रिपोर्ट किए जाने वाले अस्तित्व" से घटक अस्तित्व अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व है जिसके द्वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

(ठ) किसी देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में "क्रमबद्ध असफलता" से ऐसा देश या राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जिसका भारत के साथ उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की रिपोर्ट के आदान-प्रदान करने वाला करार है, किंतु—

(i) उक्त करार के अतिक्रमण में, इसने स्वतः आदान-प्रदान निलंबित कर दिया है; या

(ii) भारत में निवासी किसी घटक अस्तित्व वाले किसी अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में अपने कब्जे में कोई रिपोर्ट भारत को स्वतः उपलब्ध कराने में लगातार असफल रहा है ।'।

111. आय-कर अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (4) के खंड (ख) में, "या उपधारा (1) के खंड (ii)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "धारा 272क की उपधारा (1) के खंड (घ)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2017 से रखे जाएंगे । धारा 288 का संशोधन ।

112. आय-कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग (क) में 1 अप्रैल, 2017 से,— चौथी अनुसूची का संशोधन ।

(क) नियम 6 के खंड (क) में "बारह प्रतिशत से ऊपर" शब्दों के पश्चात् "या एक लाख पचास हजार रुपए, इसमें जो भी कम हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) नियम 8 में,—

(i) खंड (iii) में, अंत में आने वाले "खाते में जमा किया जाता है" शब्दों के स्थान पर "खाते में जमा किया जाता है; अथवा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (iii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) यदि कर्मचारी के खाते में संपूर्ण अतिशेष धारा 80गगघ में निर्दिष्ट और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन उसके खाते में अंतरित किया जाता है ।"।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 2 का संशोधन। **113.** सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 1962 का 52

(i) खंड (43) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(43) "भांडागार" से धारा 57 के अधीन अनुज्ञप्त कोई सार्वजनिक भांडागार या धारा 58 के अधीन अनुज्ञप्त प्राइवेट भांडागार या धारा 58क के अधीन अनुज्ञप्त कोई विशेष भांडागार अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (45) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 3 के अध्याय शीर्ष का संशोधन। **114.** सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 3 में, अध्याय शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सीमाशुल्क पत्तन, विमान पत्तन आदि का नियत किया जाना"।

धारा 9 का लोप । **115.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9 का लोप किया जाएगा ।

धारा 25 का संशोधन । **116.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 में,—

(i) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके प्रकाशन के लिए जारी तारीख को प्रवृत्त होगी ।";

(ii) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा ।

धारा 28 का संशोधन । **117.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, "उद्गृहीत नहीं किए गए या कम उद्गृहीत किए गए" शब्दों के स्थान पर, "उद्गृहीत न किए गए या संदत्त न किए गए या कम उद्गृहीत किए गए या कम संदत्त किए गए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक पैरा में, "उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है" शब्दों के स्थान पर, "उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में,—

(अ) "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "इस प्रकार उद्गृहीत" शब्दों के पश्चात्, "या संदत्त" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) में,—

(i) "उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है" शब्दों के स्थान पर, "उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "इस प्रकार उद्गृहीत किया गया है" शब्दों के स्थान पर, "इस प्रकार उद्गृहीत किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (5) में, "शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है" शब्दों के स्थान पर, "शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (6) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपधारा (7) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में, "शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया है" शब्दों के स्थान पर, "शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ।

118. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 में,— धारा 47 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, आयातकर्ताओं के कतिपय वर्ग को, उक्त शुल्क या किन्हीं प्रभारों का, ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, आस्थगित संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।";

(ख) उपधारा (2) में, "जहां आयातकर्ता" शब्दों से आरंभ होने वाले और "उक्त शुल्क के संदाय" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"जहां आयातकर्ता,—

(क) उस तारीख से, जिसको उसे शुल्क के संदाय के लिए प्रवेश पत्र लौटा दिया जाता है ; या

(ख) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन आस्थगित संदाय की दशा में उस देय तारीख से, जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,

दो दिन के भीतर (अवकाश दिन को छोड़कर) आयात शुल्क का संदाय पूर्णतः या भागतः करने में असफल रहता है वहां, वह ऐसे शुल्क पर, जो संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है, उसके संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय ऐसी दर से करेगा, जो प्रतिवर्ष दस प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक होगी, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।"।

119. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 51 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ; और धारा 51 का संशोधन ।

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, निर्यातकर्ताओं के कतिपय वर्ग को, उक्त शुल्क या किन्हीं प्रभारों का, ऐसी रीति से, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, आस्थगित संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।";

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां निर्यातकर्ता, उपधारा (1) के परंतुक के अधीन निर्यात शुल्क का संदाय ऐसी देय तारीख तक पूर्णतः या भागतः करने में असफल रहता है, वहां वह उक्त शुल्क पर, उसके संदाय की तारीख तक जो संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है, ब्याज का संदाय ऐसी दर से करेगा, जो प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक होगी, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।"।

120. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 53 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"53. धारा 11 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी वाहन में आयातित और, यथास्थिति, आयात सूची या आयात रिपोर्ट में वर्णित उसी वाहन में भारत से बाहर किसी स्थान या किसी सीमाशुल्क केंद्र को किसी माल का अभिवहन किया जाना है, वहां उचित अधिकारी, शुल्क का संदाय किए बिना, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा विहित की जाएं, ऐसे माल और वाहन का अभिवहन अनुज्ञात कर सकेगा ।"। शुल्क का संदाय किए बिना कतिपय मालों का अभिवहन।

121. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 57 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 57 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"57. सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, किसी सार्वजनिक भांडागार को अनुज्ञप्ति दे सकेगा जिसमें आयातित शुल्क्य माल का निक्षेप किया जा सकेगा ।"। सार्वजनिक भांडागारों का अनुज्ञापन ।

122. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 58 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— धारा 58 के स्थान पर नई धारा 58, धारा 58क और धारा 58ख का प्रतिस्थापन।

"58. सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, किसी प्राइवेट भांडागार को अनुज्ञप्ति दे सकेगा जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या उसकी ओर से आयातित शुल्क्य माल का निक्षेप किया जा सकेगा । प्राइवेट भांडागारों का अनुज्ञापन ।

58क. (1) सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, किसी विशेष भांडागार को अनुज्ञप्ति दे सकेगा जिसमें शुल्क्य माल का निक्षेप किया जा सकेगा और ऐसे भांडागार में उचित अधिकारी द्वारा ताला लगवाया जाएगा और कोई व्यक्ति, उचित अधिकारी की अनुज्ञा के बिना भांडागार में प्रवेश नहीं करेगा या न ही वहां से कोई माल हटाएगा । विशेष भांडागारों का अनुज्ञापन ।

(2) बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे माल के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसका उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्त विशेष भांडागार में निक्षेप किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति का रद्द किया जाना।

58ख. (1) जहां कोई अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी शर्त को भंग करता है वहां सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, धारा 57 या धारा 58 या धारा 58क के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा :

परंतु किसी अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने के पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(2) सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन किसी जांच के लंबित रहने के दौरान किसी अन्य ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो अनुज्ञप्तिधारी और माल के विरुद्ध इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की जा सकेगी, भांडागार के प्रचालन को निलंबित कर सकेगा ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी भांडागार का प्रचालन निलंबित कर दिया जाता है वहां निलंबन की अवधि के दौरान ऐसे भांडागार में किसी माल का निक्षेप नहीं किया जाएगा :

परंतु इस अध्याय के उपबंध भांडागार में पहले से निक्षिप्त माल को लागू होते रहेंगे ।

(4) जहां धारा 57 या धारा 58 या धारा 58क के अधीन जारी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाती है वहां भांडागारित माल को उस तारीख से जिसको अनुज्ञप्तिधारी पर ऐसे रद्दकरण के आदेश की तामील की जाती है, सात दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो उचित अधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसे भांडागार से हटाकर किसी अन्य भांडागार में ले जाया जाएगा या उसकी देशी उपभोग या निर्यात के लिए निकासी की जाएगी :

परंतु इस अध्याय के उपबंध भांडागार में पहले से निक्षिप्त माल को ऐसे भांडागार से किसी अन्य भांडागार में ले जाए जाने या देशी उपभोग या निर्यात के लिए निकासी होने तक लागू होते रहेंगे ।"।

धारा 59 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

123. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 59 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

भांडागारण बंधपत्र ।

"59. (1) किसी ऐसे माल का, जिसके संबंध में धारा 46 के अधीन भांडागारण के लिए प्रवेश पत्र पेश किया गया है और धारा 17 या धारा 18 के अधीन शुल्क के लिए निर्धारित किया गया है, आयातकर्ता अपने को ऐसे माल पर निर्धारित शुल्क की रकम के तिगुने के बराबर राशि के लिए आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करेगा कि वह,—

(क) ऐसे माल के संबंध में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(ख) मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले धारा 61 की उपधारा (2) के अधीन संदेय सभी शुल्क और ब्याज का संदाय करेगा; और

(ग) ऐसे माल के संबंध में इस अधिनियम या नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के कारण उपगत सभी जुर्मानों और शास्तियों का संदाय करेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त किसी आयातकर्ता को, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके द्वारा आयात किए जाने वाले माल के भांडागारण के संबंध में ऐसी रकम के लिए जिसका सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त अनुमोदन करे, एक साधारण बंधपत्र निष्पादित करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा ।

(3) निर्यातकर्ता उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बंधपत्र के निष्पादन के अतिरिक्त ऐसी प्रतिभूति भी देगा, जो विहित की जाए ।

(4) किसी माल के संबंध में किसी आयातकर्ता द्वारा इस धारा के अधीन निष्पादित बंधपत्र किसी अन्य भांडागार को माल के अंतरण पर भी प्रवृत्त बना रहेगा ।

(5) जहां सभी माल या उनका कोई भाग किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किए जाते हैं वहां अंतरिती, उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से एक बंधपत्र निष्पादित करेगा और उपधारा (3) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिभूति देगा ।"।

धारा 60 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

124. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 60 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

भांडागार में निक्षेप के लिए माल हटाए जाने की अनुज्ञा ।

"60. (1) जब किसी माल के संबंध में धारा 59 के उपबंधों का अनुपालन किया गया हो तब उचित अधिकारी किसी भांडागार में माल के निक्षेप के प्रयोजन के लिए किसी सीमाशुल्क स्टेशन से माल के हटाए जाने को अनुज्ञात करते हुए आदेश दे सकेगा ।

(2) जहां कोई आदेश उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहां किसी भांडागार में माल का निक्षेप ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए ।"।

धारा 61 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

125. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

वह अवधि जिसमें माल भांडागारित रह सकेगा।

‘61. (1) कोई भांडागारित माल उस भांडागार में, जिसमें उनका निक्षेप किया जाता है या उस भांडागार में, जिसमें उसे हटाकर ले जाया जाता है,—

(क) किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या किसी ऐसे भांडागार में जिसमें धारा 65 के अधीन विनिर्माण या अन्य प्रचालन अनुज्ञात किया गया है, उपयोग के लिए आशयित पूंजी माल की दशा में उनके भांडागार से हटाए जाने तक;

(ख) किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या किसी ऐसे भांडागार में जिसमें धारा 65 के अधीन विनिर्माण या अन्य प्रचालन अनुज्ञात किया गया है, उपयोग के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न माल की दशा में उनका उपभोग होने तक या उनके भांडागार से हटाए जाने तक; और

(ग) किसी अन्य माल की दशा में, उस तारीख से जिसको उचित अधिकारी ने धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन आदेश किया है, एक वर्ष की समाप्ति तक,

रखा जा सकेगा :

परंतु इस खंड में निर्दिष्ट किसी ऐसे माल की दशा में, सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर ऐसी अवधि को, जिसमें माल भांडागार में रह सकेगा, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, तक बढ़ा सकेगा ।

परंतु यह और कि जहां ऐसे माल के क्षय होने की संभावना है वहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट अवधि को, सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा घटाकर ऐसी लघुतर अवधि की जा सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कोई भांडागारित माल, उस तारीख से, जिसको उचित अधिकारी ने धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन आदेश किया है, नब्बे दिन की अवधि से अधिक भांडागार में रहता है, वहां ऐसे भांडागारित माल पर उक्त नब्बे दिन के अवसान से शुल्क के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए माल की निकासी के समय संदेय शुल्क की रकम पर ब्याज ऐसी दर पर संदेय होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 47 के अधीन नियत किया जाए :

परंतु यदि बोर्ड लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह,—

(क) ऐसे आदेश द्वारा और ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी भांडागारित माल के संबंध में, इस धारा के अधीन संदेय संपूर्ण ब्याज या उसके किसी भाग का अधित्यजन कर सकेगा;

(ख) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा माल के ऐसे वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके संबंध में, इस धारा के अधीन कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा;

(ग) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा माल के ऐसे वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके संबंध में, उस तारीख से, जिसको उचित अधिकारी ने, धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन आदेश किया है, ब्याज प्रभार्य होगा ।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई” से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अधीन स्थापित कोई इकाई अभिप्रेत है;

1944 का 1

(ii) “शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम” का वही अर्थ है जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में उसका है; और

(iii) “साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई” से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अधीन स्थापित कोई इकाई, अभिप्रेत है ।’।

धारा 62 और धारा 63 का लोप ।

126. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 62 और धारा 63 का लोप किया जाएगा ।

धारा 64 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

127. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 64 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

भांडागारित माल का व्यवहार करने वाले स्वामी का अधिकार ।

“64. किसी भांडागारित माल का स्वामी उसे भांडागारित करने के पश्चात्,—

(क) माल का निरीक्षण कर सकेगा;

(ख) अपने माल की हानि या क्षय या नुकसान रोकने के लिए उनके आधानों के साथ ऐसी रीति में, जो आवश्यक हो, व्यवहार कर सकेगा ;

(ग) मालों की छंटाई कर सकेगा;

(घ) माल को विक्रय के लिए दर्शित कर सकेगा ।”।

धारा 65 का संशोधन।

128. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (1) में, "सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त की मंजूरी से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस का संदाय करने पर" शब्दों के स्थान पर, "सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त की अनुज्ञा से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 68 का संशोधन।

129. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 68 में,—

(i) आरंभिक पैरा में "भांडागारित माल का आयातकर्ता देशी उपभोग के लिए उनकी निकासी कर सकता है यदि" शब्दों के स्थान पर, "किसी भांडागारित माल की देशी उपभोग के लिए निकासी की जा सकेगी, यदि" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) ऐसे माल के संबंध में संदेय आयात शुल्क, ब्याज, जुर्माने और शास्तियों का संदाय कर दिया गया है; और";

(iii) पहले परंतुक में, "भाटक, ब्याज, अन्य प्रभारों और" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 69 का संशोधन।

130. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 69 में,—

(i) हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है;

(ii) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) ऐसे माल की बाबत संदेय निर्यात शुल्क, ब्याज, जुर्माने और शास्तियों का संदाय कर दिया गया है; और";

(आ) हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

धारा 71 का संशोधन।

131. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 71 में, "पुनः निर्यात" शब्दों के स्थान पर "निर्यात" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 72 का संशोधन।

132. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 72 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) में "निर्यात के लिए निकासी नहीं की गई है" शब्दों के स्थान पर, "निर्यात के लिए निकासी नहीं की गई है या" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) दीर्घ पंक्ति में "सभी शास्तियां, भाटक, ब्याज और अन्य प्रभारों" शब्दों के स्थान पर, "ब्याज, जुर्माने और शास्तियों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में "चुने" शब्द के स्थान पर, "ठीक समझे" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 73 का संशोधन।

133. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 73 में, "निर्यात कर दिया जाता है या" शब्दों के स्थान पर, "अंतरित कर दिया जाता है या" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 73क का अन्तः स्थापन।

134. सीमाशुल्क अधिनियम में धारा 73 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

भांडागारित माल की अभिरक्षा और हटाया जाना ।

"73क. (1) सभी भांडागारित माल, उनके देशी उपभोग के लिए निकासी होने या किसी अन्य भांडागार को भांडागारित माल की अभिरक्षा और हटाया जाना अंतरित किए जाने या उससे अन्यथा, जो इस अधिनियम में उपबंधित है, निर्यात किए जाने या हटाए जाने तक ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगा जिसे धारा 57 या धारा 58 या धारा 58क के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति के उत्तरदायित्व जिसकी अभिरक्षा में कोई भांडागारित माल है, वे होंगे जो विहित किए जाएं ।

(3) जहां धारा 71 के उल्लंघन में कोई भांडागारित माल हटाया जाता है वहां अनुज्ञप्तिधारी, किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जाए, शुल्क, ब्याज, जुर्माना और शास्तियों का संदाय करने का दायी होगा ।

धारा 156 का संशोधन।

135. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (2) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) धारा 47 और धारा 51 के अधीन शुल्कों, करों, उपकरों या किन्ही अन्य प्रभारों का आस्थगित संदाय करने के लिए देय तारीख और रीति ।"।

1962 के अधिनियम 52 की धारा 25 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का संशोधन ।

136. (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 367(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2000, सा.का.नि. 292(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2002, सा.का.नि. 281(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2003, सा.का.नि. 604(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004, सा.का.नि. 606 (अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 और सा.का.नि. 260(अ), तारीख 1 मई, 2006 संशोधित हो जाएंगी और दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में उनमें से प्रत्येक के सामने यथाविनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएंगी और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो इस उपधारा द्वारा यथा संशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में थीं ।

(2) केंद्रीय सरकार को, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट उक्त अधिसूचनाओं को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्राप्त थी ।

(3) ऐसे सभी रक्षोपाय शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है, किंतु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) में किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होते और ऐसा प्रतिदाय सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के अधीन होगा ।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन रक्षोपाय शुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

धारा 8ग का लोप।

137. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 8ग का लोप किया जाएगा ।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

138. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,—

(i) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा;

(ii) 1 जनवरी, 2017 से चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से भी संशोधन किया जाएगा ।

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

धारा 5क का संशोधन।

139. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क में,—

(i) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके प्रकाशन के लिए जारी तारीख को प्रवृत्त होगी ।";

(ii) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

धारा 11क का संशोधन।

140. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 37ख का संशोधन।

141. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37ख में, "ऐसे माल पर" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे माल पर या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के कार्यान्वयन के लिए" शब्द रखे जाएंगे ।

तीसरी अनुसूची का संशोधन ।

142. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का,—

(i) पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा;

(ii) छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से 1 जनवरी, 2017 से संशोधन किया जाएगा ।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 का 5

पहली अनुसूची का संशोधन ।

143. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है), की पहली अनुसूची का,—

(i) सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा;

(ii) आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से 1 जनवरी, 2017 से संशोधन किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

144. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से, 1 जनवरी, 2017 से संशोधन किया जाएगा ।

अध्याय 5

सेवा कर

धारा 65ख का संशोधन ।

145. वित्त अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1994 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 65ख में,— 1994 का 32

(क) खंड (11) का लोप किया जाएगा ।

(ख) खंड (44) के स्पष्टीकरण 2 के उपखंड (ii) में, मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(क) राज्य सरकार की ओर से लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता द्वारा लाटरी के संवर्धन, विपणन, आयोजन, विक्रय या किसी प्रकार की लाटरी के आयोजन को लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य रीति से सुकर बनाने के संबंध में किया गया क्रियाकलाप ।"। 1998 का 17

धारा 66घ का संशोधन ।

146. 1994 के अधिनियम की धारा 66घ में,—

(क) खंड (ठ) का लोप किया जाएगा;

(ख) 1 जून, 2016 से—

(i) खंड (ण) के उपखंड (i) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (त) के उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा ।

धारा 66ङ का संशोधन ।

147. 1994 के अधिनियम की धारा 66ङ में, खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ञ) सरकार द्वारा, रेडियो आवृत्ति स्पैक्ट्रम के उपयोग और उसके पश्चात्वर्ती अंतरण के अधिकार का समनुदेशन।"।

धारा 67क का संशोधन ।

148. 1994 के अधिनियम की धारा 67क की विद्यमान धारा को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1)के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) सेवा कर की दर के संबंध में समय या समय बिन्दु वह होगा जो विहित किया जाए ।"।

धारा 73 का संशोधन ।

149. वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 में,—

(i) उपधारा (1), उपधारा (1क), उपधारा (2क) और उपधारा (3) में, "अठारह मास" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं "तीस मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4ख) के खंड (क) में "जिनकी परिसीमा उपधारा (1) में अठारह मास विनिर्दिष्ट की गई है", शब्दों के स्थान पर "जो उपधारा (1) के अधीन आते हैं", शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 75 का संशोधन ।

150. 1994 के अधिनियम की धारा 75 में "परंतु" शब्द के स्थान पर, निम्निलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसने सेवा कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण किया है किंतु उस तारीख को या उसके पूर्व जिसको ऐसा संदाय देय है, इस प्रकार संगृहीत रकम का केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय करने में असफल रहा है, वहां केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ब्याज की ऐसी अन्य दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझेः

परंतु यह और कि "।

धारा 78क का संशोधन ।

151. 1994 के अधिनियम की धारा 78क में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है जहां कोई सेवा कर उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या भूलवश उसका प्रतिदाय किया गया है और धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 73 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन जारी सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को, यथास्थिति, धारा 76 के पहले परंतुक के खंड (i) या धारा 78 के दूसरे परंतुक के खंड (i) के उपबंधों के अनुसार समाप्त कर दिया गया है, वहां इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध लंबित कार्यवाहियां भी समाप्त हुई समझी जाएंगी ।"।

धारा 89 का संशोधन ।

152. 1994 के अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (1) में "पचास लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "दो करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 90 का संशोधन ।

153. 1994 के अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 91 का संशोधन ।

154. 1994 के अधिनियम की धारा 91 में,—

(क) उपधारा (1) में, "खंड (i) या" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 93क का संशोधन ।

155. 1994 के अधिनियम की धारा 93क में "विहित की जाए" शब्दों के स्थान पर, "विहित की जाए या राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 101, धारा 102 और धारा 103 का अंतःस्थापन ।

156. 1994 के अधिनियम में, धारा 100 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"101. (1) धारा 66ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाली और 29 जनवरी, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान, संविधान के अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी नगरपालिका को समनुदेशित नहर, बांध या अन्य सिंचन संकर्मों के सन्निर्माण, परिनिर्माण, संस्थापन, प्रतिष्ठापन, समापन, सज्जित करने, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीकरण या परिवर्तन के लिए किसी कार्य को करने के लिए साम्य या नियंत्रण द्वारा नब्बे प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ—

नहर, बांध आदि के सन्निर्माण से संबंधित कतिपय मामलों में छूट के लिए विशेष उपबंध।

(i) संसद् या राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित ;

(ii) सरकार द्वारा स्थापित,

किसी प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय को उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही होती ।

(3) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

102. (1) धारा 66ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ होने वाली और 29 फरवरी, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान 1 मार्च, 2015 के पूर्व की गई किसी संविदा के अधीन और जिस पर उस तारीख से पूर्व समुचित स्टाम्प शुल्क, जहां लागू हो, का संदाय किया गया है,—

सरकारी भवनों के सन्निर्माण से संबंधित कतिपय मामलों में छूट के लिए विशेष उपबंध ।

(क) किसी सिविल संरचना या किसी अन्य मूल संकर्म के, जो प्रधानतया वाणिज्य, उद्योग अथवा किसी अन्य कारबार या वृत्ति से भिन्न उपयोग के लिए बनाई गई है या किया गया है ;

(ख) किसी संरचना के, जो प्रधानतया,—

(i) किसी शैक्षणिक संस्थापन ;

(ii) किसी नैदानिक संस्थापन ; या

(iii) किसी कला अथवा संस्कृति संबंधी संस्थापन,

के रूप में उपयोग किए जाने के लिए बनाई गई है ;

(ग) ऐसे किसी आवासिक प्रक्षेत्र के, जो प्रधानतया उक्त अधिनियम की धारा 65ख के खंड (44) के स्पष्टीकरण 1 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्वतः उपयोग के लिए या उनके कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए बनाया गया है,—

के सन्निर्माण, परिनिर्माण, संस्थापन, प्रतिष्ठापन, पूरा करने, सज्जित करने, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीकरण या परिवर्तन द्वारा सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही होती ।

(3) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय से दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

103. (1) धारा 66ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ होने वाली और 29 फरवरी, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान, कि ऐसी संविदा के अधीन, जो 1 मार्च, 2015 के पूर्व की गई थी और जिस पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि भारत सरकार के, यथास्थिति, नागर विमानन मंत्रालय या पोत परिवहन मंत्रालय ने यह प्रमाणित किया है कि संविदा 1 मार्च, 2015 से पूर्व की गई थी, उस तारीख से पूर्व समुचित स्टांप शुल्क, जहां लागू हो, संदाय कर दिया गया है, किसी विमानपत्तन या पत्तन से संबंधित मौलिक संकर्मों के सन्निर्माण, परिनिर्माण, संस्थापन, प्रतिष्ठापन, पूरा करने, सज्जित करने, मरम्मत, अनुरक्षण या प्रतिष्ठापन द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

विमानपत्तन या पत्तन के सन्निर्माण से संबंधित कतिपय मामलों में छूट के लिए विशेष उपबंध।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही होती ।

(3) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय से दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93क के अधीन जारी अधिसूचना का संशोधन ।

1994 का 32

157. (1) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93क के अधीन जारी, ऐसी कराधेय सेवाओं पर जो माल के निर्यात द्वारा प्राप्त की जाती है और जिनका माल के निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है, संदत्त सेवा कर का रिबेट देने से संबंधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 519(अ), तारीख 29 जून, 2012 संशोधित हो जाएगी और दसवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से, अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीखों से ही और विनिर्दिष्ट तारीखों तक भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएगी और तदनुसार इस प्रकार यथा संशोधित उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो इस उपधारा द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थी ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का रिबेट अनुदत्त किया जाएगा जिसे अस्वीकार कर दिया गया है किंतु जिसे इस प्रकार अस्वीकार नहीं किया जाता यदि उपधारा (1) में किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में होता।

1994 का 32

(3) वित्त अधिनियम, 1994 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन सेवा कर के रिबेट के दावे के लिए कोई आवेदन वित्त विधेयक, 2016 के प्रारम्भ होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

अध्याय 6

कृषि कल्याण उपकर

कृषि कल्याण उपकर।

158. (1) यह अध्याय 1 जून, 2016 को प्रवृत्त होगा ।

(2) कृषि संबंधी सुधार को प्रारम्भ करने के या उससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के वित्तपोषण और संवर्धन के प्रयोजनों के लिए, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, सभी या किन्हीं कराधेय सेवाओं पर, ऐसी सेवाओं के मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से, सेवा कर के रूप में कृषि कल्याण उपकर नामक उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा।

1994 का 32

(3) उपधारा (2) के अधीन उद्गृहीत कृषि कल्याण उपकर, वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर उद्ग्रहणीय किसी उपकर या सेवाकर के अतिरिक्त होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन उद्गृहीत कृषि कल्याण उपकर के आगमों को पहले भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, कृषि कल्याण उपकर की ऐसी धनराशियों का, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो वह आवश्यक समझे, उपयोग कर सकेगी ।

1994 का 32

(5) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत वे उपबंध भी हैं, जो कर, ब्याज के प्रतिदाय और उससे छूट और शास्ति के अधिरोपण के संबंध में हैं, जहां तक हो सके, कराधेय सेवाओं पर कृषि कल्याण उपकर उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे, यथास्थिति, उक्त अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

अध्याय 7

अवसंरचनात्मक उपकर

अवसंरचनात्मक उपकर ।

159. (1) अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रयोजन, ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल की दशा में, जो विनिर्मित या उत्पादित माल है, संघ के प्रयोजनों के लिए, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर अवसंरचनात्मक उपकर नामक उत्पाद शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

1944 का 1

(2) ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर प्रभार्य, उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य उत्पाद-शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

1944 का 1

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत ऐसे नियम भी हैं, जो निर्धारण, अननुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, प्रतिदायों, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे, यथास्थिति, उक्त अधिनियम या नियमों के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर, संघ के प्रयोजनों के लिए होगा और उसके आगमों का राज्यों के बीच वितरण नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 8

समकरण उद्ग्रहण

विस्तार, प्रारंभ और लागू होना ।

160. (1) इस अध्याय का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

(3) यह इस अध्याय के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उपलब्ध विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल को लागू होगा ।

परिभाषाएं ।

161. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपील अधिकरण" से आय-कर अधिनियम की धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "निर्धारण अधिकारी" से ऐसा आय-कर अधिकारी या आय-कर सहायक आयुक्त या आय-कर उपायुक्त या आय-कर संयुक्त आयुक्त या आय-कर अपर आयुक्त अभिप्रेत है जिसे बोर्ड द्वारा इस अध्याय के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या समनुदेशित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

1963 का 54

(ग) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) "समकरण उद्ग्रहण" से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी विनिर्दिष्ट सेवा के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल पर उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है;

1961 का 43

(ङ) "आय-कर अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है ;

(च) "आनलाइन" से कोई सुविधा या सेवा या अधिकार या फायदा या पहुंच अभिप्रेत है जो इंटरनेट या डिजिटल या दूरसंचार नेटवर्क के किसी अन्य रूप के माध्यम से अभिप्राप्त किया जाता है;

(छ) "स्थायी स्थापन" के अंतर्गत कारबार का कोई नियत स्थान भी है जिसके माध्यम से उद्यम का पूर्णतः या भागतः कारबार किया जाता है;

(ज) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "विनिर्दिष्ट सेवा" से आनलाइन विज्ञापन, आनलाइन विज्ञापन के प्रयोजन के लिए डिजिटल विज्ञापन स्थान या कोई अन्य सुविधा या सेवा के लिए कोई उपबंध अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अन्य सेवा है जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विहित किया जाए;

(ञ) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

समकरण उद्ग्रहण का प्रभार ।

162. (1) इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से ही, किसी व्यक्ति द्वारा जो अनिवासी है,—

(i) किसी व्यक्ति से जो भारत में निवासी है और कारबार या वृत्ति कर रहा है; या

(ii) किसी अनिवासी से जिसका भारत में स्थायी स्थापन है,

प्राप्त या प्राप्य किसी विनिर्दिष्ट सेवा के लिए प्रतिफल की रकम पर छह प्रतिशत की दर से समकरण उद्ग्रहण प्रभारित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन समकरण उद्ग्रहण वहां प्रभारित नहीं किया जाएगा, जहां —

(क) अनिवासी जो विनिर्दिष्ट सेवा प्रदान कर रहा है, का भारत में स्थायी स्थापन है और विनिर्दिष्ट सेवा ऐसे स्थायी स्थापन से प्रभावी रूप से संबद्ध है;

(ख) अनिवासी द्वारा भारत में निवासी व्यक्ति से और जो कारबार या वृत्ति कर रहा है या किसी अनिवासी से जिसका भारत में स्थायी स्थापन है, किसी पूर्व वर्ष में विनिर्दिष्ट सेवा के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल की कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती है; या

(ग) जहां भारत में निवासी व्यक्ति या भारत में स्थायी स्थापन द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा के लिए संदाय कारबार या वृत्ति चलाने के प्रयोजनों के लिए नहीं है ।

समकरण उद्ग्रहण का संग्रहण और वसूली।

163. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो निवासी है और कारबार या वृत्ति कर रहा है या अनिवासी है जिसका भारत में स्थायी स्थापन है (जिसे इस अध्याय में निर्धारिती कहा गया है) विनिर्दिष्ट सेवा के संबंध में किसी अनिवासी को संदत्त या संदेय रकम से धारा 163 में विनिर्दिष्ट दर पर समकरण उद्ग्रहण की कटौती करेगा यदि किसी पूर्ववर्ष में विनिर्दिष्ट सेवा के लिए प्रतिफल की कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक हो जाती है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त कलैंडर मास में इस प्रकार कटौती किया गया समकरण उद्ग्रहण का प्रत्येक निर्धारिती द्वारा उक्त कलैंडर मास के ठीक पश्चात्वर्ती मास की सात तारीख तक केंद्रीय सरकार को प्रत्यय किया जाएगा ।

(3) कोई निर्धारिती जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उद्ग्रहण की कटौती करने में असफल रहता है, ऐसी असफलता के होते हुए भी उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के प्रत्यय में उद्ग्रहण का संदाय करने का दायी होगा ।

विवरण प्रस्तुत करना ।

164. (1) प्रत्येक निर्धारिती प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान सभी विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसी विशिष्टियों को बताते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी तैयार करेगा और उस निर्धारण अधिकारी को या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकरण को परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा।

(2) कोई निर्धारिती जिसने उपधारा (1) के अधीन विहित समय के भीतर विवरणी को प्रस्तुत नहीं किया है या उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने पर उसमें कोई लोप या गलत व्यष्टि उसके ध्यान में आती है, तो वह उस वित्त वर्ष के अंत से दो वर्ष के अवसान से पूर्व किसी समय जिसमें विनिर्दिष्ट सेवा प्रदान की गई थी, यथास्थिति, एक विवरण या पुनरीक्षित विवरण प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) जहां कोई निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारिती पर, उससे विहित प्ररूप में, विहित रीति से सत्यापित और ऐसी विशिष्टियां बताते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए सूचना की तामील कर सकेगा।

विवरण का प्रसंस्करण ।

165. (1) जहां किसी निर्धारिती द्वारा धारा 164 के अधीन कोई विवरण दिया गया है, वहां ऐसे विवरण पर निम्नलिखित रीति में कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :—

"(क) समकरण उद्ग्रहण की संगणना विवरण में किसी अंकगणितीय गलती को समायोजित करने के पश्चात् की जाएगी;

(ख) ब्याज, यदि कोई हो, की संगणना विवरण में यथा संगणित कटौती करने योग्य राशि के आधार पर की जाएगी;

(ग) निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम का अवधारण खंड (ख) के अधीन संगणित रकम का धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 8 के अधीन संदत्त रकम या कर या ब्याज के माध्यम से अन्यथा संदत्त रकम से समायोजन करने के पश्चात् किया जाएगा;

(घ) निर्धारिती द्वारा संदेय अवधारित राशि को या खंड (ग) के अधीन उसे देय प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना तैयार की जाएगी या सृजित की जाएगी तथा उसे निर्धारिती को भेजा जाएगा; और

(ङ) खंड (ग) के अधीन अवधारण के अनुसरण में निर्धारिती को देय प्रतिदाय की रकम उसे अनुदत्त की जाएगी:

परंतु उस वित्तीय वर्ष जिसमें विवरण प्रस्तुत किया गया है, के अंत से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् इस उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विवरणों पर कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड उस उपधारा की अपेक्षानुसार निर्धारिती द्वारा संदेय कर का या उसे देय प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने के लिए ऐसे विवरणों की केंद्रीयकृत कार्यवाही के लिए एक स्कीम बना सकेगा ।

भूल सुधार ।

166. (1) अभिलेख से प्रकट किसी भूल का सुधार करने की दृष्टि से, निर्धारण अधिकारी धारा 165 के अधीन जारी किसी सूचना का, उस वित्त वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर जिसमें उस सूचना को जारी किया गया था जिसका संशोधन करने की ईप्सा की गई है, संशोधन कर सकेगा ।

(2) निर्धारण अधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना में या तो स्वप्रेरणा से या निर्धारिती द्वारा उसकी सूचना में लाई गई किसी भूल के लिए संशोधन कर सकेगा ।

(3) किसी सूचना में कोई संशोधन जिसका प्रभाव निर्धारिती के दायित्व में वृद्धि करना या प्रतिदाय को कम करना है, इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो या निर्धारिती को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

(4) जहां किसी सूचना में ऐसे संशोधन का प्रभाव संदेय राशि में वृद्धि करना या पहले से ही किए गए प्रतिदाय में कमी करना है तो निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक निदेश करेगा और इस अध्याय के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

समकरण उद्ग्रहण के संदाय में विलंब पर ब्याज ।

167. प्रत्येक निर्धारिती जो धारा 163 के अधीन यथाअपेक्षित समकरण उद्ग्रहण या उसके किसी भाग का केन्द्रीय सरकार के खाते में उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि में संदाय करने में असफल रहता है तो वह प्रत्येक मास या मास के प्रत्येक भाग के लिए जिसके द्वारा ऐसे कर या उसके भाग का प्रत्यय करने में विलंब होता है, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा ।

समकरण उद्ग्रहण की कटौती या संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति ।

168. कोई निर्धारिती जो —

(क) धारा 163 के अधीन यथा अपेक्षित सम्पूर्ण समकरण उद्ग्रहण की या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है ; या

(ख) समकरण उद्ग्रहण की कटौती करने पर ऐसे उद्ग्रहण का उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को प्रत्यय करने में असफल रहता है,

वह —

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उद्ग्रहण या धारा 167 के उपबंधों के अनुसार ब्याज, यदि कोई हो का संदाय करने के अतिरिक्त समकरण उद्ग्रहण की रकम जिसकी कटौती करने में वह असफल रहा था के बराबर शास्ति का दायी होगा; और

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उद्ग्रहण और धारा 167 के उपबंधों के अनुसार ब्याज के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा तथापि इस खंड के अधीन शास्ति उस समकरण उद्ग्रहण की रकम से अधिक नहीं होगी जिसका संदाय करने में वह असफल रहा है ।

विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति ।

169. जहां कोई निर्धारिती धारा 164 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक हजार रुपए की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

कतिपय मामलों में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना ।

170. (1) धारा 168 या धारा 169 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उक्त धाराओं में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी यदि निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उक्त सफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था ।

(2) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारिती को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील।

171. (1) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील ऐसे रूप में और ऐसी रीति में सत्यापित होगी जैसा विहित किया जाए और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस संलग्न होगी ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई अपील फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम की धारा 249 से धारा 251 के उपबंध, जहां तक संभव हो, ऐसी अपील को लागू होंगे ।

अपील अधिकरण को अपील ।

172. (1) आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा धारा 171 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित निर्धारिती ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) आय-कर आयुक्त, यदि वह धारा 171 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश पर आक्षेप करता है तो वह निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निदेश देगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील करने की वांछा की गई है, यथास्थिति, निर्धारिती या आय-कर आयुक्त द्वारा प्राप्त करने की तारीख से साठ दिन के भीतर की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी जो विहित किया जाए तथा उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील की दशा में उसके साथ एक हजार रुपए की फीस संलग्न होगी।

(5) जहां कोई अपील, अपील अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन फाइल की गई है तो आय-कर अधिनियम की धारा 253 से धारा 255 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपील को लागू होंगे ।

मिथ्याकथन के लिए दंड ।

173. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय या उसके तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई मिथ्या कथन करता है या कोई ऐसा लेखा या विवरण परिदत्त करता है जो मिथ्या है और जिसके संबंध में या तो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या उसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है तो वह कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस संहिता के अर्थ में असंज्ञेय माना जाएगा । 1974 का 2

अभियोजन संस्थित करना ।

174. धारा 173 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन, सिवाय मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के संस्थित नहीं किया जाएगा ।

आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना।

175. आय-कर अधिनियम की धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 138, धारा 156, अध्याय 15 और धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232, धारा 260क, धारा 261, धारा 262, धारा 265 से धारा 269, धारा 278ख, धारा 280क, धारा 280ख, धारा 280ग, धारा 280घ, धारा 282 और धारा 288 से धारा 293 के उपबंध जहां तक हो सके समकरण उद्ग्रहण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वह आय-कर के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम बनाने की शक्ति ।

176. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह समय और प्ररूप तथा रीति जिसमें विवरण धारा 164 के अधीन परिदत्त किया जाएगा या उसका परिदान या प्रस्तुत करना कारित किया जाएगा ;

(ख) वह प्ररूप जिसमें कोई अपील फाइल की जा सकेगी तथा रीति जिसमें धारा 171 और धारा 172 के अधीन उसका सत्यापन किया जा सकेगा ;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाए।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

177. (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश, ऐसी तारीख से, जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अध्याय 9

आय की घोषणा स्कीम, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

178. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम आय की घोषणा स्कीम, 2016 है ।

(2) यह 1 जून, 2016 को प्रवृत्त होगी ।

परिभाषाएं।

179. इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "घोषणाकर्ता" से धारा 180 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) "आय-कर अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है; 1961 का 43

(ग) उन सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

अप्रकटित आय की घोषणा ।

180. (1) कोई व्यक्ति इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात् किंतु केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उससे पूर्व 1 अप्रैल, 2017 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में आय-कर अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी आय के संबंध में घोषणा कर सकेगा—

(क) जिसके संबंध में वह आय-कर अधिनियम की धारा 139 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा है ;

(ख) जिसका वह इस स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व आय-कर अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत आय की विवरणी में प्रकटन करने में असफल रहा है ;

(ग) जो ऐसे व्यक्ति की ओर से, आय-कर अधिनियम के अधीन विवरणी देने में या निर्धारण के लिए या इसके अन्यथा सभी आवश्यक सारवान् तथ्यों का पूर्णतया सत्य प्रकटन करने का लोप करने या असफल रहने के कारण निर्धारण से बच गया है।

(2) जहां कर से प्रभार्य आय की घोषणा किसी आस्ति में विनिधान के रूप में की गई है, स्कीम के प्रारंभ की तारीख को ऐसी आस्ति का उचित बाजार मूल्य उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अप्रकटित आय समझा जाएगा ।

(3) किसी आस्ति के उचित बाजार मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए ।

(4) ऐसी आय के विरुद्ध, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन घोषणा की गई है जिसके संबंध में इस धारा के अधीन घोषणा की गई है, किसी व्यय या मोक के सम्बन्ध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

कर प्रभार्य और अधिभार ।

181. (1) आय-कर अधिनियम या वित्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 180 में विनिर्दिष्ट समय में उसके अधीन घोषित अप्रकटित आय ऐसी अप्रकटित आय के तीस प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य होगी ।

(2) उपधारा (1) में प्रभार्य कर की रकम संघ के प्रयोजनों के लिए कृषि कल्याण उपकर के नाम से ज्ञात कर पर उसकी संगणना ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से की जाएगी, जो अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी जिससे कृषकों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

शास्ति ।

182. आय-कर अधिनियम या किसी वित्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अप्रकटित आय की घोषणा करने वाला व्यक्ति धारा 181 के अधीन कर और अधिभार के अतिरिक्त ऐसे कर की पच्चीस प्रतिशत की दर पर शास्ति का दायी होगा ।

घोषणा करने की रीति।

183. (1) धारा 180 के अधीन घोषणा प्रधान आयुक्त या आयुक्त को की जाएगी और ऐसे प्ररूप में की जाएगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी, जो विहित किया जाए ।

(2) ऐसी घोषणा निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित होगी,—

(क) जहां घोषणाकर्ता कोई व्यष्टिक है, वहां स्वयं व्यष्टि द्वारा, जहां ऐसा व्यष्टि भारत से अनुपस्थित है, वहां संबंधित व्यष्टि द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और जहां व्यष्टि अपने कामकाज की देखभाल करने में मानसिक रूप से असमर्थ है, वहां उसके संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ख) जहां घोषणाकर्ता कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, वहां कर्ता द्वारा और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है या अपने कामकाज की देखभाल करने में मानसिक रूप से असमर्थ है, वहां ऐसे कुटुंब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा;

(ग) जहां घोषणाकर्ता कोई कंपनी है वहां उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक घोषणा पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा;

(घ) जहां घोषणाकर्ता कोई फर्म है, वहां उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार घोषणा पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है या जहां उस प्रकार का कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी ऐसे भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो ;

(ङ) जहां घोषणाकर्ता कोई अन्य संगम है, वहां संगम के किसी अन्य सदस्य या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा ; और

(च) जहां घोषणाकर्ता कोई अन्य व्यक्ति है, वहां उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।

(3) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 180 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय के संबंध में या किसी अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में घोषणा की है, वह उस उपधारा के अधीन अपनी आय या ऐसे व्यक्ति की आय के संबंध में कोई अन्य घोषणा करने का हकदार नहीं होगा, यदि ऐसी घोषणा की जाती है तो उसे शून्य समझी जाएगी।

कर का संदाय करने के लिए समय ।

184. (1) अप्रकटित आय के संबंध में धारा 181 के अधीन संदेय कर और अधिभार तथा धारा 182 के अधीन संदेय शास्ति केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तारीख को या उससे पूर्व संदत्त किया जाएगा ।

(2) घोषणाकर्ता उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उससे पूर्व प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पास कर, अधिभार और शास्ति के संदाय का सबूत फाइल करेगा जिसके समक्ष धारा 3 के अधीन घोषणा की गई थी ।

(3) यदि घोषणाकर्ता धारा 180 के अधीन कर, अधिभार और शास्ति का उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व संदाय करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा की गई घोषणा इस स्कीम के अधीन कभी नहीं की गई समझी जाएगी ।

अप्रकट की गई आय का कुल आय में सम्मिलित न किया जाना ।

185. धारा 180 के अनुसरण में घोषित की गई अप्रकटित आय की रकम को आय-कर अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए घोषणाकर्ता की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि घोषणाकर्ता धारा 181 में निर्दिष्ट कर और अधिभार का संदाय तथा यदि लागू हो, धारा 182 में निर्दिष्ट शास्ति का धारा 184 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तारीख तक संदाय करता है।

घोषित अप्रकटित आय का संपूरित निर्धारणों की अंतिमता पर कोई प्रभाव न होना ।

186. इस स्कीम के अधीन घोषणाकर्ता, घोषित अप्रकटित आय या उस पर संदत्त कर और अधिभार की किसी रकम के संबंध में आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन किए गए किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण को पुनः खोलने या ऐसे निर्धारण या पुनः निर्धारण के संबंध में किसी अपील, निर्देश या अन्य कार्यवाहियों में किसी मुजरे या अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा । 1957 का 27

कतिपय मामलों में घोषित अप्रकटित आय का बेनामी संव्यवहार न माना जाना ।

187. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के उपबंध ऐसी अप्रकटित आय की घोषणा के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे जो किसी आस्ति में विनिधान के रूप में की गई है, यदि किसी बेनामीदार के नाम में विद्यमान आस्ति ऐसे घोषणाकर्ता को जो ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसी आस्ति के लिए प्रतिफल दिया है या उसके विधिक प्रतिनिधि को, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर अंतरित हो जाती है। 1988 का 45

स्वेच्छया प्रकट की गई आय की बाबत कर का प्रतिदेय न होना।

188. धारा 181 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत्त कर और अधिभार की कोई रकम या धारा 180 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में धारा 182 के अधीन कोई शास्ति प्रतिदेय नहीं होगी ।

घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में घोषणा का अनुज्ञेय न होना ।

189. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 180 के अधीन की गई किसी घोषणा में अंतर्विष्ट कोई बात धारा 182 के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति से भिन्न शास्ति के अधिरोपण से संबंधित किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य या आय-कर अधिनियम, 1961 या धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगी । 1961 का 43 1957 का 27

तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा की गई घोषणा का शून्य होना ।

190. इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई घोषणा तथ्यों के दुर्व्यपदेशन या तथ्यों को छिपाकर की जाती है तो ऐसी घोषणा शून्य होगी और इस स्कीम के अधीन कभी नहीं की गई समझी जाएगी ।

घोषणा में विनिर्दिष्ट आस्तियों के संबंध में धन-कर से छूट ।

191. (1) जहां अप्रकटित आय नकद (जिसके अंतर्गत बैंक जमा है) सोना-चांदी, शेयरों मे विनिधान या धारा 180 के अधीन की गई घोषणा में विनिर्दिष्ट अन्य आस्तियों के रूप में है —

(क) जिसके संबंध में घोषणाकर्ता 1 अप्रैल, 2015 को या उससे पूर्व आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम, 1957 की धारा 14 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा है ; या 1957 का 27

(ख) जिसे उसके द्वारा उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए प्रस्तुत शुद्ध धन की विवरणी में उपदर्शित नहीं किया गया है ; या

(ग) जिसका उसके द्वारा उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए प्रस्तुत शुद्ध धन की विवरणी में कम मूल्यांकन किया गया है,

तब आय-कर अधिनियम, 1957 या तद्धीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,— 1957 का 27

(i) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आस्तियों के संबंध में घोषणाकर्ता द्वारा धन-कर संदेय नहीं होगा और ऐसी आस्तियों को उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए उसके शुद्ध धन में शामिल नहीं किया जाएगा ;

(ii) वह रकम जिसके द्वारा खंड (ग) में निर्दिष्ट आस्तियों के मूल्य का उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए शुद्ध धन की विवरणी में कम कथन किया गया है, वह सीमा जिस तक ऐसी रकम ऐसी आस्तियों के अर्जन के लिए उपयोग की गई आय के स्वैच्छिक प्रकटन से अधिक नहीं होती है, को घोषणाकर्ता के शुद्ध धन संगणना करने के लिए उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए गणना में नहीं ली जाएगी ।

स्पष्टीकरण—जहां धारा 180 के अधीन कोई घोषणा किसी फर्म द्वारा की जाती है, वहां, यथास्थिति, उपखंड (i) में निर्दिष्ट आस्तियां, उपखंड (ii) में निर्दिष्ट रकम को, यथास्थिति, फर्म के किसी भागीदार के शुद्ध धन की संगणना करने में या फर्म में किसी भागीदार के हित के मूल्य का अवधारण करने में गणना में नहीं लिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे जब तक धारा 184 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को घोषणाकर्ता द्वारा पूरा नहीं किया जाता है।

आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम के अध्याय 5 के कतिपय उपबंधों का लागू होना ।

192. विशेष मामलों में दायित्व से संबंधित आय-कर अधिनियम के अध्याय 15 और उस अधिनियम की धारा 189 के उपबंध या विशेष मामलों में निर्धारण संबंधी दायित्व से संबंधित धन-कर अधिनियम, 1957 के अध्याय 5 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस स्कीम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में वैसे लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होते हैं । 1957 का 27

कतिपय व्यक्तियों को स्कीम का लागू न होना ।

193. इस स्कीम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे—

(क) किसी व्यक्ति को, जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन निरोध का कोई आदेश किया गया है : 1974 का 52

परंतु—

(i) निरोध का ऐसा आदेश, ऐसा कोई आदेश है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व प्रतिसंहरण नहीं किया गया है ; या

(ii) निरोध का ऐसा आदेश जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, का उसके लिए अवधि के अवसान से पूर्व या धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिसंहरण नहीं किया गया है ; या

(iii) निरोध का ऐसा आदेश जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, का उसके लिए अवधि के अवसान से पूर्व या उस धारा की उपधारा (3) के अधीन पहले पुनर्विलोकन के आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिसंहरण नहीं किया गया है ; या

(iv) निरोध के ऐसे आदेश को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है ;

1860 का 45
1985 का 61
1967 का 37
1988 का 49

(ख) भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 या अध्याय 17, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियोजन के संबंध में ;

1992 का 27

(ग) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति को ;

2015 का 22

(घ) किसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के संबंध में, जो काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन कर से प्रभार्य है ;

(ङ) 1 अप्रैल, 2017 से प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन प्रभार्य अप्रकटित आय के संबंध में,—

(i) जहां आय-कर अधिनियम की धारा 142 या धारा 143 की उपधारा (2) या धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन ऐसे निर्धारण वर्ष के संबंध में सूचना जारी की गई है और निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियां लंबित हैं ; या

(ii) जहां आय-कर अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी की गई है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है या धारा 133क के अधीन किसी पूर्ववर्ष में सर्वेक्षण किया गया है और ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उक्त अधिनियम की धारा 153क या धारा 153ग के अधीन ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्व किसी पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए सूचना जारी की गई है और ऐसी सूचना के जारी करने के समय का अवसान नहीं हुआ है; या

(iii) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन किए गए समझोते के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अप्रकटित आस्ति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त की गई है ।

194. शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि — शंकाओं का दूर किया जाना ।

(क) धारा 180 की उपधारा (1) में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात का, इस स्कीम के अधीन घोषणा करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा ;

(ख) जहां धारा 180 के अधीन कोई घोषणा की जाती है किंतु धारा 184 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर धारा 181 और धारा 182 में निर्दिष्ट कर, अधिभार और शास्ति संगत नहीं की जाती है तो आय-कर अधिनियम के अधीन अप्रकटित आय उस पूर्ववर्ष में जिसमें ऐसी घोषणा की गई है, कर से प्रभार्य होगी ;

(ग) जहां इस स्कीम में आरंभ होने से पूर्व ऐसी आय से ऐसी कोई आय उद्भूत हुई है, उत्पन्न हुई है, या प्राप्त की गई है या कोई आस्ति अर्जित की गई है और ऐसी आय के संबंध में इस स्कीम के अधीन कोई घोषणा नहीं की गई है,—

(i) ऐसी आय को, यथास्थिति, उद्भूत, उत्पन्न या प्राप्त किया गया समझा जाएगा, या

(ii) ऐसी आय से अर्जित आस्ति के मूल्य को अर्जित या उत्पन्न किया गया माना जाएगा,

उस वर्ष में जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 142, धारा 143 की उपधारा (2) या धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा सूचना जारी की गई है और तद्नुसार आय-कर अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

195. (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी : कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परंतु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से, जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

196. (1) बोर्ड, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में उस प्ररूप का जिसमें धारा 180 के अधीन ऐसी घोषणा की जा सकेगी और ऐसी रीति जिसमें उसका सत्यापन किया जा सकेगा या उपबंध किया जा सकेगा ।

(3) इस स्कीम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय 10

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

197. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम प्रत्यक्ष कर विवाद स्कीम, 2016 है ।

(2) यह 1 जून, 2016 को प्रवृत्त होगी ।

परिभाषाएं ।

198. इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "घोषणाकर्ता" से धारा 199 के अधीन घोषणा करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) "अभिहित प्राधिकारी" से आय-कर आयुक्त से अन्यून पंक्ति का और प्रधान मुख्य आयुक्त द्वारा इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में "विवादित आय" से संपूर्ण आय या कुल आय का उतना भाग अभिप्रेत है जो विवादित कर के सम्बन्ध में है ;

(घ) "विवादित कर" से, यथास्थिति, निर्धारिती या घोषणाकर्ता द्वारा आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम के अधीन अवधारित ऐसा कर, अभिप्रेत है, जो विवादित है ;

(ङ) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में "विवादित धन" से, विवादित कर से संपूर्ण धन या शुद्ध धन का उतना कोई भाग अभिप्रेत है जो विवादित कर के सम्बन्ध में है ;

(च) "आय-कर अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है ; 1961 का 43

(छ) "विनिर्दिष्ट कर" से ऐसा कर अभिप्रेत है—

(i) जिसका अवधारण, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम में भूतलक्षी प्रभाव से किए गए किसी संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया है या जिसे उसके द्वारा विधिमान्य बनाया गया है और जो उस तारीख से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है जिसको, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम में संशोधन करने वाले अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ; और

(ii) ऐसे कर के सम्बन्ध में 29 फरवरी, 2016 को कोई विवाद लम्बित है ;

(ज) "कर बकाया" से, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन अवधारित कर, ब्याज या शास्ति की रकम अभिप्रेत है जिसके संबंध में आय-कर आयुक्त (अपील) या धन-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष 29 फरवरी, 2016 को अपील लंबित है ; 1957 का 27

(झ) "धन-कर अधिनियम" से धन-कर अधिनियम, 1957 अभिप्रेत है; 1957 का 27

(ञ) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः उन अधिनियमों में हैं ।

संदेय कर की घोषणा।

199. इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां कोई घोषणाकर्ता 1 जून, 2016 को या उसके पश्चात् किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उससे पूर्व अभिहित प्राधिकारी को धारा 200 के उपबंधों के अनुसार कर बकाया या विनिर्दिष्ट कर के संबंध में कोई घोषणा करता है तो आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्य उपबंध के होते हुए भी घोषणाकर्ता द्वारा इस स्कीम के अधीन संदेय निम्नानुसार होगी, अर्थात् :—

(I) कर बकाया से संबंधित लंबित अपील की दशा में, जो,—

(क) कर और ब्याज हो,—

(i) उस दशा में, जहां विवादित कर दस लाख रुपए से अनधिक है, यथास्थिति, निर्धारण या पुनःनिर्धारण की तारीख तक संपूर्ण विवादित कर और विवादित कर पर ब्याज ; या

(ii) किसी अन्य दशा में, संपूर्ण विवादित कर, उद्ग्रहणीय न्यूनतम शास्ति का पच्चीस प्रतिशत और, यथास्थिति, निर्धारण या पुनः निर्धारण की तारीख तक विवादित कर पर ब्याज ;

(ख) शास्ति से संबंधित लंबित अपील की दशा में उद्ग्रहणीय न्यूनतम शास्ति का पच्चीस प्रतिशत और अंतिम रूप से अवधारित कुल आय पर संदेय कर और ब्याज ।

(II) विनिर्दिष्ट कर की दशा में, इस प्रकार अवधारित ऐसे कर की रकम ।

प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियां।

200. (1) धारा 199 के अधीन एक घोषणा ऐसे प्ररूप में की जाएगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी जैसी विहित की जाए।

(2) जहां घोषणा कर बकाया के संबंध में है, ऐसी घोषणा के परिणामस्वरूप विवादित आय, विवादित धन और कर बकाया के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर आयुक्त (अपील) या धन कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित अपील वापस ली गई समझी जाएगी ।

(3) जहां कोई घोषणा विनिर्दिष्ट कर के संबंध में हो और घोषणाकर्ता ने,—

(क) विनिर्दिष्ट कर की बाबत किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, यथास्थिति, आय-कर आयुक्त (अपील) या धन कर आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष या कोई रिट याचिका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल की हो, तो, जहां भी अपेक्षित हो, वह ऐसी अपील या रिट याचिका न्यायालय की अनुमति से वापस लेगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ ऐसी वापसी का प्रमाण फाइल करेगा ;

(ख) माध्यस्थम, सुलह या मध्यकता के लिए कार्यवाहियां प्रारंभ की हैं या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत के बाहर राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी करार के अधीन, चाहे विनिधान के संरक्षण या अन्यथा के लिए हो, वह घोषणा करने के पूर्व ऐसी कार्यवाहियों को, ऐसी सूचना या दावा, यदि कोई हो, वापस लेगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ ऐसी वापसी का प्रमाण फाइल करेगा ।

(4) जहां घोषणा विनिर्दिष्ट कर के संबंध में हो और घोषणाकर्ता, उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस संबंध में कानून द्वारा सत्यापित या उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन या अन्यथा साम्या में, विनिर्दिष्ट कर के संबंध में किसी उपचार या दावे की ईप्सा या अग्रसर करने के लिए अपने अधिकार को उन्मोचित करने के लिए, जो अन्यथा उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपलब्ध होता, वचनबंध फाइल करेगा ।

(5) जहां,—

(क) घोषणा में दी गई कोई तात्विक विशिष्टि किसी प्रक्रम पर गलत पाई जाती है ; या

(ख) घोषणाकर्ता इस स्कीम में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी का अतिक्रमण करता है ; या

(ग) घोषणाकर्ता ऐसी रीति में कार्य करता है, जो उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा दिए गए वचनबंध के अनुसार नहीं है,

वहां यह उपधारणा की जाएगी मानो स्कीम के अधीन कभी भी घोषणा नहीं की गई थी, और, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम के अधीन सभी परिस्थितियां, जिनके अधीन घोषणाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाहियां लंबित हैं या थीं, पुनः प्रवर्तित हुई समझी जाएंगी ।

(6) कोई भी अपील प्राधिकारी या माध्यस्थ, सुलहकार या मध्यक घोषणा में उल्लिखित किसी भी विनिर्दिष्ट कर से संबंधित और जिसके संबंध में धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश किया गया था या उस धारा के अधीन अवधारित राशि से संबंधित किसी विवाद्यक को विनिश्चित करने की कार्यवाही नहीं करेगा।

संदाय का समय और रीति ।

201. (1) अभिहित प्राधिकारी घोषणा की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को अवधारित करेगा और घोषणाकर्ता को ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र, यथास्थिति, कर बकाया या विनिर्दिष्ट कर की विशिष्टियों और उसमें ऐसे अवधारण के पश्चात्, संदेय राशि को वर्णित करते हुए अनुदत्त करेगा ।

(2) घोषणाकर्ता अभिहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि का उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त प्रमाणपत्र के अनुसार इसके प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर संदाय करेगा और संदाय करने के ऐसे तथ्य से उसके सबूत सहित अभिहित प्राधिकारी को संसूचित करेगा और तत्पश्चात् अभिहित प्राधिकारी एक आदेश यह कथन करते हुए पारित करेगा कि घोषणाकर्ता ने राशि का संदाय कर दिया है।

(3) इस स्कीम के अधीन संदेय राशि को अवधारित करने के लिए उपधारा (2) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश उसमें कथित विषयों के संबंध में निश्चायक होगा और ऐसे आदेश में आने वाले किसी विषय पर, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भारत द्वारा किसी अन्य देश के साथ या भारत से बाहर किसी राज्यक्षेत्र के साथ किए गए करार के अधीन, कोई कार्यवाही चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा पुनः चालू नहीं की जाएगी ।

कतिपय मामलों में अपराध सम्बन्धी कार्यवाहियां आरंभ करने और शास्ति अधिरोपित करने से उन्मुक्ति ।

202. अभिहित प्राधिकारी, धारा 201 में उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए, —

(क) यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में कार्यवाहियां संस्थित करने से उन्मुक्ति प्रदान करेगा ;

(ख) निम्नलिखित के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम के अधीन शास्ति के, यथास्थिति, अधिरोपण या अधित्यजन से उन्मुक्ति प्रदान करेगा,—

(i) धारा 199 के अधीन घोषणा के अंतर्गत आने वाला विनिर्दिष्ट कर ; या

(ii) घोषणा के अंतर्गत आने वाली कर बकाया, उस सीमा तक, जो धारा 199 के खंड (ञ) में निर्दिष्ट शास्ति की रकम, शास्ति के आधिक्य में है ;

(ग) निम्नलिखित के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम ब्याज का अधित्यजन करेगा,—

(i) धारा 199 के अधीन घोषणा के अंतर्गत आने वाला विनिर्दिष्ट कर ; या

(ii) घोषणा के अंतर्गत आने वाली कर बकाया, उस सीमा तक, जो धारा 199 के खंड (ठ) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट ब्याज की रकम, ब्याज के आधिक्य में है ।

स्कीम के अधीन संदत्त रकम का कोई प्रतिदाय न होना ।

203. धारा 199 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत्त किसी रकम का किसी भी परिस्थिति में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

घोषणाकर्ता को कोई अन्य फायदा, छूट या उन्मुक्ति न देना ।

204. धारा 201 की उपधारा (3) और धारा 202 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात को घोषणाकर्ता के संबंध में की जाने वाली कार्यवाहियों से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में घोषणाकर्ता को कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करने के अर्थ में नहीं लगाया जाएगा ।

कतिपय मामलों में स्कीम का लागू न होना।

205. इस स्कीम के उपबंध,—

(क) किसी कर बकाया या विनिर्दिष्ट कर के संबंध में,—

(i) किसी निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में आय-कर अधिनियम की धारा 153क या धारा 153ग के अधीन कोई निर्धारण किया गया है या धन-कर अधिनियम की धारा 37क के अधीन संस्थित तलाशी या धारा 37ख के अधीन की गई अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्षों में से किसी के निर्धारण या पुनः निर्धारण के संबंध में लागू नहीं होंगे यदि यह किसी कर बकाया से संबंधित है;

(ii) किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण के संबंध में, जिनकी बाबत आय-कर अधिनियम की धारा 133क या धन-कर अधिनियम की धारा 38क के अधीन किए गए सर्वेक्षण का संबंध है, लागू नहीं होंगे यदि यह किसी कर बकाया से संबंधित है;

(iii) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जिसमें धारा 199 के अधीन घोषणा फाइल करने की तारीख को या उससे पूर्व कोई अभियोजन संस्थित किया गया है, लागू नहीं होंगे,

(iv) भारत से बाहर अवस्थित किसी स्रोत से अप्रकटित किसी आय या भारत से बाहर स्थित आस्ति से अप्रकटित किसी आय के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(v) आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार, यदि वह किसी कर बकाया से संबंधित है, के अधीन प्राप्त सूचना के आधार पर किए गए किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(ख) किसी व्यक्ति के संबंध में, जिस पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन निरोध आदेश किया गया है, के संबंध में लागू नहीं होंगे : 1974 का 52

परंतु यह कि—

(i) निरोध का ऐसा आदेश, ऐसा कोई आदेश है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व प्रतिसंहरण नहीं किया गया है ; या

(ii) निरोध का ऐसा आदेश, ऐसा कोई आदेश है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, का उसके लिए अवधि के अवसान से पूर्व या धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिसंहरण नहीं किया गया है ; या

(iii) निरोध का ऐसा आदेश, ऐसा कोई आदेश है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, का उसके लिए अवधि के अवसान से पूर्व या उस धारा की उपधारा (3) के अधीन पहले पुनर्विलोकन के आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिसंहरण नहीं किया गया है ; या

(iv) निरोध के ऐसे आदेश को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है ;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसका भारतीय दंड संहिता, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अधीन या किन्हीं नागरिक दायित्वों का प्रवर्तन करने के प्रयोजन के लिए दंडनीय किसी अपराध के लिए घोषणा फाइल करने पर या उससे पूर्व अभियोजन संस्थित नहीं किया गया है या ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए, उन अधिनियमों के अधीन सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

1860 का 45
1967 का 37
1985 का 61
1988 का 49

(घ) विशेष न्यायालय (संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे । 1992 का 27

केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

206. (1) केंद्रीय सरकार प्राधिकारियों को इस स्कीम के समुचित प्रशासन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश और आदेश, जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे :

परंतु ऐसा कोई अनुदेश या आदेश जारी नहीं किया जाएगा, जो किसी अभिहित प्राधिकारी से किसी विशिष्ट मामले का किसी विशिष्ट रीति में निपटान करने की अपेक्षा करे ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार स्कीम के उचित और दक्ष प्रशासन के प्रयोजन के लिए तथा राजस्व के संग्रहण के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो समय-समय पर मामलों के किसी वर्ग के संबंध में स्कीम के प्रशासन के संबंध में कार्य के लिए और राजस्व के संग्रहण के लिए प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के संबंध में साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगी और ऐसा कोई आदेश यदि केंद्रीय सरकार का यह मत हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, विहित रीति में प्रकाशित किया जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

207. (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश, ऐसी तारीख से, जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

208. (1) केंद्रीय सरकार, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें कोई घोषणा की जा सकेगी और वह रीति जिसमें ऐसी घोषणा का सत्यापन किया जा सकेगा ;

(ख) प्रमाणपत्र का प्ररूप जिसे धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त किया जा सकेगा ;

(ग) वह रीति, जिसमें धारा 206 की उपधारा (2) के अधीन आदेश प्रकाशित किए जा सकेंगे ;

(घ) कोई अन्य विषय, जो इस स्कीम द्वारा द्वारा विहित किया जाना हो या विहित किया जाए अथवा जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना हो ।

(3) इस स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय 11

अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ ।

209. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 है ।

(2) यह 31 दिसंबर, 2016 तक की गई घोषणाओं को लागू होगी ।

(3) यह 1 जून, 2016 से प्रवृत्त होगी ।

परिभाषाएं ।

210. (1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1962 का 52
1944 का 1
1994 का 32

(क) "अधिनियम" से, यथास्थिति, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय 5 अभिप्रेत है;

(ख) "सहायक आयुक्त" से, यथास्थिति, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या सेवा कर सहायक आयुक्त अभिप्रेत है;

(ग) "आयुक्त" से, यथास्थिति, सीमाशुल्क आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या सेवा कर आयुक्त अभिप्रेत है;

(घ) "घोषणाकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 211 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करता है;

(ङ) "अभिहित प्राधिकारी" से सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(च) "आक्षेपित आदेश" से ऐसा आदेश अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त (अपील) के समक्ष चुनौती दी गई है;

(छ) "अप्रत्यक्ष कर विवाद" से अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के संबंध में ऐसा विवाद अभिप्रेत है जो 1 मार्च, 2016 को आयुक्त (अपील) के समक्ष, आक्षेपित आदेश के विरुद्ध अपील के रूप में लंबित है;

(ज) "विहित" से इस स्कीम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "कर" से अधिनियम के अधीन उद्गृहीत शुल्क या कर अभिप्रेत है ।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में क्रमशः उनके हैं ।

घोषणा करने की प्रक्रिया ।

211. (1) इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, 31 दिसंबर, 2016 को या उसके पूर्व अभिहित प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, घोषणा कर सकेगा ।

(2) अभिहित प्राधिकारी, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, घोषणा को अभिस्वीकृत करेगा।

(3) घोषणाकर्ता, उपधारा (2) के अधीन अभिस्वीकृति प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, शोध्य कर का उस पर, अधिनियम में यथा उपबंधित दर पर ब्याज के साथ और आक्षेपाधीन आदेश में अधिरोपित शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करेगा और अभिहित प्राधिकारी को ऐसा संदाय करने के सात दिन के भीतर, किए गए संदाय के ब्यौरे उसके सबूत के साथ देते हुए सूचित करेगा ।

(4) अभिहित प्राधिकारी, उपधारा (3) के अधीन कर, ब्याज और शास्ति के संदाय का सबूत प्राप्त होने पर, ऐसा सबूत प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, उपधारा (3) में निर्दिष्ट शोध्यों को चुकाए जाने संबंधी आदेश पारित करेगा ।

कतिपय मामलो में स्कीम का लागू न होना ।

212. इस स्कीम के उपबंध तब लागू नहीं होंगे यदि,—

(क) आक्षेपित आदेश तलाशी और अभिग्रहण संबंधी कार्यवाही के संबंध में पारित किया गया है; या

(ख) अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियोजन 1 जून, 2016 से पूर्व संस्थित किया गया है; या

(ग) आक्षेपित आदेश स्वापक ओषधियों या अन्य प्रतिषिद्ध माल के संबंध में है; या

(घ) आक्षेपित आदेश भारतीय दंड संहिता, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में है; या

1860 का 45
1985 का 61
1988 का 49

(ङ) कोई निरोध आदेश विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन पारित किया गया है ।

1974 का 52

अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों से उन्मुक्ति ।

213. (1) अधिनियम के किसी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 211 की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने पर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित अपील समाप्त हो जाएगी और घोषणाकर्ता, ऐसे अप्रत्यक्ष कर विवाद के संबंध में, जिसके लिए इस स्कीम के अधीन घोषणा की गई है, अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों से उन्मुक्त हो जाएगा ।

(2) धारा 211 की उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा, धारा 211 की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश जारी किए जाने पर निश्चायक हो जाएगी और उसके पश्चात् किसी प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में आक्षेपित आदेश से संबंधित कोई मामला पुनः चालू नहीं किया जाएगा ।

स्कीम के अधीन किए गए आदेश के परिणाम ।

214. (1) धारा 211 की उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत्त किसी धनराशि का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

(2) धारा 211 की उपधारा (4) के अधीन पारित किसी आदेश को गुणागुण पर आधारित आदेश नहीं समझा जाएगा और उसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह घोषणाकर्ता को धारा 213 के अधीन अनुदत्त फायदे, रियायत या उन्मुक्ति से भिन्न कोई फायदा, रियायत या उन्मुक्ति प्रदान करती है ।

नियम बनाने की शक्ति ।

215. (1) केंद्रीय सरकार, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 211 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा की जा सकेगी ;

(ख) धारा 211 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा अभिस्वीकृत करने का प्रारूप और रीति;

(ग) धारा 211 की उपधारा (4) के अधीन चुकाए जाने संबंधी आदेश जारी करने का प्रारूप और रीति;

(घ) कोई अन्य विषय, जो नियमों द्वारा विहित किया जाना हो या विहित किया जाए अथवा जिसके संबंध में उपबंध किया जाना हो ।

(3) इस स्कीम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय 12

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

216. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। 1934 के अधिनियम 2 का संशोधन और प्रारंभ।

1934 का 2 **217.** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की उद्देशिका के पैरा 2 और पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरे रखे जाएंगे, अर्थात् :— उद्देशिका का संशोधन।

"और अधिकाधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए आधुनिक मुद्रा नीति सम्बन्धी रूपरेखा का होना आवश्यक है ;

और मुद्रा नीति का प्राथमिक उद्देश्य, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है ;

और भारत में मुद्रा नीति सम्बन्धी रूपरेखा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तित की जाएगी ;"।

218. मूल अधिनियम की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(खvक) "उपभोक्ता मूल्य सूचकांक" से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समुच्चय अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(गi) "मुद्रा स्फीति" से मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त वर्षवार परिवर्तन अभिप्रेत है ;

(गii) "मुद्रा स्फीति लक्ष्य" से धारा 45यक की उपधारा (1) के अनुसार अवधारित मुद्रा स्फीति लक्ष्य अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (गग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(गगi) "मुद्रा नीति समिति" से धारा 45यख की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (गगगग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(गगगगi) "विहित" से केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(गगगगii) "नीति दर" से धारा 17 की उपधारा (12कख) के अधीन रेपो-संव्यवहारों की दर अभिप्रेत है ;'।

219. मूल अधिनियम के अध्याय 3ङ के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— नए अध्याय 3च का अंतःस्थापन।

"अध्याय 3च

मुद्रा नीति

45य. इस अध्याय के उपबंध इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। इस अध्याय के उपबंधों का अधिनियम के अन्य उपबंधों पर अभिभावी होना।

45यक. (1) केंद्रीय सरकार, बैंक के परामर्श से प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निबन्धनानुसार, मुद्रा स्फीति लक्ष्य का अवधारण करेगी। मुद्रा स्फीति लक्ष्य।

(2) केंद्रीय सरकार ऐसे अवधारण पर राजपत्र में मुद्रा स्फीति लक्ष्य अधिसूचित करेगी।

45यख. (1) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बैंक की मुद्रा नीति समिति के नाम से एक समिति का गठन करेगी। मुद्रा नीति समिति का गठन।

(2) मुद्रा नीति समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) बैंक का गवर्नर — अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) मुद्रा नीति का भारसाधक बैंक का डिप्टी गवर्नर — सदस्य, पदेन ;

(ग) बैंक का एक अधिकारी, जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए — सदस्य, पदेन ; और

(घ) तीन व्यक्ति, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए — सदस्य।

(3) मुद्रा नीति समिति, मुद्रा स्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नीति दर अवधारित करेगी।

(4) मुद्रा नीति समिति का विनिश्चय बैंक पर आबद्धकर होगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों का चयन और पात्रता।

45यग. (1) धारा 45यख की उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मुद्रा नीति समिति के सदस्य अर्थशास्त्र या बैंककारी या वित्त या मुद्रा नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे :

परंतु किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि —

(i) ऐसे व्यक्ति ने सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख को सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ii) ऐसा व्यक्ति बैंक के किसी बोर्ड या समिति का कोई सदस्य है ;

(iii) ऐसा व्यक्ति बैंक का कोई कर्मचारी है ;

(iv) ऐसा व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन यथापरिभाषित कोई लोक सेवक है ; 1860 का 45

(v) ऐसा व्यक्ति संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल का कोई सदस्य है ;

(vi) ऐसा व्यक्ति किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(vii) ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जो एक सौ अस्सी दिन या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है ;

(viii) मुद्रा नीति समिति के सदस्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ है;

(ix) ऐसे व्यक्ति का बैंक से हित का तात्त्विक विरोध है और वह ऐसे विरोध का समाधान करने में असमर्थ है ।

(2) धारा 45यख की उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मुद्रा नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) मंत्रिमंडल सचिव — अध्यक्ष ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर — सदस्य ;

(ग) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग — सदस्य ;

(घ) अर्थशास्त्र या बैंककारी या वित्त या मुद्रा नीति के क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे — सदस्य ।

(3) खोजबीन-सह-चयन समिति, सदस्यों का चयन करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो विहित की जाए ।

मुद्रा नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें।

45यघ. (1) धारा 45यख की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त मुद्रा नीति समिति के सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

(2) मुद्रा नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं और ऐसे सदस्यों को संदेय पारिश्रमिक और अन्य भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) कोई सदस्य, उपधारा (1) के अधीन उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय केंद्रीय सरकार को छह सप्ताह से अन्यून की लिखित सूचना देकर मुद्रा नीति समिति से त्यागपत्र दे सकेगा और केंद्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर वह मुद्रा नीति समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

मुद्रा नीति समिति के सदस्यों का हटाया जाना ।

45यङ. (1) केंद्रीय सरकार धारा 45यख की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त मुद्रा नीति समिति किसी भी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जो दिवालिया है या किसी भी समय न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(ग) जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(घ) जो अपनी नियुक्ति के समय पर किसी हित के तात्त्विक विरोध को यथोचित रूप से प्रकट करने में असफल रहा है ; या

(ङ) जो पूर्व छुट्टी अभिप्राप्त किए बिना मुद्रा नीति समिति के तीन आनुक्रमिक अधिवेशनों में उपस्थित नहीं होता है; या

(च) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(छ) जिसने धारा 45यग की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ii), खंड (iii), खंड (iv) और खंड (v) में निर्दिष्ट कोई पद अर्जित कर लिया है ; या

(ज) जिसने केंद्रीय सरकार की राय में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के लिए हानिकर है ।

(2) धारा 45यख की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त कोई भी सदस्य उपधारा (1) के खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

मुद्रा नीति समिति की कार्यवाहियों का रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य न होना ।

45यच. मुद्रा नीति समिति की कोई भी कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) मुद्रा नीति समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) मुद्रा नीति समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) मुद्रा नीति समिति की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता हो ।

मुद्रा नीति समिति का सचिव ।

45यछ. (1) उक्त समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक, मुद्रा नीति समिति का एक सचिव नियुक्त करेगा ।

(2) सचिव ऐसे कृत्यों का पालन ऐसी रीति में करेगा, जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

मुद्रा नीति समिति के सदस्यों के लिए सूचना ।

45यज. (1) बैंक, मुद्रा नीति समिति के सदस्यों को ऐसी सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा जो मुद्रा स्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुसंगत हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अतिरिक्त मुद्रा नीति समिति का कोई भी सदस्य किसी भी समय बैंक से अतिरिक्त सूचना के लिए अनुरोध कर सकेगा, जिसके अंतर्गत कोई भी डाटा, प्रतिमान या विश्लेषण भी है ।

(3) बैंक, उपधारा (2) में मुद्रा नीति समिति के सदस्य को यथा निवेदित ऐसी सूचना युक्तियुक्त समय के भीतर उपलब्ध कराएगा जब तक कि—

(क) सूचना किसी अस्तित्व या व्यक्ति से संबंधित है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है ; या

(ख) सूचना किसी अस्तित्व या व्यक्ति की पहचान किए जाने की अनुज्ञा देती है और सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है ।

(4) बैंक द्वारा, मुद्रा नीति समिति के किसी सदस्य को उपलब्ध कराई गई कोई भी सूचना मुद्रा नीति समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी ।

मुद्रा नीति समिति की बैठकें।

45यझ. (1) बैंक, मुद्रा नीति समिति के एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करेगा ।

(2) बैंक द्वारा, किसी वर्ष के लिए मुद्रा नीति समिति की बैठक की समय सारणी उस वर्ष की प्रथम बैठक के कम से कम एक सप्ताह पहले प्रकाशित की जाएगी ।

(3) बैठक की समय सारणी में परिवर्तन केवल—

(क) मुद्रा नीति समिति की पूर्व बैठक में किए गए विनिश्चय के माध्यम से किया जाएगा ; या

(ख) तब किया जाएगा यदि गवर्नर की राय में प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण अतिरिक्त बैठक अपेक्षित है या बैठक का पुनः अनुसूचित किया जाना अपेक्षित है ।

(4) बैठक की समय सारणी में कोई भी परिवर्तन बैंक द्वारा यथाशक्य शीघ्रता से प्रकाशित किया जाएगा ।

(5) मुद्रा नीति समिति की किसी बैठक की गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी जिनमें से कम से कम एक गवर्नर और उसकी अनुपस्थिति में वह डिप्टी गवर्नर होगा, जो मुद्रा नीति समिति का सदस्य है ।

(6) मुद्रा नीति समिति की बैठकों की अध्यक्षता गवर्नर द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे डिप्टी गवर्नर द्वारा, जो मुद्रा नीति समिति का सदस्य है, की जाएगी ।

(7) मुद्रा नीति समिति के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा ।

(8) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो मुद्रा नीति समिति की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में गवर्नर का दूसरा या निर्णायक मत होगा ।

(9) केंद्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझे तो समय-समय पर मुद्रा नीति समिति को लिखित में अपने विचार भेज सकेगी ।

(10) किसी प्रस्तावित संकल्प के लिए मुद्रा नीति समिति के प्रत्येक सदस्य का मत ऐसे सदस्य के विरुद्ध अभिलिखित किया जाएगा ।

(11) मुद्रा नीति समिति का प्रत्येक सदस्य प्रस्तावित संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध मत देने के कारण विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित में कथन करेगा ।

(12) मुद्रा नीति समिति के कार्यकरण की प्रक्रिया, आचरण, गोपनीयता संहिता और कोई अन्य आनुषंगिक मामला ऐसा होगा, जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(13) मुद्रा नीति समिति की कार्यवाही गोपनीय होगी ।

मुद्रा नीति समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम ।

45यञ. (1) बैंक, मुद्रा नीति समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए, जिसके अंतर्गत उसमें कोई परिवर्तन भी है, उठाए जाने वाले कदमों को स्पष्ट करते हुए एक दस्तावेज प्रकाशित करेगा ।

(2) ऐसे दस्तावेज में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां और ऐसे दस्तावेजों के प्रकाशनों की बारंबारता ऐसी होगी जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

विनिश्चयों का प्रकाशन ।

45यट. बैंक मुद्रा नीति समिति की प्रत्येक बैठक की समाप्ति के पश्चात्, उक्त समिति द्वारा अंगीकृत संकल्प को प्रकाशित करेगा ।

मुद्रा नीति समिति की बैठक की कार्यवाहियों का प्रकाशन।

45यठ. बैंक मुद्रा नीति समिति की प्रत्येक बैठक के पश्चात्, चौदहवें दिन बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रकाशित करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) मुद्रा नीति समिति की बैठक में अंगीकृत संकल्प ;

(ख) उक्त बैठक में अंगीकृत संकल्पों पर ऐसे सदस्य को श्रेयित मुद्रा नीति समिति के प्रत्येक सदस्य का मत;

(ग) उक्त बैठक में अंगीकृत संकल्पों पर धारा 45यठ की उपधारा (11) के अधीन मुद्रा नीति समिति के प्रत्येक सदस्य का कथन ।

मुद्रा नीति रिपोर्ट।

45यड. (1) बैंक, प्रत्येक छह मास में एक बार मुद्रा नीति रिपोर्ट नामक एक दस्तावेज निम्नलिखित स्पष्ट करते हुए प्रकाशित करेगा—

(क) मुद्रा स्फीति के स्रोत ; और

(ख) दस्तावेज के प्रकाशन की तारीख से छह मास से अठारह मास के बीच की अवधि के लिए मुद्रा स्फीति का पूर्वानुमान ।

(2) मुद्रा नीति समिति का प्ररूप और अंतर्वस्तुएं ऐसी होंगी, जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

मुद्रा स्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में असफलता ।

45यढ. जहां बैंक मुद्रा स्फीति लक्ष्य को पूरा करने में असफल होता है, वहां वह केंद्रीय सरकार को एक रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा—

(क) मुद्रा स्फीति लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता के कारण ;

(ख) बैंक द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई ;

(ग) उस समयावधि का अनुमान, जिसके भीतर प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयों का यथासमय कार्यान्वयन करके मुद्रा स्फीति लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे कारक, जिनसे असफलता का गठन होता है, वे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा, वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 12 के भाग 1 के प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं ।

नियम बनाने की शक्ति ।

45यण. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा,—

(क) धारा 45यग की उपधारा (4) के अधीन खोजबीन-सह-चयन समिति के कार्यकरण की प्रक्रिया ;

(ख) धारा 45यघ की उपधारा (2) के अधीन मुद्रा नीति समिति के सदस्यों के, पारिश्रमिक और अन्य भत्तों से भिन्न, नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ; और

(ग) कोई अन्य विषय जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।'।

धारा 58 का संशोधन।

220. मूल अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (2) में खंड (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(थक) धारा 45यघ की उपधारा (2) के अधीन मुद्रा नीति समिति के सदस्यों को संदेय पारिश्रमिक और अन्य भत्ते;

(थख) धारा 45यछ की उपधारा (2) के अधीन सचिव के कृत्य ;

(थग) धारा 45यझ की उपधारा (12) के अधीन मुद्रा नीति समिति की प्रक्रिया, अधिवेशन के संचालन की रीति और अन्य संबंधित विषय ;

(थघ) धारा 45यञ की उपधारा (2) के अधीन दस्तावेज के प्रकाशन की विशिष्टियां और आवर्ती ;

(थङ) धारा 45यड की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित की जाने वाली मुद्रा नीति रिपोर्ट का प्ररूप और उनकी अंतर्वस्तुएं;"।

भाग 2

केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का संशोधन

1956 के अधिनियम 74 का संशोधन।

221. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 के स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 3— जहां सामान्य वाहक पाइप लाइन या किसी अन्य सामान्य परिवहन या वितरण प्रणाली के माध्यम से विक्रीत या क्रय की गई या परिवहन की गई गैस, पाइप लाइन या प्रणाली में अन्य गैस के साथ आपस में मिश्रित और चिरभोग्य हो गई है और ऐसी गैस एक राज्य में पाइप लाइन या प्रणाली में समाविष्ट की जाती है और दूसरे राज्य में पाइप लाइन से निकाली जाती है, वहां गैस के ऐसे विक्रय या क्रय को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का संचलन समझा जाएगा ।"।

भाग 3

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 का संशोधन

1974 के अधिनियम 47 की अनुसूची का संशोधन।

222. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की अनुसूची में, कच्चे तेल से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

भाग 4

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 का संशोधन

1976 के अधिनियम 13 का संशोधन।

223. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 में 1 जून, 2016 से,—

(क) धारा 2क का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में "समपहृत संपत्ति" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) धारा 12 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) "समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात होने वाला" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(आ) "और वे धारा 7, धारा 9 की उपधारा (1) या धारा 10 के अधीन किए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"और वे,—

(क) धारा 7, धारा 9 की उपधारा (1) या धारा 10 के अधीन ;

1985 का 61

(ख) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68च, धारा 68झ, धारा 68ट की उपधारा (1) या धारा 68ठ के अधीन ;

2003 का 15

(ग) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी,

द्वारा किए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में "या होने के लिए अर्हित है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपधारा (6क) में "दो सदस्यों की एक न्यायपीठ" शब्दों के स्थान पर "एक या दो सदस्यों की एक न्यायपीठ" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (6क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(6ख) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में ज्येष्ठतम सदस्य, अध्यक्ष के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण नहीं करता है ।

(6ग) जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो ज्येष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कृत्यों का उस तारीख तक निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कृत्यों का भार पुनःग्रहण नहीं कर लेता है ।"।

भाग 5

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का संशोधन

1985 के अधिनियम 61 का संशोधन।

224. स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में, 1 जून, 2016 से,—

(क) धारा 68ख के खंड (क) में "के अधीन गठित समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण" शब्दों के स्थान पर "में निर्दिष्ट अपील अधिकरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 68ढ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अपील अधिकरण

"68ढ. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित अपील अधिकरण, धारा 68च, धारा 68झ, धारा 68ट की उपधारा (1) या धारा 68ठ के अधीन किए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपील अधिकरण होगा ।"; 1976 का 13

(ग) धारा 76 की उपधारा (2) के खंड (घख) का लोप किया जाएगा ।

भाग 6

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ ।

225. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1999 के अधिनियम 42 का संशोधन ।

226. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 में, धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

शास्ति की बकाया को वसूल करने की शक्ति।

"14क. (1) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति से, जो उस तारीख से, जिसको ऐसी शास्ति के संदाय की सूचना की उस पर तामील की जाती है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर धारा 13 के अधीन उस पर अधिरोपित शास्ति का पूरा संदाय करने में असफल रहता है, शास्ति की किसी बकाया को वसूल करने के लिए ऐसे प्रवर्तन अधिकारी को, जो सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कर की वसूली के संबंध में आय कर प्राधिकारी को प्रदत्त की गई हैं और उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में अधिकथित प्रक्रिया, इस अधिनियम के अधीन शास्ति के बकाया की वसूली के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी ।"। 1961 का 43

भाग 7

केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 का संशोधन

2000 के अधिनियम 54 का संशोधन ।

227. केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 10 में 1 जून, 2016 से,—

(अ) उपधारा (1) में, खंड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(viii) (क) ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर साढ़े तैंतीस प्रतिशत उपकर का आबंटन ;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर साढ़े इकतालीस प्रतिशत उपकर का आबंटन ;

(ग) रेल सुरक्षा संकर्मों, जिनके अंतर्गत रेल लाइन के नीचे या उसके ऊपर पुल बनाकर सड़क का सन्निर्माण, मानव रहित रेल क्रासिंग पर सुरक्षा संकर्मों के सन्निर्माण, नई लाइनों का सन्निर्माण विद्यमान मानक लाइनों का गेज लाइनों में संपरिवर्तन और रेल लाइनों का विद्युतीकरण भी है, के लिए उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर चौदह प्रतिशत उपकर का आबंटन :

परंतु इस उपखंड के अधीन आबंटित उपकर से मरम्मत, अनुरक्षण या नवीकरण का कोई कार्य नहीं किया जाएगा ;

(घ) अंतरराज्यिक और आर्थिक महत्व की ऐसी राज्य सड़कें, जिन्हें उस रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए, के विकास और अनुरक्षण के लिए उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर दस प्रतिशत उपकर का आबंटन; और

(ङ) सीमा क्षेत्रों में सड़क के विकास और अनुरक्षण के लिए उच्च गति डीजल और पेट्रोल पर एक प्रतिशत उपकर का आबंटन ;";

(आ) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

भाग 8

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

2001 के अधिनियम 14 का संशोधन ।

228. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का,—

(i) बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से;

(ii) तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से 1 जनवरी, 2017 से,

संशोधन किया जाएगा ।

भाग 9

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन

229. धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में, 1 जून, 2016 से,— 2003 के अधिनियम 15 का संशोधन।

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, "के अधीन स्थापित अपील अधिकरण" शब्दों के स्थान पर "में निर्दिष्ट अपील अधिकरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

1976 का 13 "25. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित अपील अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपील अधिकरण होगा ।"; अपील अधिकरण।

(ग) धारा 27, धारा 28, धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 33 और धारा 34 का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 36, धारा 37, धारा 38 और धारा 40 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा;

(ङ) धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ध) और खंड (न) का लोप किया जाएगा ।

भाग 10

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

230. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 में 1 जून, 2016 से,— 2004 के अधिनियम 23 का संशोधन।

(क) धारा 98 की सारणी में, क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ (3) के नीचे, मद (क) में "0.017 प्रतिशत" प्रविष्टि के स्थान पर "0.05 प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(ख) धारा 113क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"113क. इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबंध,— कतिपय मामलों में अध्याय 7 का लागू न होना ।

1961 का 43 (क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (44) में निर्दिष्ट नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा; या

(ख) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में के किसी व्यक्ति द्वारा, जहां ऐसे संव्यवहार का प्रतिफल विदेशी करेंसी में संदत्त किया जाता है या संदेय है,

किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, का वही अर्थ है जो विशेष आर्थिक
2005 का 28 जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है।"।

भाग 11

वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन

231. वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा। 2005 के अधिनियम 18 का संशोधन ।

भाग 12

वित्त अधिनियम, 2010 का संशोधन

232. वित्त अधिनियम, 2010 में,— 2010 के अधिनियम 14 का संशोधन।

(i) अध्याय 7 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, "स्वच्छ ऊर्जा उपकर" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "स्वच्छ पर्यावरण उपकर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दसवीं अनुसूची में, सभी शीर्षों के सामने आने वाली, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "400 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

भाग 13

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का संशोधन

233. विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) के उपखण्ड (vi) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा और 26 सितम्बर, 2010 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:— 2010 के अधिनियम 42 की धारा 2 का संशोधन ।

1999 का 42 "परन्तु जहां शेयर पूंजी का अभिहित मूल्य, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन विदेशी विनिधान के लिए विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है वहां किसी कम्पनी की शेयर पूंजी का अभिहित मूल्य, अभिदाय करते समय ऐसे मूल्य के आधे से अधिक होने पर भी ऐसी कम्पनी कोई विदेशी स्रोत नहीं होगी;"।

भाग 14

वित्त अधिनियम, 2013 का संशोधन

2013 के अधिनियम 14 का संशोधन।

234. वित्त अधिनियम, 2013 में, धारा 132 के पश्चात्, 1 जून, 2016 से, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय दशाओं में अध्याय 7 का लागू न होना।

'132क. इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबंध अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक संगम में के किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे, यदि ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल विदेशी करेंसी में संदत्त किया जाता है या संदेय है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है ।'। 2005 का 28

भाग 15

वित्त अधिनियम, 2015 का संशोधन

2015 के अधिनियम 20 का सशोधन।

235. वित्त अधिनियम, 2015 में, —

(क) धारा 4 के खंड (ii) का 1 अप्रैल, 2016 से लोप किया जाएगा;

(ख) 1 जून, 2016 से —

(i) धारा 122 की उपधारा (2) में, "जमा किसी अतिशेष को" शब्दों के पश्चात्, "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) धारा 124 में, उपधारा (5) का लोप किया जाएगा;

(iii) धारा 128 की उपधारा (2) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा ।

भाग 16

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और संशोधन

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और संशोधन ।

236. पन्द्रहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे स्तंभ में उल्लिखित विस्तार तक निरसन या संशोधन किया जाता है ।

व्यावृत्तियां ।

237. पन्द्रहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का इस अधिनियम द्वारा निरसन —

(क) का किसी अन्य ऐसी अधिनियमिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है;

(ख) का प्रभाव, पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उद्भूत किसी अधिकार, हक बाध्यता या दायित्व अथवा उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य के बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर नहीं पड़ेगा;

(ग) का प्रभाव इस बात के होते हुए भी कि वह क्रमशः, यथास्थिति, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी रीति से पुष्ट, मान्य या व्युत्पन्न हुई है, विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या ऐसी बात जो अब विद्यमान या प्रवृत्तन में नहीं है पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) में विशिष्ट मामलों के उल्लेख से निरसन के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ेगा । 1897 का 10

बकाया शुल्कों का संग्रहण और संदाय।

238. पन्द्रहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का निरसन या संशोधन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमितियों के अधीन उस तारीख से ठीक पहले जिसको वित्त विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, उद्गृहीत शुल्क के आगमों का,—

(i) यदि संग्रहण अभिकरणों द्वारा संगृहीत किए गए हैं किंतु भारतीय रिजर्व बैंक को संदत्त नहीं किए गए हैं; या

(ii) यदि संग्रहण अभिकरणों द्वारा संगृहीत नहीं किए गए हैं,

यथास्थिति, संदाय या संग्रहण किया जाएगा और उन्हें भारत की संचित निधि में जमा किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में, को संदत्त किया जाएगा।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 138 (i), खंड 142 (i), खंड 143 (i), खंड 159, खंड 231 और खंड 232 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रवृत्त होंगे । 1931 का 16

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	25,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,25,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	20,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,20,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 30 प्रतिशत ;
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—	
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; अथवा	
(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,	
और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	5 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति	
(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(उ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है,	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(ओ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ix) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(x) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण — इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां,--

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ; और

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय 'अग्रिम कर' की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या 'अग्रिम कर' [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में 'अग्रिम कर' नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखघक या धारा 115खखङ या धारा 115खखच या धारा 115ङ या धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	25,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,25,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	20,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,20,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किन्तु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	
(i) जहां पूर्ववर्ष 2014-15 में उसका कुल आवृत्त या सकल प्राप्तियां पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।	कुल आय का 29 प्रतिशत;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न	कुल आय का 30 प्रतिशत ;
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—	
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या	
(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,	
और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012

के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 136 देखिए)

क्र. सं.	**अधिसूचना संख्यांक और तारीख**	**संशोधन**	**संशोधन के प्रभावी होने की तारीख**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सा.का.नि. 367(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2000 [51/2000-सीमाशुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 2000]	उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में "धारा 3, धारा 8 और धारा 9क के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 3, धारा 8ख और धारा 9क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।	27 अप्रैल, 2000
2.	सा.का.नि. 292(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2002 [43/2002-सीमाशुल्क, तारीख 19 अप्रैल, 2002]	उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में "धारा 3, धारा 8 और धारा 9क के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 3, धारा 8ख और धारा 9क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।	19 अप्रैल, 2002
3.	सा.का.नि. 281(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2003 [57/2003-सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 2003]	उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (3) में क्रम संख्या 4 के सामने "धारा 3, धारा 8 और धारा 9क के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 3, धारा 8ख और धारा 9क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।	1 अप्रैल, 2003
4.	सा.का.नि. 604(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 [91/ 2004-सीमाशुल्क, तारीख 10 सितंबर, 2004]	उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "धारा 3, धारा 8 और धारा 9क के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 3, धारा 8ख और धारा 9क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।	10 सितंबर, 2004
5.	सा.का.नि. 606 (अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 [93/2004-सीमाशुल्क, तारीख 10 सितंबर, 2004]	उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में "धारा 3, धारा 8 और धारा 9क के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 3, धारा 8ख और धारा 9क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।	10 सितंबर, 2004
6.	सा.का.नि. 260 (अ), तारीख 1 मई, 2006 [40/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मई, 2006]	उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में "धारा 3, धारा 8 और धारा 9क के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 3, धारा 8ख और धारा 9क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।	1 मई, 2006

तीसरी अनुसूची

[धारा 138(i) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 27 के अनुपूरक टिप्पण में,—

(क) खंड (ङ) में, "1460 : 2000" अंकों के स्थान पर, "1460 : 2005" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (च) में, "1460" अंकों के स्थान पर, "15770 : 2008" अंक रखे जाएंगे ;

(2) अध्याय 40 में,—

(क) टैरिफ मद 4016 95 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 4016 99 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 58 के शीर्ष 5801 में,—

(क) उपशीर्ष 5801 37 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि "--- तान रोआं फैब्रिक, 'इपिंगल' (अकर्तित)" का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 5801 37 11 और टैरिफ मद 5801 37 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"5801 37 10	--- तान रोआं फैब्रिक, अकर्तित	वर्गमीटर	10% या 140 रु0 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी उच्चतर हो	-";

(4) अध्याय 71 में,-

(क) शीर्ष 7104 में, टैरिफ मद 7104 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7104 90	-- अन्य :			
7104 90 10	--- प्रयोगशाला में निर्मित या प्रयोगशाला में विकसित या मानव निर्मित या कल्चरी या संश्लिष्ट हीरा।	सी/के	10%	-
7104 90 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) शीर्ष 7117 में, स्तंभ (4) में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) अध्याय 76 में, शीर्ष 7601, शीर्ष 7603, शीर्ष 7604, शीर्ष 7605, शीर्ष 7606, शीर्ष 7607 की सभी टैरिफ मदों के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 79 में, उपशीर्ष 7901 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 84 में,—

(i) शीर्ष 8402 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8404 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 8406 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8406 10 00 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 8410 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्ट के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 8411 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8411 11 00, टैरिफ मद 8411 12 00, टैरिफ मद 8411 21 00, टैरिफ मद 8411 22 00 और टैरिफ मद 8411 91 00 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 8412 की टैरिफ मद 8412 80 19, टैरिफ मद 8412 80 20, टैरिफ मद 8412 80 30 और टैरिफ मद 8412 80 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 8419 19 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 85 में,—

(i) शीर्ष 8501 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8502 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8502 11 00, टैरिफ मद 8502 20 10 और टैरिफ मद 8502 40 00 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 8503 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8503 00 90 के सिवाय)के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 8504 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8504 31 00, टैरिफ मद 8504 32 00, टैरिफ मद 8504 40 10, टैरिफ मद 8504 40 30, टैरिफ मद 8504 50 10 और टैरिफ मद 8504 50 90 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 8525 में, टैरिफ मद 8525 50 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vi) शीर्ष 8535 की सभी टैरिफ मदों (उपशीर्ष 8535 40 और उपशीर्ष 8535 90 में की टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्ट के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 8536 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8536 10 10, टैरिफ मद 8536 41 00, टैरिफ मद 8536 61 10, टैरिफ मद 8536 61 90, टैरिफ मद 8536 69 10, टैरिफ मद 8536 69 90 और टैरिफ मद 8536 70 00 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) शीर्ष 8537 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 8544 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8544 42 91, टैरिफ मद 8544 42 92, टैरिफ मद 8544 42 93, टैरिफ मद 8544 42 99, टैरिफ मद 8544 70 10 और टैरिफ मद 8544 70 90 के सिवाय) के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्ट के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) शीर्ष 8546 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ; और

(xi) शीर्ष 8547 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(9) अध्याय 90 में, टैरिफ मद 9028 90 10, टैरिफ मद 9030 31 00, टैरिफ मद 9030 90 10, टैरिफ मद 9032 89 10 और टैरिफ मद 9032 89 90, के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(10) अध्याय 95 में,—

(क) टैरिफ मद 9503 00 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) टैरिफ मद 9505 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ग) टैरिफ मद 9505 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

चौथी अनुसूची

[धारा 138(ii) देखिए]

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	शुल्क की दर अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 3 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ग), "जिनमें उनके यकृत और मीनांडक भी हैं" शब्दों के स्थान पर, "जिनमें उनके यकृत, मीनांडक और मिल्ट भी हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 0301 में, टैरिफ मद 0301 93 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0301 93 00	--	कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, करासियस सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलियस, हाइपोफथालमिशथियस सभी जातियां, सिरेहिनस सभी जातियां, माइलोफेरिंगोडोन पाइसियस, कैटला कैटला, लेबिओ सभी जातियां, आस्टियोचाइलस हैजेल्टी, लेपटो बारबर होवेनी, मेगालो ब्रामा सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	- ";

(iii) शीर्ष 0302, टैरिफ मद 0302 11 00 से टैरिफ मंद 0302 85 00, उपशीर्ष 0302 89, टैरिफ मद 0302 89 10 से 0302 90 00 तक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0302		मछली, ताजा या शीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष 0304 के मछली के कतले और अन्य मछली मांस नहीं है			
	-	सालमोनिडे जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से 0302 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0302 11 00	--	ट्राउट (सेलमो ट्रटा, ओंकोरहाइनकस मिकिस, ओंकोरहाइनकस क्लार्की, ओंकोरहाइनकस एगुआबोनीटा, ओंकोरहाइनकस गिलाई, ओंकोरहाइनकस एपाची और ओंकोरहाइनकस क्राइसोगास्टर)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 13 00	--	प्रशांत सालमन (ओंकोरहाइनकस नेरका, ओंकोरहाइनकस गोरबस्चा, ओंकोरहाइनकस केटा, ओंकोरहाइनकस शुवेत्सका, ओंकोरहाइनकस किसुच, ओंकोरहाइनकस मासो और ओंकोरहाइनकस रोडोरस)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 14 00	--	अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुबे सालमन (हुको हुको)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
		चपटी मछली (पलूटोनेक्टिडाई, बोथिडाई, साइनोग्लोसिडाई, सिलिडाई, स्कोपथालमिडाई और सिथारिडाई), जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0301 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0302 21 00	--	हैलिबट (रीनहार्डटिअस हिप्पोग्लोसीडाई, हिप्पोग्लोसस, हिप्पोग्लोसस स्टेनोलेपिस)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 22 00	--	प्लेसे (प्लूरोनेक्टेस प्लेटेस्सा)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 23 00	--	सोल (सोली सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 24 00	--	टरबोट्स (पेस्टा मैक्सिमा)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 29 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	-	ट्यूना मछलियां (थ्युन्नस वंश की), स्किपजैक या पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो [यूथीनस (कातसूवोनस) पेलामिस] जिनके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0301 99 की खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0302 31 00	--	ऐल्बाकोर या लंबे पंख वाली ट्यूना मछलियां (थ्युन्नस एललुंगा)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 32 00	--	पीत पंख वाली ट्यूना मछलियां (थ्युन्नस ऐस्बाकेयर)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 33 00	--	स्किपजक या पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो	कि.ग्रा.	30%	-
0302 34 00	--	बिगेइ ट्यूना मछलियां (थ्युन्नस ओबेसस)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 35 00	--	अटलांटिक और प्रांत ब्लूफिन ट्यूना मछलियां (थ्युन्नस थाईनस, थ्युन्नस ओरियंटलिस)	कि.ग्रा.	30%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	शुल्क की दर अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0302 36 00	— दक्षिणी ब्लूफिन ट्यूना मछलियां (थ्युन्नस माकाई)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 39 00	— अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी) एंकोवीस (एंग्राउलिस सभी जातियां) सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस) मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर औस्ट्रालसिकस, स्कोंबर जपोनिकस),भारतीय मेकेरल (रास्ट्रेल्लीजर सभी जातियां), सुरमई मछली (स्कोंबरमोरस सभी जातियां) जैक और अव मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां), जैक, क्रीवेल्स (केरेन्कस सभी जातियां), कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम) सिलवर पामफ्रेट्स (पेम्पस सभी जातियां), प्रशांत सावरी (कोलोलेबिस सायरा), स्कैड्स (डेकाप्टूस सभी जातियां), केपलिन (मैलोटस विलोसस) स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथाइनस एफिनस) बोनिटोस (सारडा सभी जातियां), मार्लिन्स, सेलफिसिस, स्पियरफिस (इस्टियोफोरिडे), जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0302 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0302 41 00	— हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 42 00	— एंकोवीस (एंग्राउलिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 43 00	— सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 44 00	— मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर ऑस्ट्रालसिकस, स्कोंबर जेपोनिकस)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 45 00	— जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 46 00	— कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 47 00	— स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 49 00	- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- ब्रेगमासेरोटीडाई, यूक्लिचथिडाई, गेडिडाई, मेक्रयूरिडाई, मेलानोनिडाई, मरल्यूसिडाई, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाई समूह की मछली, जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0302 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0302 51 00	— कोड (गैडस मॉरहुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 52 00	— हैड्डाक (मेलनोग्रामस ऐग्लेफाइनस)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 53 00	— कोलफिश (पोलाचियसवाइरेंस)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 54 00	— हेक (मर्लुसियस सभी जातियां, यूरोफिसिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 55 00	— अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कालकोग्रामा)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 56 00	— ब्लू व्हीटिंग्स (माइक्रोमेसिसटियस पोउटेसॉ, माइक्रोमेसिसटियस आस्ट्रलिस)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 59 00	— अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरेसियस सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथालमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस केटला केटला, लेबियो सभी जातियां, आस्टियो चिलस हेस्सलती, लेप्टो बारबस होवेनी मेगलोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0302 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0302 71 00	— टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 72 00	— कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0302 73 00	-- कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथालमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस, केटला केटला, लेबियो सभी जातियां, आस्टियोचिलस हेस्सलती, लेप्टो बारबस होवेनी, मेगलोब्रामा सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 74 00	-- ईल्स (एंग्युला सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 79 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- अन्य मछली, जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0302 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0302 81 00	-- डॉगफिस सुरा और अन्य शार्क	कि.ग्रा.	30%	-
0302 82 00	-- रेज और स्केट्स (रेजिडाई)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 83 00	-- टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 84 00	-- समुद्री बास (डाइसैन्ट्रारकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 85 00	-- सीब्रीम (स्पेरिडाई)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 89	-- अन्य :			-
0302 89 10	-- हिल्सा (टेनुवालोसा इलिसा)	कि.ग्रा.	30%	-
0302 89 20	--- दारा	कि.ग्रा.	30%	-
0302 89 30	--- पोम्फ्रेट	कि.ग्रा.	30%	-
0302 89 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- यकृत, मीनांडक, मत्स्यशुक्र, पंखदार मछली, सिर, पूंछ, उदर और अन्य खाद्य मछली के मांस के टुकड़े			
0302 91	-- यकृत, मीनांडक और मत्स्यशुक्र			
0302 91 10	--- यकृत, मीनांडक और मत्स्यशुक्र	कि.ग्रा.	30%	-
0302 92	-- शार्क फिन्स	कि.ग्रा.	30%	-
0302 92 10	--- शार्क फिन्स	कि.ग्रा.	30%	-
0302 99	--- अन्य :			
0302 99 10	--- पंखदार शार्क से भिन्न पंखदार मछली, सिर, पूंछ और उदर	कि.ग्रा.	30%	-
0302 99 90	--- अन्य खाद्य मछली के मांस के टुकड़े	कि.ग्रा.	30%	- ";

(iv) शीर्ष 0303, टैरिफ मद 0303 11 00 से 0303 6900, उपशीर्ष 0303 81, टैरिफ मद 0303 81 10, उपशीर्ष 0303 89, टैरिफ मद 0303 89 10 से 0303 89 99, उपशीर्ष 0303 90, टैरिफ मद 0303 90 10 से 0303 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'0303	मछली, हिमशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष सं0 0304 के मछली कतले और अन्य मछली मांस नहीं हैं			
	- साल्मेनिडाई, जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0303 11 00	-- सोकोई सालमन (लाल सालमन) (ओंकोरहाइनकस नेरका)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 12 00	-- अन्य प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस गोरबुशा, ओंकोरहाइनकस केटा, ओंकोरहाइनकस शुवेत्सका, ओंकोरहाइनकस किसुच, ओंकोरहाइनकस मासो और ओंकोरहाइनकस रोडोरस)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 13 00	-- अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुबे सालमन (हुको हुको)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 14 00	-- ट्राउट (सेलमो ट्रूटा, ओंकोरहाइनकस मिकिस, ओंकोरहाइनकस क्लार्की, आंकोरहाइनकस एगुओबोनिटा, आंकोरहाइनकस गिलाई, ओंकोरहाइनकस एपाची और ओंकोरहाइनकस क्राइसेगास्टर)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 19 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथालमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस			

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस केटला केटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचिलस हेस्सलती, लेप्टो बारबस होवेनी मेगलोब्रोमा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से 0303 99 खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0303 23 00	— टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 24 00	— कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 25 00	— कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथालमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस, केटला केटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचिलस हेस्सलती, लेप्टो बारबस होवेनी, मेगलोब्रोमा सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 26 00	— ईल्स (एंग्युला सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 29 00	— अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- चपटी मछली (प्लूरोनेटिडाई, बोथिडाई, साइनोग्लोसिडाई, सोलेडाई, स्कोपथेलमिडाई और सिथारिडाई) जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0303 31 00	— हैलीबट (रीनहार्डटिअस हिप्पोग्लोसाईडाई, हिप्पोग्लोसस हिप्पोग्लोसस, हिप्पोग्लोसस स्टेनोलेपिस)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 32 00	— प्लैसे (प्लूरोनेक्टेस प्लेटेसा)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 33 00	— सोल (सोली सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 34 00	- टरबोट्स (सेटा मैक्सिमा)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 39 00	— अन्य			
	- ट्यूना मछलियां (थ्यूनस वंश की) स्कपजैक या पट्टीदार तुदंवाली बोनिटो [थ्यूथिनस (कातसूवूनस) पेलोमिस], जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0303 41 00	— एल्बाकोर या लंबे पंख वाली ट्यूना मछलियां (थ्यूनस एलालुंगा)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 42 00	— पीले पंख वाली ट्यूना मछलियां (थ्यूनस एल्बाकेरस)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 43 00	— स्किपजैक या पट्टीदार तुदंवाली बोनिटो	कि.ग्रा.	30%	-
0303 44 00	— बिगेई ट्यूना (थुनस ओबेसस)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 45 00	— अटलांटिक और प्रशांत ब्लूफिन टुनास (थुन्नुस थाईनस, थुन्नुस ओरियंटलिस)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 46 00	— दक्षिणी ब्लूफिन ट्यूना (थुनस मकाई)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 49 00	— अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी) एंकोवीस (एंग्राउलिस सभी जातियां) सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस) मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर ऑस्ट्रालसिकस, स्कोंबर जेपोनिकस), भारतीय मैकेरल्स (रेस्टरेलिगर सभी जातियां, सीर फिशेज (स्कोम्बेरोमस सभी जातियां), जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां), कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम) सिल्वर पोम्फ्रेट्स (पोम्पस सभी जातियां), प्रशांत सौरी (कोलोलाबीस सायरा) स्केडस (डीकैप्टरस्सप), केपलीन (मैलोटस विल्लोसस) और स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथीनस एफीनीस) बोनीटोस (सार्डा सभी जातियां) मर्लिन्स सेलफिश, स्पीयरफिड़ा (लेस्टीयोफोरिडाई) जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं, जिसके अंतर्गत यकृत और मीनांडक नहीं है :			
0303 51 00	— हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी)	कि.ग्रा.	30%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0303 53 00	— सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 54 00	— मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर ऑट्रालसिकस, स्कोंबर जपोनिकस)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 55 00	— जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 56 00	— कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 57 00	— स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 59 00	— अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- ब्रेगमासेरोटाइडाई, इयूक्लिचथिडाई, गेडिडाई, मेक्रयूरिडिडाई, मेलानोनिडाई, मरल्यूसिडाई, मोरिडाई और मुरेनोलेपिडिडाई समूह की मछली, जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0303 63 00	— कोड (गैडस मॉरहुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 64 00	— हैड्डाक (मेलनोग्रामस ऐग्लेफाइनस)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 65 00	— कोलफिश (पोलाचियस वाइरेंस)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 66 00	— हेक (मर्लुसियस सभी जातियां, यूराफिसिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 67 00	— अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 68 00	— ब्लू व्हाटिंग्स (माइक्रोमेसिसटियस पोउटेसॉ, माइक्रोमेसिसटियस आस्ट्रलिस)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 69 00	— अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- अन्य मछली, जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :			
0303 81	--- डॉगफिश और अन्य शार्क :			
0303 81 10	--- डॉगफिश	कि.ग्रा.	30%	-
0303 81 90	--- अन्य शार्क	कि.ग्रा.	30%	-
0303 82 00	--- रेज़ और स्केट्स (रेजिडाई)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 83 00	--- टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 84 00	--- समुद्री बास (डाइसैन्ट्रारकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 89	--- अन्य :			
0303 89 10	--- हिल्सा टेनयूआलोसा ईलीशा	कि.ग्रा.	30%	-
0303 89 20	--- दारा	कि.ग्रा.	30%	-
0303 89 30	--- रिब्बन फिश	कि.ग्रा.	30%	-
0303 89 40	--- सुरमई	कि.ग्रा.	30%	-
0303 89 50	--- पोम्फ्रेट (सफेद या सिल्वर या काली)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 89 60	--- घोल	कि.ग्रा.	30%	-
0303 89 70	--- सूत्रपख	कि.ग्रा.	30%	-
0303 89 80	--- क्रोकर, ग्रुपर, फ्लाउंडर	कि.ग्रा.	30%	-
	- अन्य			
0303 89 90	--- यकृत, मीनांडक, मिल्ट, फिश फिन्स, सिर, पूंछ, उदर और अन्य खाद्य मछली के मांस के टुकड़े			
0303 91	— यकृत, मीनांडक और मिल्ट			
0303 91 10	--- मछली का अंडा और अंडे की जर्दी	कि.ग्रा.	30%	-
0303 91 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
0303 92	— शार्क फिन्स			
0303 92 10	--- शार्क फिन्स	कि.ग्रा.	30%	-
0303 99	— अन्य :			
0303 99 10	--- मछली के पंख, शार्क पंख, सिर, पूंछ और उदर से भिन्न	कि.ग्रा.	30%	-
0303 99 90	--- अन्य खाद्य मछली के मांस के टुकड़े	कि.ग्रा.	30%	- ";

(v) शीर्ष 0304 में,—

(क) 0304 शीर्ष की प्रविष्टियों के पश्चात स्तम्भ (2) में आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	शुल्क की दर अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		ताजे, द्रुतशीतित या हिमशीतित			
	-	टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथालमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस कैटला कैटला, लेबिओ सभी जातियां, आस्टियोचाइलस हैजेल्टी, लेपटोबारबस होवेनी, मेगा लो ब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)			

(ख) टैरिफ मद 0304 46 00 से 0304 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0304 46 00	—	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 47 00	—	डॉगफिश और अन्य शार्क	कि.ग्रा.	30%	-
0304 48 00	—	रेज और स्केट्स (रजिडाई)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 49	—	अन्य :			
0304 49 10	—	हिल्सा (टेनुयालोसा इलिशा)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 49 30	—	सुरमई	कि.ग्रा.	30%	-
0304 49 40	—	ट्यूना	कि.ग्रा.	30%	-
0304 49 90	—	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	-	अन्य, ताजा या द्रुतशीतित :			
0304 51 00	—	टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 52 00	—	साल्मोनिडाई	कि.ग्रा.	30%	-
0304 53 00	—	ब्रेगमासेरोटाइडाई, इयूक्लिचथिडाई, गेडिडाई, मेक्रयूरिडाई, मेलानोनिडाई, मरल्यूसिडाई, मोरिडाई और मुरेनोलेपिडिडाई समूह की मछली	कि.ग्रा.	30%	-
0304 54 00	—	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 55 00	—	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 56 00	—	डागफिश और अन्य शार्क	कि.ग्रा.	30%	-
0304 57 00	—	रेज और स्केट्स (रजिडाय)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 59	—	अन्य :			
0304 59 10	—	हिल्सा (टेनुवालोसा इलिशा)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 59 30	—	सुरमई	कि.ग्रा.	30%	-
0304 59 40	—	ट्यूना	कि.ग्रा.	30%	-
0304 59 90	—	अन्य	कि.ग्रा.		-
	-	टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां, सटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथालमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस, कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) :			

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0304 61 00	— टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 62 00	— कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां),	कि.ग्रा.	30%	-
0304 63 00	— नील पर्च (लेट्स निलोटिसस)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 69 00	— अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- ब्रेगमासेरोटाइडाई, इयूक्लिचथिडाई, गेडिडाय, मेक्रयूरिडाई, मेलानोनिडाई, मरल्यूसिडाई, मोरिडाई और मुरेनोलेपिडिडाई समूह की हिमशीतित मछली के कतले :			
0304 71 00	— कोड (गैडस मॉरहुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 72 00	— हैड्डाक (मेलनोग्रामस ऐग्लेफाइनस)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 73 00	— कोलफिश (पोलाचियस वाइरेंस)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 74 00	— हेक (मर्लुसियस सभी जातियां, यूराफिसिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 75 00	— अलास्का पोलैक (थेरोग्रा क्यालकोग्रामा)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 79 00	— अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- अन्य मछली के हिमशीतित कतले :			
0304 81 00	— प्रशांत सालमन (ओंकोरहाइनकस नेरका, ओंकोरहाइनकस गोरबस्चा, ओंकोरहाइनकस केटा, ओंकोरहाइनकस शुवेत्सका, ओंकोरहाइनकस किसुच, ओंकोरहाइनकस मासो और ओंकोरहाइनकस रोडोरस), अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुबे सालमन (हुको हुको)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 82 00	— ट्राउट (सेलमो ट्रूटा, ओंकोरहाइनकस मिकिस, ओंकोरहाइनकस क्लार्की, ओंकोरहाइनकस एगुओबोनिटा, ओंकोरहाइनकस गिलाई, ओंकोरहाइनकस एपाची और ओंकोरहाइनकस क्राइसोगास्टर)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 83 00	— चपटी मछली (पलूरोनेक्टिडाई, बोथिडाई, साइनोग्लोसिडाई, सोलिडाई, स्कोपथालमिडाई और सिथारिडाई)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 84 00	— स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 85 00	— टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 86 00	— हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 87 00	— ट्यूना मछलियां (थ्युन्नस वंश की), स्किपजैक या पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो [यूथीनस (कातसूवोनस) पेलामिस]	कि.ग्रा.	30%	-
0304 88	—— डॉगफिश, अन्य शार्क रेज और स्केट्स (रेजिडाई) :	कि.ग्रा.	30%	-
0304 88 10	—— डॉगफिश	कि.ग्रा.	30%	-
0304 88 20	—— अन्य शार्क	कि.ग्रा.	30%	-
0304 88 30	—— रेज और स्केट्स (रजिडाई)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 89	— अन्य :			
0304 89 10	—— हिल्सा (टेनुवालोसा इलिशा)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 89 30	—— सुरमई	कि.ग्रा.	30%	-
0304 89 40	—— टूना	कि.ग्रा.	30%	-
0304 89 90	—— अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	- अन्य, हिमशीतित :			
0304 91 00	— स्वोर्डफिस (जिफियास ग्लैडियस)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 92 00	— टूथफिस (डिसोसटिकस सभी जातियां)	किग्रा	30%	-
0304 93 00	— टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां, सटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस, कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी,	किग्रा	30%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)			
0304 94 00	—	अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कालकोग्रामा)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 95 00	—	ब्रेगमासेरोटाइडाई, इयूक्लिचथिडाई, गेडिडाय, मेक्रयूरिडाई, मेलानोनिडाई, मरल्यूसिडाई, मोरिडाई और मुरेनोलेपिडिडाई समूह की मछली, अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 96 00	—	डौगफिश और अन्य शार्क	कि.ग्रा.	30%	-
0304 97 00	—	रेज और स्केट्स (रजीडाई)	कि.ग्रा.	30%	-
0304 99 00	—	अन्य	कि.ग्रा.	30%	- ;”

(vi) शीर्ष 0305 में,—

(क) टैरिफ मद 0305 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0305 20 00	—	मछली का यकृत मिनांडक और मिल्ट, शुष्कित, धूमित लवणित या लवण जल में रखे हुए	कि.ग्रा.	30%	- ”;

(ख) टैरिफ मद 0305 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0305 31 00	—	टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस, सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथालमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	- ”;

(ग) टैरिफ मद 0305 44 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0305 44 00	—	टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस, सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथालमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	- ”;

(घ) टैरिफ मद 0305 51 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“0305 52 00	—	टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस, सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथालमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0305 53 00	—	कौड (गैडस मौरहुआ, गौडस औगेक, गैडस मैक्रोसेफालस) से भिन्न ब्रेगमासेरोटाइडाई, इयूक्लिचथिडाई, गेडिडाय, मेक्रयूरिडाई, मेलानोनिडाई, मरल्यूसिडाई, मोरिडाई और मुरेनोलेपिडिडाई समूह की मछली	कि.ग्रा.	30%	-
0305 54 00	—	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी) एंकोवीस (एंग्राउसिल सभी जातियां) सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस) मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर ऑस्ट्रालसियस, स्कोंबर	कि.ग्रा.	30%	- ;”

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		जपोनिकस), भारतीय मेकेरल (रास्ट्रेल्लीजर सभी जातियां), सीयर मछली (स्कोंबरमोरस सभी जातियां) जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां), जैक, क्रीवेल्स (केरेन्क्स सभी जातियां), कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम) सिलवर पामफ्रेट्स (पेम्पस सभी जातियां), पेसिफइक सावरी (कोलोलेबिस सायरा), स्कैड्स (डेकाप्ट्रूस सभी जातियां), कोपेलिन (मैलोटस विलोसस) स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथाइनस एफिनस) बोनिटोस (सारडा सभी जातियां), मार्लिन्स, सेलफिसिस, स्पियरफिस (इस्टियोफोरिडे)			

(ङ) टैरिफ मद 0305 64 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0305 64 00	--	टिलापियस (ओरेयोक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस, सभी जातियां सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथालमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	किग्रा	30%	- ";

(vii) शीर्ष 0306 में, टैरिफ मद 0306 19 00 से 0306 29 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0306 19 00	--	अन्य, जिनके अंतर्गत क्रस्टेशिया का आटा, अवचूर्ण और गुटिका है, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है	कि.ग्रा.	30%	-
	-	जीवित, ताजी या द्रुतशीतित :			
0306 31 00	--	शैल महाचिंगट और अन्य समुद्री प्रचिंगट (पालिनुरुस सभी जातियां, जेसस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 32 00	--	महाचिंगट (होमारुस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 33 00	--	कर्कट	कि.ग्रा.	30%	-
0306 34 00	--	नार्वे महाचिंगट (नेफ्रोस नार्वेजिकस)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 35 00	--	शीत जल झींगी और झींगा (पांडालुस सभी जातियां, क्रेंगोन क्रेंगोन)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 36 00	--	अन्य झींगी और झींगा	कि.ग्रा.	30%	-
0306 39 00	--	अन्य, जिनके अंतर्गत क्रस्टेशिया का आटा, अवचूर्ण और गुटिका है, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है	कि.ग्रा.	30%	-
	-	अन्य :			
0306 91 00	--	शैल महाचिंगट और अन्य समुद्री प्रचिंगट (पानुलिरस सभी जातियां, जेसस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 92 00	--	महाचिंगट (होमारुस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 93 00	--	कर्कट	कि.ग्रा.	30%	-
0306 94 00	--	नार्वे महाचिंगट (नेफ्रोस नार्वेजिकस)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 95 00	--	अन्य झींगी और झींगा	कि.ग्रा.	30%	-
0306 99 00	--	अन्य, जिनके अंतर्गत क्रस्टेशिया का आटा, अवचूर्ण और गुटिका है, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है	कि.ग्रा.	30%	- ";

(viii) शीर्ष 0307 में,—

(क) टैरिफ मद 0307 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0307 12 00	--	हिमशीतित	कि.ग्रा.	30%	- ";

(ख) टैरिफ मद 0307 21 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0307 22 00	--	हिमशीतित	कि.ग्रा.	30%	- ";

(ग) टैरिफ मद 0307 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0307 32 00	--	हिमशीतित	कि.ग्रा.	30%	- ";

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(घ) टैरिफ मद 0307 39 90 से 0307 49 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0307 39 90	—	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	-	सुफेनक और स्कवीड :			
0307 42	—	जीवित, ताजी या द्रुतशीतित			
0307 42 10	—	सुफेनक	कि.ग्रा.	30%	-
0307 42 20	—	स्कवीड	कि.ग्रा.	30%	-
0307 43	—	हिमशीतित :			
0307 43 10	—	सुफेनक	कि.ग्रा.	30%	-
0307 43 20	—	समस्त स्कवीड	कि.ग्रा.	30%	-
0307 43 30	—	स्क्वीड ट्यूबें	कि.ग्रा.	30%	-
0307 49	—	अन्य :			
0307 49 10	—	सुफेनक	कि.ग्रा.	30%	-
0307 49 20	—	समस्त स्कवीड	कि.ग्रा.	30%	-
0307 49 30	—	स्क्वीड ट्यूबें	कि.ग्रा.	30%	-
0307 49 40	—	शुष्कित स्कवीड	कि.ग्रा.	30%	-
0307 49 90	—	अन्य	कि.ग्रा.	30%	- ";

(ङ) टैरिफ मद 0307 51 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0307 52 00	—	हिमशीतित	कि.ग्रा.	30%	- ";

(च) टैरिफ मद 0307 71 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0307 72 00	—	हिमशीतित	कि.ग्रा.	30%	- ";

(छ) टैरिफ मद 0307 79 00 से 0307 89 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0307 79 00	—	अन्य	कि.ग्रा.	30%	- ";
	—	ऐबेलोन (हेलियोटिस सभी जातियां) और स्ट्रामबाइड सीपियां (स्ट्रामबस सभी जातियां) :			
0307 81 00	—	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित ऐबेलोन (हेलियोटिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0307 82 00	—	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित स्ट्रामबाइड सीपियां (स्ट्रामबस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0307 83 00	—	हिमशीतित एबेलोन (हेलियोटिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0307 84 00	—	हिमशीतित स्ट्रामबाइड सीपियां (स्ट्रामबस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0307 87 00	—	अन्य ऐबेलोन (हेलियोटिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0307 88 00	—	अन्य स्ट्रामबाइड सीपियां (स्ट्रामबस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	- ";

(ज) टैरिफ मद 0307 91 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0307 92 00	—	हिमशीतित	कि.ग्रा.	30%	- ";

(ix) शीर्ष 0308 में,—

(क) स्तंभ (2) में 0308 शीर्ष की प्रविष्टि के पश्चात् आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"समुद्री कुकुंबरस्स (स्टीकोपस जैपोनिकस होलोथूरियाडई)";

(ख) टैरिफ मद 0308 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0308 12 00	—	हिमशीतित	कि.ग्रा.	30%	- ";

(ग) टैरिफ मद 0308 19 00 से 0308 21 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0308 19 00	—	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	-	समुद्री जलशाही (स्ट्रांगिलोसेंट्रोटस सभी जातियां, पैरासेंट्रोटस लिविडस, लोक्सीचिनस एल्बस, इचिचिनस एस्कुलेंटस) :			
0308 21 00	—	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित	कि.ग्रा.	30%	- ";
"0308 22 00	—	हिमशीतित	कि.ग्रा.	30%	- ";

(2) अध्याय 4 के टिप्पण 4 में,—

(अ) खंड (क) में "या" शब्द का लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) ऐसे उत्पाद जिन्हें उसके एक या अधिक प्राकृतिक घटकों (मक्खनवसा) को प्रतिस्थापित करके किसी अन्य पदार्थ के साथ (उदाहरणार्थ तैलवसा) (शीर्ष 1901 या 2106) के साथ मिलाकर दूध से अभिप्राप्त किए जाते हैं; या"

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ग) विद्यमान खंड (ख) को खंड (ग) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

(3) अध्याय 5 में, टिप्पण 4 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'4. नामपद्धति में सर्वत्र "अश्वरोम" पद से आश्व या गोकुलीय प्राणियों के अयालों या पूंछों के बाल अभिप्रेत हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, शीर्ष 0511 के अंतर्गत अश्वरोम और अश्वरोम अपशिष्ट भी हैं चाहे वे सहायक सामग्री सहित या रहित पद के रूप में लगाए जाते हैं या नहीं। '।

(4) अध्याय 8 के शीर्ष 0805 में, टैरिफ मद 0808 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	मैन्डारिन (जिसके अंतर्गत टैन्जेरिन और सटसुमस है); क्लमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे ही निम्बुकुल संकर :			
0805 21 00	--	मैन्डारिन (जिसके अंतर्गत टैन्जेरिन और सटसुमस है)	कि.ग्रा.	30%	-
0805 22 00	--	क्लमेन्टाइन	कि.ग्रा.	30%	-
0805 29 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	30%	- ";

(5) अध्याय 12 में,—

(i) शीर्ष 1211 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1211 इस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग (जिसके अंतर्गत बीज और फल हैं) जिनका उपयोग प्रथमतः सुगंध सामग्री में, या फार्मेसी में या कीटनाशी, फफूंदी नाशी या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है, ताजे, द्रुतशीतित, हिमशीतित या शुष्कित, चाहे कर्तित, दलित या चूर्णित हैं या नहीं ";

(ii) शीर्ष 1211 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1211 50 00	—	एफेड्रा	कि.ग्रा.	30%	- ";

(6) अध्याय 13 के शीर्ष 1302 में, टैरिफ मद 1302 13 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1302 14 00	—	एफेड्रा के	कि.ग्रा.	30%	- ";

(7) अध्याय 16 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 1 के दूसरे वाक्य में "शिशु आहार" शब्दों के स्थान पर, "शिशु या तरुण बालकों के लिए उपयुक्त आहार के रूप में" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) टैरिफ मद 1604 17 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1604 18 00	—	शार्क फिन्स	कि.ग्रा.	30%	- ";

(8) अध्याय 19 में, उपशीर्ष शीर्ष 1901 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1901 10 - शिशुओं या तरुण बालकों के लिए उपयुक्त निर्मितियां जो फुटकर विक्रय के लिए रखी गई हैं";

(9) अध्याय 20 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 1 के दूसरे वाक्य में "शिशु आहार" शब्दों के स्थान पर, "शिशु या तरुण बालकों के लिए उपयुक्त आहार के रूप में" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 के दूसरे वाक्य में "शिशु आहार" शब्दों के स्थान पर, "शिशु या तरुण बालकों के लिए उपयुक्त आहार के रूप में" शब्द रखे जाएंगे;

(10) अध्याय 21 में, उपशीर्ष टिप्पण 3 के दूसरे वाक्य में "शिशु आहार" शब्दों के स्थान पर, "शिशु या तरुण बालकों के लिए उपयुक्त आहार के रूप में" शब्द रखे जाएंगे;

(11) अध्याय 22 में,—

(i) उपशीर्ष 2202 90 में, टैरिफ मद 2202 90 10 से 2202 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	अन्य :			
2202 91 00	--	गैर-अल्कोहलिक बीयर	लि.	30%	-
2202 99	--	अन्य :			
2202 99 10	---	सोया दुग्ध पेय, चाहे मधुरित या सुरुचिकारक हैं या नहीं	लि.	30%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	शुल्क की दर अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2202 99 20	---	फल गूदा या फल रस आधारित पेय	लि.	30%	-
2202 99 30	---	दूध से युक्त सुपेय	लि.	30%	-
2202 99 90	---	अन्य	लि.	30%	- ";

(ii) टैरिफ मद 2204 21 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2204 22	–	2 लि. से अधिक किंतु 10 लि. से अनधिक रखने वाले आधानों में :			
2204 22 10	---	पोर्ट और अन्य रेड वाइन	लि.	150%	-
2204 22 20	---	शेरी और अन्य व्हाइट वाइन	लि.	150%	-
2204 22 90	---	अन्य	लि.	150%	- ";

(iii) टैरिफ मद 2206 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2206 00 00	----	अन्य किण्वत सुपेय (उदाहरणार्थ, साइडर पैरी, मीड, सेक); किण्वन का सुपेय का मिश्रण तथा किण्वत सुपेय और गैर-एल्कोहली सुपेय का मिश्रण जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है ;	लि.	150%	- ";

(12) अध्याय 27 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातह :—

"4. उपशीर्ष 2710 12 के प्रयोजनों के लिए, "हल्के तेल और निर्मितियां" वे हैं जिनका आयतन के अनुसार आई एस ओ 3405 प्रणाली (एएसटीएम डी 86 प्रणाली के समतुल्य) के अनुसार 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन 90% या उससे अधिक (जिसके अंतर्गत हानियां हैं) होता है। ";

(ii) टैरिफ मद 2707 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2707 50 00	-	अन्य ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन मिश्रण जिनकी 65 प्रतिशत या अधिक मात्रा का आसवन (जिसके अंतर्गत हानि भी है) (एएसटीएमडी 86 पद्धति के समतुल्य) आई एस ओ 3405 पद्धति द्वारा 250 डिग्री सेंटीग्रेट पर होता है	लि.	10%	- ";

(13) अध्याय 28 में,—

(i) टिप्पण 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. शीर्ष 2853 के अंतर्गत ताम्र फास्फाइड (फास्फर ताम्र) जिसमें भार के आधार पर फास्फोरस 15% से अधिक नहीं है। "।

(ii) टैरिफ मद 2811 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2811 12 00	-	हाइड्रोजन साइनाइड (हाइड्रोसाइनिक अम्ल)	कि.ग्रा.	10%	- ";

(iii) उपशीर्ष 2812 10, टैरिफ मद 2812 10 10 से 2812 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	क्लोराइड्स और क्लोराइड आक्साइड :			
"2812 11 00	–	कार्बोनिल डाईक्लोराइड (फौसजीन)	कि.ग्रा.	10%	-
2812 12 00	–	फास्फोरस आक्सीक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2812 13 00	–	फास्फोरस ट्राईक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2812 14 00	–	फास्फोरस पेंटाक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2812 15 00	–	सल्फर मोनोक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2812 16 00	–	सल्फर डाईक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2812 17 00	–	थायोनाइल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2812 19	–	अन्य :			
2812 19 10	---	सल्फर आक्सीक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2812 19 20	---	सिलिकोन टेट्राक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2812 19 30	---	आर्सेनस ट्राईक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2812 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
2812 90 00	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	- ";

(iv) शीर्ष 2848, उपशीर्ष 2848 00, टैरिफ मद 2848 00 10 से 2848 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(v) शीर्ष 2853, उपशीर्ष 2853 00, टैरिफ मद 2853 00 10 से 2853 00 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
"2853		फास्फाइड, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित है या नहीं, जिसके अंतर्गत फेरोफास्फोरस नहीं है; अन्य अकार्बनिक यौगिक (जिसके अंतर्गत आसुत या चालकता जल और समान शुद्धता का जल भी है); द्रव वायु (चाहे उसमें से दुर्लभ गैसें निकाल दी गई हों या नहीं) ; संपीडित वायु ; अमलगम, बहुमूल्य धातु के अमलगम से भिन्न			
2853 10 00	---	साएनोजन क्लोराइड (क्लोरक्यान)	कि.ग्रा.	10%	-
2853 90	-	अन्य :			
2853 90 10	--	आसुत या चालकता जल और उसी शुद्धता का जल	कि.ग्रा.	10%	-
2853 90 20	--	द्रव वायु, चाहे उसमें से दुर्लभ गैसों का भाग निकाल दिया गया हो या नहीं	कि.ग्रा.	10%	-
2853 90 30	--	संपीडित वायु	कि.ग्रा.	10%	-
2853 90 40	--	अमलगम, बहुमूल्य धातु से भिन्न	कि.ग्रा.	10%	-
2853 90 90	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	- ";

(14) अध्याय 29 में,—

(i) टैरिफ मद 2903 82 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2903 83 00	--	माइरेक्स (आईएसओ)	कि.ग्रा.	10%	- ";

(ii) टैरिफ मद 2903 92 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2903 93 00	--	पेंटाक्लोरोबेंजीन (आईएसओ)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 94 00	--	हेक्साब्रोमो बाईफइनाइल	कि.ग्रा.	10%	- ";

(iii) शीर्ष 2904 में,—

(क) टैरिफ मद 2903 20 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	-	परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल, उसके लवण और परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनाइल फ्लूराइड :			
2904 31 00	--	परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-
2904 32 00	--	अमोनियम परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2904 33 00	--	लीथियम परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2904 34 00	--	पोटैशियम परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2904 35 00	--	परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल के अन्य लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2904 36 00	--	परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनाइल फ्लूराइड	कि.ग्रा.	10%	- ";

(ख) उपशीर्ष 2904 90, टैरिफ मद 2904 90 10 से 2904 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	-	अन्य :			
2904 91 00	--	ट्राईक्लोरोनाइट्रोमीथेन (क्लोरोपिक्रिन)	कि.ग्रा.	10%	-
2904 99	--	अन्य :			
2904 99 10	---	2, 5 डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन	कि.ग्रा.	10%	-
2904 99 20	---	डाइनोइट्रोक्लोरोबेंजीन	कि.ग्रा.	10%	-
2904 99 30	---	मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन	कि.ग्रा.	10%	-
2904 99 40	---	आर्थो नोइट्रोक्लोरोबेंजीन	कि.ग्रा.	10%	-
2904 99 50	---	परा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन	कि.ग्रा.	10%	-
2904 99 60	---	2-नाइट्रोक्लोरोटोलुईन	कि.ग्रा.	10%	-
2904 99 70	---	सोडियम मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन	कि.ग्रा.	10%	-
2904 99 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	- ";

(iv) टैरिफ मद 2910 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2910 50 00	-	एन्ड्रिन (आईएसओ))	कि.ग्रा.	10%	- ";

(v) शीर्ष 2914 में,—

(क) टैरिफ मद 2914 61 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2914 62 00	--	कोएन्जाइम क्यू 10 [(यूबिडेकारेनोन(आईएनएन)]	कि.ग्रा.	10%	- ";

टैरिफ मद	माल का वर्णन		इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(ख) उपशीर्ष 2914 70, टैरिफ मद 2914 70 10 से 2914 70 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	हेलोजनीकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रेटिकृत या नाइट्रोसेटिकृत व्युत्पन्न :			
2914 71 00	--	क्लोरोडेकान (आईएसओ)	कि.ग्रा.	10%	-
2914 79	--	अन्य :			
2914 79 10	---	1-क्लोरो एंथ्राक्विनोन	कि.ग्रा.	10%	-
2914 79 20	---	मस्क किटोन	कि.ग्रा.	10%	-
2914 79 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	- ”;

(vi) टैरिफ मद 2918 16 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘2918 17 00	--	2,2-डाईफिनाइल-2-हाइड्रोक्सीएसिटिक अम्ल (बेंजिलिक अम्ल)	कि.ग्रा.	10%	- ”;

(vii) उपशीर्ष 2920 90, टैरिफ मद 2920 90 10 से 2920 90 44 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	फास्फाइट एस्टर और उनके लवण ; हेलोजनीकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रेटिकृत या नाइट्रोसेटिकृत व्युत्पन्न :			
2920 21 00	--	डाईमिथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	10%	-
2920 22 00	--	डाईइथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	10%	-
2920 23 00	--	ट्राईमिथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	10%	-
2920 24 00	--	ट्राईइथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	10%	-
2920 29	--	अन्य :			
2920 29 10	---	डाईमिथाइल सल्फाइट	कि.ग्रा.	10%	-
2920 29 20	---	डाईइथाइल सल्फाइट	कि.ग्रा.	10%	-
2920 29 30	---	ट्रिस (2,3 डाईब्रोमोप्रोपायल) फास्फेट	कि.ग्रा.	10%	-
2920 29 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
2920 30 00	---	एंडोसल्फेन (आईएसओ)	कि.ग्रा.	10%	- ”;

(viii) उपशीर्ष 2921 19, टैरिफ मद 2921 19 11 से 2921 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2921 12 00	--	2-(एन,एन-डाईमिथाइलएमीनो) इथाइलक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2921 13 00	--	2-(एन,एन-डाईइथाइलएमीनो) इथाइलक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2921 14 00	--	2-(एन,एन-डाईआइसोप्रोपाइलएमीनो) इथाइलक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2921 19	--	अन्य :			
2921 19 10	---	2-क्लोरो एन, एन-डाईआइसोप्रोपाइल एथिलएमीन	कि.ग्रा.	10%	-
2921 19 20	---	2-क्लोरो एन, एन-डाईमिथाइल एथेनामाइन	कि.ग्रा.	10%	-
2921 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	- ”;

(ix) उपशीर्ष 2922 13, टैरिफ मद 2922 12 10 से 2922 12 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2922 12 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
2922 12 00	---	डाईथानोलमिन और अन्य लवण	कि.ग्रा.	10%	- ”;

(x) उपशीर्ष 2922 13, टैरिफ मद 2922 13 10 से 2922 13 90 टैरिफ मद 2922 14 00, उप शीर्ष 2922 19, टैरिफ मद 2922 19 40 से 2922 19 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

2922 14 00	---	डेक्सट्रोप्रोपोक्सीफीन (आइएनएन) और उसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2922 15 00	--	ट्राईएथनोलामीन	कि.ग्रा.	10%	-
2922 16 00	--	डाईएथनोलामोनियम परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2922 17	--	मिथाइलडाईएथनोलामीन और इथाइलडाईएथनोलामीन :			
2922 17 10	---	मिथाइलडाईएथनोलामीन	कि.ग्रा.	10%	-
2922 17 20	---	इथाइलडाईएथनोलामीन	कि.ग्रा.	10%	-
2922 18 00	---	2-(एन,एन-डाईआइसोप्रोपाइलामीनो) इथानोल	कि.ग्रा.	10%	-
2922 19	---	अन्य :			
2922 19 10	---	2-हाइड्रोक्सी एन, एन-डाईआइसोप्रोपाइल इथाइलामीन	कि.ग्रा.	10%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2922 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	- ";

(xi) टैरिफ मद 2923 20 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2923 30 00	-	टेट्राइथाइल अमोनियम परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2923 40 00	-	डाईडिसिल्डीमिथाइलअमोनियम परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	- ";

(xii) टैरिफ मद 2924 24 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2924 25 00	—	अलाक्लोर (आईएसओ)	कि.ग्रा.	10%	- ";

(xiii) टैरिफ मद 2926 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'2926 40 00	-	अल्फा-फिनाइलएसिटोएसिटोनाइट्राइल	कि.ग्रा.	10%	- ";

(xiv) टैरिफ मद 2930 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2930 60 00	-	2-(एन, एन-डाईइथाइलामीनो) एथनेथियोल	कि.ग्रा.	10%	-
2930 70 00	-	बिस (2-हाइड्रोक्सीइथाइल) सल्फाइड (थियोडाईजायलीकोल (आईइनएन)	कि.ग्रा.	10%	-
2930 80 00	—	एल्डीकार्ब (आईएसओ), कैप्टाफोल (आईएसओ) और मेथामिथोफोस (आईएसओ)	कि.ग्रा.	10%	- ";

(xv) टैरिफ मद 2931 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	"-	अन्य कार्बन-गंधक व्युत्पन्न :			
2931 31 00	—	डाईमिथाइल मिथाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 32 00	—	डाईएथाइल प्रोपाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 33 00	—	डाईएथाइल इथाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 34 00	—	सोडियम 3- (ट्राईहाइड्रोक्सीसिलाइल) प्रोपाइल मिथाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 35 00	—	2,4,6-ट्राईप्रोपाइल-1,3,5,2,4,6-ट्राईआक्साट्राईफास्फिनेन 2,4,6-ट्राईआक्साइड	कि.ग्रा.	10%	-
2931 36 00	—	(5-इथाइल-2-मिथाइल-2-आक्सीडो-1,3,2-डाईआक्साफास्फिनेन—5-वाईएल) मिथाइल मिथाइल मिथाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 37 00	—	बिस [(5-इथाइल-2-मिथाइल-2-आक्सीडो-1,3,2-डाईआक्साफास्फिनेन-5-वाईएल) मिथाइल] मिथाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 38 00	—	मिथाइलफास्फोनिक अम्ल के लवण और (अमीनोइमीनोमिथाइल) यूरिया (1:1)	कि.ग्रा.	10%	-
2931 39 00	—	अन्य	कि.ग्रा.	10%	- ";

(xvi) टैरिफ मद 2932 13 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2932 14 00	—	सुक्रालोज	कि.ग्रा.	10%	- ";

(xvii) टैरिफ मद 2933 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2932 92 00	—	अजिनफास-मिथाइल (आईएसओ)	कि.ग्रा.	10%	- ";

(xviii) शीर्ष 2935 में, उपशीर्ष 2935 00, टैरिफ मद 2935 00 11 से 2935 00 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2935		सल्फोनामाइड			
2935 10 00	-	एन-मिथाइलपरफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड	कि.ग्रा.	10%	-
2935 20 00	-	एन-इथाइलपरफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड	कि.ग्रा.	10%	-
2935 30 00	-	एन-इथाइल-एन-(2-हाइड्रोक्सीइथाइल) परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड	कि.ग्रा.	10%	-
2935 40 00	-	एन -(2-हाइड्रोक्सीइथाइल)-एन- मिथाइलपरफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड	कि.ग्रा.	10%	-
2935 50 00	-	अन्य परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड	कि.ग्रा.	10%	-
2935 90	-	अन्य :			
	—	सल्फामिथोक्साजोल, सल्फाफ्यूराजोल, सल्फाडाईजाइन, सल्फाडीमाइडाइन, सल्फासीटामाइड :			
2935 90 11	---	सल्फामिथोक्साजोल	कि.ग्रा.	10%	-
2935 90 12	---	सल्फाफयूराजोल	कि.ग्रा.	10%	-
2935 90 13	---	सल्फाडाइजाइन	कि.ग्रा.	10%	-
2935 90 14	---	सल्फाडीसाइडाइन	कि.ग्रा.	10%	-
2935 90 15	---	सल्फासीटामाइड	कि.ग्रा.	10%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	--	सल्फामिथोक्साइपीरीडारीन, सल्फामिथाइक्जोल, सल्फामोक्जोल, सल्फामाइड :			
2935 90 21	---	सल्फामिथोक्साइपीडारीन	कि.ग्रा.	10%	-
2935 90 22	---	सल्फामिथाइयाजोल	कि.ग्रा.	10%	-
2935 90 23	---	सल्फामोक्सोल	कि.ग्रा.	10%	-
2935 90 24	---	सल्फामाइड	कि.ग्रा.	10%	-
2935 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-

(xix) टैरिफ मद 2937 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2937 90 11	----	इपाइनफ्रिन	कि.ग्रा.	10%	10% ";

(xx) टैरिफ मद 2937 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् स्तम्भ (2) में की प्रविष्टि में "वनस्पति" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(xxi) शीर्ष 2939 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2939 ऐलकेलाइड, प्राकृतिक या संश्लेषण द्वारा पुनरुत्पादित और उनके लवण, ईथर, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न";

(xxii) टैरिफ मद 2939 69 00 से 2939 99 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2939 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	अन्य, वनस्पति मूल के :			
2939 71 00	--	कोकीन, एक्गोनाइन, लेवोमेटामफेटामीन, मेटामफेटामीन (आईएनएन), मेटामफेटामीन रेसमेट ; उसके लवण, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	10%	-
2939 79 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
2939 80 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	10%	- ";

(15) अध्याय 30 में,—

(i) टिप्पण 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 3002 13 और 3002 14 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को :

(क) अमिश्रित उत्पाद, शुद्ध उत्पाद, चाहे उनमें अशुद्धियां अंतर्विष्ट हों या नहीं ;

(ख) ऐसे उत्पादों के रूप में माना जाएगा, जो :

(1) ऊपर (क) में उल्लिखित उत्पाद, जो जल में या अन्य विलायकों में घुले हुए हैं ;

(2) ऊपर (क) और (ख) (1) में उल्लिखित उत्पाद, उनके परिरक्षण या परिवहन के लिए आवश्यक संयोजित स्थिरक के साथ मिश्रित किए गए हैं ; और

(3) ऊपर (क), (ख)(1) और (ख) (2) में उल्लिखित उत्पाद किसी अन्य योजक के साथ मिश्रित किए गए हैं।

2. उपशीर्ष 3003 60 और 3004 60 के अंतर्गत अन्य भेषजिक सक्रिय संघटकों के साथ सम्मिलित मौखिक अंतर्ग्रहण के लिए आर्टीमिसिनिन या निम्नलिखित सक्रिय मूल तत्वों में से कोई मूल तत्वों, चाहे वह अन्य भेषजिक सक्रिया संघटकों के साथ सम्मिश्रित है या नहीं : एमोडायाक्विन (आईएनएन); आर्टीलिनिक अम्ल या उसके लवण; आर्टीनिमोल (आईएनएन); आर्टीमोटिल (आईएनएन); आर्टीमेथर (आईएनएन); आर्टीसुनेट (आईएनएन); क्लोरोक्विन (आईएनएन); डाईहाइड्रोआर्टीमिसिनिन (आईएनएन); लुमेफैनट्रिन (आईएनएन); मेफ्लोक्विन (आईएनएन); पाइप्राक्विन (आईएनएन); पाइरीमेथामाइन (आईएनएन) या सल्फोडाक्सिन (आईएनएन) से युक्त औषधि द्रव्य हैं। ";

(ii) उपशीर्ष 3002 10 टैरिफ मद 3002 10 11 से 3002 10 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	प्रतिसीरम, अन्य रक्त प्रभाज और प्रतिरक्षात्मक उत्पाद चाहे वे रूपांतरित हैं या नहीं या उन्हें जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया हो या नहीं :			
3002 11 00	---	मलेरिया नैदानिक परीक्षण किट	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 12	---	प्रतिसीरम और अन्य रक्त प्रभाज :			
3002 12 10	---	डिफ्थीरिया के लिए	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 12 20	---	टिटनस के लिए	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 12 30	---	रेबीज के लिए	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 12 40	---	सांप के जहर के लिए	कि.ग्रा.	10%	10%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
3002 12 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 13	--	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, जो मिश्रित नहीं हैं किंतु जो मापित मात्राओं में या रूपों में या पैकिंगों में फुटकर विक्रय के लिए नहीं रखे गए हैं	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 13 10	--	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद मिश्रित किए गए हैं, किंतु जो मापित मात्राओं में या रूपों में या पैकिंगों में फुटकर विक्रय के लिए नहीं रखे गए हैं	कि.ग्रा.	10%	10%
3003 14	--	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, जो मिश्रित है किंतु जो मापित मात्राओं में या रूपों में या पैकिंगों में फुटकर विक्रय के लिए नहीं रखे गए हैं :			
3002 14 10	---	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, जो मिश्रित है किंतु जो मापित मात्राओं में या रुपों में या पैकिंगों में फुटकर विक्रय के लिए नहीं रखे गए हैं :	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 15 00	---	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, जो मापित मात्राओं में या रूपों में या पैकिंगों में फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हैं	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 19 00	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%";

(iii) टैरिफ मद 3003 20 00 से टैरिफ मद 3003 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'3003 20 00	-	अन्य, जिसमें प्रतिजैविकी हैं	कि.ग्रा.	10%	10%
	-	अन्य, जिसमें शीर्ष 2937 के होरमोन्स या अन्य उत्पाद हैं :			
3003 31 00	--	जिसमें इन्सुलिन है	कि.ग्रा.	10%	10%
3003 39 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%
	-	अन्य, जिसमें ऐलकेलाइड या उनके व्युत्पन्न हैं :			
3003 41 00	---	जिसमें एफेड्रिन या उसके लवण हैं	कि.ग्रा.	10%	10%
3003 42 00	---	जिसमें सुडोदोफेड्रिन (आई.एन.एन.) या उसके लवण हैं	कि.ग्रा.	10%	10%
3003 43 00	---	जिसमें नोरेफड्रिन या उसके लवण हैं	कि.ग्रा.	10%	10%
3003 49 00	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%
3003 60 00	---	अन्य, जिसमें इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 2 में वर्णित मलेरियारोधी सक्रिय सिद्धांत है	कि.ग्रा.	10%	10%";

(iv) शीर्ष 3004 में,—

(क) उपशीर्ष 3004 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3004 20 — अन्य, जिसमें प्रतिजैविकी हैं :';

(ख) टैरिफ मद 3004 20 99, उपशीर्ष 3004 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3004 20 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%
	-	अन्य, जिसमें शीर्ष 2937 के होरमोन्स या अन्य उत्पाद हैं :			
3004 31	—	जिसमें इन्सुलिन है :";			

(ग) उपशीर्ष 3004 40, टैरिफ मद 3004 40 10 से टैरिफ मद 3004 40 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	अन्य, जिसमें ऐलकेलाइड या उनके व्युत्पन्न हैं :			
3004 41 00	--	जिसमें एफेड्रिन या उसके लवण हैं	कि.ग्रा.	10%	10%
3004 42 00	--	जिसमें सुप्रेदोफेड्रिन (आई.एन.एन.) या उसके लवण हैं	कि.ग्रा.	10%	10%
3004 43 00	--	जिसमें नोरेफड्रिन या उसके लवण हैं	कि.ग्रा.	10%	10%
3004 49	—	अन्य			
3004 49 10	---	ऐट्रोपीन और उसके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
3004 49 20	---	कैफीन और उसके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
3004 49 30	---	कोडीन और उनके व्युत्पन्न, एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड सहित या रहित	कि.ग्रा.	10%	10%
3004 49 40	---	अरगॉट के उत्पाद, इरगोटेमाइन और उसके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
3004 49 50	---	पपैवरीन हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	10%
3004 49 60	---	ब्रोमोहेक्सीन और सोलब्यूटामोल	कि.ग्रा.	10%	10%
3004 49 70	---	थियोफिलीन और एफेड्रीन	कि.ग्रा.	10%	10%
3004 49 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%";

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(घ) उपशीर्ष 3004 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'3004 50	-	अन्य, जिसमें शीर्ष 2936 के विटामिन और अन्य उत्पाद हैं :";			

(ङ) टैरिफ मद 3004 50 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'3004 60 00	-	अन्य, जिसमें इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 2 में वर्णित मलेरियारोधी सक्रिय सिद्धांत है	कि.ग्रा.	10%	10%";

(16) अध्याय 31 के शीर्ष 3103 में, टैरिफ मद 3103 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	सुपरफास्फेट्स :			
3103 11 00	--	जिसमें भार द्वारा 35% या अधिक डाइफास्फोरस पेन्टाआक्साइड (P_2O_5) है	कि.ग्रा.	10%	-
3103 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(17) अध्याय 37 के शीर्ष 3705 में, टैरिफ मद 3705 10 00, उपशीर्ष 3705 90, टैरिफ मद 3705 90 10, टैरिफ मद 3705 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3705 00 00	-	फोटोचित्र प्लेटें और फिल्म, उद्भाषित और डेवेलप की गई, चलचित्रीय फिल्म से भिन्न	कि.ग्रा.	10%	-";

(18) अध्याय 38 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 1 और उपशीर्ष टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 3808 52 और उपशीर्ष 3808 59 के अंतर्गत केवल शीर्ष 3808 के माल हैं, जिनके अंतर्गत एक या अधिक निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैं : एलाक्लोर (आईएसओ); एल्डीकार्ब (आईएसओ); एल्ड्रिन (आईएसओ); एजिनफास-मिथाइल (आईएसओ); बाइनापैक्राइल (आईएसओ); कैम्फेक्लोर (आईएसओ) (टोक्साफेन); कैप्टाफोल (आईएसओ); क्लोडेन (आईएसओ); क्लोरडाइमेफार्म (आईएसओ); क्लोरोबेन्जिलेट (आईएसओ); डी.डी.टी. (आईएसओ); क्लोफेनोटेन (आई.एन.एन.), 1,1,1-ट्राईक्लोरो-2-2-बिस (पी-क्लोरोफेनाइल) ईथेन; डाइएल्ड्रिन (आईएसओ, आई.एन.एन.), 4,6-डाइनाइट्रो-ओ-क्रेसोल (डी.एन.ओ.सी. (आईएसओ) या उसके लवण, डाइनोसेब (आईएसओ), उसके लवण या उसके एस्टर ; एन्डोसल्फेन (आईएसओ) ; एथिलीन डाईब्रोमाइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डाईब्रोमोएथेन); एथिलीन डाईक्लोराइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डाईक्लोरोएथेन); फ्लूरोएसीटामाइड (आई.एस.ओ.); हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आई.एस.ओ.); 1,2,3,4,5,6- हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन [एच.सी.एच.] (आई.एस.ओ.) लिन्डेन (आई.एस.ओ., आई.एन.एन.) सहित, मर्करी यौगिक; मेथामिडोफेस (आई.एस.ओ.); मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.); आक्सीरैन (एथिलीन आक्साइड); पैराथियन (आई.एस.ओ.); पैराथियनमिथाइल (आई.एस.ओ.); (मिथाइल-पैराथियन); पेंटा और ओक्टाब्रोमोडाईफिनाइल ईथर्स; पेंटाक्लोरोफीनोल (आई.एस.ओ.) उसके लवण या उसके एस्टर ; परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल और उसके लवण ; परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड्स; परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनाइड फ्लूराइड; फास्फामिडान (आई.एस.ओ.) ; 2,4,5-टी (आई.एस.ओ.) (2,4,5-ट्राईक्लोरो-फेनौक्सीएसेटिक अम्ल), उसके लवण और उसके एस्टर; ट्राईबुटाइलिटिन यौगिक। शीर्ष 3808.59 के अंतर्गत चूर्णयोग्य पाउडर विनिर्मितियां, जिनके अंतर्गत बेनोमाइल (आई.एस.ओ.), कार्बोफुरान (आई.एस.ओ.) और थिराम (आई.एस.ओ.) का मिश्रण भी है।

2. उपशीर्ष 3808 61 से उपशीर्ष 3808 69 के अंतर्गत केवल शीर्ष 38 08 के माल हैं, जिनके अंतर्गत अल्फासाइपरमेथरिन (आई.एस.ओ.), बेंडियोकार्ब (आई.एस.ओ.), बिफेंथ्रिन (आई.एस.ओ.), क्लोफेनापाइल (आई.एस.ओ.), साइफ्लूथ्रिन (आई.एस.ओ.), बेटामिथ्रिन (आई.एन.एन. आई.एस.ओ.), इटोफेनप्रोक्स (आई.एन.एन.), फेनीट्रोथियोन (आई.एस.ओ.), लेम्बड़ा-साईहालोथ्रिन (आई.एस.ओ.), मैलाथियोन (आई.एस.ओ.), प्राइमोफोस-मिथाइल (आई.एस.ओ.), या प्रोपोक्सर (आई.एस.ओ.) हैं।

3. उपशीर्ष 3824 81 से उपशीर्ष 3824 88 के अंतर्गत केवल मिश्रण और निम्नलिखित पदार्थों की एक या अधिक निर्मितियां हैं: आक्सीरेन (इथाइलेन आक्साइड) पोलीब्रोमिनेटेड बाईफिनाइल्स (पीबीबी), पोलीक्लोरीनेटेड (पीसीबी), पोलीक्लोरीनेटेड टेरफिनाइल (पीसीटी), ट्रिस (2,3-डाईब्रोमोप्रोपाइल) फास्फेट, एल्ड्रिन (आई.एस.ओ.), कैम्फाक्लोर (आई.एस.ओ.) (टोक्साफेन), क्लोरडेन (आई.एस.ओ.), क्लोरडेकोन (आई.एस.ओ.), डीडीटी (आई.एस.ओ.) (क्लोफेनोटेन (आई.एन.एन), 1,1,1-ट्रोइक्लोरो-2 बिस (क्लोरोफिनाइल) (इथेन), डाइल्ड्रिन (आई.एस.ओ. आई.एन.एन.), एन्डोसल्फान (आई.एस.ओ.), एन्ड्रिन (आई.एस.ओ.), हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.) माइरेक्स (आई.एस.ओ.), 1,2,3,4,5,6-हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (एच.सी.एच. (आई.एस.ओ.), जिसमें लिन्डेन (आई.एस.ओ., आई.एन.एन.) है, पेंटाक्लोरोबेंजीन (आई.एस.ओ.), हेक्साक्लोरोबेंजीन (आई.एस.ओ.), परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल, उसके लवण, परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड फ्लूराइड या टेट्रा-, पेंटा-, हेक्सा-, हेप्टा-या आक्टा-ब्रोमोडाइफिनाइल इथर्स हैं।

4. टैरिफ मद 3825 41 00 और टैरिफ मद 3824 49 00 के प्रयोजन के लिए, 'अपशिष्ट जैविक विलायक' अपशिष्ट हैं जिनमें मुख्यतः जैविक विलायक हैं, जो उस रूप में आगे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है जिसमें मुख्य उत्पादों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, चाहे वह विलायकों की पुनःप्राप्ति के लिए आश्यित है या नहीं।";

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(ii) उपशीर्ष 3808 50, टैरिफ मद 3808 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट माल :			
3808 52 00	--	डीडीटी (आई.एस.ओ.) (क्लोफेनोटेन (आई.एन.एन)), 300 ग्रा. से अनधिक शुद्ध भार के पैकों में	कि.ग्रा.	10%	-
3808 59 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 2 में विनिर्दिष्ट माल :			
3808 61 00	--	300 ग्रा. से अनधिक शुद्ध भार के पैकों में	कि.ग्रा.	10%	-
3808 62 00	--	300 ग्रा. से अधिक, किंतु 7.5 कि.ग्रा. से अनधिक शुद्ध भार के पैकों में	कि.ग्रा.	10%	-
3808 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-”;

(iii) उपशीर्ष 3812 30, टैरिफ मद 3812 30 10 से टैरिफ मद 3812 30 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	रबड़ या प्लास्टिक के लिए आक्सीडाइजिंग प्रतिरोधी विनिर्मितियां और अन्य यौगिक स्थिरक :			
3812 31 00	--	2,2,4- ओलिगोमर-ट्राईमिथाइल-1,2-डीहाईड्रोक्नोलाइन (टी.एम.क्यू.)	कि.ग्रा.	10%	-
3812 39	--	अन्य :			-
3812 39 10	---	प्रतिआक्सीकृत रोधक रबड़ के लिए,	कि.ग्रा.	10%	-
3812 39 20	---	रबड़ के लिए मृदुलक	कि.ग्रा.	10%	-
3812 39 30	---	रबड़ वल्कनीकारक कर्मक	कि.ग्रा.	10%	-
3812 39 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10’;	-”;

(iv) टैरिफ मद 3824 79 00 से टैरिफ मद 3824 83 00, उपशीर्ष 3824 90, टैरिफ मद 3824 90 11 से टैरिफ मद 3824 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘3824 79 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	इस अध्याय के उपशीर्ष 3 में विनिर्दिष्ट माल :			
3824 81 00	--	जिसमें आक्सीरेन (इथाइलेन आक्साइड) है	कि.ग्रा.	10%	-
3824 82 00	--	जिसमें पोलीक्लोरीनेटेड बाईफिनाइल्स (पीसीबी), पोलीक्लोरीनेटेड टेरफिनाइल (पीसीटी) या पोलीब्रोमिनेटेड बाईफिनाइल्स (पीबीबी) हैं	कि.ग्रा.	10%	-
3824 83 00	--	जिसमें ट्रिस (2,3-डाईब्रोमोप्रोपाइल) फास्फेट है	कि.ग्रा.	10%	-
3824 84 00	--	जिसमें एल्ड्रिन (आई.एस.ओ.), कैम्फाक्लोर (आई.एस.ओ.) (टोक्साफेन), क्लोरडेन (आई.एस.ओ.), क्लोरडेकोन (आई.एस.ओ.), डीडीटी (आई.एस.ओ.) (क्लोफेनोटेन (आई.एन.एन), 1,1,1-ट्रोइक्लोरो-2, 2-बिस (क्लोरोफिनाइल) इथेन, डाइल्ड्रिन (आई.एस.ओ. आई.एन.एन.), एन्डोसल्फान (आई.एस.ओ.), एन्ड्रिन (आई.एस.ओ.), हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.) या माइरेक्स (आई.एस.ओ.) हैं	कि.ग्रा.	10%	-
3824 85 00	--	जिसमें लिन्डेन (आई.एस.ओ., आई.एन.एन.) सहित 1,2,3,4,5,6-हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (एच.सी.एच. (आई.एस.ओ.)) है,	कि.ग्रा.	10%	-
3824 86 00	--	जिसमें पेंटाक्लोरोबेंजीन (आई.एस.ओ.) या हेक्साक्लोरोबेंजीन (आई.एस.ओ.) है	कि.ग्रा.	10%	-
3824 87 00	--	जिसमें परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल, उसके लवण, परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड या परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनाइल फ्लूराइड हैं	कि.ग्रा.	10%	-
3824 88 00	--	जिसमें टेट्रा-, पेंटा-, हेक्सा-, हेप्टा-या आक्टाब्रोमोडाइफिनाइल इथर्स हैं	कि.ग्रा.	10%	-
3824 91 00	--	जिसमें मुख्यतः (5-ईथाइल-2-मिथाइल-आक्साइडो-1,3,2-डाइआक्साफोस्फिनानन-5-इल) मिथाइल मिथाइल मिथाइलफास्फोनेट और बिस [(5) -ईथाइल-2-मिथाइल-आक्साइडो-1,3,2-डाइआक्साफोस्फिनानन-5-इल) मिथाइल) मिथाइल] मिथाइलफास्फोनेट के मिश्रण और विनिर्मितियां हैं			
3824 99	--	अन्य			

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	---- अमोनियामय गैस लिकर और भुक्तशेष ऑक्साइड जो कोयला गैस निर्मलीकरण में उत्पन्न होता है। पृष्ठदृढ़ीकरण यौगिक, ऊष्मा स्थानांतरण लवण ; डाइफिनायल और डाइफिनायल ऑक्साइड का ऊष्मा स्थानांतरण माध्यम के रूप में मिश्रण, मिश्रित पोली एथलीन ग्लाइकोल; संसाधन या लवणीकरण के लिए लवण पृष्ठ तनाव उपचायक है :			
3824 99 11	---- अमोनियामय गैस लिकर और भुक्तशेष ऑक्साइड जो कोयला गैस निर्मलीकरण में उत्पन्न होता है	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 12	---- पृष्ठदृढ़ीकरण यौगिक	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 13	---- ऊष्मा स्थानांतरण लवण	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 14	---- डाइफिनायल और डाइफिनायल ऑक्साइड का ऊष्मा स्थानांतरण माध्यम के रूप में मिश्रण	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 15	---- मिश्रित पोली एथलीन ग्लाइकोल	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 16	---- संसाधन या लवणीकरण के लिए लवण	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 17	---- पृष्ठ तनाव उपचायक	कि.ग्रा.	10%	-
	--- विद्युत लेपन लवण; जल उपचार रसायन ; आयन विनियामक; संशोधक द्रव्य ; अवक्षेपित सिलिका और सिलिका जैल तेलकूप रसायन :			-
3824 99 21	---- विद्युत लेपन लवण	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 22	---- जल उपचार रसायन, आयन विनियामक (आई एन एन) उदाहरणतया परम्यूटिस, जियोलाइट्स	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 23	---- ग्रामोफोन रिकार्ड बनाने की सामग्री	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 24	---- संशोधक द्रव्य	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 25	---- अवक्षेपित सिलिका और सिलिका जैल	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 26	---- तेलकूप रसायन	कि.ग्रा.	10%	-
	--- क्लोरीन और फ्लोरीन से भिन्न दो या अधिक भिन्न हेलोजन वाला मिश्रण, जिसमें एक्रेलिक हाईड्रोकार्बनों के परहेलोजेनेटिड व्युत्पन्न अंतर्विष्ट हैं, फेराइड पाउडर; संधारित्र द्रव्य-पी सी बी टाइप; अंगूरों के लिए उपचार के लिए निमज्जी तेल ; बहु ब्रीमिनित बाइफिनायल, बहुक्लोरीनित बाइफिनायल, बहुक्लोरीनित टेरफिनायल, क्रोसीडोलाइट 'संकटमय अपशिष्ट' के रूप में ज्ञात प्रकार का माल; फोसफोजिप्सम :			
3824 99 31	---- क्लोरीन और फ्लोरीन से भिन्न दो या अधिक भिन्न हेलोजन वाला मिश्रण, जिसमें एक्रेलिक हाईड्रोकार्बनों के परहेलोजेनेटिड व्युत्पन्न अंतर्विष्ट हैं,	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 32	---- फेराइड पाउडर	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 33	---- संधारित्र द्रव्य-पी सी बी टाइप	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 34	---- अंगूरों के उपचार के लिए निमज्जी तेल	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 35	---- बहु ब्रीमिनित बाइफिनायल, बहुक्लोरीनित बाइफिनायल, बहुक्लोरीनित टेरफिनायल, क्रोसीडोलाइट	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 36	---- "संकटमय अपशिष्ट" के रूप में ज्ञात प्रकार का माल	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 37	---- फोसफोजिप्सम	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 38	---- फोसफोनिक अम्ल, (अमीनोमिनो मिथाइल) यूरिया के साथ मिथाइल-मिश्रण (1 : 1)	कि.ग्रा.	10%	-
3824 99 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(19) अध्याय 39 में,—

(i) टिप्पण 2 के खंड (य) में, "प्रेपेलिंग पेंसिलें" शब्दों के पश्चात् "और मोनोपोड, बाईपोड या ट्राईपोड और वैसी ही वस्तुएं" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 1 में, खंड (क) में उपखंड (2) में, "39130" अंकों के पश्चात् "39140" अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

टैरिफ मद	माल का वर्णन		इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(iii) शीर्ष 3901 में, टैरिफ मद 3901 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3901 40 00	-	ऐसे एथिलीन-एल्फा-ओलेफीन-सह-बहुलक, जिनका विनिर्दिष्ट गुरुत्व 0.94 से कम है	कि.ग्रा.	10%	-";

(iv) शीर्ष 3901 में, उपशीर्ष 3907 60, टैरिफ मद 3907 60 10 से टैरिफ मद 3907 60 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	पोली (एथिलीन टेरेफाथालेट) :			
3907 61 00	--	जिनकी 78 मि.ली./ग्रा. या उच्चतर श्यानता संख्या है	कि.ग्रा.	10%	-
3907 69	--	अन्य			
3907 69 10	---	जिनकी 78 मि.ली./ग्रा. से कम, किंतु 72 मि.ली./ग्रा. से अन्यून श्यानता संख्या है	कि.ग्रा.	10%	-
3907 69 20	---	जिनकी 72 मि.ली./ग्रा. से कम, किंतु 64 मि.ली./ग्रा. से अन्यून श्यानता संख्या है	कि.ग्रा.	10%	-
3907 69 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(v) उपशीर्ष 3909 30, टैरिफ मद 3909 30 10 से टैरिफ मद 3909 30 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	अन्य एमिनोरेजिन :			
3909 31 00	--	पॉली (मिथाइलीन फिनाइल आइसोसाइनेट) (कच्चा एम.डी.आई., पॉलीमेरिक एम.डी.आई.)	कि.ग्रा.	10%	-
3909 39	--	अन्य :			
3909 39 10	---	पॉली (फिनाइलेन आक्साइड)	कि.ग्रा.	10%	-
3909 39 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(20) अध्याय 40 के शीर्ष 4011 में, टैरिफ मद 4011 50 90 से टैरिफ मद 4011 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4011 50 90	--	अन्य	इ.	10%	-
4011 70 00	---	इस प्रकार के, जिनका उपयोग कृषि या वानिकी यानों और मशीनों में किया जाता है			
4011 80 00	---	इस प्रकार के, जिनका उपयोग सन्निर्माण, खनन या औद्योगिक उठाई धराई यानों और मशीनों में किया जाता है	इ.	10%	-
4011 90 00	---	अन्य	इ.	10%	-";

(21) अध्याय 42 में,—

(i) शीर्ष 4202 में,—

(क) उपशीर्ष 4202 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 22 -- प्लास्टिक की या टेक्सटाइल सामग्रियों की चादर के बाह्य पृष्ठ सहित :";

(ख) उपशीर्ष 4202 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 32 -- प्लास्टिक की या टेक्सटाइल सामग्रियों की चादर के बाह्य पृष्ठ सहित :';

(ग) उपशीर्ष 4202 में, टैरिफ मद 4202 92 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 92 00	--	प्लास्टिक की या टेक्सटाइल सामग्रियों की चादर के बाह्य पृष्ठ सहितः	इ.	10%	-";

(22) अध्याय 44 में,—

(i) टिप्पण 1 में, खंड (थ) में "पैंसिल" शब्द के स्थान पर "पैंसिल और मोनोपोड, बाइपोड, ट्राईपोड और वैसी ही वस्तुएं;" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(iii) शीर्ष 4401 में,—

(क) उपशीर्ष 4401 10, टैरिफ मद 4401 10 10, टैरिफ मद 4401 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	ईंधन काष्ठ, जो लठ्ठा, विलेट, टहनी, फैगाट या वैसी ही रूपों में है :			
4401 11	--	शंकुधारी :			
4401 11 10	---	लठ्ठों में	मी0ट0	5%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
4401 11 90	--	अन्य	मी0ट0	5%	-
4401 12	--	अशंकुधारी :			
4401 12 10	---	लठ्ठों में	मी0ट0	5%	-
4401 12 90	---	अन्य	मी0ट0	5%	-";

(ख) टैरिफ मद 4401 22 00, टैरिफ मद 4401 31 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4401 22 00	--	अशंकुधारी	मी0ट0	5%	-
	-	बुरादा और काष्ठ अपशिष्ट और स्क्रैप, चाहे लठ्ठों, अष्टिकाओं, गुटिकाओं, पैलेटों या जो वैसे ही रूपों में संपीड़ित है :			
4401 31 00	--	काष्ठ पैलेट	मी0ट0	5%	-";

(ग) टैरिफ मद 4401 39 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4401 40 00	-	बुरादा और काष्ठ अपशिष्ट और स्क्रैप, जो संपीड़ित नहीं है :	मी0ट0	5%	-";

(v) शीर्ष 4403 में,—

(क) टैरिफ मद 4403 10 00, उपशीर्ष 4403 20 और टैरिफ मद 4403 20 10 से टैरिफ मद 4403 41 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	पैंट, स्टैन क्रिओसोओ या अन्य परिरक्षकों से उपचारित :			
4403 11 00	---	शंकुधारी	घ0मी0	5%	-
4403 12 00	---	अशंकुधारी	घ0मी0	5%	-
	-	अन्य शंकुधारी :			
4403 21	--	चीड़ का (पाइनस एसपीपी), जिसकी कोई तिरछी विच्छेदक विमाएं 15 से.मी. या अधिक हैं ;			
4403 21 10	---	सालाग और विनिरलाग	घ0मी0	5%	-
4403 21 20	---	पोल्स, पिलिंग और पोस्ट	घ0मी0	5%	-
4403 21 90	---	अन्य	घ0मी0	5%	-
4403 22	--	चीड़ का (पाइनस एसपीपी), अन्य			
4403 22 10	---	सालाग और विनिरलाग	घ0मी0	5%	-
4403 22 20	---	पोल्स, पिलिंग और पोस्ट	घ0मी0	5%	-
4403 22 90	---	अन्य	घ0मी0	5%	-
4403 23	--	फीर का (ऐबीस एसपीपी) और स्प्रूस (पाइसिया एसपीपी), जिसकी कोई तिरछी विच्छेदक विमाएं 15 से.मी. या अधिक है :			
4403 23 10	---	सालाग और विनिरलाग	घ0मी0	5%	-
4403 23 20	---	पोल्स, पिलिंग और पोस्ट	घ0मी0	5%	-
4403 23 90	---	अन्य	घ0मी0	5%	-
4403 24	--	फीर का (ऐबीस एसपीपी) और स्प्रूस (पाइसिया एसपीपी), अन्य :			
4403 24 10	---	सालाग और विनिरलाग	घ0मी0	5%	-
4403 24 20	---	पोल्स, पिलिंग और पोस्ट	घ0मी0	5%	-
4403 24 90	---	अन्य	घ0मी0	5%	-
4403 25	--	अन्य, जिसकी कोई तिरछी विच्छेदक विमाएं 15 से.मी. या अधिक हैं :			
4403 25 10	---	सालाग और विनिरलाग	घ0मी0	5%	-
4403 25 20	---	पोल्स, पिलिंग और पोस्ट	घ0मी0	5%	-
4403 25 90	---	अन्य	घ0मी0	5%	-
4403 26	--	अन्य :			
4403 26 10	---	सालाग और विनिरलाग	घ0मी0	5%	-
4403 26 20	---	पोल्स, पिलिंग और पोस्ट	घ0मी0	5%	-
4403 26 90	---	अन्य	घ0मी0	5%	-
	-	अन्य, उष्ण कटिबंधी काष्ठ का			
4403 41 00	---	गहरे लाल रंग के मेरांटी, हल्के लाल रंग के मेरांटी और मेरांटी बकाऊ	घ0मी0	5%	-";

(ख) टैरिफ मद 4403 92 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
“4403 93 00	---	बीछ का (फगस एसपीपी), जिसकी कोई तिरछी विच्छेदक विमाएं 15 से.मी. या अधिक है	घ0मी0	5%	-
4403 94 00	---	बीछ का (फगस एसपीपी), अन्य	घ0मी0	5%	-
4403 95 00	---	बिर्च का (बिटुला एसपीपी), जिसकी कोई तिरछी विच्छेदक विमाएं 15 से.मी. या अधिक है	घ0मी0	5%	-
4403 96 00	---	बिर्च का (बिटुला एसपीपी), अन्य	घ0मी0	5%	-
4403 97 00	---	पोपलर और एस्पैन का (पोपुलस एसपीपी)	घ0मी0	5%	-
4403 98 00	---	यूकेलिप्टस (यूकेलिप्टस एसपीपी)	घ0मी0	5%	-”;

(ग) टैरिफ मद 4403 99 19 से टैरिफ मद 4403 99 21 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4403 99 19	----	रोज काष्ठ (डैलबरजिया लतिफोयस)	घ0मी0	5%	-
	--	साल (कारिआ रोबुस्ता) चन्दन काष्ठ (संतालुम अलबर) सेमुल (बसमबेक्स सिबा) अखरोट काष्ठ (जुगलन्स बिनाटा) अंजम (हार्डविकिया बिनाटा) सीसम (डैलबिर्जिया सीसम) और सफेद देवदार (डायसोजिलम) :			
4403 99 21	----	साल (कारिआ रोबुस्ता)	घ0मी0	5%	-”;

(घ) टैरिफ मद 4403 99 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) टैरिफ मद 4403 99 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4403 99 90	---	अन्य	घ0मी0	5%	-”;

(iv) शीर्ष 4406 में, टैरिफ मद 4406 10 00, टैरिफ मद 4406 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	असंपीड़ित :			
4406 11 00	--	शंकुधारी	कि0ग्रा0	10%	-
4406 12 00	--	अशंकुधारी	कि0ग्रा0	10%	-
	-	अन्य :			
4406 91 00	--	शंकुधारी	कि0ग्रा0	10%	-
4406 92 00	--	अशंकुधारी	कि0ग्रा0	10%	-”;

(vii) शीर्ष 4407 में,—

(क) उपशीर्ष 4407 10, टैरिफ मद 4407 10 10 से टैरिफ मद 4407 21 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	शंकुधारी			
4407 11 00	--	चीड़ का (पाइनस एसपीपी)	घ0मी0	10%	-
4407 19 00	--	फीर का (ऐबीस एसपीपी) और स्प्रूस (पाइसिया एसपीपी)	घ0मी0	10%	-
4407 19	---	अन्य			
4407 19 10	---	डॉगलस फीर (स्यूडोटसगा मैनजिसी)	घ0मी0	10%	-
4407 19 90	---	अन्य	घ0मी0	10%	-
	-	ऊष्ण कटिबंधीय काष्ठ :			
4407 21 00	---	महोगनी (स्वेटेनिया एसपीपी)	घ0मी0	10%	-”;

(ख) टैरिफ मद 4407 95 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4407 96 00	---	बिर्च का (बेटुला एसपीपी)	घ0मी0	10%	-
4407 97 00	---	पोपलर और एस्पैन का (पोपुलस एसपीपी)	घ0मी0	10%	-”;

(ग) टैरिफ मद 4407 99 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(vii) शीर्ष 4408 में,—

(क) टैरिफ मद 4408 10 90 से उपशीर्ष 4408 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4408 10 90	----	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
	-	ऊष्ण कटिबंधीय काष्ठ :			
4408 31	--	गहरे लाल रंग के मेरांटी, हल्के लाल रंग के मेरांटी, मेरांटी बकाऊ : ’;			

(ख) टैरिफ मद 4409 21 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4409 22 00	--	ऊष्ण कटिबंधीय काष्ठ का :	कि0ग्रा0	10%	-”;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ix) शीर्ष 4412 में,—

(क) उपशीर्ष 4412 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4412 31	–	ऊष्ण कटिबंधीय काष्ठ की कम से कम एक बाह्य प्लाई के साथ ”;			

(ख) उपशीर्ष 4412 32, टैरिफ मद 4412 32 10 से टैरिफ मद 4412 32 90, उपशीर्ष 4412 39, टैरिफ मद 4412 39 10 से टैरिफ मद 4412 39 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4412 33	--	अन्य, एल्डर (एलनस एसपीपी), एस (फ्रेक्सीनस एसपीपी), बीच (फैगस एसपीपी), बिर्च (बैटुला एसपीपी), चैरी (प्रुनस एसपीपी), चेस्टनेट (केस्टेनिया एसपीपी), एल्म (उल्मस एसपीपी), युकेलिप्टस (युकेलिप्टस एसपीपी), हिकोरी (कार्या एसपीपी), होर्स चेस्टनेट (एसकुलस एसपीपी), लाइम (टिलिया एसपीपी), मेपल (ऐसर एसपीपी), ऑक (क्यूरकर एसपीपी), प्लेन वृक्ष (पलैटेनस एसपीपी), पोपलर और एस्पन (पोपसल एसपीपी), रोबिना (रोबिना एसपीपी), टुलिपवुड (लिरोडेनड्रोन एसपीपी), या वालनट (जगलान एसपीपी) प्रजातिओं की अंशकुधारी काष्ठ की कम से कम एक बाह्य प्लाई के साथ,			
4412 33 10	---	सजावटी प्लाईवुड	घ0मी0	10%	-
4412 33 20	---	टी चेस्ट पैनल, शूकस, चाहे सेटों में पैक किए गए हों या नहीं	घ0मी0	10%	-
4412 33 30	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाईवुड	घ0मी0	10%	-
4412 33 40	---	ऐसे प्लाईवुड की कटाई और छंटाई, जिसकी चौड़ाई 5 सें0मी0 से अधिक नहीं है	घ0मी0	10%	-
4412 33 90	---	अन्य	घ0मी0	10%	-
4412 34	--	अन्य, उपशीर्ष 4412 33 के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अशंकुधारी काष्ठ की कम से कम एक बाह्य प्लाई के साथ :			
4412 34 10	---	सजावटी प्लाईवुड	घ0मी0	10%	-
4412 34 20	---	टी चेस्ट पैनल, शूकस, चाहे सेटों में पैक किए गए हों या नहीं	घ0मी0	10%	-
4412 34 30	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाईवुड	घ0मी0	10%	-
4412 34 40	---	ऐसे प्लाईवुड की कटाई और छंटाई, जिसकी चौड़ाई 5 सें0मी0 से अधिक नहीं है	घ0मी0	10%	-
4412 34 90	---	अन्य	घ0मी0	10%	-
4412 39	--	अन्य, अशंकुधारी काष्ठ की दोनों बाह्य प्लाइओं के साथ :			
4412 39 10	---	सजावटी प्लाईवुड	घ0मी0	10%	-
4412 39 20	---	टी चेस्ट पैनल, शूकस, चाहे सेटों में पैक किए गए हों या नहीं	घ0मी0	10%	-
4412 39 30	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाईवुड	घ0मी0	10%	-
4412 39 40	---	ऐसे प्लाईवुड की कटाई और छंटाई, जिसकी चौड़ाई 5 सें0मी0 से अधिक नहीं है	घ0मी0	10%	-
4412 39 90	---	अन्य	घ0मी0	10%	-”;

(x) शीर्ष 4418 में, टैरिफ मद 4418 71 00 से टैरिफ मद 4418 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4418 73 00	--	बांस या कम से कम बांस की ऊपरी परत के साथ (वीयर परत) ;	कि0ग्रा0	10%	-
4418 74 00	--	अन्य, मोजाइक फर्श के लिए			
4418 75 00	--	अन्य, बहुपर्त वाली	कि0ग्रा0	10%	-
4418 79 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
	-	अन्य			
4418 91 00	--	बांस के	कि0ग्रा0	10%	
4418 99 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-”;

(xi) शीर्ष 4419, उपशीर्ष 4419 00, टैरिफ मद 4419 00 10, टैरिफ मद 4419 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4419		काष्ठ के खाने-पीने के बर्तन और रसोई के सामान			

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- बांस के :			
4419 11 00	-- ब्रेड बोर्ड, चोपिंग बोर्ड और वैसे ही बोर्ड	कि0ग्रा0	10%	-
4419 12 00	-- चोपस्टिक	कि0ग्रा0	10%	-
4419 19	--- अन्य :			
4419 19 90	--- अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
4419 19 10	--- ब्रेड बोर्ड, चोपिंग बोर्ड और वैसे ही बोर्ड	कि0ग्रा0	10%	-
4419 19 20	--- चोपस्टिक	कि0ग्रा0	10%	-
4419 90 90	- अन्य	कि0ग्रा0	10%	-

(xii) शीर्ष 4421, उपशीर्ष 4421 90, टैरिफ मद 4421 90 11 से टैरिफ मद 4421 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- अन्य :			
4421 91	--- बांस के :	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99 14	--- अन्य मशीन के लिए	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99 19	--- अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
4421 91 20	--- माचिस की तिल्लियां	कि0ग्रा0	10%	-
4421 91 30	--- पैंसिल स्लेट	कि0ग्रा0	10%	-
4421 91 40	--- मशीन के लिए घुमावदार काष्ठ की चरखी, कुकड़ी, फिरकी, सिलाई के धागे की रील और वैसे ही :	कि0ग्रा0	10%	-
4421 91 90	---- अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99	-- अन्य :			
	--- घुमावदार काष्ठ की चरखी, कुकड़ी, फिरकी, सिलाई के धागे की रील और वैसे ही :			
4421 99 11	---- सूत की मशीन के लिए	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99 12	---- जूट की मशीन के लिए	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99 13	---- रेशम पुनरुज्जीवित और सिंथेटिक फाइबर मशीन के लिए	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99 14	---- अन्य मशीन के लिए	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99 20	--- काष्ठ से तैयार ब्लाक	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99 30	--- माचिस की तिल्लियां	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99 40	--- पैंसिल स्लेट	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99 50	--- काष्ठ के भाग, अर्थात् पोत, नाव और अन्य ऐसी ही तैरने वाली संरचना के लिए डांड, पैडल और पतवार	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99 60	--- खाने-पीने के बर्तन और रसोई के बर्तन के रूप में प्रयुक्त होने वाली घरेलू सजावटी वस्तुएं	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99 70	--- संघनित काष्ठ की वस्तुएं, जो अन्यत्र सम्मिलित या विनिर्दिष्ट नहीं हैं	कि0ग्रा0	10%	-
4421 99 90	--- अन्य	कि0ग्रा0	10%	-";

(23) अध्याय 48 में, टिप्पण 4 में, "65 ग्राम/मी. से अधिक" अंकों, शब्दों और अक्षरों के पश्चात्, "और केवल ऐसे कागज को ही, जो (क) 28 से0मी0 से अधिक चौड़ाई की पट्टियों या रोलों में है ; या (ख) आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्ग भी है) शीटों में है, जिसका एक पार्श्व बिना तह लगी स्थिति में 28 से0मी0 से अधिक और दूसरा 15 से0मी0 से अधिक है, लागू होगा।" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) टिप्पण 8 में "4801 और" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(24) अध्याय 54 में,—

(i) शीर्ष 5402, शीर्ष 5402 के सामने प्रविष्टि के पश्चात स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- नायलोन या अन्य पालीएमाइड का उच्च लगिष्णुता सूत, चाहे संव्यूतित है या नहीं";

(ii) उपशीर्ष 5402 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5402 20 -- पालीएमाइड का उच्च लगिष्णुता सूत, चाहे संव्यूतित है या नहीं";

टैरिफ मद	माल का वर्णन		इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(iii) टैरिफ मद 5402 52 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5402 53 00	––	पॉलिप्रापायलीन का	कि0ग्रा0	10%	-";

(iv) टैरिफ मद 5402 62 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5402 63 00	--	पॉलिप्रापायलीन का	कि0ग्रा0	10%	-";

(25) अध्याय 55 में,—

(i) शीर्ष 5502, उपशीर्ष 5502 00, टैरिफ मद 5502 10 00, टैरिफ मद 5502 20 00, टैरिफ मद 5502 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5502		कृत्रिम फिलामेंट टो			
5502 10	--	सैलूलोज एसिटेट के	कि0ग्रा0	10%	-
5502 10 10	--	विस्कोस रेयान टो	कि0ग्रा0	10%	-
5502 90	--	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-
5502 10 90	--	अन्य			
5502 90 10	---	विस्कोस रेयॉन टो	कि0ग्रा0	10%	-
5502 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	10%	-";

(ii) टैरिफ मद 5506 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5506 40 00	-	पॉलिप्रापायलीन का	कि0ग्रा0	10%	-";

(26) अध्याय 56 में, शीर्ष 5601, उपशीर्ष 5601 21 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5601		टेक्सटाइल सामग्रियों की वैडिंग और उसकी वस्तुएं ; टेक्सटाइल फाइबर, जो 5 मि0मी0 से अधिक लंबा नहीं है (फ्लाक) टेक्सटाइल धूल और मिल नेप			
	-	टेक्सटाइल सामग्रियों की वैडिंग और उसकी वस्तुएं :			
5601 21	––	सूत के :";			

(27) अध्याय 57 के शीर्ष 5704 में, टैरिफ मद 5704 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5704 20 00	--	टाइलें, जिनका अधिकतम बाहरी सतह का क्षेत्र 0.3 वर्ग मी0 से अधिक, किंतु 1 वर्ग मी0 से अधिक नहीं है	व0मी0	10%	-";
5704 20 10	--	सूत	व0मी0	10% या 35 रु प्रति वर्ग मी.जो भी उच्चतर हो	
5704 20 20	--	कलात्मक से भिन्न, ऊन	व0मी0	10% या 35 रु प्रति वर्ग मी.जो भी उच्चतर हो	
5704 20 90	--	अन्य	व0मी0	10% या 35 रु प्रति वर्ग मी.जो भी उच्चतर हो	

(28) अध्याय 60 में,—

(i) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपशीर्ष टिप्पण :

उपशीर्ष 6005 35 में पोलीथिलीन मोनोफिलामेंट या पोलियस्टर मल्टीफिलामेंट की फैब्रिक आती है, जिसका भार 30 ग्रा0/वर्ग मी0 से अन्यून और 55 ग्रा0/वर्ग मी0 से अनधिक है, जिसका मेस आकार 20 छिद्र/वर्ग से0मी0 से अन्यून और 100 छिद्र/वर्ग से0मी0 से अनधिक है तथा उसे अल्फा-साइपरमेथ्रिन (आईएसओ), क्लोरफेनापायर (आईएसओ), डेल्टामेथ्रिन (आईएनएन, आईएसओ), लेम्बदा-साईहालोथ्रिन (आईएसओ), परमेथ्रिन (आईएसओ) या पिरिमिफोस-मिथाइल (आईएसओ) से संसेचित या विलेपित किया गया है।";

(ii) टैरिफ मद 6005 31 00 से टैरिफ मद 6005 34 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6005 35 00	--	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट फैब्रिक	कि0ग्रा0	10%	-
6005 36 00	--	अन्य, अतिरंजित या विरंजित	कि0ग्रा0	10%	-
6005 37 00	--	अन्य, रंजित	कि0ग्रा0	10%	-
6005 38 00	--	अन्य, विभिन्न रंगों के सूतों के	कि0ग्रा0	10%	-
6005 39 00	--	अन्य, छापित	कि0ग्रा0	10%	-";

(29) अध्याय 63 में,—

(i) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपशीर्ष टिप्पण :

1.उपशीर्ष 6304 20 में फैब्रिक आती है, जिसे अल्फा-साइपरमेथ्रिन (आईएसओ), क्लोरफेनापायर (आईएसओ), डेल्टामेथ्रिन (आईएनएन, आईएसओ), लेम्बदा-साईहालोथ्रिन (आईएसओ), परमेथ्रिन (आईएसओ) या पिरिमिफोसमिथाइल (आईएसओ) से संसेचित या विलेपित किया गया है।";

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ii) शीर्ष 6304 में, टैरिफ मद 6304 19 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6304 20 00	— बेड नेट, इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट ताना बुनी हुई फैब्रिक के	इ.	10%	-";

(30) अध्याय 68 के टिप्पण 1 में, खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ड) शीर्ष 9602 की वस्तुएं, यदि वे अध्याय 96 के टिप्पण 2(ख) में विनिर्दिष्ट सामग्रियों से बनाई गई हैं या शीर्ष 9606 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ बटन); शीर्ष 9606 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ स्लेट पैंसिलें); शीर्ष 9610 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ ड्राईंग स्लेटें); या शीर्ष 9620 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ मोनोपोड, बाईपोड, ट्राईपोड और वैसी ही वस्तुएं); या";

(31) अध्याय 69 में,—

(i) शीर्ष 6907 में, उपशीर्ष 6907 10, टैरिफ मद 6907 10 10, टैरिफ मद 6907 10 90, टैरिफ मद 6907 90, टैरिफ मद 6907 90 10, टैरिफ मद 6907 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6907	चीनी मिट्टी की पटिया और खड़ंजें, चूल्हा या भित्ति टाइलें, चीनी मिट्टी की मोजाइक क्यूबें और वैसी ही वस्तुएं, चाहे वे किसी पृष्ठक पर हैं या नहीं ; चीनी मिट्टी की फिनिशिंग			
	- पटिया और खड़ंजें, चूल्हा या भित्ति टाइलें, उपशीर्ष 6907 30 और उपशीर्ष 6907 40 से भिन्न :			
6907 21 00	--- भार द्वारा जल अवशोषण गुणांक 0.5% से अनधिक के	वर्ग मी0	10%	-
6907 22 00	-- भार द्वारा जल अवशोषण गुणांक 0.5% से अन्यून, किंतु 10% से अनधिक के	वर्ग मी0	10%	-
6907 23	-- भार द्वारा जल अवशोषण गुणांक 10% से अधिक के	वर्ग मी0	10%	-
6907 30 00	- मोजाइक क्यूबें और वैसी ही, उपशीर्ष 6907 40 से भिन्न	वर्ग मी0	10%	-
6907 40	- चीनी मिट्टी की फिनिशिंग			
6907 40 00	-- चीनी मिट्टी की फिनिशिंग	वर्ग मी0	10%	-";

(ii) शीर्ष 6908, उपशीर्ष 6908 10, टैरिफ मद 6908 10 10 से टैरिफ मद 6908 10 90, उपशीर्ष 6908 90, टैरिफ मद 6908 90 10 से टैरिफ मद 6908 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(32) अनुभाग 15 के टिप्पण 1 में, खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ड) अध्याय 96 (प्रकीर्ण विनिर्मित वस्तुएं) की हाथ की छन्नी, बटन, लेखनी, पेंसिल होल्डर, लेखनी की निबें, मोनोपोड, बाईपोड, ट्राईपोड और वैसी ही वस्तुएं या अन्य वस्तुएं ; या";

(33) अध्याय 74 के टिप्पण 1 में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) मास्टर मिश्रातुएं :

ऐसी मिश्रातुएं, जिनमें, अन्य तत्वों के साथ, ताम्र, भार के आधार पर, 10 प्रतिशत से अधिक है, जो उपयोगिता की दृष्टि से आघातवर्ध्य नहीं है, और सामान्यतया जिनका उपयोग अन्य मिश्रातुएं के विनिर्माण में योज्यक के रूप में या अलौह धातुओं की धात्विकी में विआक्सीकारकों, विगंधकन कर्मकों के रूप में या वैसे ही उपयोग के लिए किया जाता है। किंतु ताम्र फॉस्फाइड (फॉस्कर ताम्र), जिसमें फॉस्फोरस भार के आधार पर, 15 प्रतिशत से अधिक है, शीर्ष 2853 के अंतर्गत आता है।";

(34) अध्याय 82 में, शीर्ष 8205 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में "मशीन औजारो" शब्दो के स्थान पर, "मशीन औजारों या वाटरजैट कटिंग मशीन" शब्द रखे जाएंगे;

(35) अध्याय 83 में, शीर्ष 8308 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8308	आधार धातु के इस प्रकार के खटके, खटकों सहित फ्रेम, बक्कल, बक्कल-खटके, हुक, आंखें, अक्षिकाएं और वैसी ही वस्तुएं, जिनका उपयोग वस्त्रों या वस्त्र उपसाधनों, जूतादि, आभूषणों, कलाई घड़ियों, पुस्तकों, सायबानों, चमड़े की वस्तुओं, यात्रा की वस्तुओं या काठी या अन्य तैयार वस्तुओं के लिए किया जाता है, आधार धातु के नलिकाकार या द्विशाखित रिवटें, आधार धातु के मनके और सलमें";			

(36) अनुभाग 16 के टिप्पण 1 में, खंड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(थ) टाइप राइटर या उसी प्रकार के रिबन, चाहे स्पूल पर या कार्ट्रीज में है या नहीं, (उनकी घटक सामग्री के अनुसार या शीर्ष 9612 में वर्गीकृत, यदि छाप देने के लिए स्याही से या अन्यथा तैयार की गई हैं) या शीर्ष 9620 की मोनोपोड, बाईपोड, ट्राईपोड और वैसी ही वस्तुएं।";

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(37) अध्याय 84 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (च) में "या" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(आ) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) अनुभाग 17 की वस्तुओं के लिए रेडिएटर ; या";

(इ) विद्यमान खंड (छ) को खंड (ज) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा ;

(ii) टिप्पण 2 में, खंड (ङ) में "मशीनरी या संयंत्र" शब्दों के स्थान पर, "मशीन, संयंत्र और प्रयोगशाला उपस्कर" शब्द रखे जाएंगे";

(iii) टिप्पण 9 में, खंड (अ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(अ) अध्याय 85 के टिप्पण 9(क) और 9(ख), इस टिप्पण और शीर्ष 8486 में क्रमशः उपयोग किए गए "अर्धचालक युक्तियां" और "इलैक्ट्रोनिक एकीकृत परिपथ" पदों को भी लागू होंगे। तथापि इस टिप्पण और शीर्ष 8486 के प्रयोजनों के लिए, "अर्धचालक युक्तियां" के अंतर्गत फोटो सुग्राही अर्धचालक युक्तियां और प्रकाश उत्सर्जन डायोड (एलईडी) भी आते हैं।';

(iv) उपशीर्ष टिप्पण में,—

(अ) निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण 1 अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1. उपशीर्ष 8465 20 के प्रयोजनों के लिए, "मशीनी केंद्र' पद केवल काष्ठ, कार्क, हड्डी, कठोर रबड़, कठोर प्लास्टिक या वैसी ही कठोर सामग्रियों के कर्मण के लिए लागू होता है, जो किसी मैंगजीन से स्वचालित औजार परिवर्तन द्वारा या किसी मशीनी कार्यक्रम के अनुपालन में वैसे ही विभिन्न प्रकार के मशीन प्रचालनों को कर सकता है।";

(आ) विद्यमान उपशीर्ष टिप्पण 1 को उपशीर्ष टिप्पण 2 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ; और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपशीर्ष टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. उपशीर्ष 8481 20 के प्रयोजनों के लिए, "तैल द्रवचालित या वातिल वाल्व" पद से ऐसे वाल्व अभिप्रेत हैं, जिनका विनिर्दिष्टतः किसी तैल द्रवचालित या वातिल प्रणाली में "तरल शक्ति" के पारेषण के लिए वहां उपयोग किया जाता है जहां ऊर्जा स्रोत की आपूर्ति दाबानुकूलित तरल (तरल या गैस) के रूप में की जाती है। ये वाल्व किसी भी किस्म (उदाहरणार्थ दाब कम करने वाली किस्म, जांच किस्म) के हो सकेंगे। उपशीर्ष 8481 20 को शीर्ष 8481 के सभी अन्य उपशीर्षों पर अधिमानता होगी।";

(इ) विद्यमान उपशीर्ष टिप्पण 2 को उपशीर्ष टिप्पण 4 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(v) शीर्ष 8415 में, उपशीर्ष 8415 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8415 10	-	किसी खिड़की, दीवाल, छत या फर्श में लगाए जाने के लिए, स्वतः पूर्ण या "पृथक्करण प्रणाली" के लिए डिजाइन किए गए किस्म के:";			

(vi) शीर्ष 8424 में,—

(क) टैरिफ मद 8424 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	"-	कृषि या उद्यान संबंधी फुहारे :			
8424 41 00	—	सुबाह्य फुहारे	इ.	7.5%	-
8424 49 00	—	अन्य	इ.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 8424 81 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8424 82 00	—	कृषि या उद्यान संबंधी	इ.	7.5%	-";

(vii) शीर्ष 8432 में,—

(क) टैरिफ मद 8432 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	वपित्र, रोपित्र और प्ररोपित्र :			
8432 31 00	—	अरोपाई प्रत्यक्ष वपित्र, रोपित्र और प्ररोपित्र	इ.	7.5%	-
8432 39 00	—	अन्य	इ.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 8432 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	खाद प्रसारक और उर्वरक वितरक :			
8432 41 00	—	खाद प्रसारक	इ.	7.5%	-
8432 42 00	—	उर्वरक वितरक	इ.	7.5%	-";

(viii) उपशीर्ष 8442 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8442		प्लेटों, मुद्रण संघटकों को तैयार करने या बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण और उपस्कर (शीर्ष 8456 से शीर्ष 8465 की मशीनों से भिन्न); मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार की गई प्लेटें, बेलन और लिथोमुद्रण प्रस्तर (उदाहरणार्थ समतल, कणित या पालिशकृत)";			

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(ix) शीर्ष 8456 में,—

(क) टैरिफ मद 8456 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	लेजर या अन्य प्रकाश या फोटोन किरण पुंज प्रक्रिया द्वारा प्रचालित :			
8456 11 00	--	लेजर द्वारा प्रचालित	इ.	7.5%	-
8456 12 00	--	अन्य प्रकाश या फोटोन किरण पुंज प्रक्रिया द्वारा प्रचालित	इ.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 8456 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8456 40 00	-	प्लाज्मा आर्क प्रक्रिया द्वारा प्रचालित	इ.	7.5%	-
8456 50 00	-	वाटर-जेट कटिंग मशीन द्वारा प्रचालित	इ.	7.5%	-";

(x) उपशीर्ष 8459 40, टैरिफ मद 8459 40 10 से टैरिफ मद 8459 40 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	अन्य वेधन मशीनें :			
8459 41	--	संख्यात्मकतः नियंत्रित			
8459 41 10	---	जिग वेधन मशीनें, क्षितिजाकार	इ.	7.5%	-
8459 41 20	---	फाइन वेधन मशीनें, क्षितिजाकार	इ.	7.5%	-
8459 41 30	---	फाइन वेधन मशीनें, ऊर्ध्वाकार	इ.	7.5%	-
8459 41 90	---	अन्य	इ.	7.5%	-
8459 49	--	अन्य :			
8459 49 10	---	जिग वेधन मशीनें, क्षितिजाकार	इ.	7.5%	-
8459 49 20	---	फाइन वेधन मशीनें, क्षितिजाकार	इ.	7.5%	-
8459 49 30	---	फाइन वेधन मशीनें, ऊर्ध्वाकार	इ.	7.5%	-
8459 49 90	---	अन्य	इ.	7.5%	-";

(xi) शीर्ष 8460, टैरिफ मद 8460 11 00 से टैरिफ मद 8460 21 00, उपशीर्ष 8460 29, टैरिफ मद 8460 29 10 से टैरिफ मद 8460 29 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8460		घर्षण, प्रस्तर, अपघर्षक या पालिशकरण उत्पादों द्वारा धातु या सर्मेट के विबर्रन तीक्षण्ण, घर्षण, शाणन, प्रमार्जन, पालिशकरण या अन्यथा परिसज्जन के लिए मशीन औजार ; शीर्ष 8461 की गियर कर्तन, गिअर घर्षण या गिअर परिसज्जन मशीन से भिन्न सपाट सतह वाली घर्षण मशीनें			
	-	सपाट सतह वाली घर्षण मशीनें :			
8460 12 00	--	संख्यात्मकतः नियंत्रित	इ.	7.5%	-
8460 19 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-
	-	अन्य घर्षण मशीनें :			
8460 22 00	--	केन्द्र रहित घर्षण मशीनें, संख्यात्मकतः नियंत्रित	इ.	7.5%	-
8460 23 00	--	अन्य बेलनाकार घर्षण मशीनें, संख्यात्मकतः नियंत्रित	इ.	7.5%	-
8460 24 00	--	अन्य, संख्यात्मकतः नियंत्रित	इ.	7.5%	-
8460 29	--	अन्य :			
8460 29 10	---	बेलनाकार पेषणित्र	इ.	7.5%	-
8460 29 20	---	आंतरिक पेषणित्र	इ.	7.5%	-
8460 29 30	---	केन्द्र रहित घर्षण मशीन	इ.	7.5%	-
8460 29 40	---	प्रोपाइल पेषणित्र	इ.	7.5%	-
8460 29 90	---	अन्य	इ.	7.5%	-";

(xii) टैरिफ मद 8465 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8465 20 00	-	मशीनी केंद्र	इ.	7.5%	-";

(xiii) शीर्ष 8466 में,—

(क) शीर्ष 8466 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8466		शीर्ष 8456 से शीर्ष 8465 तक की मशीनों के साथ पूर्णतः या प्रधानतः उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे या उपसाधन, जिनके अंतर्गत कृत्यक			

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	शुल्क की दर अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	या औजार होल्डर, स्वतः खुलने वाले रूपदा शीर्ष, विभाजक शीर्ष और मशीन के लिए अन्य विशेष संलग्नक हैं ; हाथ से कार्य करने के लिए, किसी भी प्रकार के औजार के लिए औजार होल्डर";			

(ख) उपशीर्ष 8466 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8466 30	- विभाजक शीर्ष और मशीनों के लिए अन्य विशेष संलग्नक ";			

(xiv) शीर्ष 8469, उपशीर्ष 8469 00, टैरिफ मद 8469 00 10, टैरिफ मद 8469 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xv) शीर्ष 8472, टैरिफ मद 8472 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	- अन्य :			
8472 90 91	--- शब्द प्रक्रमण मशीनें	इ.	शून्य	-
8472 90 92	--- स्वचालित टाइपराइटर	इ.	10%	-
8472 90 93	--- ब्रेल टाइपराइटर, विद्युत	इ.	7.5%	-
8472 90 94	--- ब्रेल टाइपराइटर, अविद्युत	इ.	7.5%	-
8472 90 95	--- ब्रेल टाइपराइटर, विद्युत या अविद्युत	इ.	10%	-
8472 90 99	--- अन्य :	इ.	7.5%	-";

(xvi) शीर्ष 8473 में,—

(क) शीर्ष 8473 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'8473	शीर्ष 8470 से शीर्ष 8472 तक की मशीनों के साथ पूर्णतः या प्रधानतया उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और उपसाधन (आच्छदों, वहन केसों और उसी प्रकार की वस्तुओं से भिन्न) ";			

(ख) टैरिफ मद 8473 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 8473 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8473 50 00	शीर्ष 8470 से शीर्ष 8472 तक की दो या अधिक मशीनों के साथ उपयोग के लिए समान रूप से उपयुक्त पुर्जे और उपसाधन";	कि0ग्रा0	निःशुल्क	-";

(38) अध्याय 85 में,—

(i) टिप्पण में, टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. शीर्ष 8507 के प्रयोजन के लिए, "वैद्युत संचायक" पद में वे है, जिनमें अनुषंगी संघटक हैं, जो संचायक के ऊर्जा भंडारण और आपूर्ति या उसे नुकसान से संरक्षित करने के लिए योगदान करते हैं, जैसे वैद्युत कनेक्टर, तापमान नियंत्रक युक्तियां (उदाहरणार्थ थरमिस्टर) और परिपथ संरक्षण युक्तियां हैं। उनमें मालों के संरक्षित कक्ष का कोई भाग भी सम्मिलित हो सकेगा, जिसमें उनका उपयोग किया जा रहा है।";

(ii) विद्यमान टिप्पण 3, टिप्पण 4, टिप्पण 5, टिप्पण 6, टिप्पण 7, टिप्पण 8 और टिप्पण 9 को क्रमशः टिप्पण 4, टिप्पण 5, टिप्पण 6, टिप्पण 7, टिप्पण 8, टिप्पण 9 और टिप्पण 10 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 9 में, खंड (ख) के उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) बहु संघटक एकीकृत परिपथ (एमसीओ) : एक या अधिक मोनोलीथीक, संकर, या बहु-चिप एकीकृत परिपथ, जिनमें निम्नलिखित में कम से कम एक संघटक है : सिलीकान-आधारित संवेदक, प्रेरक, दोलक, संदोलक या उनका संयोजन, या शीर्ष 8532, शीर्ष 8533, शीर्ष 8541 के अधीन वर्गीकृत वस्तुओं के कृत्य करने वाले संघटक या शीर्ष 8504 के अधीन वर्गीकृत प्रेरक, जो सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए अविभक्त रूप से एकल निकाय में विरचित किए गए है जैसे एकीकृत परिपथ, जो मुद्रित परिपथ बोर्ड (पीसीबी) में संयोजन के लिए एक प्रकार के संघटक के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं या, जो पिन, लीड, बाल, लैंड, बम्प या पैड द्वारा अन्य वाहक के रूप में।

इस परिभाषा के प्रयोजन के लिए :

1. "संघटक" शेष बहु संघटक एकीकृत परिपथ में संयोजित किए जाते हैं, तब, पृथक्, स्वतंत्र रूप से, विनिर्मित या अन्य संघटकों में एकीकृत किए जा सकेंगे।

2. "सिलीकान-आधारित" से सिलीकान सबस्ट्रेट पर निर्मित, या सिलीकान सामग्रियों से बना हुआ या एकीकृत परिपथ डाई में विनिर्मित अभिप्रेत है।

3. (क) "सिलीकान-आधारित संवेदक" में सूक्ष्म इलैक्ट्रानिकी या यांत्रिक ढांचे हैं, जो अर्द्धचालक के द्रव्य में या उसकी सतह पर सृजित किए गए है और उनका कृत्य भौतिक या रासायनिक मात्राओं का पता लगाना तथा उन्हें वैद्युत संकेतों में पारकर्मी करना है, जो वैद्युत गुणधर्म में परिवर्तनों या यांत्रिक संरचना के विस्थापन के कारण कारित हुए हैं। "भौतिक या रासायनिक मात्राएं" वास्तविक विश्व परिदृश्यों, जैसे दाब, ध्वनि तरंगें, त्वरण, कंपन, संचलन, उन्मुखतता, स्ट्रेन, चुंबकीय क्षेत्र शक्ति, वैद्युत क्षेत्र शक्ति, प्रकाश, विकिरण, आर्द्रता, प्रवाह, रासायनिक संकेंद्रण आदि से संबंधित हैं।

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ख) "सिलीकान-आधारित प्रेरक" में सूक्ष्म इलैक्ट्रानिकी और यांत्रिक ढांचे हैं, जो अर्द्धचालक के द्रव्य में या उसकी सतह पर सृजित किए गए हैं और उनका कृत्य वैद्युत संकेतों को भौतिक संचलन में परिवर्तित करना है।

(ग) "सिलीकान-आधारित दोलक" संघटक हैं, जो सूक्ष्म इलैक्ट्रानिकी और यांत्रिक ढांचे हैं, जो अर्द्धचालक के द्रव्य में या उसकी सतह पर सृजित किए गए हैं और उनका कृत्य पूर्व निर्धारित आवृत्ति में यांत्रिक या वैद्युत संदोलन संकेतों को सृजित करना है, जो किसी बाहरी इनपुट की प्रतिक्रिया में इन ढांचों की भौतिक ज्यामिति पर निर्भर करते हैं।

(घ) "सिलीकान-आधारित संदोलक" सक्रिय संघटक हैं, जो सूक्ष्म इलैक्ट्रानिकी और यांत्रिक ढांचे हैं, जो अर्द्धचालक के द्रव्य में या उसकी सतह पर सृजित किए गए हैं और उनका कृत्य पूर्व निर्धारित आवृत्ति में यांत्रिक या वैद्युत संदोलन संकेतों को सृजित करना है, जो इन ढांचों की भौतिक ज्यामिति पर निर्भर करते हैं।";

(iv) शीर्ष 8528, टैरिफ मद 8528 41 00 से टैरिफ मद 8528 69 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8528 42 00	--	शीर्ष 8471 की किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन से सीधे जोड़े जाने में सक्षम और उसके साथ उपयोग के लिए डिजाइन की गई	इ.	10%	-
8528 49 00	--	अन्य	इ.	10%	-
	-	अन्य मानीटर :			
8528 52 00	--	शीर्ष 8471 की किसी स्वःचालित डाटा प्रक्रमण मशीन से सीधे जोड़े जाने में सक्षम और उसके साथ उपयोग के लिए डिजाइन की गई	इ.	10%	-
8528 59 00	--	अन्य	इ.	10%	-
	-	प्रक्षेपक :			
8528 62 00	--	शीर्ष 8471 की किसी स्वचलित डाटा प्रक्रमण मशीन से सीधे जोड़े जाने में सक्षम और उसके साथ उपयोग के लिए डिजाइन की गई	इ.	10%	-
8528 69 00	--	अन्य	इ.	10%	-";

(v) टैरिफ मद 8531 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8531 20 00	-	सूचक पैनल, जिनमें द्रव क्रिस्टल युक्तियां (द्र0क्रि0यू0) या प्रकाश उत्सर्जन डायोड (प्र0उ0डा0) लगे हैं	इ.	निःशुल्क	-";

(vi) शीर्ष 8539 में,—

(क) शीर्ष 8539 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8539 विद्युत फिलामेंट या विसर्जन लैंप, जिनके अंतर्गत मुहरबंद किरणपुंज लैंप यूनिटें और पराबैंगनी या अवरक्त लैंप, आर्क लैंप; प्रकाश उत्सर्जन डायोड (प्र0उ0डा0) लैंप हैं';

(ख) टैरिफ मद 8539 49 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8539 50 00	--	प्रकाश उत्सर्जन डायोड (प्र0उ0डा0) लैंप	इ.	10%	-";

(vii) शीर्ष 8541 में,—

(क) शीर्ष 8541 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8541 डायोड, ट्रांजिस्टर और वैसी ही अर्धचालक युक्तियां; प्रकाश सुग्राही अर्धचालक युक्तियां, जिनके अंतर्गत प्रकाश वोल्टीय सेल हैं, चाहे मोडयूलों में समुच्चयित पैनलों में तैयार हैं या नहीं; प्रकाश उत्सर्जक डायोड, आरूढ़ दाब विद्युत क्रिस्टल";

(ख) टैरिफ मद 8541 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8541 10 00	-	डायोड, प्रकाश सुग्राही या प्रकाश उत्सर्जक डायोड से भिन्न	इ.	निःशुल्क	-";

(ग) उपशीर्ष 8541 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8541 40 - प्रकाश सुग्राही अर्धचालक युक्तियां, जिनके अंतर्गत प्रकाश वोल्टीय सेल हैं, चाहे मोड्यूलों में समुच्चयित या पैनलों में तैयार हैं या नहीं; प्रकाश उत्सर्जक डायोड";

(39) अनुभाग 17 के टिप्पण 2 में खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) शीर्ष 8401 से शीर्ष 8479 की मशीनें और उपकरण या उनके पुर्जे, इस अनुभाग की वस्तुओं के लिए रेडिएटरों से भिन्न, शीर्ष 8481 या शीर्ष 8482 की वस्तुएं या, उस दशा में, जब वे इंजन या मोटरों के अभिन्न पुर्जे हैं, शीर्ष 8483 की वस्तुएं ;";

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(40) अध्याय 87 में,—

(i) शीर्ष 8701 में,—

(क) टैरिफ मद 8701 10 00 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8701 10 00	-	एकल धुरा ट्रैक्टर	इ.	10%	-”;

(ख) उपशीर्ष 8701 90, टैरिफ मद 8701 90 10 और टैरिफ मद 8701 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	अन्य, इंजन शक्ति के :			
8701 91 00	—	18 कि0वा0 से अनधिक	इ.	10%	-
8701 92 00	—	18 कि0वा0 से अधिक, किंतु 37 कि0वा0 से अनधिक	इ.	10%	-
8701 93 00	—	37 कि0वा0 से अधिक, किंतु 75 कि0वा0 से अनधिक	इ.	10%	-
8701 94 00	—	75 कि0वा0 से अधिक, किंतु 130 कि0वा0 से अनधिक	इ.	10%	-
8701 95 00	—	130 कि0वा0 से अधिक	इ.	10%	-”;

(ii) शीर्ष 8702, उपशीर्ष 8702 10, टैरिफ मद 8702 10 11 से टैरिफ मद 8702 10 99, उपशीर्ष 8702 90, टैरिफ मद 8702 90 11 से टैरिफ मद 8702 90 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8702 10	-	केवल संपीडन-प्रज्वलन अंतरदहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्धडीजल सहित) :			
	--	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :			
8702 10 11	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 10 12	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 10 18	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 10 19	---	अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
	--	अन्य :			
8702 10 21	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 10 22	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 10 28	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 10 29	---	अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 20	-	संपीडन-प्रज्वलन अंतरदहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्धडीजल सहित) और नोदन के लिए मोटर के रूप में वैद्युत मोटर, दोनों के साथ :			
	--	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :			
8702 20 11	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 20 12	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 20 18	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 20 19	---	अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
	--	अन्य :			
8702 20 21	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 20 22	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 20 28	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 20 29	---	अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 30	-	स्फुलिंग प्रज्वलन अंतरदहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटर के रूप में वैद्युत मोटर, दोनों के साथ :			
	--	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :			
8702 30 11	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 30 12	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 30 18	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 30 19	---	अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
	---	अन्य :			
8702 30 21	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 30 22	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8702 30 28	--- अन्य, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 30 29	--- अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 40	- नोदन के लिए केवल वैद्युत मोटर के साथ :			
	-- 13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :			
8702 40 11	--- एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 40 12	--- एकीकृत मोनोकोक यान, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 40 18	--- अन्य, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 40 19	--- अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
	--- अन्य :			
8702 40 21	--- एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 40 22	--- एकीकृत मोनोकोक्यू यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 40 28	--- अन्य, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 40 29	--- अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	40%	-";
8702 90	- अन्य			
	-- 13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :			
8702 90 11	--- एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 90 12	--- एकीकृत मोनोकोक यान, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 90 18	--- अन्य, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 90 19	--- अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	40%	-
	--- अन्य :			
8702 90 21	--- एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 90 22	--- एकीकृत मोनोकोक्यू यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 90 28	--- अन्य, वातानुकूलित	इ.	40%	-
8702 90 29	--- अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	40%	-";

(iii) शीर्ष 8703 में,

(क) टैरिफ मद 8703 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "जिनमें" शब्द के पश्चात् "केवल" अंतःस्थापित करें;

(ख) टैरिफ मद 8703 24 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "यान" शब्द के पश्चात् "केवल" शब्द अतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) टैरिफ मद 8703 31 20 और टैरिफ मद 8703 32 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(घ) टैरिफ मद 8703 33 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8703 40	- अन्य यान, जिनमें विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर दोनों हैं :			
8703 40 10	--- सात व्यक्तियों से अधिक के जिनमें चालक भी है, परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान	इ.	125%	-
8703 40 20	--- विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	125%	-
8703 40 30	--- मोटर कारें	इ.	125%	-
8703 40 40	--- तीन पहिया यान	इ.	125%	-
8703 40 90	--- अन्य	इ.	125%	-
8703 50	- अन्य यान, जिनमें विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) और नोदन के लिए मोटरों के रूप में वैद्युत मोटर दोनों हैं :			
8703 50 10	--- सात व्यक्तियों से अधिक के, जिनमें चालक भी है, परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान	इ.	125%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8703 50 20	--- विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	125%	-
8703 50 30	--- मोटर कारें	इ.	125%	-
8703 50 40	--- तीन पहिया यान	इ.	125%	-
8703 50 50	--- अन्य	इ.	125%	-
8703 60	- अन्य यान, जिनमें विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर दोनों हैं :			
8703 60 10	--- सात व्यक्तियों से अधिक के जिनमें चालक भी है, परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान	इ.	125%	-
8703 60 20	--- विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	125%	-
8703 60 30	--- मोटर कारें	इ.	125%	-
8703 60 40	--- तीन पहिया यान	इ.	125%	-
8703 60 90	--- अन्य	इ.	125%	-
8703 70	- अन्य यान, जिनमें संपीड़न विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर दोनों हैं :			
8703 70 10	--- सात व्यक्तियों से अधिक के जिनमें चालक भी है, परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान	इ.	125%	-
8703 70 20	--- विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	125%	-
8703 70 30	--- मोटर कारें	इ.	125%	-
8703 70 40	--- तीन पहिया यान	इ.	125%	-
8703 70 90	--- अन्य	इ.	125%	-
8703 80	- अन्य यान, जिनमें नोदन के लिए केवल विद्युत मोटर है :			
8703 80 10	--- सात व्यक्तियों से अधिक के, जिनमें चालक भी है, परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान	इ.	125%	-
8703 80 20	--- विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	125%	-
8703 80 30	--- मोटर कारें	इ.	125%	-
8703 80 40	--- तीन पहिया यान	इ.	125%	-
8703 80 90	--- अन्य	इ.	125%	-";

(ङ) टैरिफ मद 8703 33 99, उपशीर्ष 8703 90, टैरिफ मद 8703 90 10, 8703 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8703 90 00	- अन्य	इ	125%	-";

(iv) शीर्ष 8711 में,—

(क) टैरिफ मद 87011 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'8711 60	- नोदन के लिए विद्युत मोटर सहित	इ.	100%	-
8711 60 10	--- मोटर साइकिल	इ.	100%	-
8711 60 20	--- स्कूटर	इ.	100%	-
8711 60 30	--- मोपेड	इ.	100%	-
8711 60 90	--- अन्य	इ.	100%	-";

(ख) उपशीर्ष 8711 90, टैरिफ मद 8711 90 10 से टैरिफ मद 8711 90 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8711 90	- अन्य	इ.	100%	-
8711 90 10	--- साइड कारें	इ.	100%	-
8711 90 90	--- अन्य	इ.	100%	-";

(41) अध्याय 90 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (छ) में, "मशीन औजारों" शब्दों के पश्चात "या वाटर जेट कटिंग मशीन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(आ) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ठ) शीर्ष 9620 के, मोनोपोड, बायोपोड, ट्राइपोड और वैसी ही वस्तुएं;";

(इ) वर्तमान खंड (ठ) और (ड) को क्रमशः (ड) और (ढ) के रूप में पुनर्क्षरांकित किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 9006 में, टैरिफ मद 9006 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(42) अध्याय 92 के टिप्पण 1 में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) संगीत वाद्ययंत्रों की सफाई के लिए ब्रुस (शीर्ष 9603), या मोनोपोड, बायोपोड, ट्राइपोड और वैसी ही वस्तुएं (शीर्ष 9620); या";

(43) अध्याय 94 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (ट) में, "या" शब्द का लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (ठ) में, अंत में "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(इ) खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ड) मोनोपोड, बायोपोड, ट्राइपोड और वैसी ही वस्तुएं (शीर्ष 9620);";

(ii) टैरिफ मद 9401 51 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9401 52 00	-- बांस के	इ.	10%	-
9401 53 00	-- रेटन के	इ.	10%	-";

(iii) टैरिफ मद 9403 81 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9401 82 00	-- बांस के	इ.	10%	-
9401 83 00	-- रेटन के	इ.	10%	-";

(iv) शीर्ष 9406, उपशीर्ष 9406 00, टैरिफ मद 9406 00 11 से टैरिफ मद 9406 00 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9406	पूर्व संविरचित निर्माण			
9406 10	- काष्ठ का :			
9406 10 10	--- ग्रीन हाउस	इ.	10%	-
9406 10 20	--- शीतागार के लिए	इ.	10%	-
9406 10 30	--- इनसिल जल भंडारण के लिए साइलो	इ.	10%	-
9406 10 90	--- अन्य			
9406 90	- अन्य :	इ.	10%	-
9406 90 10	--- ग्रीन हाउस	इ.	10%	-
9406 90 20	--- शीतागार के लिए	इ.	10%	-
9406 90 30	--- इनसिल जल भंडारण के लिए साइलो	इ.	10%	-
9406 90 90	--- अन्य	इ.	10%	-";

(44) अध्याय 95 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ड) अध्याय 61 या अध्याय 62 की टैक्सटाइल फैंसी पोशाक; अध्याय 61 या अध्याय 62 के टैक्सटाइल के क्रीड़ा के कपड़े और परिधानों की विशेष वस्तुएं, चाहे उनमें कोहनी, घुटने या उरुसन्धि क्षेत्रों (उदाहरणार्थ तारदार पहनावा या सोसर गोलकीपर जर्सी) में पैडों या पैडिंग जैसे आनुषंगिक रूप से संरक्षणकारी संघटक समाविष्ट हैं या नहीं ;";

(आ) खंड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(प) मोनोपोड, बायोपोड, ट्राइपोड और वैसी ही वस्तुएं (शीर्ष 9620);";

(इ) विद्यमान खंड (न) और खंड (फ) को क्रमशः खंड (फ) और खंड (ब) के रूप में पुनर्क्षरांकित किया जाएगा;

(45) अध्याय 96 में, टैरिफ मद 9619 00 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9620 00 00	- मोनोपोड, बायोपोड, ट्राइपोड और वैसी ही वस्तुएं	कि.ग्रा.	10%	-";

पांचवीं अनुसूची

[धारा 142(i) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्या 40 और क्रम संख्या 41 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्र0सं0	**शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
"40.	3401	सभी माल
41.	3402	सभी माल";

(ख) क्रम संख्या 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्र0सं0	**शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
"63क.	7607	सभी माल";

(ग) क्रम संख्या 81ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्र0सं0	**शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
"81घ.	8517 62	कलाई पर पहनी जाने वाली युक्तियां (सामान्यतया स्मार्ट घड़ियों के रूप में ज्ञात)";

(घ) क्रम संख्या 100 के सामने स्तंभ (3) में "पुर्जे, घटक और सहायक पुर्जे" शब्दों के स्थान पर, "पुर्जे, घटक, हिस्से पुर्जे और सहायक पुर्जे" शब्द रखे जाएगे ;

(ङ) क्रम संख्या 100क के सामने स्तंभ (3) में "पुर्जे, घटक और सहायक पुर्जे" शब्दों के स्थान पर, "पुर्जे, घटक, हिस्से पुर्जे और सहायक पुर्जे" शब्द रखे जाएंगे।

छठी अनुसूची

[धारा 142(ii) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्या 58 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कांचावनित टाइलें, चाहे पालिश की हुई हों या नहीं, चमकदार टाइलें" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) क्रम संख्या 59 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

सातवीं अनुसूची

[धारा 143(i) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(क) अध्याय 22 में, टैरिफ मद 2202 10 10, टैरिफ मद 2202 10 20 और टैरिफ मद 2202 10 90 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्ट के स्थान पर, "21%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) अध्याय 24 में,—

(i) टैरिफ मद 2401 10 10, टैरिफ मद 2401 10 20, टैरिफ मद 2401 10 30, टैरिफ मद 2401 10 40, टैरिफ मद 2401 10 50, टैरिफ मद 2401 10 60, टैरिफ मद 2401 10 70, टैरिफ मद 2401 10 80, टैरिफ मद 2401 10 90, टैरिफ मद 2401 20 10, टैरिफ मद 2401 20 20, टैरिफ मद 2401 20 30, टैरिफ मद 2401 20 40, टैरिफ मद 2401 20 50, टैरिफ मद 2401 20 60, टैरिफ मद 2401 20 70, टैरिफ मद 2401 20 80 और टैरिफ मद 2401 20 90 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "64%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2402 10 10 और टैरिफ मद 2402 10 20 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5% या 3755 रु0 प्रति हजार, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2402 90 10 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "3755 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2402 90 20 और टैरिफ मद 2402 90 90 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5% या 3755 रु0 प्रति हजार, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(v) टैरिफ मद 2403 19 29 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "80 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vi) टैरिफ मद 2403 99 10, टैरिफ मद 2403 99 30 और टैरिफ मद 2403 99 90 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "81%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ग) अध्याय 27 के अनुपूरक टिप्पण में,—

(i) खंड (ङ) में, "1460 : 2000" अंकों के स्थान पर, "1460 : 2005" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (च) में, "1460" अंकों के स्थान पर, "15770 : 2008" अंक रखे जाएंगे ;

(घ) अध्याय 58 के, शीर्ष 5801 में,—

(i) उपशीर्ष 5801 37 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि "--- तान रोआं फैब्रिक, 'इपिंगल' (अकर्तित)" का लोप किया जाएगा ;

(ii) टैरिफ मद 5801 37 11 और 5801 37 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"5801 37 10	--- तान रोआं फैब्रिक, अकर्तित	वर्गमीटर	12.5%";

(ङ) अध्याय 71 में, शीर्ष 7104 में, टैरिफ मद "7104 90 00" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"7104 90	- अन्य :		
7104 90 10	--- प्रयोगशाला में निर्मित या प्रयोगशाला में विकसित या मानव निर्मित या कल्वरी या संश्लिष्ट हीरा।	सी/के	12.5%
7104 90 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	12.5%";

(च) अध्याय 85 में, शीर्ष 8525 में, टैरिफ मद 3525 50 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा।

आठवीं अनुसूची

[धारा 143(ii) देखिए]

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(5)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 3 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ग) "जिनमें उनके यकृत और मीनांडक भी हैं" शब्दों के स्थान पर, "जिनमें उनके यकृत, मीनांडक और मिल्ट भी हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 0301 में, टैरिफ मद 0301 93 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0301 93 00	-- कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, करासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलियस, हाइपोफथालमिशथियस सभी जातियां, सिरेहिनस सभी जातियां, माइलोफेरिंगोडोन पाइसियस, कैटला कैटला, आस्टियोचाइलस हैजेल्टी, लेपटो बारबर होवेनी, मेगा ब्रामा)	कि.ग्रा.	शून्य";

(ii) शीर्ष 0302, टैरिफ मद 0302 11 00 से 0302 85 00 उपशीर्ष 0302 89, टैरिफ मद 0302 89 10 से 0302 90 00 तक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0302	मछली, ताजा मछली या शीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष 0304 मछली के कतले और अन्य मछली मांस नहीं है		
	- सालमोनिडे जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से 0302 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं है :		
0302 11 00	-- ट्राउट (सेलमो ट्रटा, आंकोरहाइनकस मिकिस, आंकोरहाइनकस क्लार्की, आंकोरहाइनकस एगुआबोनीटा, आंकोरहाइनकस गिलाई, आंकोरहाइनकस एपाची और आंकोरहाइनकस क्राइसोगास्टर)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 13 00	-- प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस नेरका, आंकोरहाइनकस गोरबस्चा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रोडोरस)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 14 00	-- अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुबे सालमन (हुको हुको)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 19 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	- चपटी मछली (पलूटोनेक्टिडाई, बोथिडाई, नोग्लोसिडाई, सिलिडाई, स्कोपथालमिडाई और सिथारिडाई), जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0301 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं है :		
0302 21 00	-- हैलिबट (रीनहार्डटिअस हिप्पोग्लोसाइडी, हिप्पोग्लोसस, हिप्पोग्लोसस स्टेनोलेपिस)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 22 00	-- प्लेसे (प्लूरेकटेस प्लेटेस्सा)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 23 00	-- सोले (सोले सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 24 00	-- टरबोट्स (पेस्टा मैक्सिमा)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 29 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	- ट्यूना मछलियां (थ्युन्नस वंश की), स्किपडैक या पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो [यूथीनस (कातसूवोनस) पेलामिस], जिनके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0301 99 के खाद्य मछली नहीं है :		
0302 31 00	-- ऐस्बाकोर या लंबे पंख वाली ट्यूना मछलियां (थ्युन्नस एललुंगस)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 32 00	-- पीत पंख वाली ट्यूना मछलियां (थ्युनस ऐस्बाकेयर)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 33 00	-- स्कपजक या पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो	कि.ग्रा.	शून्य
0302 34 00	-- बिगेइ ट्यूना (थ्युनस ओबेसस) कि.ग्रा.	शून्य	
0302 35 00	-- अटलांटिक और प्रशांत ब्लूफिन टुनास (थुन्नुस थाईनस, थुन्नुस ओरियंटलिस)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 36 00	-- दक्षिणी ब्लूफिन ट्यूना (थ्युनस माकाई)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 39 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	- हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी) एंकोवीस (एंग्राउलिस सभी जातियां) सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां)		

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
	सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस) मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर स्ट्रालसियस, स्कोंबर जपोनिकस),भारतीय मेकेरल (राष्ट्रेल्लीजर सभी जातियां), सुरमई मछली (स्कोंबरमोरस सभी जातियां) जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां), जैक, क्रीवेल्स (केरानकस सभी जातियां), कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम), सिलवर पामफ्रेट्स (पेम्पस सभी जातियां), पेसिफइक सावरी (कोलोलेबिस सायरा), स्कैड्स (डेकाप्ट्रूस सभी जातियां), कोपेलिन (मैलोटस विलोसस) स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथाइनस एफिनस), बोनिटोस (सारडा सभी जातियां), मार्लिन्स, सेलफिसिस, स्पियरफिस (इस्टियोफोरिडे), जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0302 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :		
0302 41 00	-- हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 42 00	-- एंकोवीस (एंग्राउलिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 43 00	-- सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 44 00	-- मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर आस्ट्रालसियस, स्कोंबर जेपोनिकस)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 45 00	-- जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 46 00	-- कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 47 00	-- स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 49 00	- अन्य		
	- ब्रेगमासेरोटाइडिए, यूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए समूह की मछली, जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0302 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं है :		
0302 51 00	-- कोड (गैडस मॉरहुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 52 00	-- हैड्डाक (मेलनोग्रामस ऐग्लेफाइनस)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 53 00	-- कोलफिश (पोलाचियसवाइरेंस)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 54 00	-- हेक (मर्लुसियस सभी जातियां, यूराफिसिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 55 00	-- अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 56 00	-- ब्लू व्हाटिंग्स (माइक्रोमेसिसटियस पोउटेसॉ, माइक्रोमेसिसटियस आस्ट्रलिस)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 59 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	- टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस केटला केटला, लेबियो सभी जातियां, आस्टियो हेस्सलती, लेप्टो बारबस होवेनी मेगलोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0302 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं है :		
0302 71 00	-- टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 72 00	-- कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 73 00	-- कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस केटला केटला, लेबियो सभी जातियां, आस्टियो हेस्सलती, लेप्टो बारबस होवेनी मेगलोब्रामा सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
0302 74 00	--	ईल्स (एंग्युला सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 79 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	-	अन्य मछली, जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0302 99 के खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं है :		
0302 81 00	--	डॉगफिस सुरा और अन्य शार्क	कि.ग्रा.	शून्य
0302 82 00	--	रेज और स्केट्स (रेजिडाय)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 83 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 84 00	--	समुद्री बास (डाइसैन्ट्रारकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 85 00	--	सीब्रीम (स्पेरिडाय)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 89	--	अन्य :		
0302 89 10	--	हिल्सा (टेनुवालोसा इलिसा)	कि.ग्रा.	शून्य
0302 89 20	---	दारा	कि.ग्रा.	शून्य
0302 89 30	---	पोम्फ्रेट	कि.ग्रा.	शून्य
0302 89 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	-	यकृत, मीनांडक, मत्स्यशुक्र, पंखदार मछली,सिर, पूंछ, उदर और अन्य खाद्य मछली के मांस के टुकड़े		
0302 91	--	यकृत, मीनांडक और मत्स्यशुक्र		
0302 91 10	---	यकृत, मीनांडक और मत्स्यशुक्र	कि.ग्रा.	शून्य
0302 92	--	शार्क फिन्स	कि.ग्रा.	शून्य
0302 92 10	---	शार्क फिन्स	कि.ग्रा.	शून्य
0302 99	--	अन्य :		
0302 99 10	---	शार्क फिन्स से भिन्न फिश फिन्स, सिर, पूंछ और उदर	कि.ग्रा.	शून्य
0302 99 90	---	अन्य खाद्य मछली के मांस के टुकड़े	कि.ग्रा.	शून्य";

(iv) शीर्ष 0303, टैरिफ मद 303 11 00 से 0303 69 00, उपशीर्ष 0303 81, टैरिफ मद 0303 81 10 से 0303 84 00, उपशीर्ष 0303 89, टैरिफ मद 0303 89 10 से 0303 89 99, उपशीर्ष 0303 90, टैरिफ मद 0303 90 10 से 0303 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0303		मछली, हिमशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष सं0 0304 के मछली कतले और अन्य मछली मांस नहीं है		
	-	साल्मेनिडे, जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं है :		
0303 11 00	--	सोकोई सालमन (लाल सालमन) (आंकोरहाइनकस नेरका)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 12 00	--	अन्य प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस गोरबुशा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रोडोरस)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 13 00	--	अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुवे सालमन (हुको हुको)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 14 00	--	ट्राउट (सेलमो ट्रूटा, आंकोरहाइनकस मिकिस, आंकोरहाइनकस क्लार्की, आंकोरहाइनकस एगुओबोनिटा, आंकोरहाइनकस गिलाई, आंकोरहाइनकस एपाची और आंकोरहाइनकस क्राइसेगास्टर)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	-	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस केटला केटला, लेबियो सभी जातियां, आस्टियो हेस्सलती, लेप्टो बारबस होवेनी मेगलोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां), नील पर्च (लेट्स निलोटिकस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं।		

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
0303 23 00	-- टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 24 00	-- कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 25 00	-- कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस केटला केटला, लेबियो सभी जातियां, आस्टियो हेस्सलती, लेप्टो बारबस होवेनी मेगलोब्रामा सभी जातियां),	कि.ग्रा.	शून्य
0303 26 00	-- ईल्स (एंग्युला सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 29 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	- चपटी मछली (प्लूरोनेटिडाई, बोथिडाई, साइनोग्लोसिडाई, सोलेडाई, स्कोपथेलमिडाई और सिथारिडाई) जिनके अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं है :		
0303 31 00	-- हैलीबट (रीनहार्डटिअस हिप्पोग्लोसाईडीस, हिप्पोग्लोसस हिप्पोग्लोसस, हिप्पोग्लोसस स्टेनोलेपिस)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 32 00	-- प्लैसे (प्लूरोनेक्टेस प्लेटेसा)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 33 00	-- सोल (सोलिया सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 34 00	- टरबोट्स (सेटा मैक्सिमा)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 39 00	-- अन्य		
	- ट्यूना मछलियां (थ्यूनस वंश की) स्कपजैक या पट्टीदार तुदंवाली बोनिटो [थ्यूथिनस (कातसूवूनस) पेलोमिस], जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :		
0303 41 00	-- एल्बाकोर या लंबे पंख वाली ट्यूना मछलियां (थ्यूनस एलालुंगा)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 42 00	-- पीले पंख वाली ट्यूना मछलियां (थ्यूनस एल्बाकेबर)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 43 00	-- स्कपजैक या पट्टीदार तुदंवाली बोनिटो	कि.ग्रा.	शून्य
0303 44 00	-- बिगेई ट्यूना (थुनस ओबेसस)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 45 00	-- अटलांटिक और प्रशांत ब्लूफिन टुनास (थुन्नुस थाईनस, थुन्नुस ओरियंटल)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 46 00	-- दक्षिणी ब्लूफिन ट्यूना (थुनस मकाई)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 49 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	- हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी), एंकोवीस (एंग्राउलिस सभी जातियां) सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां) सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस) मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर स्ट्रालसियस, स्कोंबर जेपोनिकस), भारतीय मैकेरल्स (रेस्टरेलिगर सभी जातियां, सीर फिशेज (स्कोम्बेरोमस सभी जातियां), जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां),जैक क्रेवैसीस (कैरनेकरत की सभी जातियां), कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम) सिल्वर पम्फ्रेटस (पैम्पस की सभी जातियां) पैसोफिक शय्योरी (कोलोसेबिटेरयिरा) स्क्रैडस (डीकैपसेस की जातियां क्रैपेलिन (मलोटस वैलीयस) और स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस), फावाकावा (एयूथेनस अप्रैनिज) जिसके उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :		
0303 51 00	-- हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 53 00	-- सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां), सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 54 00	-- मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर स्ट्रालसियस, स्कोंबर जपोनिकस)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 55 00	-- जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 56 00	-- कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 57 00	-- स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि.ग्रा.	शून्य

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
0303 59 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	- ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए समूह की मछली, जिसके अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :		
0303 63 00	-- कोड (गैडस मॉरथुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 64 00	-- हैड्डाक (मेलनोग्रामस ऐग्लेफाइनस)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 65 00	-- कोलफिश (पोलाचियस वाइरेंस)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 66 00	-- हेक (मर्लुसियस सभी जातियां, यूराफिसिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 67 00	-- अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 68 00	-- ब्लू व्हाटिंग्स (माइक्रोमेसिसटियस पोउटेसॉ, माइक्रोमेसिसटियस आस्ट्रलिस)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 69 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	- अन्य मछली, जिसके अंतर्गत अंतर्गत उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 की खाद्य मछली के मांस के टुकड़े नहीं हैं :		
0303 81	-- डॉगफिश और अन्य शार्क :		
0303 81 10	-- डॉगफिश	कि.ग्रा.	शून्य
0303 81 90	-- अन्य शार्क	कि.ग्रा.	शून्य
0303 82 00	-- रेज और स्केट्स (रेजिडाय)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 83 00	-- टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 84 00	-- समुद्री बास (डाइसैन्ट्रारकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 89	-- अन्य :		
0303 89 10	-- हिल्सा	कि.ग्रा.	शून्य
0303 89 20	-- दारा	कि.ग्रा.	शून्य
0303 89 30	-- रिब्बन फिश	कि.ग्रा.	शून्य
0303 89 40	-- सुरमई	कि.ग्रा.	शून्य
0303 89 50	-- पोम्फ्रेट (सफेद या सिल्वर या काली)	कि.ग्रा.	शून्य
0303 89 60	-- घोल	कि.ग्रा.	शून्य
0303 89 70	-- सूत्रपख	कि.ग्रा.	शून्य
0303 89 80	-- क्रोकर, ग्रुपर, प्लाउंडर	कि.ग्रा.	शून्य
	- यकृत, मीनांडक, मिल्ट, फिश फिन्स, सिर, पूंछ, उदर और अन्य खाद्य मछली के मांस के टुकड़े		
0303 91	-- यकृत, मीनांडक और मिल्ट		
0303 91 10	--- मछली का अंडा और अंडे की जर्दी	कि.ग्रा.	शून्य
0303 91 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
0303 92	-- शार्क फिन्स		
0303 92 10	--- शार्क फिन्स	कि.ग्रा.	शून्य
0303 99	-- अन्य		
0303 99 10	--- मछली के पंख, शार्क पंख, सिर, पूंछ और उदर से भिन्न	कि.ग्रा.	शून्य
0303 99 90	--- अन्य खाद्य मछली के मांस के टुकड़े	कि.ग्रा.	शून्य";

(v) शीर्ष 0304 में,—

(क) शीर्ष 0304 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- ताजे, द्रुतशीतित या हिमशीतित टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस कैटला कैटला, लेबिओ, आस्टियोचाइलस हैजेल्टी, लेपटोबारबस होवेनी, मेगा लो ब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां), नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) :";

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
	(ख) टैरिफ मद 0304 46 00 से 0304 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—		
0304 46 00	-- टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 47 00	-- डॉगफिश और अन्य शार्क	कि.ग्रा.	शून्य
0304 48 00	-- रेज और स्केट्स (रजिडाय)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 49	-- अन्य :		
0304 49 10	--- हिल्सा (टेनुवालोसा इलिशा)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 49 30	--- सुरमई	कि.ग्रा.	शून्य
0304 49 40	--- ट्यूना	कि.ग्रा.	शून्य
0304 49 90	-- अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	- अन्य, ताजा या द्रुतशीतित :		
0304 51 00	-- टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 52 00	-- साल्मोनिडाई	कि.ग्रा.	शून्य
0304 53 00	-- ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडिए, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडिए, मरल्यूसिडिए, मोरिडिए और मुरेनोलेपिडिडाए समूह की मछली	कि.ग्रा.	शून्य
0304 54 00	-- स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 55 00	-- टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 56 00	-- डौगफिश और अन्य शार्क	कि.ग्रा.	शून्य
0304 57 00	-- रेज और स्केट्स (रजिडाय)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 59	-- अन्य :		
0304 59 10	--- हिल्सा (टेनुवालोसा इलिशा)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 59 30	--- सुरमई	कि.ग्रा.	शून्य
0304 59 40	--- ट्यूना	कि.ग्रा.	शून्य
0304 59 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	- टिलापियस की हिमशीतित कतले (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां, सटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस, कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) :		
0304 61 00	-- टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 62 00	-- कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 63 00	-- नील पर्च (लेट्स निलोटिसस)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 69 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	- ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए समूह की हिमशीतित मछली के कतले :		
0304 71 00	-- कोड (गैडस मॉरथुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 72 00	-- हैड्डाक (मेलनोग्रामस ऐग्लेफाइनस)	कि.ग्रा.	शून्य

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
0304 73 00	--	कोलफिश (पोलाचियस वाइरेंस)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 74 00	--	हेक (मर्लुसियस सभी जातियां, यूराफिसिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 75 00	--	अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 79 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	-	अन्य मछली के हिमशीतित कतले :	कि.ग्रा.	शून्य
0304 81 00	--	प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनकस नेरका, आंकोरहाइनकस गोरबस्चा, आंकोरहाइनकस केटा, आंकोरहाइनकस शुवेत्सका, आंकोरहाइनकस किसुच, आंकोरहाइनकस मासो और आंकोरहाइनकस रोडोरस), अटलांटिक सालमन (सैलमो सालर) और दानुबे सालमन (हुको हुको)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 82 00	--	ट्राउट (सेलमो ट्रूटा, आंकोरहाइनकस मिकिस, आंकोरहाइनकस क्लार्की, आंकोरहाइनकस एगुओबोनिटा, आंकोरहाइनकस गिलाई, आंकोरहाइनकस एपाची और आंकोरहाइनकस क्राइसेगास्टर)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 83 00	--	चपटी मछली (पलूट्रोनेक्टिडाई, बोथिडाई, नोग्लोसिडाई, सोलिडाई, स्कोपथालमिडाई और सिथारिडाई)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 84 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 85 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 86 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 87 00	--	ट्यूना मछलियां (थ्युन्नस वंश की), स्किपजैक या पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो (यूथीनस (कातसूवोनस) पेलामिस)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 88	--	डौगफिश, अन्य शार्क रेज और स्केट्स (रेजिडाय) :		
0304 88 10		डौगफिश	कि.ग्रा.	शून्य
0304 88 20	--	अन्य शार्क	कि.ग्रा.	शून्य
0304 88 30	---	रेज और स्केट्स (रेजिडाय)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 89	--	अन्य :		
0304 89 10	---	हिल्सा (टेनुवालोसा इलिशा)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 89 30	---	सुरमई	कि.ग्रा.	शून्य
0304 89 40	---	टूना	कि.ग्रा.	शून्य
0304 89 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	-	अन्य, हिमशीतित :		
0304 91 00	--	स्वोर्डफिस (जिफियास ग्लैडियस)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 92 00	--	टूथफिस (डिसोसटिकस सभी जातियां)	कि.ग्रा	शून्य
0304 93 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां, सटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस, कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) :	कि.ग्रा	शून्य
0304 94 00	--	अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 95 00	--	ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए समूह की मछली, अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 96 00	--	डौगफिश और अन्य शार्क	कि.ग्रा.	शून्य
0304 97 00	--	रेज और स्केट्स (रेजीडाई)	कि.ग्रा.	शून्य
0304 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	शून्य";

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(vi) शीर्ष 0305 में,—

(क) टैरिफ मद 0305 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0305 20 00	-	मछली का यकृत और मीनांडक, शुष्कित, धूमित, लवणित या लवण जल में रखी	कि.ग्रा.	शून्य”;

(ख) टैरिफ मद 0305 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0305 31 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां), नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) :	कि.ग्रा.	शून्य”;

(ग) टैरिफ मद 0305 44 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0305 44 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां), नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) :	कि.ग्रा.	शून्य”;

(घ) टैरिफ मद 0305 51 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“0305 52 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस), कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां), नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) :	कि.ग्रा.	शून्य
0305 53 00	--	कौड (गैडस मौरहुआ, गौडस औगा, गैडस मैक्रोसेफालस) से भिन्न ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मेक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाय, मरल्यूसिडाए, मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए समूह की मछली	कि.ग्रा.	शून्य
0305 54 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पैल्लासी) एंकोवीस (एंग्राउसिल सभी जातियां), सारडीन (सारडिना पिलचारडस, सर्डीनोप्स सभी जातियां), सारडीनेल्ला (सारडीनेल्ला सभी जातियां), ब्रिसलिंग या स्प्रेट (स्प्रेटस स्प्रेटस) मेकेरल (स्कोंबर स्कोंब्रुस, स्कोंबर स्ट्रालसियस, स्कोंबर जपोनिकस),भारतीय मेकेरल (राष्ट्रेल्लीजर सभी जातियां), सुरमई मछली (स्कोंबरमोरस सभी जातियां) जैक और अश्व मैकेरल (ट्राचुरस सभी जातियां), जैक, क्रीवेल्स (केरानकस सभी जातियां), कोबिया (रेचिसिंट्रान केनाडम) सिलवर पामफ्रेट्स (पेम्पस सभी जातियां), पेसिफइक सावरी (कोलोलेबिस सायरा), स्कैड्स (डेकाप्ट्रूस सभी जातियां), कोपेलिन (मैलोटस विलोसस) स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लेडियस), कावाकावा (यूथाइनस एफिनस) बोनिटोस (सारडा सभी जातियां), मार्लिन्स, सेलफिसिस, स्पियरफिस (इस्टियोफोरिडे) :	कि.ग्रा.	शून्य”;

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(ङ) टैरिफ मद 0305 64 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0305 64 00	--	टिलापियस (ओरेक्रोमिस सभी जातियां), कैटफिश (पेंगासियस सभी जातियां, सिलुरुस सभी जातियां, क्लेरियस सभी जातियां, इक्टालुरुस सभी जातियां), कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस कैटला कैटला, लेबियो सभी जातियां, ओस्टियोचाइलस हैसल्टी, लेप्टोबार्बस होईवेनी, मेगालोब्रामा सभी जातियां), ईल्स (एंग्युला सभी जातियां) नील पर्च (लेट्स निलोटिसस) और सरीसृप (चन्ना सभी जातियां) :	कि.ग्रा.	शून्य";

(vii) शीर्ष 0306 में, टैरिफ मद 0306 19 00 से 0306 29 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0306 19 00	--	अन्य, जिनके अंतर्गत क्रस्टेशिया का आटा, अवचूर्ण और गुटिका है, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है	कि.ग्रा.	शून्य
	-	जीवित, ताजी या द्रुतशीतित		
0306 31 00	--	शैल महाचिंगट और अन्य समुद्री प्रचिंगट (पानुलिरस सभी जातियां, जेसस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0306 32 00	--	महाचिंगट (होमारुस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0306 33 00	--	कर्कट	कि.ग्रा.	शून्य
0306 34 00	--	नार्वे महाचिंगट (नेफ्रोस नार्वेजिकस)	कि.ग्रा.	शून्य
0306 35 00	--	शीत जल झींगी और झींगा (पांडालुस सभी जातियां, क्रेंगोन क्रेंगोन)	कि.ग्रा.	शून्य
0306 36 00	--	अन्य झींगी और झींगा	कि.ग्रा.	शून्य
0306 39 00	--	अन्य, जिनके अंतर्गत क्रस्टेशिया का आटा, अवचूर्ण और गुटिका है, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है	कि.ग्रा.	शून्य
	-	अन्य :		
0306 91 00	--	शैल महाचिंगट और अन्य समुद्री प्रचिंगट (पानुलिरस सभी जातियां, जेसस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0306 92 00	--	महाचिंगट (होमारुस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0306 93 00	--	कर्कट	कि.ग्रा.	शून्य
0306 94 00	--	नार्वे, महाचिंगट (नेफ्रोस नार्वेजिकस)	कि.ग्रा.	शून्य
0306 95 00	--	अन्य, झींगी और झींगा	कि.ग्रा.	शून्य
0306 99 00	--	अन्य, जिनके अंतर्गत क्रस्टेशिया का आटा, अवचूर्ण और गुटिका है, जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है	कि.ग्रा.	शून्य";

(viii) शीर्ष 0307 में,—

(क) टैरिफ मद 0307 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0307 12 00	--	हिमशीतित	कि.ग्रा.	शून्य";

(ख) टैरिफ मद 0307 21 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0307 22 00	--	हिमशीतित	कि.ग्रा.	शून्य";

(ग) टैरिफ मद 0307 31 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0307 32 00	--	हिमशीतित	कि.ग्रा.	शून्य";

(घ) टैरिफ मद 0307 39 90 से 0307 49 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

0307 39 90	--	अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	.	सुफेनक और स्कवीड :		
0307 42	--	जीवित, ताजी या द्रुतशीतित		
0307 42 10	---	सुफेनक	कि.ग्रा.	शून्य
0307 42 20	---	स्कवीड	कि.ग्रा.	शून्य
0307 43	--	हिमशीतित		
0307 43 10	---	सुफेनक	कि.ग्रा.	शून्य
0307 43 20	---	समस्त स्कवीड	कि.ग्रा.	शून्य

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
0307 43 30	---	स्क्वीड ट्यूबें	कि.ग्रा.	शून्य
0307 49	--	अन्य		
0307 49 10	---	सुफेनक	कि.ग्रा.	शून्य
0307 49 20	---	समस्त स्कवीड	कि.ग्रा.	शून्य
0307 49 30	---	स्क्वीड ट्यूबें	कि.ग्रा.	शून्य
0307 49 40	---	शुष्कित स्क्वीड	कि.ग्रा.	शून्य
0307 49 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	शून्य";

(ङ) टैरिफ मद 0307 51 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0307 52 00	--	हिमशीतित	कि.ग्रा.	शून्य";

(च) टैरिफ मद 0307 71 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0307 72 00	--	हिमशीतित	कि.ग्रा.	शून्य";

(छ) टैरिफ मद 0307 79 00 से 0307 89 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0307 79 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	--	ऐबेलोन (हेलियोटिस सभी जातियां) और स्ट्रामबाइड सीपियां (स्ट्रामबस सभी जातियां) :		
0307 81 00	--	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित ऐबेलोन (हेलियोटिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0307 82 00	--	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित स्ट्रामबाइड सीपियां (स्ट्रामबस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0307 83 00	--	हिमशीतित एबेलोन (हेलियोटिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0307 84 00	--	हिमशीतित स्ट्रामबाइड सीपियां (स्ट्रामबस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0307 87 00	--	अन्य ऐबेलोन (हेलियोटिस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य
0307 88 00	--	अन्य स्ट्रामबाइड सीपियां (स्ट्रामबस सभी जातियां)	कि.ग्रा.	शून्य";

(ज) टैरिफ मद 0307 91 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0307 92 00	--	हिमशीतित	कि.ग्रा.	शून्य";

(ix) शीर्ष 0308 में,—

(क) शीर्ष 0308 के सामने की प्रविष्टि के पश्चात्, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

" - सी कुकुम्बर (स्टीचोपस जेपोनिकस, होलोथूरियाडाई):"

(ख) टैरिफ मद 0308 11 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0308 12 00	--	हिमशीतित	कि.ग्रा.	शून्य";

(ग) टैरिफ मद 0308 19 00 से 0308 21 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0308 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
	-	समुद्री जलशाही (स्ट्रांगिलोसेंट्रोटस सभी जातियां, पैरासेंट्रोटस लिविडस, लोक्सीचिनस एल्बस, इचिचिनस एस्कुलेंटस)		
0308 21 00	--	जीवित, ताजा या द्रुतशीतित	कि.ग्रा.	शून्य
0308 22 00	--	हिमशीतित	कि.ग्रा.	शून्य";

(2) अध्याय 4 के टिप्पण 4 में,—

(अ) खंड (क) में, "या" या शब्द लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) ऐसे उत्पाद जिन्हें उसके एक या अधिक प्राकृतिक घटकों (मक्खनवसा) को प्रतिस्थापित करके किसी अन्य पदार्थ के साथ (उदाहरणार्थ तैलवसा) (शीर्ष 19001 या 2106) के साथ मिलाकर दूध से अभिप्राप्त किए जाते हैं; या";

(इ) विद्यमान खंड (ख) को खंड (ग) के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जाएगा ;

(3) अध्याय 5 में, टिप्पण 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. नामपद्धति में सर्वत्र "अश्वरोम" पद से आश्व या गोकुलीय प्राणियों के अयालों या पूंछों के बाल अभिप्रेत हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, शीर्ष 0511 के अंतर्गत अश्वरोम और अश्वरोम अपशिष्ट भी हैं, चाहे वे सहायक सामग्री सहित या रहित पद के रूप में लगाए जाते हैं या नहीं।"।

(4) अध्याय 8 के शीर्ष 0805 टैरिफ मद 0808 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	मैन्डारिन (जिसके अंतर्गत टैन्जेरिन और सटसुमस है); क्लमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे ही निम्बुकुल संकर :		
0805 21 00	--	मैन्डारिन (जिसके अंतर्गत टैन्जेरिन और सटसुमस है)	कि.ग्रा.	शून्य

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
0805 22 00	--	क्लमेन्टाइन	कि.ग्रा.	शून्य
0805 29 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	शून्य

(5) अध्याय 12 में,—

(i) शीर्ष 1211 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1211 इस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग (जिसके अंतर्गत बीज और फल हैं) जिनका उपयोग प्रथमतः सुगंध सामग्री में या फार्मेसी में या कीटनाशी, फफूंदी नाशी या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है, ताजे, द्रुतशीतित, हिमशीतित या शुष्कित, चाहे कर्तित, दलित या चूर्णित हैं या नहीं" ।

(ii) शीर्ष 1211 40 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1211 50 00	--	एफेड्रा	कि.ग्रा.	शून्य ";

(6) अध्याय 13 के शीर्ष 1302 में, टैरिफ मद 1302 13 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1302 14 00	--	एफेड्रा के	कि.ग्रा.	12.5%";

(7) अध्याय 16 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 1 के दूसरे वाक्य में "शिशु आहार" शब्दों के स्थान पर, "शिशु या तरुण बालकों के लिए उपयुक्त आहार के रूप में" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) शीर्ष 1604 में टैरिफ मद 1604 17 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1604 18 00	--	शार्क फिन्स	कि.ग्रा.	6%

(8) अध्याय 19 में, उपशीर्ष 1901 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1901 10 - शिशुओं या तरुण बालकों के लिए उपयुक्त निर्मितियां जो फुटकर विक्रय के लिए रखी गई हैं";

(9) अध्याय 20 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 1 के दूसरे वाक्य में "शिशु आहार" शब्दों के स्थान पर, "शिशु या तरुण बालकों के लिए उपयुक्त आहार के रूप में" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 के दूसरे वाक्य में "शिशु आहार" शब्दों के स्थान पर, "शिशु या तरुण बालकों के लिए उपयुक्त आहार के रूप में" शब्द रखे जाएंगे;

(10) अध्याय 21 में, उपशीर्ष टिप्पण 3 के दूसरे वाक्य में "शिशु आहार" शब्दों के स्थान पर, "शिशु या तरुण बालकों के लिए उपयुक्त आहार के रूप में" शब्द रखे जाएंगे;

(11) अध्याय 22 में,—

(i) उपशीर्ष 2202 90 में, टैरिफ मद 2202 90 10 से 2202 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	अन्य		
2202 91 00	--	गैर-अल्कोहाली बीयर	लि0	18%
2202 99	--	अन्य :		
2202 99 10	---	सोया दुग्ध पेय, चाहे मधुरित या सुरुचिकारक हैं या नहीं	लि0	18%
2202 99 20	---	फल गूदा या फल रस आधारित पेय	लि0	6%
2202 99 30	---	दूध से युक्त सुपेय	लि0	12.5%
2202 99 90	---	अन्य	लि0	12.5% ";

(ii) टैरिफ मद 2204 21 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2204 22	--			
2204 22 10	---			
2204 22 20	---			
2204 22 90	---			-";

(iii) टैरिफ मद 2206 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2206 00 00	---			-";

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(12) अध्याय 27 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. उपशीर्ष 2710 12 के प्रयोजनों के लिए, "हल्के तेल और निर्मितियां" वे हैं जिनका आयतन के अनुसार आई एस ओ 3405 प्रणाली (एएसटीएम डी 86 प्रणाली के समतुल्य) के अनुसार 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन 90% या उससे अधिक (जिसके अंतर्गत हानियां हैं) होता है।";

(ii) टैरिफ मद 2707 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2707 50 00	-	अन्य ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन मिश्रण जिनकी 65 प्रतिशत या अधिक मात्रा का आसवन (जिसके अंतर्गत हानि भी है) (ए एस टी एम डी 86 पद्धति के समतुल्य) आई एस ओ 3405 पद्धति द्वारा 250 सेंटीग्रेड पर होता है	कि.ग्रा.	14% ";

(13) अध्याय 28 में,—

(i) टिप्पण 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. शीर्ष 2853 के अंतर्गत ताम्र फास्फाइड (फास्फर ताम्र) जिसमें भार के आधार पर फास्फोरस 15% से अधिक नहीं है।"।

(ii) टैरिफ मद 2811 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2811 12 00	-	हाइड्रोजन साइनाइड (हाइड्रोसाइनिक अम्ल)	कि.ग्रा.	12.5% ";

(iii) टैरिफ मद 2811 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपशीर्ष 2812 10, टैरिफ मद 2812 10 10 से 2812 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	क्लोराइड्स और क्लोराइड आक्साइड :		
"2812 11 00	--	कार्बोनिल डाईक्लोराइड (फौसजीन)	कि.ग्रा.	12.5%
2812 12 00	--	फास्फोरस आक्सीक्लोराइड	कि.ग्रा.	12.5%
2812 13 00	--	फास्फोरस ट्राईक्लोराइड	कि.ग्रा.	12.5%
2812 14 00	--	फास्फोरस पेंटाक्लोराइड	कि.ग्रा.	12.5%
2812 15 00	--	सल्फर मोनोक्लोराइड	कि.ग्रा.	12.5%
2812 16 00	--	सल्फर डाईक्लोराइड	कि.ग्रा.	12.5%
2812 17 00	--	थायोनाइल क्लोराइड	कि.ग्रा.	12.5%
2812 19	--	अन्य :		
2812 19 10	---	सल्फर आक्सीक्लोराइड	कि.ग्रा.	12.5%
2812 19 20	--	सिलिकोन टेट्राक्लोराइड	कि.ग्रा.	12.5%
2812 19 30	--	आर्सेनिक ट्राईक्लोराइड	कि.ग्रा.	12.5%
2812 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%
2812 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%";

(v) शीर्ष 2848, उपशीर्ष 2848 00, टैरिफ मद 2848 00 10 से 2848 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vi) शीर्ष 2853, उपशीर्ष 2853 00, टैरिफ मद 2853 00 10 से 2853 00 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2853		फास्फाइड, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित है या नहीं, जिसके अंतर्गत फेरोफास्फोरस नहीं है ; अन्य अकार्बनिक यौगिक (जिसके अंतर्गत आसुत या चालकता जल और समान शुद्धता का जल भी है); द्रव वायु (चाहे उसमें से दुर्लभ गैसें निकाल दी गई हों या नहीं); संपीडित वायु ; अमलगम, बहुमूल्य धातु के अमलगम से भिन्न		
2853 10 00	-	साएनोजन क्लोराइड (क्लोरसिया)	कि.ग्रा.	12.5%
2853 90	-	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%
2853 90 10	---	आसुत या चालकता जल और उसी शुद्धता का जल	कि.ग्रा.	12.5%
2853 90 20	---	द्रव वायु, चाहे उसमें से दुर्लभ गैसों का भाग निकाल दिया गया हो या नहीं	कि.ग्रा.	12.5%
2853 90 30	---	संपीडित वायु	कि.ग्रा.	शून्य
2853 90 40	---	अमलगम, बहुमूल्य धातु के अमलगम से भिन्न	कि.ग्रा.	12.5%
2853 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(14) अध्याय 29 में,—

(i) टैरिफ मद 2903 82 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2903 83 00	--	माइरेक्स (आईएसओ)	कि.ग्रा.	12.5%

(ii) टैरिफ मद 2903 92 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2903 93 00	--	पेंटाक्लोरोबेंजीन (आईएसओ)	कि.ग्रा.	12.5%
2903 94 00	--	हेक्साब्रोमो बाईफइनाइल	कि.ग्रा.	12.5%

(iii) शीर्ष 2904 में,—

(क) टैरिफ मद 2903 92 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	"-	परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल, उसके लवण और परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनाइल फ्लूराइड :		
2904 31 00	--	परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल	कि.ग्रा.	12.5%
2904 32 00	--	अमोनियम परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनेट	कि.ग्रा.	12.5%
2904 33 00	--	लीथियम परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनेट	कि.ग्रा.	12.5%
2904 34 00	--	पोटैशियम परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनेट	कि.ग्रा.	12.5%
2904 35 00	--	परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल के अन्य लवण	कि.ग्रा.	12.5%
2904 36 00	--	परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनाइल फ्लूराइड	कि.ग्रा.	12.5%

(ख) उपशीर्ष 2904 90, टैरिफ मद 2904 90 10 से 2904 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	अन्य :		
2904 91 00	--	ट्राईक्लोरोनाइट्रोमीथेन (क्लोरोपिक्रिन)	कि.ग्रा.	12.5%
2904 99	--	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%
2904 99 10	---	2, 5 डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन	कि.ग्रा.	12.5%
2904 99 20	---	डाइनोइट्रोक्लोरोबेंजीन	कि.ग्रा.	12.5%
2904 99 30	---	मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन	कि.ग्रा.	12.5%
2904 99 40	---	आर्थो नोइट्रोक्लोरोबेंजीन	कि.ग्रा.	12.5%
2904 99 50	---	परा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन	कि.ग्रा.	12.5%
2904 99 60	---	2-नाइट्रोक्लोरोटोलुईन	कि.ग्रा.	12.5%
2904 99 70	---	सोडियम मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन	कि.ग्रा.	12.5%
2904 99 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%

(iv) टैरिफ मद 2910 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2910 50 00	-	एन्ड्रिन (आईएसओ))	कि.ग्रा.	12.5%

(v) शीर्ष 2914 में,—

(क) टैरिफ मद 2914 61 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2914 62 00	--	कोएन्जाइम क्यू 10 [(यूबिडेकारेनोन(आईएनएन)]	कि.ग्रा.	12.5%

(ख) उपशीर्ष 2914 70, टैरिफ मद 2914 70 10 से टैरिफ मद 2914 70 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	हेलोजनीकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रेटिकृत या नाइट्रोसेटिकृत व्युत्पन्न :		
2914 71 00	--	क्लोरोडेकान (आईएसओ)	कि.ग्रा.	12.5%
2914 79	--	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%
2914 79 10	---	1-क्लोरो एंथ्राक्विनोन	कि.ग्रा.	12.5%
2914 79 20	---	मस्क किटोन	कि.ग्रा.	12.5%
2914 79 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%

(vi) टैरिफ मद 2918 16 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2918 17 00	--	2,2-डाईफिनाइल-2-हाइड्रोक्सीएसिटिक अम्ल (बेंजिलिक अम्ल)	कि.ग्रा.	12.5%

(vii) उपशीर्ष 2920 90, टैरिफ मद 2920 90 10 से टैरिफ मद 2920 90 44 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"	-	फास्फाइट एस्टर और उनके लवण; उनके हेलोजनीकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रेटिकृत या नाइट्रोसेटिकृत व्युत्पन्न :		
2920 21 00	--	डाईमिथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	12.5%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
2920 22 00	-- डाईइथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	12.5%
2920 23 00	-- ट्राईमिथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	12.5%
2920 24 00	-- ट्राईइथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	12.5%
2920 29	--- अन्य :		
2920 29 10	--- डाईमिथाइल सल्फाइट	कि.ग्रा.	12.5%
2920 29 20	--- डाईइथाइल सल्फाइट	कि.ग्रा.	12.5%
2920 29 30	--- ट्रिस (2,3 डाईब्रोमोप्रोपायल) फास्फेट	कि.ग्रा.	12.5%
2920 29 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	12.5%
2920 30 00	- एंडोसल्फेन (आईएसओ)	कि.ग्रा.	12.5%

(viii) उपशीर्ष 2921 19, टैरिफ मद 2921 19 11 से 2921 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2921 12 00	-- 2-(एन,एन-डाईमिथाइलएमीनो) इथाइलक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	12.5%
2921 13 00	-- 2-(एन,एन-डाईइथाइलएमीनो) इथाइलक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	12.5%
2921 14 00	-- 2-(एन,एन-डाईआइसोप्रोपाइलएमीनो) इथाइलक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	12.5%
2921 19	-- अन्य		
2921 19 10	--- 2-क्लोरो एन, एन-डाईआइसोप्रोपाइल एथिलएमीन	कि.ग्रा.	12.5%
2921 19 20	--- 2-क्लोरो एन, एन-डाईमिथाइल एथेनामाइन	कि.ग्रा.	12.5%
2921 19 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	12.5%

(ix) उपशीर्ष 2922 13, टैरिफ मद 2922 12 10 से 2922 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2922 12 00	-- डाइथानोलेमाइन और उसके लवण	कि.ग्रा.	12.5%

(x) उपशीर्ष 2922 13, टैरिफ मद 2922 13 10 से टैरिफ मद 2922 13 90, टैरिफ मद 2922 14 00, उपशीर्ष 2922 19, टैरिफ मद 2922 19 40 से टैरिफ मद 2922 19 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

2922 14 00	-- डेक्सट्रोप्रोपोक्सीफीन (आइएनएन) और उसके लवण	कि.ग्रा.	12.5%
2922 15 00	-- ट्राईएथनोलामीन	कि.ग्रा.	12.5%
2922 16 00	-- डाईएथनोलामोनियम परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनेट	कि.ग्रा.	12.5%
2922 17	-- मिथाइलडाईएथनोलामीन और इथाइलडाईएथनोलामीन	कि.ग्रा.	12.5%
2922 17 10	--- मिथाइलडाईएथनोलामीन	कि.ग्रा.	12.5%
2922 17 20	--- इथाइलडाईएथनोलामीन	कि.ग्रा.	12.5%
2922 18 00	-- 2-(एन,एन-डाईआइसोप्रोपाइलामीनो) इथाइलामीन	कि.ग्रा.	12.5%
2922 19	-- अन्य	कि.ग्रा.	12.5%
2922 19 10	--- 2-हाइड्रोक्सी एन, एन-डाईआइसोप्रोपाइल इथाइलामीन	कि.ग्रा.	12.5%
2922 19 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	12.5%

(xi) टैरिफ मद 2923 20 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2923 30 90	- टेट्राइथाइल अमोनियम परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनेट	कि.ग्रा.	12.5%
2923 40 00	- डाईडिसिल्डीमिथाइलअमोनियम परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनेट	कि.ग्रा.	12.5%

(xii) टैरिफ मद 2924 24 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2924 25 00	-- अलाक्लोर (आईएसओ)	कि.ग्रा.	12.5%

(xiii) टैरिफ मद 2926 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2926 40 00	- अल्फा-फिनाइलएसिटोएसिटोनाइट्राइल	कि.ग्रा.	12.5%

(xiv) टैरिफ मद 2930 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2930 60 00	- 2-(एन, एन-डाईइथाइलामीनो) एथनेथियोल	कि.ग्रा.	12.5%
2930 70 00	- बिस (2-हाइड्रोक्सीइथाइल) सल्फाइड (थियोडाईजायलीकोल (आईएनएन))	कि.ग्रा.	12.5%
2930 80 00	-- एल्डीकार्ब (आईएसओ), कैप्टाफोल (आईएसओ) और मेथामिथोफोस (आईएसओ)	कि.ग्रा.	12.5%

(xv) टैरिफ मद 2931 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	"- अन्य कार्बन-गंधक व्युत्पन्न :		
2931 31 00	-- डाईमिथाइल मिथाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	12.5%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
2931 32 00	--	डाईएथाइल प्रोपाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	12.5%
2931 33 00	--	डाईएथाइल इथाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	12.5%
2931 34 00	--	सोडियम 3- (ट्राईहाइड्रोक्सीसिलाइल) मिथाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	12.5%
2931 35 00	--	2,4,6-ट्राईप्रोपाइल-1,3,5,2,4,6-ट्राईआक्साट्राईफास्फिनेन 2,4,6-ट्राईआक्साइड	कि.ग्रा.	12.5%
2931 36 00	--	(5-इथाइल-2-मिथाइल-2-आक्सीडो-1,3,2-डाईआक्साफास्फिनेन—5 वाईएल) मिथाइल मिथाइल] मिथाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	12.5%
2931 37 00	--	बिस [(5-इथाइल-2-मिथाइल-2-आक्सीडो-1,3,2-डाईआक्साफास्फिनेन-5-वाईएल) मिथाइल] मिथाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	12.5%
2931 38 00	--	मिथाइलफास्फोनिक अम्ल के लवण और (अमीनोइमीनोमिथाइल) यूरिया (1: 1)	कि.ग्रा.	12.5%
2931 39 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%

(xvi) टैरिफ मद 2932 13 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2932 14 00	--	सुक्रालोज	कि.ग्रा.	12.5%

(xvii) टैरिफ मद 2933 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2932 92 00	--	अजिनफास-मिथाइल (आईएसओ)	कि.ग्रा.	12.5%

(xviii) शीर्ष 2935 में, उपशीर्ष 2935 00, टैरिफ मद 2935 00 00 से टैरिफ मद 2935 00 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2935		सल्फोनामाइड		
2935 10 00	-	एन-मिथाइलपरफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड	कि.ग्रा.	12.5%
2935 20 00	-	एन-इथाइलपरफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड	कि.ग्रा.	12.5%
2935 30 00	-	एन-इथाइल-एन-(2-हाइड्रोक्सीइथाइल) परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड	कि.ग्रा.	12.5%
2935 40 00	-	एन -(2-हाइड्रोक्सीइथाइल)-एन- मिथाइलपरफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड	कि.ग्रा.	12.5%
2935 50 00	-	अन्य परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड	कि.ग्रा.	12.5%
2935 90	-	अन्य :	कि.ग्रा.	12.5%
	---	सल्फोमेथोक्साजोल, सल्फाफ्यूराजोल, सल्फाडाइजाइन, सल्फाडीमीडाइन, सल्फासेटामाइड :		
2936 90 11	----	सल्फामेथोक्साजोल	कि.ग्रा.	12.5%
2937 90 12	----	सल्फाफ्यूराजोल	कि.ग्रा.	12.5%
2937 90 13	----	सल्फाडायजाइन	कि.ग्रा.	12.5%
2939 90 14	----	सल्फाडीमीडाइन	कि.ग्रा.	12.5%
2940 90 15	----	सल्फासिटामाइड	कि.ग्रा.	12.5%
	---	सल्फामेथोक्सीपाइरिडेरीन, सल्फामेथीयाजोल, सल्फामोक्सोल, सल्फामाइड :		
2936 90 21	----	सल्फामेथोक्सीपाइरिडेरीन	कि.ग्रा.	12.5%
2937 90 22	----	सल्फामेथीयाजोल	कि.ग्रा.	12.5%
2938 90 23	----	सल्फामोक्सोल	कि.ग्रा.	12.5%
2939 90 24	----	सल्फामाइड	कि.ग्रा.	12.5%
2940 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%

(xix) टैरिफ मद 2937 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2937 31 00	--	इपाइनफ्रिन	कि.ग्रा.	12.5%

(xx) टैरिफ मद 2937 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात आने वाले स्तंभ (2) के प्रविष्टि में "वनस्पति" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(xxi) शीर्ष 2939 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2939	ऐलकेलाइड, प्राकृतिक या संश्लेषण द्वारा पुनरुत्पादित और उनके लवण, ईथर, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न ";

(xxii) टैरिफ मद 2939 69 00 से टैरिफ मद 2939 99 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2939 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%
	-	अन्य, वनस्पति मूल के :		
2939 71 00	--	कोकीन, एक्गोनाइन, लेवोमेटामफेटामीन, मेटामफेटामीन (आईएनएन), मेटामफेटामीन रेसमेट ; उसके लवण, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	12.5%
2939 79 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%
2939 80 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(15) अध्याय 30 में,—

(i) टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 3002 13 और 3002 14 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को :

(क) अमिश्रित उत्पाद, शुद्ध उत्पाद, चाहे उनमें अशुद्धियां अंतर्विष्ट हों या नहीं ;

(ख) ऐसे उत्पादों के रूप में माना जाएगा, जो :

(1) ऊपर (क) में उल्लिखित उत्पाद, जो जल में या अन्य विलायकों में घुले हुए हैं ;

(2) ऊपर (क) और (ख) (1) में उल्लिखित उत्पाद, उनके परिरक्षण या परिवहन के लिए आवश्यक संयोजित स्थिरक के साथ मिश्रित किए गए हैं ; और

(3) ऊपर (क) (ख)(1) और (ख) (2) में उल्लिखित उत्पाद किसी अन्य योजक के साथ मिश्रित किए गए हैं।

2. उपशीर्ष 3003 60 और 3004 60 के अंतर्गत अन्य भेषजिक सक्रिय संघटकों के साथ सम्मिलित मौखिक अंतर्ग्रहण के लिए आर्टीमिसिनिन या निम्नलिखित सक्रिय मूल तत्वों में से कोई मूल तत्वों, चाहे वह अन्य भेषजिक सक्रिया संघटकों के साथ सम्मिश्रित है या नहीं : एमोडायाक्विन (आईएनएन) ; आर्टीलिनिक अम्ल या उसके लवण ; आर्टीनिमोल (आईएनएन) ; आर्टीमोटिल (आईएनएन); आर्टीमेथर (आईएनएन) ; आर्टीसुनेट (आईएनएन) ; क्लोरोक्विन (आईएनएन) ; डाईहाइड्रोआर्टीमिसिनिन (आईएनएन) ; लुमेफैनट्रिन (आईएनएन) ; मेफ्लोक्विन (आईएनएन) ; पाइप्राक्विन (आईएनएन) ; पाइरीमेथामाइन (आईएनएन) या सल्फोडाक्सिन (आईएनएन) से युक्त औषधि द्रव्य हैं। ";

(ii) उपशीर्ष 3002 10, टैरिफ मद 3002 10 11 से 3002 10 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	प्रतिसीरम, अन्य रक्त प्रभाज और प्रतिरक्षात्मक उत्पाद चाहे वे रूपांतरित हैं या नहीं या उन्हें जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया हो या नहीं :		
3002 11 00	--	मलेरिया नैदानिक परीक्षण किट	कि.ग्रा.	6%
3002 12	--	प्रतिसीरम और अन्य रक्त प्रभाज :		
3002 12 10	---	डिफ्थीरिया के लिए	कि.ग्रा.	शून्य
3002 12 20	---	टेटनल के लिए	कि.ग्रा.	शून्य
3002 12 30	---	रेबीज के लिए	कि.ग्रा.	शून्य
3002 12 40	---	सांप के जहर के लिए	कि.ग्रा.	शून्य
3002 12 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	शून्य
3002 13	--	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, जो मिश्रित नहीं हैं किंतु जो मापित मात्राओं में या रूपों में या पैकिंगों में फुटकर विक्रय के लिए नहीं रखे गए हैं	कि.ग्रा.	6%
3002 13 10	---	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, जो मिश्रित नहीं हैं किंतु जो मापित मात्राओं में या रूपों में या पैकिंगों में फुटकर विक्रय के लिए नहीं रखे गए हैं	कि.ग्रा.	6%
3002 14	--	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, जो मिश्रित नहीं हैं किंतु जो मापित मात्राओं में या रूपों में या पैकिंगों में फुटकर विक्रय के लिए नहीं रखे गए हैं	कि.ग्रा.	6%
3002 14 10	---	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद मिश्रित किए गए हैं, किंतु जो मापित मात्राओं में या रूपों में या पैकिंगों में फुटकर विक्रय के लिए नहीं रखे गए हैं	कि.ग्रा.	6%
3002 15 00	--	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, जो मापित मात्राओं में या रूपों में या पैकिंगों में फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हैं	कि.ग्रा.	6%
3002 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	6%";

(iii) टैरिफ मद 3003 20 00 से टैरिफ मद 3003 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3003 20 00	-	अन्य, जिसमें प्रतिजैविकी हैं	कि.ग्रा.	6%
	-	अन्य, जिसमें शीर्ष 2937 के होरमोन्स या अन्य उत्पाद हैं :		
3003 31 00	--	जिसमें इन्सुलिन है	कि.ग्रा.	6%
3003 39 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	6%
	-	अन्य, जिसमें ऐलकेलाइड या उनके व्युत्पन्न हैं :		
3003 41 00	--	जिसमें एफेड्रिन या उसके लवण हैं	कि.ग्रा.	6%
3003 42 00	--	जिसमें पसुदोफेड्रिन (आई.एन.एन.) या उसके लवण हैं	कि.ग्रा.	6%
3003 43 00	--	जिसमें नोरेफड्रिन या उसके लवण हैं	कि.ग्रा.	6%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
3003 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	6%
3003 60 00	--	अन्य, जिसमें इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 2 में वर्णित मलेरियारोधी सक्रिय सिद्धांत है	कि.ग्रा.	6%";

(iv) शीर्ष 3004 में,—

(क) उपशीर्ष 3004 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3004 20	--	अन्य, जिसमें प्रतिजैविकी हैं :";		

(ख) टैरिफ मद 3004 20 99, उपशीर्ष 3004 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3004 20 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	6%
	--	अन्य, जिसमें शीर्ष 2937 के होरमोन्स या अन्य उत्पाद हैं :		
3004 31	--	जिसमें इन्सुलिन है :";		

(ग) उपशीर्ष 3004 40, टैरिफ मद 3004 40 10 से टैरिफ मद 3004 40 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	अन्य, जिसमें ऐलकेलाइड या उनके व्युत्पन्न हैं :		
3004 41 00	--	जिसमें एफेड्रिन या उसके लवण हैं	कि.ग्रा.	6%
3004 42 00	--	जिसमें पसुदोफेड्रिन (आई.एन.एन.) या उसके लवण हैं	कि.ग्रा.	6%
3004 43 00	--	जिसमें नोरेफड्रिन या उसके लवण हैं	कि.ग्रा.	6%
3004 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	6%
3004 49 10	---	ऐट्रोपीन और उसके लवण	कि.ग्रा.	6%
3004 49 20	---	कैफीन और उसके लवण	कि.ग्रा.	6%
3004 49 30	---	कोडीन और उनके व्युत्पन्न, एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड सहित या रहित	कि.ग्रा.	6%
3004 49 40	---	अरगॉट के उत्पाद, इरगोटेमाइन और उसके लवण	कि.ग्रा.	6%
3004 49 50	---	पपैवरीन हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	6%
3004 49 60	---	ब्रोमोहेक्सीन और सोलब्यूटामोल	कि.ग्रा.	6%
3004 49 70	---	थियोफिलीन और एफेड्रीन	कि.ग्रा.	6%
3004 49 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	6%";

(घ) उपशीर्ष 3004 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3004 50	--	अन्य, जिसमें शीर्ष 2936 के विटामिन और अन्य उत्पाद हैं :";		

(ङ) टैरिफ मद 3004 50 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3004 60 00	-	अन्य, जिसमें इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 2 में वर्णित मलेरियारोधी सक्रिय सिद्धांत है	कि.ग्रा.	6%:";

(16) अध्याय 31 के शीर्ष 3103 में, टैरिफ मद 3103 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	सुपरफास्फेट्स :		
3103 11 00	--	जिसमें भार द्वारा 35% या अधिक डाइफास्फोरस पेन्टाआक्साइड (P_2O_5) है	कि.ग्रा.	12.5%
3103 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%";

(17) अध्याय 37 के शीर्ष 3705 में, टैरिफ मद 3705 10 00, उपशीर्ष 3705 90, टैरिफ मद 3705 90 10, टैरिफ मद 3705 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3705 00	-	फोटोचित्र प्लेटें और फिल्म, उद्भाषित और डेवेलप की गई, चलचित्रीय फिल्म से भिन्न	कि.ग्रा.	शून्य ";

(18) अध्याय 38 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 1 और उपशीर्ष टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 3808 52 और उपशीर्ष 3808 59 के अंतर्गत केवल शीर्ष 3808 के माल हैं, जिनके अंतर्गत एक या अधिक निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैं : एलाक्लोर (आईएसओ) ; एल्डीकार्ब (आईएसओ) ; एल्ड्रिन (आईएसओ); एजिनफास-मिथाइल (आईएसओ) ; बाइनापैक्राइल (आईएसओ); कैम्फेक्लोर (आईएसओ) (टोक्साफेन); कैप्टाफोल (आईएसओ); क्लोरडेन (आईएसओ); क्लोरडाइमेफार्म (आईएसओ); क्लोरोबेन्जिलेट (आईएसओ); डी.डी.टी. (आईएसओ); क्लोफेनोटेन (आई.एन.एन.), 1,1,1-ट्राईक्लोरो-2-2-बिस (पी-क्लोरोफेनाइल) ईथेन; डाइएल्ड्रिन (आईएसओ, आई.एन.एन.), 4,6-डाइनाइट्रो-ओ-क्रेसोल (डी.एन.ओ.सी. (आईएसओ) या उसके लवण, डाइनोसेब (आईएसओ), उसके लवण या उसके एस्टर ; एन्डोसल्फेन (आईएसओ) ; एथिलीन

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

डाईब्रोमाइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डाईब्रोमोएथेन); एथिलीन डाईक्लोराइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डाईक्लोरोएथेन); फ्लूरोएसीटामाइड (आई.एस.ओ.); हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आई.एस.ओ.); 1,2,3,4,5,6- हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन [एच.सी.एच.] (आई.एस.ओ.) लिन्डेन (आई.एस.ओ., आई.एन.एन.) सहित, मर्करी यौगिक; मेथामिडोफेस (आई.एस.ओ.); मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.); आक्सीरैन (एथिलीन आक्साइड); पैराथियन (आई.एस.ओ.); पैराथियनमिथाइल (आई.एस.ओ.); (मिथाइल-पैराथियन); पेंटा और ओक्टाब्रोमोडाईफिनाइल ईथर्स ; पेंटाक्लोरोफीनोल (आई.एस.ओ.) उसके लवण या उसके एस्टर ; परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल और उसके लवण ; परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड्स ; परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनाइड फ्लूराइड; फास्फामिडान (आई.एस.ओ.) ; 2,4,5-टी (आई.एस.ओ.) (2,4,5-ट्राईक्लोरो-फेनौक्सीएसेटिक अम्ल), उसके लवण और उसके एस्टर ; ट्राईबुटाइलिटिन यौगिक।

उपशीर्ष 3808 59 के अंतर्गत चूर्णयोग्य पाउडर विनिर्मितियां, जिनके अंतर्गत बेनोमाइल (आई.एस.ओ.), कार्बोफुरान (आई.एस.ओ.) और थिराम (आई.एस.ओ.) का मिश्रण भी है।"।

2. उपशीर्ष 3808 61 से उपशीर्ष 3808 69 के अंतर्गत केवल शीर्ष 3808 के माल हैं, जिनके अंतर्गत अल्फासाइपरमेथरिन (आई.एस.ओ.), बेंडियोकार्ब (आई.एस.ओ.), बिफेंथ्रिन (आई.एस.ओ.), क्लोफेना (आई.एस.ओ.), साइफ्लूथ्रिन (आई.एस.ओ., डेल्टामिथ्रिन (आई.एन.एन. आई.एस.ओ.), इटोफेनप्रोक्स (आई.एन.एन.), फेनीट्रोथियोन (आई.एस.ओ.), लेम्बड़ा-साईहालोथ्रिन (आई.एस.ओ.), मैलाथियोन (आई.एस.ओ.), प्राइमोफोस-मिथाइल (आई.एस.ओ.), या प्रोपोक्सर (आई.एस.ओ.) हैं।

3. उपशीर्ष 3824 81 से उपशीर्ष 3824 88 के अंतर्गत केवल मिश्रण और निम्नलिखित पदार्थों की एक या अधिक निर्मितियां हैं : आक्सीरेन (इथाइलेन आक्साइड) पोलीब्रोमिनेटेड बाईफिनाइल्स (पीबीबी), पोलीक्लोरीनेटेड बाइकिनाइल (पीसीबी), पोलीक्लोरीनेटेड टेरफिनाइल (पीसीटी), ट्रिस (2,3-डाईब्रोमोप्रोपाइल) फास्फेट, एल्ड्रिन (आई.एस.ओ.), कैम्फाक्लोर (आई.एस.ओ.) (टोक्साफेन), क्लोरडेन (आई.एस.ओ.), क्लोरडेकोन (आई.एस.ओ.), डीडीटी (आई.एस.ओ.) (क्लोफेनोटेन (आई.एन.एन), 1,1,1-ट्रोइक्लोरो-2, 2-बिस (क्लोरोफिनाइल) (इथेन), डाइल्ड्रिन (आई.एस.ओ. आई.एन.एन.), एन्डोसल्फान (आई.एस.ओ.), एन्ड्रिन (आई.एस.ओ.), हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.) माइरेक्स (आई.एस.ओ.), 1,2,3,4,5,6-हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (एच.सी.एच. (आई.एस.ओ.), जिसमें लिन्डेन (आई.एस.ओ., आई.एन.एन.) है, पेंटाक्लोरोबेंजीन (आई.एस.ओ.), हेक्साक्लोरोबेंजीन (आई.एस.ओ.), परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल, उसके लवण, परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड फ्लूराइड या टेट्रा-, पेंटा-, हेक्सा-, हेप्टा-या आक्टाब्रोमोडाइफिनाइल इथर्स हैं।

4. टैरिफ मद 3825 41 00 और टैरिफ मद 3824 49 00 के प्रयोजन के लिए, "अपशिष्ट जैविक विलायक" अपशिष्ट हैं जिनमें मुख्यतः जैविक विलायक हैं, जो उस रूप में आगे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है जिसमें मुख्य उत्पादों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, चाहे वह विलायकों की पुनःप्राप्ति के लिए आश्यित है या नहीं।";

(ii) उपशीर्ष 3808 50, टैरिफ मद 3808 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट माल :		
3808 52 00	--	डीडीटी (आई.एस.ओ.) (क्लोफेनोटेन (आई.एन.एन), 300 ग्रा. से अनधिक शुद्ध भार के पैकों में	कि.ग्रा.	12.5%
3808 59 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%
	-	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 2 में विनिर्दिष्ट माल :		
3808 61 00	--	300 ग्रा. से अनधिक शुद्ध भार के पैकों में	कि.ग्रा.	12.5%
3808 62 00	--	300 ग्रा. से अधिक, किंतु 7.5 कि.ग्रा. से अनधिक शुद्ध भार के पैकों में	कि.ग्रा.	12.5%
3808 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	12.50";

(iii) उपशीर्ष 3812 30, टैरिफ मद 3812 30 10 से टैरिफ मद 3812 30 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	रबड़ या प्लास्टिक के लिए आक्सीडाइजिंग प्रतिरोधी विनिर्मितियां और अन्य यौगिक स्थिरक :		
3812 31 00	--	2,2,4- ओलिगोमर-ट्राईमिथाइल-1,2-डीहाईड्रोक्नोलाइन (टी.एम.क्यू.) के मिश्रण	कि.ग्रा.	12.5%
3812 39	--	अन्य :		
3812 39 10	---	रबड़ के लिए आक्सीडेंट प्रतिरोधी	कि.ग्रा.	12.5%
3812 39 20	---	रबड़ मृदुकर	कि.ग्रा.	12.5%
3812 39 30	---	रबड़ वल्कनीकारक कर्मक	कि.ग्रा.	12.5%
3812 39 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	12.50";

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

(iv) टैरिफ मद 3824 79 00 से टैरिफ मद 3824 83 00, उपशीर्ष 3824 90, टैरिफ मद 3824 90 11 से टैरिफ मद 3824 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3824 79 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	12.5%
	- इस अध्याय के उपशीर्ष 3 में विनिर्दिष्ट माल :		
3824 81 00	-- जिसमें आक्सीरेन (इथाइलेन आक्साइड) है	कि.ग्रा.	12.5%
3824 82 00	-- जिसमें पोलीक्लोरीनेटेड बाईफिनाइल्स (पीसीबी), पोलीक्लोरीनेटेड टेरफिनाइल (पीसीटी) या पोलीब्रोमिनेटेड बाईफिनाइल्स (पीबीबी) हैं	कि.ग्रा.	12.5%
3824 83 00	-- जिसमें ट्रिस (2,3-डाईब्रोमोप्रोपाइल) फास्फेट है	कि.ग्रा.	12.5%
3824 84 00	-- जिसमें एल्ड्रिन (आई.एस.ओ.), कैम्फाक्लोर (आई.एस.ओ.) (टोक्साफेन), क्लोरडेन (आई.एस.ओ.), क्लोरडेकोन (आई.एस.ओ.), डीडीटी (आई.एस.ओ.), क्लोफेनोटेन (आई.एन.एन), 1,1,1-ट्रोइक्लोरो-2, 2-बिस (क्लोरोफिनाइल) इथेन, डाइल्ड्रिन (आई.एस.ओ. आई.एन.एन.), एन्डोसल्फान (आई.एस.ओ.), एन्ड्रिन (आई.एस.ओ.), हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.) या माइरेक्स (आई.एस.ओ.) हैं	कि.ग्रा.	12.5%
3824 85 00	-- जिसमें लिन्डेन (आई.एस.ओ., आई.एन.एन.) सहित 1,2,3,4,5,6-हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (एच.सी.एच.) (आई.एस.ओ.) है,	कि.ग्रा.	12.5%
3824 86 00	-- जिसमें पेंटाक्लोरोबेंजीन (आई.एस.ओ.) या हेक्साक्लोरोबेंजीन (आई.एस.ओ.) है	कि.ग्रा.	12.5%
3824 87 00	-- जिसमें परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल, उसके लवण, परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनामाइड या परफ्लूरोआक्टेन सल्फोनाइल फ्लूराइड हैं	कि.ग्रा.	12.5%
3824 88 00	-- जिसमें टेट्रा-, पेंटा-, हेक्सा-, हेप्टा-या आक्टाब्रोमोडाइफिनाइल इथर्स हैं	कि.ग्रा.	12.5%
3824 91 00	-- जिसमें मुख्यतः (5-ईथाइल-2-मिथाइल-आक्साइडो-1,3,2-डाइआक्सा-फोस्फिनानन-5-इल) मिथाइल मिथाइल मिथाइलफास्फोनेट और बिस [(5) -ईथाइल-2-मिथाइल-आक्साइडो-1,3,2-डाइआक्साफोस्फिनानन-5-इल) मिथाइल) मिथाइल] मिथाइलफास्फोनेट के मिश्रण और विनिर्मितियां हैं		
3824 99	-- अन्य		
	--- अमोनियामय गैस लिकर और भुक्तशेष ऑक्साइड जो कोयला गैस निर्मलीकरण में उत्पन्न होता है। पृष्ठदृढ़ीकरण यौगिक, ऊष्मा स्थानांतरण लवण ; डाइफिनायल और डाइफिनायल ऑक्साइड का ऊष्मा स्थानांतरण माध्यम के रूप में मिश्रण, मिश्रित पोली एथलीन ग्लाइकोल ; संसाधन या लवणीकरण के लिए लवण पृष्ठ तनाव उपचायक है :		
3824 99 11	---- अमोनियामय गैस लिकर और भुक्तशेष ऑक्साइड जो कोयला गैस निर्मलीकरण में उत्पन्न होता है	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 12	---- पृष्ठदृढ़ीकरण यौगिक	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 13	---- ऊष्मा स्थानांतरण लवण	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 14	---- डाइफिनायल और डाइफिनायल ऑक्साइड का ऊष्मा स्थानांतरण माध्यम के रूप में मिश्रण	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 15	---- मिश्रित पोली एथलीन ग्लाइकोल	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 16	---- संसाधन या लवणीकरण के लिए लवण	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 17	---- पृष्ठ तनाव उपचायक	कि.ग्रा.	12.5%
	---- विद्युत लेपन लवण ; जल उपचार रसायन ; आयन विनियामक ; संशोधक द्रव्य ; अवक्षेपित सिलिका और सिलिका जैल तेलकूप रसायन :		
3824 99 21	---- विद्युत लेपन लवण	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 22	---- जल उपचार रसायन, आयन विनियामक (आई एन एन) उदाहरणतया परम्यूटिस, जियोलाइट्स	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 23	---- ग्रामोफोन रिकार्ड बनाने की सामग्री	कि.ग्रा.	12.5%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
3824 99 24	----	संशोधक द्रव्य	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 25	----	अवक्षेपित सिलिका और सिलिका जैल	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 26	----	तेलकूप रसायन	कि.ग्रा.	12.5%
	---	क्लोरीन और फ्लोरीन से भिन्न दो या अधिक भिन्न हेलोजन वाला मिश्रण, जिसमें एक्रेलिक हाईड्रोकार्बनों के परहेलोजेनेटिड व्युत्पन्न अंतर्विष्ट हैं, फेराइड पाउडर; संधारित्र द्रव्य-पी सी बी टाइप; अंगूरों के लिए उपचार के लिए निमज्जी तेल; बहु ब्रीमिनित बाइफिनायल, बहुक्लोरीनित बाइफिनायल, बहुक्लोरीनित टेरफिनायल, क्रोसीडोलाइट "संकटमय अपशिष्ट" के रूप में ज्ञात प्रकार का माल; फोसफोजिप्सम :		
3824 99 31	----	क्लोरीन और फ्लोरीन से भिन्न दो या अधिक भिन्न हेलोजन वाला मिश्रण, जिसमें एक्रेलिक हाईड्रोकार्बनों के परहेलोजेनेटिड व्युत्पन्न अंतर्विष्ट हैं,	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 32	----	फेराइड पाउडर	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 33	----	संधारित्र द्रव्य-पी सी बी टाइप	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 34	----	अंगूरों के लिए उपचार के लिए निमज्जी तेल	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 35	----	बहु ब्रीमिनित बाइफिनायल, बहुक्लोरीनित बाइफिनायल, बहुक्लोरीनित टेरफिनायल, क्रोसीडोलाइट	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 36	----	"संकटमय अपशिष्ट" के रूप में ज्ञात प्रकार का माल	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 37	----	फोसफोजिप्सम	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 38	----	फोसफोनिक अम्ल, (अमीनोमिनो मिथाइल) यूरिया के साथ मिथाइल-मिश्रण (1 : 1)	कि.ग्रा.	12.5%
3824 99 90	----	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%";

(19) अध्याय 39 में,—

(i) टिप्पण 2 के खंड (य) में "नोदन पेसिलें" शब्दों के पश्चात्, "मोनोपोड, बाईपोड या ट्राई पोड और वैसी ही वस्तुएं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 1 के खंड (क) के उपखंड (2) में "3901 30" अंकों के स्थान पर, "3901 40" अंक रखे जाएंगे;

(iii) शीर्ष 3901 में, टैरिफ मद 3901 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे;

"3901 40 00	-	ऐसे एथिलीन-एल्फा-ओलेफीन-सह-बहुलक, जिनका विनिर्दिष्ट गुरूत्व 0.94 से कम है	कि.ग्रा.	12.5%";

(iv) शीर्ष 3907 में, उपशीर्ष 3907 60 और टैरिफ मद 3907 60 10 से टैरिफ मद 3907 60 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	पोली (एथिलीन टेरेफाथालेट) :		
3907 61 00	--	जिनकी 78 मि.ली./ग्रा. या उच्चतर श्यानता संख्या है	कि.ग्रा.	12.5%
3907 69	--	अन्य		
3907 69 10	---	जिनकी 78 मि.ली./ग्रा. से कम, किंतु 72 मि.ली./ग्रा. से अन्यून श्यानता संख्या है	कि.ग्रा.	12.5%
3907 69 20	---	जिनकी 72 मि.ली./ग्रा. से कम, किंतु 64 मि.ली./ग्रा. से अन्यून श्यानता संख्या है	कि.ग्रा.	12.5%
3907 69 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	12.5%";

(v) उपशीर्ष 3909 30, टैरिफ मद 3909 30 10 से टैरिफ मद 3909 30 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	अन्य एमिनोरेजिन :		
3909 31 00	--	पॉली (मेथाइलीन फिनाइल आइसोसाइनेट) (कच्चा एम.डी.आई., पॉलीमेरिक एम.डी.आई.)	कि.ग्रा.	12.5%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
3909 39	--	अन्य :		
3909 39 10	---	पॉली (फिनाइलेन आक्साइड)	कि.ग्रा.	12.5%
3909 39 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	12.5";

(20) अध्याय 40 के शीर्ष 4011 में, टैरिफ मद 4011 50 90 से टैरिफ मद 4011 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4011 50 90	---	अन्य	इ.	12.5%
4011 70 00	-	इस प्रकार के जिनका उपयोग कृषि या वानिकी यानों और मशीनों में किया जाता है	इ.	12.5%
4011 80 00	-	इस प्रकार के जिनका उपयोग सन्निर्माण, खनन या औद्योगिक उठाई-धराई यानों और मशीनों में किया जाता है	इ.	12.5%
4011 90 00	-	अन्य	इ.	12.5%";

(21) अध्याय 42 में,—

(i) शीर्ष 4202 में,—

(क) उपशीर्ष 4202 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 22 -- प्लास्टिक की या टेक्सटाइल सामग्रियों की चादर के बाह्य पृष्ठ सहित :";

(ख) उपशीर्ष 4202 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 32 -- प्लास्टिक की या टेक्सटाइल सामग्रियों की चादर के बाह्य पृष्ठ सहित :";

(ग) टैरिफ मद 4202 92 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4202 92 00	--	प्लास्टिक की या टेक्सटाइल सामग्रियों की चादर के बाह्य पृष्ठ सहित :	इ.	12.5%";

(22) अध्याय 44 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (थ) में पैंसिल शब्द के स्थान पर, पैंसिल और मोनोपोड, बाइपोड, ट्राईपोड और वैसी ही वस्तुएं), जिसके अंतर्गत शीर्ष 96.03 की वस्तुओं के लिए काष्ठ की बाडी और हत्थे नहीं हैं ; या";

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(iii) शीर्ष 4401 में,—

(क) उपशीर्ष 4401 10, टैरिफ मद 4401 10 10, टैरिफ मद 4401 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	ईंधन काष्ठ, जो लठ्ठा, विलेट, टहनी, फैगाट या वैसी ही रूपों में है :		
4401 11	--	शंकुधारी		
4401 11 10	---	लठ्ठों में	मी0ट0	12.5%
4401 11 90	---	अन्य	मी0ट0	12.5%
4401 12	--	अशंकुधारी :		
4401 12 10	---	लठ्ठों में	मी0ट0	12.5%
4401 12 90	---	अन्य	मी0ट0	12.5%";

(ख) टैरिफ मद 4401 22 00, टैरिफ मद 4401 31 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4401 22 00	--	अशंकुधारी	मी0ट0	12.5%
	-	बुरादा और काष्ठ अपशिष्ट और स्क्रैप, चाहे लठ्ठों, अष्टिकाओं, गुटिकाओं, पैलेटों या जो वैसे ही रूपों में संपीड़ित है :		
4401 31 00	--	काष्ठ पैलेट	मी0ट0	12.5%";

(ग) टैरिफ मद 4401 39 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4401 40 00	-	बुरादा और काष्ठ अपशिष्ट और स्क्रैप, जो संपीडित नहीं है :	मी0ट0	12.5%";

(iv) शीर्ष 4403 में,—

(क) टैरिफ मद 4403 10 00, उपशीर्ष 4403 20 और टैरिफ मद 4403 20 10 से टैरिफ मद 4403 41 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	पैंट, स्टैन क्रिओसोओ या अन्य परिरक्षकों से उपचारित :		
4403 11 00	--	शंकुधारी :	घ0मी0	12.5%
4403 12 00	--	अशंकुधारी	घ0मी0	12.5%
	-	अन्य शंकुधारी :		
4403 21	--	चीड़ का (पाइनस एसपीपी), जिसकी कोई तिरछी विमाएं 15 से.मी. या अधिक है		

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
4403 21 10	---	सालाग और विनिरलाग	घ0मी0	12.5%
4403 21 20	---	पोल्स, पिलिंग और पोस्ट	घ0मी0	12.5%
4403 21 90	---	अन्य	घ0मी0	12.5%
4403 22	--	चीड़ का (पाइनस एसपीपी), अन्य		
4403 22 10	---	सालाग और विनिरलाग	घ0मी0	12.5%
4403 22 20	---	पोल्स, पिलिंग और पोस्ट	घ0मी0	12.5%
4403 22 90	---	अन्य	घ0मी0	12.5%
4403 23	--	फीर का (ऐबीस एसपीपी) और स्प्रूस (पाइसिया एसपीपी), जिसकी कोई तिरछी विमाएं 15 से.मी. या अधिक है :		
4403 23 10	---	सालाग और विनिरलाग	घ0मी0	12.5%
4403 23 20	---	पोल्स, पिलिंग और पोस्ट	घ0मी0	12.5%
4403 23 90	---	अन्य	घ0मी0	12.5%
4403 24	--	फीर का (ऐबीस एसपीपी) और स्प्रूस (पाइसिया एसपीपी), अन्य :		
4403 24 10	---	सालाग और विनिरलाग	घ0मी0	12.5%
4403 24 20	---	पोल्स, पिलिंग और पोस्ट	घ0मी0	12.5%
4403 24 90	---	अन्य	घ0मी0	12.5%
4403 25	--	अन्य, जिसकी कोई तिरछी विमाएं 15 से.मी. या अधिक है :		
4403 25 10	---	सालाग और विनिरलाग	घ0मी0	12.5%
4403 25 20	---	पोल्स, पिलिंग और पोस्ट	घ0मी0	12.5%
4403 25 90	---	अन्य	घ0मी0	12.5%
4403 26	--	अन्य :		
4403 26 10	---	सालाग और विनिरलाग	घ0मी0	12.5%
4403 26 20	---	पोल्स, पिलिंग और पोस्ट	घ0मी0	12.5%
4403 26 90	---	अन्य	घ0मी0	12.5%
	-	अन्य, उष्ण कटिबंधी काष्ठ का		
4403 41 00	--	गहरे लाल रंग के मेरांटी, हल्के लाल रंग के मेरांटी और मेरांटी बकाऊ	घ0मी0	12.5%";

(ख) टैरिफ मद 4403 92 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4403 93 00	--	बीछ का (फगस एसपीपी), जिसकी कोई तिरछी विमाएं 15 से.मी. या अधिक है	घ0मी0	12.5%
4403 94 00	--	बीछ का (फगस एसपीपी), अन्य	घ0मी0	12.5%
4403 95 00	--	बिर्च का (बिटुला एसपीपी), जिसकी कोई तिरछी विमाएं 15 से.मी. या अधिक है	घ0मी0	12.5%
4403 96 00	--	बिर्च का (बिटुला एसपीपी), अन्य	घ0मी0	12.5%
4403 97 00	--	पोपलर और एस्पैन का (पोपुलस एसपीपी)	घ0मी0	12.5%
4403 98 00	---	यूकेलिप्टस (यूकेलिप्टस एसपीपी)	घ0मी0	12.5%";

(ग) टैरिफ मद 4403 99 19 से टैरिफ मद 4403 99 21 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4403 99 19	--	रोज काष्ठ (डैलबरजिया लतिफोयस)	घ0मी0	12.5%
	---	साल (कारिआ रोबुस्ता) चन्दन काष्ठ (संतालुम अलबर) सेमुल (बसमबेक्स सिबा) अखरोट काष्ठ (जुगलन्स बिनाटा) अंजम (हार्डविकिया बिनाटा) सीसम (डैलबिर्जिया सीसम) और सफेद देवदार (डायसोजिलम)		
4403 99 21	--	साल (कारिआ रोबुस्ता)	घ0मी0	12.5%";

(घ) टैरिफ मद 4403 99 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) टैरिफ मद 4403 99 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4403 99 90	---	अन्य	घ0मी0	12.5%";

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(vi) शीर्ष 4406 में, टैरिफ मद 4406 10 00, टैरिफ मद 4406 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	असंपीड़ित :		
4406 11 00	--	शंकुधारी	कि0ग्रा0	12.5%
4406 12 00	--	अशंकुधारी	कि0ग्रा0	12.5%
	-	अन्य :		
4406 91 00	--	शंकुधारी	कि0ग्रा0	12.5%
4406 92 00	--	अशंकुधारी	कि0ग्रा0	12.5%";

(vii) शीर्ष 4407 में,—

(क) उपशीर्ष 4407 10, टैरिफ मद 4407 10 10 से टैरिफ मद 4407 21 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	शंकुधारी		
4407 11 00	--	चीड़ का (पाइनस एसपीपी)	घ0मी0	शून्य
4407 12 00	--	फीर (एबीजएसपीपी) और स्प्रूस (पाइसीएएसपीपी)	घ0मी0	शून्य
4407 19 00	--	अन्य		
4407 19 10	-	डॉगलस फीर (स्यूडोटसगा मैनजिसी)	घ0मी0	शून्य
4407 19 90	---	अन्य	घ0मी0	शून्य
	-	ऊष्ण कटिबंधीय काष्ठ :		
4407 21 00	--	महोगनी (स्वेटेनिया एसपीपी)	घ0मी0	शून्य";

(ख) टैरिफ मद 4407 95 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4407 96 00	--	बिर्च का (बेटुला एसपीपी)	घ0मी0	शून्य
4407 97 00	--	पोपलर और एस्पैन का (पोपुलस एसपीपी)	घ0मी0	शून्य";

(ग) टैरिफ मद 4407 99 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(viii) शीर्ष 4408 में,—

(क) टैरिफ मद 4408 10 90 से उपशीर्ष 4408 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4408 10 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%
	-	ऊष्ण कटिबंधीय काष्ठ :		
4408 31	---	गहरे लाल रंग के मेरांटी, हल्के लाल रंग के मेरांटी, मेरांटी बकाऊ : ";		

(ख) टैरिफ मद 4409 21 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4409 22 00	--	ऊष्ण कटिबंधीय काष्ठ का :	कि0ग्रा0	12.5%";

(ix) शीर्ष 4412 में,—

(क) उपशीर्ष 4412 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4412 31	--	ऊष्ण कटिबंधीय काष्ठ की कम से कम एक बाह्य प्लाई के साथ";		

(ख) उपशीर्ष 4412 32, टैरिफ मद 4412 32 10 से टैरिफ मद 4412 32 90, उपशीर्ष 4412 39, टैरिफ मद 4412 39 10 से टैरिफ मद 4412 39 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4412 33	--	अन्य, एल्डर (एलनस एसपीपी), एस (फ्रेक्सीनस एसपीपी), बीच (फैगस एसपीपी), बिर्च (बैटुला एसपीपी), चैरी (प्रुनस एसपीपी), चेस्टनेट (केस्टेनिया एसपीपी), एल्म (उल्मस एसपीपी), युकेलिप्टस (युकेलिप्टस एसपीपी), हिकोरी (कार्या एसपीपी), होर्स चेस्टनेट (एसकुलस एसपीपी), लाइम (टिलिया एसपीपी), मेपल (ऐसर एसपीपी), ऑक (क्यूरकर एसपीपी), प्लेन वृक्ष (पलैटेनस एसपीपी), पोपलर और एस्पन (पोपसल एसपीपी), रोबिना (रोबिना एसपीपी), टुलिपवुड (लिरोडेनड्रोन एसपीपी), या वालनट (जगलान एसपीपी) प्रजातिओं की अशंकुधारी काष्ठ की कम से कम एक बाह्य प्लाई के साथ,		
4412 33 10	---	सजावटी प्लाईवुड	घ0मी0	12.5%
4412 33 20	---	टी चेस्ट पैनल, शूकस, चाहे सेटों में पैक किए गए हों या नहीं	घ0मी0	12.5%
4412 33 30	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाईवुड	घ0मी0	12.5%
4412 33 40	---	ऐसे प्लाईवुड की कटाई और छंटाई, जिसकी चौड़ाई 5 सें0मी0 से अधिक नहीं है	घ0मी0	12.5%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
4412 33 90	--- अन्य	घ0मी0	12.5%
4412 34	-- अन्य, उपशीर्ष 4412 33 के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अशंकुधारी काष्ठ की कम से कम एक बाह्य प्लाई के साथ :		
4412 34 10	--- सजावटी प्लाईवुड	घ0मी0	12.5%
4412 34 20	--- टी चेस्ट पैनल, शूकस, चाहे सेटों में पैक किए गए हों या नहीं	घ0मी0	12.5%
4412 34 30	--- सामुद्रिक और वायुयान प्लाईवुड	घ0मी0	12.5%
4412 34 40	--- ऐसे प्लाईवुड की कटाई और छंटाई, जिसकी चौड़ाई 5 सें0मी0 से अधिक नहीं है	घ0मी0	12.5%
4412 34 90	--- अन्य	घ0मी0	12.5%
4412 39	-- अन्य, अशंकुधारी काष्ठ की दोनों बाह्य प्लाइओं के साथ :		
4412 39 10	--- सजावटी प्लाईवुड	घ0मी0	12.5%
4412 39 20	--- टी चेस्ट पैनल, शूकस, चाहे सेटों में पैक किए गए हों या नहीं	घ0मी0	12.5%
4412 39 30	--- सामुद्रिक और वायुयान प्लाईवुड	घ0मी0	12.5%
4412 39 40	--- ऐसे प्लाईवुड की कटाई और छंटाई, जिसकी चौड़ाई 5 सें0मी0 से अधिक नहीं है	घ0मी0	12.5%
4412 39 90	--- अन्य	घ0मी0	12.5%

(x) शीर्ष 4418 में, टैरिफ मद 4418 71 00 से टैरिफ मद 4418 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4418 73 00	-- बांस या कम से कम बांस की ऊपरी परत के साथ (वीयर परत)	कि0ग्रा0	12.5%
4418 74 00	-- अन्य, मोजाइक फर्श के लिए	कि0ग्रा0	12.5%
4418 75 00	-- अन्य, बहुपर्त वाली	कि0ग्रा0	12.5%
4418 79 00	-- अन्य	कि0ग्रा0	12.5%
	- अन्य :		
4418 91 00	-- बांस	कि0ग्रा0	12.5%
4418 99 00	-- अन्य	कि0ग्रा0	12.5%”;

(xi) शीर्ष 4419, उपशीर्ष 4419 00, टैरिफ मद 4419 00 10, टैरिफ मद 4419 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4419	काष्ठ के खाने-पीने के बर्तन और रसोई के सामान		
	- बांस के		
4419 11 00	-- ब्रेड बोर्ड, चोपिंग बोर्ड और वैसे ही बोर्ड	कि0ग्रा0	12.5%
4419 12 00	-- चोपस्टिक	कि0ग्रा0	12.5%
4419 19 00	-- अन्य	कि0ग्रा0	12.5%
4419 90	- अन्य :		
4419 90 10	--- ब्रेड बोर्ड, चोपिंग बोर्ड और वैसे ही बोर्ड	कि0ग्रा0	12.5%
4419 90 20	--- चोपस्टिक	कि0ग्रा0	12.5%
4419 90 90	--- अन्य	कि0ग्रा0	12.5%”;

(xii) शीर्ष 4421, उपशीर्ष 4421 90, टैरिफ मद 4421 90 11 से टैरिफ मद 4421 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“- अन्य :		
4421 91	-- बांस के :	कि0ग्रा0	12.5%
	--- घुमावदार काष्ठ की चरखी, कुकड़ी, फिरकी, सिलाई के धागे की रील और वैसे ही :		
4421 91 11	-- सूत की मशीन के लिए	कि0ग्रा0	12.5%
4421 91 12	-- जूट की मशीन के लिए	कि0ग्रा0	12.5%
4421 91 13	-- रेशम पुनरुज्जीवित और सिंथेटिक फाइबर मशीन के लिए	कि0ग्रा0	12.5%
4421 91 14	-- अन्य मशीन के लिए	कि0ग्रा0	12.5%
4421 91 19	-- अन्य	कि0ग्रा0	12.5%
4421 91 20	--- काष्ठ से तैयार ब्लाक	कि0ग्रा0	12.5%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
4421 91 30	--- माचिस की तिल्लियां	कि0ग्रा0	12.5%
4421 91 40	--- पैंसिल स्लेट	कि0ग्रा0	12.5%
4421 91 50	--- काष्ठ के भाग, अर्थात् पोत, नाव और अन्य ऐसी ही तैरने वाली संरचना के लिए डांड, पैडल और पतवार	कि0ग्रा0	12.5%
4421 91 60	--- खाना खाने के बर्तन और रसोई के बर्तन के रूप में प्रयुक्त घरेलू सजावटी वस्तुओं के भाग	कि0ग्रा0	12.5%
4421 91 70	-- संघनित काष्ठ की वस्तुएं, जो अन्यत्र सम्मिलित या विनिर्दिष्ट नहीं हैं		
4421 91 90	- अन्य		
4421 99	-- अन्य :	कि0ग्रा0	12.5%
	--- घुमावदार काष्ठ की चरखी, कुकड़ी, फिरकी, सिलाई के धागे की रील और वैसे ही :		
4421 99 11	-- सूत की मशीन के लिए	कि0ग्रा0	12.5%
4421 99 12	-- जूट की मशीन के लिए	कि0ग्रा0	12.5%
4421 99 13	-- रेशम पुनरुज्जीवित और सिंथेटिक फाइबर मशीन के लिए	कि0ग्रा0	12.5%
4421 99 14	-- अन्य मशीन के लिए	कि0ग्रा0	12.5%
4421 99 19	-- अन्य	कि0ग्रा0	12.5%
4421 99 20	--- काष्ठ से तैयार ब्लाक	कि0ग्रा0	12.5%
4421 99 30	--- माचिस की तिल्लियां	कि0ग्रा0	12.5%
4421 99 40	--- पैंसिल स्लेट	कि0ग्रा0	12.5%
4421 99 50	--- काष्ठ के भाग, अर्थात् पोत, नाव और अन्य ऐसी ही तैरने वाली संरचनाओं के लिए डांड, पैडल और पतवार	कि0ग्रा0	12.5%
4421 99 60	--- खाना खाने के बर्तन और रसोई के बर्तन के रूप में प्रयुक्त घरेलू सजावटी वस्तुओं के भाग	कि0ग्रा0	12.5%
4421 99 70	-- संघनित काष्ठ की वस्तुएं, जो अन्यत्र सम्मिलित या विनिर्दिष्ट नहीं हैं	कि0ग्रा0	12.5%
4421 99 90	--- अन्य	कि0ग्रा0	12.5%";

(23) अध्याय 48 में,—

(i) टिप्पण 4, "65 ग्राम/वर्ग.मी. से अधिक" अंकों, अक्षरों और शब्दों के पश्चात् (क) "केवल ऐसे कागज को ही जो 28 से.मी. से अधिक चौड़ाई की पट्टियों या रालों में हैं; या (ख) आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्ग भी है) शीटों में है, जिसका एक पार्श्व बिना तह लगी स्थिति 28 से0मी0 से अधिक और दूसरा 15 से0मी0 से अधिक हैं" शब्द अतः स्थापित किए जाएंगे;

(ii) टिप्पण 8 में, "4801 और" अंकों और शब्द का लोप किया जाएगा;

(24) अध्याय 54 में,—

(i) शीर्ष 5402 में, शीर्ष 5402 के सामने प्रविष्टि के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

- नायलोन या अन्य पालीएमाइड का उच्च लगिष्णुता सूत, चाहे संव्यूतित है या नहीं ;

(ii) उपशीर्ष 5402 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"-- पालीएमाइड का उच्च लगिष्णुता सूत, चाहे संव्यूतित है या नहीं";

(iii) टैरिफ मद 5402 52 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5402 53 00	-- पॉलिप्रापायलीन का	कि0ग्रा0	12.5%";

(iv) टैरिफ मद 5402 62 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5402 63 00	-- पॉलिप्रापायलीन का	कि0ग्रा0	12.5%";

(25) अध्याय 55 में,—

(i) शीर्ष 5502, उपशीर्ष 5502 00, टैरिफ मद 5502 10 00, टैरिफ मद 5502 20 00, टैरिफ मद 5502 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5502	कृत्रिम फिलामेंट टो		
5502 10	-- सैलूलोज एसिटेट के		
5502 10 10	--- विस्कोस रेयॉन टो	कि0ग्रा0	12.5%
5502 10 90	--- अन्य	कि0ग्रा0	12.5%
5502 90	-- अन्य		

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5502 90 10	---	विस्कोस रेयॉन टो	कि0ग्रा0	12.5%
5502 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%";

(ii) टैरिफ मद 5506 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5506 40 00	-	पॉलिप्रापायलीन का	कि0ग्रा0	12.5%";

(26) अध्याय 56 में, शीर्ष 5601, उपशीर्ष 5601 21 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5601		टेक्सटाइल सामग्रियों की वैडिंग और उसकी वस्तुएं ; टेक्सटाइल फाइबर, जो 5 मि0मी0 से अधिक लंबा नहीं है (फ्लाक) टेक्सटाइल धूल और मिल नेप		
	-	टेक्सटाइल सामग्रियों की वैडिंग और उसकी वस्तुएं :		
5601 21	--	सूत के :";		

(27) अध्याय 57 के शीर्ष 5704 में, टैरिफ मद 5704 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5704 20	--	टाइलें, जिनकी अधिकतम बाहरी सतह का क्षेत्र 0.3 वर्ग मी0 से अधिक, किंतु 1 वर्ग मी0 से अधिक नहीं है	व0मी0	12.5%";
"5704 20 10	--	सूत	व0मी0	12.5%";
"5704 20 20	--	कला बर्तन से भिन्न, ऊन	व0मी0	12.5%";
"5704 20 90	--	अन्य	व0मी0	12.5%";

(28) अध्याय 60 में,—

(i) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपशीर्ष टिप्पण

1.उपशीर्ष 6005 35 में पोलीथिलीन मोनोफिलामेंट या पोलियस्टर मल्टीफिलामेंट की फैब्रिक आती है, जिसका भार 30 ग्रा0/वर्ग मी0 से अन्यून और 55 ग्रा0/वर्ग मी0 से अनधिक है, जिसका मेस आकार 20 छिद्र/वर्ग से0मी0 से अन्यून और 100 छिद्र/वर्ग से0मी0 से अनधिक है तथा उसे अल्फा-साइपरमेथ्रिन (आईएसओ), क्लोरफेनापायर (आईएसओ), डेल्टामेथ्रिन (आईएनएन, आईएसओ), लेम्बदा-साईहालोथ्रिन (आईएसओ), परमेथ्रिन (आईएसओ) या पिरिमिफोस-मिथाइल (आईएसओ) से संसेचित या विलेपित किया गया है।";

(ii) टैरिफ मद 6005 31 00 से टैरिफ मद 6005 34 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6005 35 00	--	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट फैब्रिक	कि0ग्रा0	12.5%
6005 36 00	--	अन्य, अतिरंजित या विरंजित	कि0ग्रा0	12.5%
6005 37 00	--	अन्य, रंजित	कि0ग्रा0	12.5%
6005 38 00	--	अन्य, विभिन्न रंगों के सूतों के	कि0ग्रा0	12.5%
6005 39 00	--	अन्य, छापित	कि0ग्रा0	12.5%";

(29) अध्याय 63 में,—

(i) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपशीर्ष टिप्पण :

1.उपशीर्ष 6304 20 में फैब्रिक आती है, जिसे अल्फा-साइपरमेथ्रिन (आईएसओ), क्लोरफेनापायर (आईएसओ), डेल्टामेथ्रिन (आईएनएन, आईएसओ), लेम्बदा-साईहालोथ्रिन (आईएसओ), परमेथ्रिन (आईएसओ) या पिरिमिफोसमिथाइल (आईएसओ) से संसेचित या विलेपित किया गया है।";

(ii) शीर्ष 6304 में, टैरिफ मद 6304 19 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6304 20 00	--	बेड नेट, इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट ताना बुनी हुई फैब्रिक के	इ.	12.5%";

(30) अध्याय 68 के टिप्पण 1 में, खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ड) शीर्ष 9602 की वस्तुएं, यदि वे अध्याय 96 के टिप्पण 2(ख) में विनिर्दिष्ट सामग्रियों से बनाई गई हैं या शीर्ष 9606 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ बटन); शीर्ष 9606 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ स्लेट पैंसिलें) ; शीर्ष 9610 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ ड्राईंग स्लेटें) ; या शीर्ष 9620 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ मोनोपोड, बाईपोड, ट्राईपोड और वैसी ही वस्तुएं) ; या";

(31) अध्याय 69 में,—

(i) शीर्ष 6907 में, उपशीर्ष 6907 10, टैरिफ मद 6907 10 10, टैरिफ मद 6907 10 90, टैरिफ मद 6907 90, टैरिफ मद 6907 90 10, टैरिफ मद 6907 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6907		चीनी मिट्टी की पटिया और खड़ंजें, चूल्हा या भित्ति टाइलें, चीनी मिट्टी		

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
	की मोजाइक क्यूबें और वैसी ही वस्तुएं, चाहे वे किसी पृष्ठक पर हैं या नहीं ; चीनी मिट्टी की फिनिशिंग		
	- पटिया और खड़ंजें, चूल्हा या भित्ति टाइलें, उपशीर्ष 6907 30 और उपशीर्ष 6907 40 से भिन्न :		
6907 21 00	-- भार द्वारा जल अवशोषण गुणांक 0.5% से अनधिक के	वर्ग मी0	12.5%
6907 22 00	-- भार द्वारा जल अवशोषण गुणांक 0.5% से अन्यून, किंतु 10% से अनधिक के	वर्ग मी0	12.5%
6907 23 00	-- भार द्वारा जल अवशोषण गुणांक 10% से अधिक के	वर्ग मी0	12.5%
6907 30	- मोजाइक क्यूबें और वैसी ही, उपशीर्ष 6907 40 से भिन्न :		
6907 30 10	-- मोजाइक क्यूबें और वैसी ही, उपशीर्ष 6907 40 से भिन्न	वर्ग मी0	12.5%
6907 40	- चीनी मिट्टी की फिनिशिंग		
6907 40 10	-- चीनी मिट्टी की फिनिशिंग	वर्ग मी0	12.5%";

(ii) शीर्ष 6908, उपशीर्ष 6908 10, टैरिफ मद 6908 10 10 से टैरिफ मद 6908 10 90, उपशीर्ष 6908 90, टैरिफ मद 6908 90 10 से टैरिफ मद 6908 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(32) अनुभाग 15 के टिप्पण 1 में, खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ड) अध्याय 96 (प्रकीर्ण विनिर्मित वस्तुएं) की हाथ की छन्नी, बटन, लेखनी, पेंसिल होल्डर, लेखनी की निबें, मोनोपोड, बाईपोड, ट्राईपोड और वैसी ही वस्तुएं या अन्य वस्तुएं ; या";

(33) अध्याय 74 के टिप्पण 1 में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) मास्टर मिश्रातुएं :

ऐसी मिश्रातुएं, जिनमें, अन्य तत्वों के साथ, ताम्र, भार के आधार पर, 10 प्रतिशत से अधिक है, जो उपयोगिता की दृष्टि से आघातवर्ध्य नहीं है, और सामान्यतया जिनका उपयोग अन्य मिश्रातुएं के विनिर्माण में योज्यक के रूप में या अलौह धातुओं की धात्विकी में विआक्सीकारकों, विगंधकन कर्मकों के रूप में या वैसे ही उपयोग के लिए किया जाता है। किंतु ताम्र फॉस्फाइड (फॉस्कर ताम्र), जिसमें फॉस्फोरस भार के आधार पर, 15 प्रतिशत से अधिक है, शीर्ष 2853 के अंतर्गत आता है।";

(34) अध्याय 82 में, शीर्ष 8205 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "मशीन औजार" शब्दों के स्थान पर "मशीन औजार या वाटर जेट कटिंग मशीन" शब्द रखे जाएंगे;

(35) अध्याय 83 में, शीर्ष 8308 के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8308	आधार धातु के इस प्रकार के खटके, खटकों सहित फ्रेम, बक्कल, बक्कल-खटके, हुक, आंखें, अक्षिकाएं और वैसी ही वस्तुएं, जिनका उपयोग वस्त्रों या वस्त्र उपसाधनों, जूतादि, आभूषणों, कलाई घड़ियों, पुस्तकों, सायबानों, चमड़े की वस्तुओं, यात्रा की वस्तुओं या काठी या अन्य तैयार वस्तुओं के लिए किया जाता है, आधार धातु के नलिकाकार या द्विशाखित रिबटें, आधार धातु के मनके और सलमें";

(36) अनुभाग 16 के टिप्पण 1 में, खंड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(थ) टाइप राइटर या उसी प्रकार के रिबन, चाहे स्पूल पर या कार्ट्रीज में है या नहीं, (उनकी घटक सामग्री के अनुसार या शीर्ष 9612 में वर्गीकृत, यदि छाप देने के लिए स्याही से या अन्यथा तैयार की गई हैं) या शीर्ष 9620 की मोनोपोड, बाईपोड, ट्राईपोड और वैसी ही वस्तुएं।";

(37) अध्याय 84 में,—

(i) टिप्पण 1 में,--

(अ) खंड (च) में "या" शब्द का लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) अनुभाग 17 की वस्तुओं के लिए रेडिएटर ; या";

(इ) विद्यमान खंड (छ) को खंड (ज) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा;

(ii) टिप्पण 2 के खंड (ङ) में "मशीनरी या संयंत्र" शब्दों के स्थान पर "मशीनरी संयंत्र या प्रयोगशाला उपस्कर", शब्द रखे जाएंगे;

(iii) टिप्पण 9 में, खंड (अ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(अ) अध्याय 85 के टिप्पण 9(क) और 9(ख), इस टिप्पण और शीर्ष 8486 में क्रमशः उपयोग किए गए "अर्धचालक युक्तियां" और "इलैक्ट्रोनिक एकीकृत परिपथ" पदों को भी लागू होंगे। तथापि, इस टिप्पण और शीर्ष 8586 के प्रयोजनों के लिए, "अर्धचालक युक्तियां" के अंतर्गत फोटो सुग्राही अर्धचालक युक्तियां और प्रकाश उत्सर्जन डायोड (एलईडी) भी आते हैं।";

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

(iv) उपशीर्ष टिप्पण में,—

(अ) निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण 1 अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1. उपशीर्ष 8465 20 के प्रयोजनों के लिए, "मशीनी केंद्र" पद केवल काष्ठ, कार्क, हड्डी, कठोर रबड़, कठोर प्लास्टिक या वैसी ही कठोर सामग्रियों के कर्मण के लिए लागू होता है, जो किसी मैंगजीन से स्वचालित औजार परिवर्तन द्वारा या किसी मशीनी कार्यक्रम के अनुपालन में वैसे ही विभिन्न प्रकार के मशीन प्रचालनों को कर सकता है।";

(आ) विद्यमान उपशीर्ष टिप्पण 1 को उपशीर्ष टिप्पण 2 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपशीर्ष टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. उपशीर्ष 8481 20 के प्रयोजनों के लिए, "तैल द्रवचालित या वातिल वाल्व" पद से ऐसे वाल्व अभिप्रेत हैं, जिनका विनिर्दिष्टतः किसी तैल द्रवचालित या वातिल प्रणाली में "तरल शक्ति" के पारेषण के लिए वहां उपयोग किया जाता है जहां ऊर्जा स्रोत की आपूर्ति दाबानुकूलित तरल (तरल या गैस) के रूप में की जाती है। ये वाल्व किसी भी किस्म (उदाहरणार्थ दाब कम करने वाली किस्म, जांच किस्म) के हो सकेंगे। उपशीर्ष 8481 20 को शीर्ष 8481 के सभी अन्य उपशीर्षों पर अधिमानता होगी।";

(इ) विद्यमान उपशीर्ष टिप्पण 2 को उपशीर्ष टिप्पण 4 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(v) शीर्ष 8415 में, उपशीर्ष 8415 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'8415 10 - किसी खिड़की, दीवाल, छत या फर्श में लगाए जाने के लिए, स्वतः पूर्ण या "पृथक्करण प्रणाली" के लिए डिजाइन किए गए किस्म के';

(vi) शीर्ष 8424 में,—

(क) टैरिफ मद 8424 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	"- कृषि या उद्यान संबंधी फुहारे :		
8424 41 00	-- सुबाह्य फुहारे	इ.	शून्य
8424 49 00	-- अन्य	इ.	शून्य";

(ख) टैरिफ मद 8424 81 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8424 82 00	-- कृषि या उद्यान संबंधी	इ.	शून्य";

(vii) शीर्ष 8432 में,—

(क) टैरिफ मद 8432 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- वापित्र, रोपित्र और प्ररोपित्र :		
8432 31 00	-- अरोपाई प्रत्यक्ष वापित्र, रोपित्र और प्ररोपित्र	इ.	शून्य
8432 39 00	-- अन्य	इ.	शून्य";

(ख) टैरिफ मद 8432 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- खाद प्रसारक और उर्वरक वितरक :		
8432 41 00	-- खाद प्रसारक	इ.	शून्य
8432 42 00	-- उर्वरक वितरक	इ.	शून्य";

(viii) उपशीर्ष 8442 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8442 प्लेटों, मुद्रण संघटकों को तैयार करने या बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण और उपस्कर (शीर्ष 8456 से 8465 की मशीनों से भिन्न); मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार की गई प्लेटें, बेलन और लिथोमुद्रण प्रस्तर (उदाहरणार्थ समतल, कणित या पालिशकृत)";

(ix) शीर्ष 8456 में,—

(क) टैरिफ मद 8456 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- लेजर या अन्य प्रकाश या फोटोन किरण पुंज प्रक्रिया द्वारा प्रचालित :		
8456 11 00	-- लेजर द्वारा प्रचालित	इ.	12.5%
8456 12 00	-- अन्य प्रकाश या फोटोन किरण पुंज प्रक्रिया द्वारा प्रचालित	इ.	12.5%";

(ख) टैरिफ मद 8456 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8456 40 00	- प्लाज्मा आर्क प्रक्रिया द्वारा प्रचालित	इ.	12.5%
8456 50 00	- वाटर-जेट कटिंग मशीन द्वारा प्रचालित	इ.	12.5%";

(x) उपशीर्ष 8459 40, टैरिफ मद 8459 40 10 से टैरिफ मद 8459 40 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- अन्य वेधन मशीनें :		
8459 41	-- संख्यात्मकतः नियंत्रित :		

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
8459 41 10	--- जिग वेधन मशीनें, क्षितिजाकार	इ.	12.5%
8459 41 20	--- फाइन वेधन मशीनें, क्षितिजाकार	इ.	12.5%
8459 41 30	--- फाइन वेधन मशीनें, ऊर्ध्वाकार	इ.	12.5%
8459 41 90	--- अन्य	इ.	12.5%
8459 49	-- अन्य :		
8459 49 10	--- जिग वेधन मशीनें, क्षितिजाकार	इ.	12.5%
8459 49 20	--- फाइन वेधन मशीनें, क्षितिजाकार	इ.	12.5%
8459 49 30	--- फाइन वेधन मशीनें, ऊर्ध्वाकार	इ.	12.5%
8459 49 90	--- अन्य	इ.	12.5%";

(xi) शीर्ष 8460, टैरिफ मद 8460 11 00 से टैरिफ मद 8460 21 00, उपशीर्ष 8460 29, टैरिफ मद 8460 29 10 से टैरिफ मद 8460 29 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8460	घर्षण, प्रस्तर, अपघर्षक या पालिशकरण उत्पादों द्वारा धातु या सर्मेट के विबर्रन, तिक्षण, घर्षण, शाणन, प्रमार्जन, पालिशकरण या अन्यथा परिसज्जन के लिए मशीन औजार ; शीर्ष 8461 की गियर कर्तन, गिअर घर्षण या गिअर परिसज्जन मशीन से भिन्न सपाट सतह वाली घर्षण मशीनें		
	- सपाट सतह वाली घर्षण मशीनें :		
8460 12 00	-- संख्यात्मकतः नियंत्रित	इ.	12.5%
8460 19 00	-- अन्य	इ.	12.5%
	- अन्य घर्षण मशीनें :		
8460 22 00	-- केन्द्र रहित घर्षण मशीनें, संख्यात्मकतः नियंत्रित	इ.	12.5%
8460 23 00	-- अन्य बेलनाकार घर्षण मशीनें, संख्यात्मकतः नियंत्रित	इ.	12.5%
8460 24 00	-- अन्य, संख्यात्मकतः नियंत्रित	इ.	12.5%
8460 29	-- अन्य :		
8460 29 10	--- बेलनाकार पेषणित्र	इ.	12.5%
8460 29 20	--- आंतरिक पेषणित्र	इ.	12.5%
8460 29 30	--- केन्द्र रहित घर्षण मशीन	इ.	12.5%
8460 29 40	--- प्रोपाइल पेषणित्र	इ.	12.5%
8460 29 90	--- अन्य	इ.	12.5%";

(xii) टैरिफ मद 8465 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8465 20 00	- मशीनी केंद्र	इ.	12.5%";

(xiii) शीर्ष 8466 में,—

(क) शीर्ष 8466 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8466	शीर्ष 8456 से शीर्ष 8465 तक की मशीनों के साथ पूर्णतः या प्रधानतः उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे या उपसाधन, जिनके अंतर्गत कृत्यक या औजार होल्डर, स्वतः खुलने वाले शीर्ष, विभाजक शीर्ष और मशीन के लिए अन्य विशेष संलग्नक हैं ; हाथ से कार्य करने के किसी भी प्रकार के औजार के लिए औजार होल्डर";

(ख) उपशीर्ष 8466 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8466 30	- विभाजक शीर्ष और मशीनों के लिए अन्य विशेष संलग्नक";

(xiv) शीर्ष 8469, उपशीर्ष 8469 00, टैरिफ मद 8469 00 10 से टैरिफ मद 8469 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xv) शीर्ष 8472, टैरिफ मद 8472 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- अन्य :			
8472 90 91	--- शब्द प्रक्रमण मशीनें	इ.	12.5%	-
8472 90 92	--- स्वचालित टाइपराइटर	इ.	12.5%	-
8472 90 93	--- ब्रेल टाइपराइटर विद्युत	इ.	शून्य	-
8472 90 94	--- ब्रेल टाइपराइटर अविद्युत	इ.	शून्य	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
(1)	(2)	(3)	(4)	
8472 90 95	— अन्य टाइपराइटर, विद्युत या अविद्युत	इ.	12.5%	-
8472 90 99	— अन्य	इ.	12.5%	-";

(xvi) शीर्ष 8473 में,—

(क) शीर्ष 8473 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8473	शीर्ष 8470 से शीर्ष 8472 तक की मशीनों के साथ पूर्णतः या प्रधानतया उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और उपसाधन (आच्छदों, वहन केसों और उसी प्रकार की वस्तुओं से भिन्न) ";		

(ख) टैरिफ मद 8473 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 8473 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8473 50 00	शीर्ष 8470 से शीर्ष 8472 तक की दो या अधिक मशीनों के साथ उपयोग के लिए समान रूप से उपयुक्त पुर्जे और उपसाधन;	कि0ग्रा0	12.5%";

(38) अध्याय 85 में,—

(i) टिप्पणों में, टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. शीर्ष 8507 के प्रयोजन के लिए, "वैद्युत संचायक" पद में वे हैं, जिनमें अनुषंगी संघटक हैं, जो संचायक के ऊर्जा भंडारण और आपूर्ति या उसे नुकसान से संरक्षित करने के लिए योगदान करते हैं, जैसे वैद्युत कनेक्टर, तापमान नियंत्रक युक्तियां (उदाहरणार्थ थरमिस्टर) और परिपथ संरक्षण युक्तियां हैं। उनमें मालों के संरक्षित कक्ष का कोई भाग भी सम्मिलित हो सकेगा, जिसमें उनका उपयोग किया जा जाना है।";

(ii) विद्यमान टिप्पण 3, टिप्पण 4, टिप्पण 5, टिप्पण 6, टिप्पण 7, टिप्पण 8 और टिप्पण 9 को क्रमशः टिप्पण 4, टिप्पण 5, टिप्पण 6, टिप्पण 7, टिप्पण 8, टिप्पण 9 और टिप्पण 10 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 9 के खंड (ख) में उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) बहु संघटक एकीकृत परिपथ (एमसीओ) : एक या अधिक मोनोलीथीक, संकर, या बहु-चिप एकीकृत परिपथ, जिनमें निम्नलिखित में कम से कम एक संघटक है : सिलीकान-आधारित संवेदक, प्रेरक, दोलक, संदोलक या उनका संयोजन या शीर्ष 8532, शीर्ष 8533, शीर्ष 8541 के अधीन वर्गीकृत वस्तुओं के कृत्य करने वाले संघटक या शीर्ष 8504 के अधीन वर्गीकृत प्रेरक, जो सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए अविभक्त रूप से एकल निकाय में विरचित किए गए हैं जैसे एकीकृत परिपथ, जो मुद्रित परिपथ बोर्ड (पीसीबी) में संयोजन के लिए एक प्रकार के संघटक के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं या, जो पिन, लीड, बाल, लैंड, बम्प या पैड द्वारा अन्य वाहक के रूप में। इस परिभाषा के प्रयोजन के लिए :

1. "संघटक" शेष बहु संघटक एकीकृत परिपथ में संयोजित किए जाते हैं, तब, पृथक्, स्वतंत्र रूप से, विनिर्मित या अन्य संघटकों में एकीकृत किए जा सकेंगे।

2. "सिलीकान-आधारित" से सिलीकान सबस्ट्रेट पर निर्मित, या सिलीकान सामग्रियों से बना हुआ या एकीकृत परिपथ डाई में विनिर्मित अभिप्रेत है।

3. (क) "सिलीकान-आधारित संवेदक" में सूक्ष्म इलैक्ट्रानिकी या यांत्रिक ढांचे हैं, जो अर्द्धचालक के द्रव्य में या उसकी सतह पर सृजित किए गए हैं और उनका कृत्य भौतिक या रासायनिक मात्राओं का पता लगाना तथा उन्हें वैद्युत संकेतों में पारकर्मी करना है, जो वैद्युत गुणधर्म में परिवर्तनों या यांत्रिक संरचना के विस्थापन के कारण कारित हुए हैं। "भौतिक या रासायनिक मात्राएं" वास्तविक विश्व परिदृश्यों, जैसे दाब, ध्वनि तंरगें, त्वरण, कंपन, संचलन, उन्मुक्तता, स्ट्रेन, चुंबकीय क्षेत्र शक्ति, वैद्युत क्षेत्र शक्ति, प्रकाश, विकिरण, आर्द्रता, प्रवाह, रासायनिक संकेंद्रण आदि से संबंधित हैं।

(ख) "सिलीकान-आधारित प्रेरक" में सूक्ष्म इलैक्ट्रानिकी और यांत्रिक ढांचे हैं, जो अर्द्धचालक के द्रव्य में या उसकी सतह पर सृजित किए गए हैं और उनका कृत्य वैद्युत संकेतों को भौतिक संचलन में परिवर्तित करना है।

(ग) "सिलीकान-आधारित दोलक" संघटक हैं, जो सूक्ष्म इलैक्ट्रानिकी और यांत्रिक ढांचे हैं, जो अर्द्धचालक के द्रव्य में या उसकी सतह पर सृजित किए गए हैं और उनका कृत्य पूर्व निर्धारित आवर्ती में यांत्रिक या वैद्युत संदोलन संकेतों को सृजित करना है, जो किसी बाहरी इनपुट की प्रतिक्रिया में इन ढ़ांचों की भौतिक ज्यामिति पर निर्भर करते हैं।

(घ) "सिलीकान-आधारित संदोलक" सक्रिय संघटक हैं, जो सूक्ष्म इलैक्ट्रानिकी और यांत्रिक ढांचे हैं, जो अर्द्धचालक के द्रव्य में या उसकी सतह पर सृजित किए गए हैं और उनका कृत्य पूर्व निर्धारित आवर्ती में यांत्रिक या वैद्युत संदोलन संकेतों को सृजित करना है, जो इन ढ़ांचों की भौतिक ज्यमिति पर निर्भर करते हैं।";

(iv) शीर्ष 8528, टैरिफ मद 8528 41 00 से टैरिफ मद 8528 69 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8528 42 00	— शीर्ष 8471 की किसी स्वःचालित डाटा प्रक्रमण मशीन से सीधे जोड़े जाने में सक्षम और उसके साथ उपयोग के लिए डिजाइन की गई	इ.	12.5%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
8528 49 00	--	अन्य	इ.	12.5%
	-	अन्य मानीटर :		
8528 52 00	--	शीर्ष 8471 की किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन से सीधे जोड़े जाने में सक्षम और उसके साथ उपयोग के लिए डिजाइन की गई	इ.	12.5%
8528 59 00	--	अन्य	इ.	12.5%
	-	प्रक्षेपक :		
8528 62 00	--	शीर्ष 8471 की किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन से सीधे जोड़े जाने में सक्षम और उसके साथ उपयोग के लिए डिजाइन की गई	इ.	12.5%
8528 69 00	--	अन्य	इ.	12.5%";

(v) टैरिफ मद 8531 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8531 20 00	-	सूचक पैनल, जिनमें द्रव क्रिस्टल युक्तियां (द्र0क्रि0यू0) या प्रकाश उत्सर्जक डायोड (प्र0उ0डा0) लगे हैं	इ.	12.5%";

(vi) शीर्ष 8539 में,—

(क) शीर्ष 8539 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8539	विद्युत फिलामेंट या विसर्जन लैंप, जिनके अंतर्गत मुहरबंद किरणपुंज लैंप यूनिट और पराबैंगनी या अवरक्त लैंप; आर्क लैंप; प्रकाश उत्सर्जन डायोड (प्र0उ0डा0) लैंप हैं";

(ख) टैरिफ मद 8539 49 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8539 50 00	--	प्रकाश उत्सर्जन डायोड (प्र0उ0डा0) लैंप	इ.	12.5%";

(vii) शीर्ष 8541 में,—

(क) शीर्ष 8541 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8541	डायोड, ट्रांजिस्टर और वैसी ही अर्धचालक युक्तियां; प्रकाश सुग्राही अर्धचालक युक्तियां, जिनके अंतर्गत प्रकाश वोल्टीय सेल हैं, चाहे मोडयूलों में समुच्चयित या पैनलों में तैयार हैं या नहीं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, आरूढ़ दाब विद्युत क्रिस्टल";

(ख) टैरिफ मद 8541 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8541 10 00	-	डायोड, प्रकाश सुग्राही या प्रकाश उत्सर्जक डायोड से भिन्न	इ.	12.5%";

(ग) उपशीर्ष 8541 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8541 40	-	प्रकाश सुग्राही अर्धचालक युक्तियां, जिनके अंतर्गत प्रकाश वोल्टीय सेल हैं, चाहे मोड्यूलों में समुच्चयित या पैनलों में तैयार हैं या नहीं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड";

(39) अनुभाग 17 के टिप्पण 2 में खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) शीर्ष 8401 से शीर्ष 8479 की मशीनें और उपकरण या उनके पुर्जे, जिसमें इस अनुभाग की वस्तुओं के लिए रेडिएटरों से भिन्न, शीर्ष 8481 या शीर्ष 8482 की वस्तुएं या, उस दशा में, जब वे इंजन या मोटरों के अभिन्न पुर्जे हैं, शीर्ष 8483 की वस्तुएं ;

(40) अध्याय 87 में,—

(i) शीर्ष 8701 में,—

(क) टैरिफ मद 8701 10 00 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8701 10 00	-	एकल धुरा ट्रेक्टर	इ.	12.5%";

(ख) उपशीर्ष 8701 90, टैरिफ मद 8701 90 10 और टैरिफ मद 8701 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	अन्य, इंजन शक्ति के :		
8701 91 00	--	18 कि0वा0 से अनधिक	इ.	12.5%
8701 92 00	--	18 कि0वा0 से अधिक, किंतु 37 कि0वा0 से अनधिक	इ.	12.5%
8701 93 00	--	37 कि0वा0 से अधिक, किंतु 75 कि0वा0 से अनधिक	इ.	12.5%
8701 94 00	--	75 कि0वा0 से अधिक, किंतु 130 कि0वा0 से अनधिक	इ.	12.5%
8701 95 00	--	130 कि0वा0 से अधिक	इ.	12.5%";

(ii) शीर्ष 8702, उपशीर्ष 8702 10, टैरिफ मद 8702 10 11 से टैरिफ मद 8702 10 99, उपशीर्ष 8702 90, टैरिफ मद 8702 90 11 से टैरिफ मद 8702 90 99 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

टैरिफ मद (1)		माल का वर्णन (2)	इकाई (3)	शुल्क की दर (4)
"8702 10	-	केवल संपीडन-प्रज्वलन अंतरदहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्धडीजल सहित) :		
	---	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 10 11	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	27%
8702 10 12	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	27%
8702 10 18	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	27%
8702 10 19	---	अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	27%
	---	अन्य :		
8702 10 21	----	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 10 22	----	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 10 28	----	अन्य, वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 10 29	----	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 20	-	संपीडन-प्रज्वलन अंतरदहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्धडीजल) और नोदन के लिए मोटर के रूप में वैद्युत मोटर, दोनों के साथ :		
	---	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 20 11	----	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	27%
8702 20 12	----	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	27%
8702 20 18	----	अन्य, वातानुकूलित	इ.	27%
8702 20 19	----	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	27%
	---	अन्य :		
8702 20 21	----	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 20 22	----	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 20 28	----	अन्य, वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 20 29	----	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 30	-	स्फुलिंग प्रज्वलन अंतरदहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटर के रूप में वैद्युत मोटर, दोनों के साथ :		
	---	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 30 11	----	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	27%
8702 30 12	----	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	27%
8702 30 18	----	अन्य, वातानुकूलित	इ.	27%
8702 30 19	----	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	27%
	---	अन्य :		
8702 30 21	----	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 30 22	----	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 30 28	----	अन्य, वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 30 29	----	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 40	-	नोदन के लिए केवल वैद्युत मोटर के साथ :		
	---	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 40 11	----	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 40 12	----	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 40 18	----	अन्य, वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 40 19	----	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	12.5%
	---	अन्य :		
8702 40 21	----	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 40 22	----	एकीकृत मोनोकोक्यू यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 40 28	----	अन्य, वातानुकूलित	इ.	12.5%
8702 40 29	----	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	12.5%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
8702 90	-	अन्य :		
8702 90 11	----	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	27%
8702 90 12	----	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	27%
8702 90 18	----	अन्य, वातानुकूलित	इ.	27%
8702 90 19	----	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	27%
	---	अन्य :		
8702 90 21	----	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	27%
8702 90 22	----	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	27%
8702 90 28	----	अन्य, वातानुकूलित	इ.	27%
8702 90 29	----	अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	27%";

(iii) शीर्ष 8703 में,—

(क) टैरिफ मद 8703 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "जिनमें" शब्द के पश्चात् "केवल" अंतःस्थापित करें;

(ख) टैरिफ मद 8703 24 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "प्रज्जलन अंतर्दहन सहित" रखे जाएंगे ;

(ग) टैरिफ मद 8703 31 20 और टैरिफ मद 8703 32 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(घ) टैरिफ मद 8703 33 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8703 40	-	अन्य यान, जिनमें विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर दोनों हैं :		
8703 40 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	30%
8703 40 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	30%
8703 40 30	---	मोटर कारें	इ.	30%
8703 40 40	---	तीन पहिया यान	इ.	24%
8703 40 90	---	अन्य	इ.	30%
8703 50	-	अन्य यान, जिनमें विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) और नोदन के लिए मोटरों के रूप में वैद्युत मोटर दोनों हैं :		
8703 50 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	30%
8703 50 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	30%
8703 50 30	---	मोटर कारें	इ.	30%
8703 50 40	---	तीन पहिया यान	इ.	24%
8703 50 90	---	अन्य	इ.	30%
8703 60	-	अन्य यान, जिनमें विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर दोनों हैं :		
8703 60 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	30%
8703 60 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	30%
8703 60 30	---	मोटर कारें	इ.	30%
8703 60 40	---	तीन पहिया यान	इ.	24%
8703 60 90	---	अन्य	इ.	30%
8703 70	-	अन्य यान, जिनमें संपीड़न विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन		

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
		अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर दोनों हैं :		
8703 70 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	30%
8703 70 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	30%
8703 70 30	---	मोटर कारें	इ.	30%
8703 70 40	---	तीन पहिया यान	इ.	24%
8703 70 90	---	अन्य	इ.	30%
8703 80	-	अन्य यान, जिनमें नोदन के लिए केवल विद्युत मोटर है :		
8703 80 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	12.5%
8703 80 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	12.5%
8703 80 30		मोटर कारें	इ.	12.5%
8703 80 40		तीन पहिया यान	इ.	12.5%
8703 80 90		अन्य	इ.	30%";

(ङ) उपशीर्ष 8703 90, टैरिफ मद 8703 90 10, और टैरिफ मद 8703 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8703 90 00	-	अन्य	इ	30%";

(iv) शीर्ष 8711 में,—

(क) टैरिफ मद 8711 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8711 60	-	नोदन के लिए विद्युत मोटर सहित		
8711 60 10	---	मोटर साइकिल	इ.	12.5%
8711 60 20	---	स्कूटर	इ.	12.5%
8711 60 30	---	मोपेड	इ.	12.5%
8711 60 90	---	अन्य	इ.	12.5%";

(ख) उपशीर्ष 8711 90, टैरिफ मद 8711 90 10 से टैरिफ मद 8711 90 91, 8711 90 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8711 90	-	अन्य :		
8711 90 10	---	साइड कारें	इ.	12.5%
8711 90 90	---	अन्य	इ.	12.5%";

(41) अध्याय 90 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) शीर्ष 8413 की मापक युक्तियों को समाविष्ट करने वाले पंप, भार प्रचालित गणना या जांच मशीनरी या पृथक रुप से तुलाओं के लिए प्रस्तुत बाट (8423); उत्कर्ष या हथालन मशीनरी (शीर्ष 8425 से 8428) सभी प्रकार का कागज या कागज लुगदी कर्तन मशीनें (8441); शीर्ष 8466 के समायोजन कार्य के लिए फिटिंगों या मशीन औजारों या जलधारा कर्तन मशीनों पर औजार, जिनके अंतर्गत पैमानों को पढ़ने के लिए प्राकाशित युक्तियों वाली फिटिंगें (उदाहरणार्थ"प्राकाशित" और विभाजनकारी शीर्ष) भी हैं किंतु वे वैसी भी हैं जो स्वयं आवश्यक रूप से प्राकाशित उपकरण हैं (उदाहरण के लिए संरेखण दूरबीन); परिकलन मशीनें (शीर्ष 8470); शीर्ष 8481 के वाल्व या अन्य साधित्र; शीर्ष 8486 की मशीनें और उपकरण (जिनके अंतर्गत संवेदीकृत अर्धचालक सामग्रियों पर परिपथ के प्रक्षेपण के लिए के लिए उपकरण भी हैं;";

(आ) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ठ) शीर्ष 9620 के मोनोपोड, बायोपोड, ट्राइपोड और वैसी ही वस्तुएं;";

(इ) वर्तमान खंड (ठ) और (ड) को क्रमशः (ड) और (ढ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा;

(ii) शीर्ष 9006 में, टैरिफ मद 9006 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(42) अध्याय 92 के टिप्पण 1 में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) संगीत वाद्ययंत्रों की सफाई के लिए ब्रुस (शीर्ष 9603) मोनोपोड, बायोपोड, ट्राइपोड और वैसी ही वस्तुएं (शीर्ष 9620); या";

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

(43) अध्याय 94 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (ट) में "या" शब्द का लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (ठ) और अंत में "या" शब्द रखा जाएगा;

(इ) खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ड) मोनोपोड, बायोपोड, ट्राइपोड और वैसी ही वस्तुएं (शीर्ष 9620);";

(ii) टैरिफ मद 9401 51 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगां, अर्थात् :—

"9401 52 00	--	बांस के	इ.	12.5%
9401 53 00	--	रेटन के	इ.	12.5%";

(iii) टैरिफ मद 9403 81 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9401 82 00	--	बांस के	इ.	12.5%
9401 83 00	--	रेटन के	इ.	12.5%";

(iv) शीर्ष 9406, उपशीर्ष 9406 00, टैरिफ मद 9406 00 11 से टैरिफ मद 9406 00 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9406		पूर्व संविरचित निर्माण		
9406 10	-	काष्ठ का :		
9406 10 10	---	ग्रीन हाउस	इ.	12.5%
9406 10 20	---	शीतागार के लिए	इ.	12.5%
9406 10 30	---	इनसिल जल भंडारण के लिए साइलो	इ.	12.5%
9406 10 90	---	अन्य	इ.	12.5%
9406 90	-	अन्य :		
9406 90 10	---	ग्रीन हाउस	इ.	12.5%
9406 90 20	---	शीतागार के लिए	इ.	12.5%
9406 90 30	---	इनसिल जल भंडारण के लिए साइलो	इ.	12.5%
9406 90 90	---	अन्य	इ.	12.5%";

(44) अध्याय 95 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) अध्याय 61 या अध्याय 62 की टैक्सटाइल फैंसी पोशाक; अध्याय 61 या अध्याय 62 के टैक्सटाइल के क्रीड़ा के कपड़े और परिधानों की विशेष वस्तुएं, चाहे उनमें कोहनी, घुटने या उरुसन्धि क्षेत्रों (उदाहरणार्थ तारदार पहनावा या सोसर गोलकीपर जर्सी) में पैडों या पैडिंग जैसे आनुषंगिक रूप से संरक्षणकारी संघटक समाविष्ट हैं या नहीं;";

(आ) खंड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(प) मोनोपोड, बायोपोड, ट्राइपोड और वैसी ही वस्तुए (शीर्ष 9620);";

(इ) विद्यमान खंड (न) और खंड (फ) को क्रमशः खंड (फ) और खंड (ब) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा;

(45) अध्याय 96 में, टैरिफ मद 9619 00 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9620 00 00	-	मोनोपोड, बायोपोड, ट्राइपोड और वैसी ही वस्तुएं	कि.ग्रा.	12.5%"।

नौवीं अनुसूची

(धारा 144 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

(i) शीर्ष 4011 में, टैरिफ मद 4011 61 00 से टैरिफ मद 4011 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
"4011 50 90	--- अन्य	इ.	8%
4011 70 00	- इस प्रकार के, जिनका उपयोग कृषि या वानिकी यानों और मशीनों में किया जाता है	इ.	8%
4011 80 00	- इस प्रकार के जिनका उपयोग सन्निर्माण, खनन या औद्योगिक उठाई धराई यानों और मशीनों में किया जाता है	इ.	8%
4011 90 00	- अन्य	इ.	8%";

(ii) उपशीर्ष 5402 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5402 20	— पालिस्टर का उच्च लगिष्णुता सूत, चाहे संव्यूतित है या नहीं";		

(iii) शीर्ष 8415, उपशीर्ष 8415 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8415 10	- किसी खिड़की, दीवाल, छत या फर्श में लगाए जाने के लिए, स्वतः पूर्ण या "पृथक्करण प्रणाली" के लिए डिजाइन किए गए किस्म के";		

(iv) उपशीर्ष 8702 10, टैरिफ मद 8702 10 11 से टैरिफ मद 8702 10 99, उपशीर्ष 8702 90, टैरिफ मद 8702 90 11 से टैरिफ मद 8702 90 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8702 10	- केवल संपीडन-प्रज्वलन अंतरदहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्धडीजल सहित) :		
	--- 13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 10 11	---- एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 10 12	---- एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 10 18	---- अन्य, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 10 19	---- अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
	--- अन्य :		
8702 10 21	---- एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 10 22	---- एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 10 28	---- अन्य, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 10 29	---- अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 20	- संपीडन-प्रज्वलन अंतरदहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्धडीजल सहित) और नोदन के लिए मोटर के रूप में वैद्युत मोटर, दोनों के साथ :		
	--- 13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 20 11	---- एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 20 12	---- एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 20 18	---- अन्य, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 20 19	---- अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
	--- अन्य :		
8702 20 21	---- एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 20 22	---- एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 20 28	---- अन्य, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 20 29	---- अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
8702 30	-	स्फुलिंग प्रज्वलन अंतरदहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटर के रूप में वैद्युत मोटर, दोनों के साथ :		
	--	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 30 11	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 30 12	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 30 18	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 30 19	---	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
	--	अन्य :		
8702 30 21	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 30 22	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 30 28	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 30 29	---	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 40	-	नोदन के लिए केवल वैद्युत मोटर के साथ :		
	--	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 40 11	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 40 12	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 40 18	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 40 19	---	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
	--	अन्य :		
8702 40 21	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 40 22	--	एकीकृत मोनोकोक्यू यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 40 28	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 40 29	---	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 90	-	अन्य :		
	--	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 90 11	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 90 12	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 90 18	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 90 19	---	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
	--	अन्य :		
8702 90 21	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 90 22	---	एकीकृत मोनोकोक्यू यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%
8702 90 28	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	8%
8702 90 29	---	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	8%";
8702 90		-अन्य		

(v) उपशीर्ष 8703 10 में,—

(क) टैरिफ मद 8703 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "जिनमें" शब्द के पश्चात्, "केवल" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 8703 24 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "यान," शब्द के पश्चात्, "केवल" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 8703 33 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8703 40	-	अन्य यान, जिनमें विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर दोनों हैं :		
8703 40 10	--	सात व्यक्तियों से अधिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	8%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
8703 40 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	8%
8703 40 30	---	मोटर कारें	इ.	8%
8703 40 40	---	तीन पहिया यान	इ.	8%
8703 40 90	---	अन्य	इ.	8%
8703 50	-	अन्य यान, जिनमें विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) और नोदन के लिए मोटरों के रूप में वैद्युत मोटर दोनों हैं :		
8703 50 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	8%
8703 50 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	8%
8703 50 30	---	मोटर कारें	इ.	8%
8703 50 40	---	तीन पहिया यान	इ.	8%
8703 50 90	---	अन्य	इ.	8%
8703 60	-	अन्य यान, जिनमें विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर दोनों हैं :		
8703 60 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	8%
8703 60 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	8%
8703 60 30	---	मोटर कारें	इ.	8%
8703 60 40	---	तीन पहिया यान	इ.	8%
8703 60 90	---	अन्य	इ.	8%
8703 70	-	अन्य यान, जिनमें संपीड़न विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्पुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर दोनों हैं :		
8703 70 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	8%
8703 70 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और वैसी ही	इ.	8%
8703 70 30	---	मोटर कारें	इ.	8%
8703 70 40	---	तीन पहिया यान	इ.	8%
8703 70 90	---	अन्य	इ.	8%
8703 80	-	अन्य यान, जिनमें केवल नोदन के लिए विद्युत मोटर है :		
8703 80 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	8%
8703 80 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और वैसी ही	इ.	8%
8703 80 30	---	मोटर कारें	इ.	8%
8703 80 40	---	तीन पहिया यान	इ.	8%
8703 80 90	---	अन्य	इ.	8%";

(vi) उपशीर्ष 8703 90, टैरिफ मद 8703 90 10 और टैरिफ मद 8703 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8703 90 00	-	अन्य	इ.	8%";

दसवीं अनुसूची

(धारा 157 देखिए)

अधिसूचना सं0	**संशोधन**	**संशोधन के प्रभावी होने की अवधि**
(1)	**(2)**	**(3)**
सा.का.नि. 519(अ), तारीख 29 जून, 2012 [सं. 41/2012-सेवा कर, तारीख 29 जून, 2012]	उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण में,— (क) खंड (अ) में, उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :— "(i) शुल्क्य माल की दशा में ऐसी कराधेय सेवाएं जिनका उक्त माल कारखाने या किसी अन्य स्थान या उत्पादन या विनिर्माण परिसर के बाहर उनके निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है ;"; (ख) खंड (आ) का लोप किया जाएगा।	1 जुलाई, 2012 से 2 फरवरी, 2016 (दोनों दिन सम्मिलित हैं)।

ग्यारहवीं अनुसूची

(धारा 159 देखिए)

मद सं0	माल का वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)
1.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के शीर्ष 8703 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।	4% ।

बारहवीं अनुसूची

[धारा 228(i) देखिए]

वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में,—

(क) स्तंभ (1) में, टैरिफ मद "2403 10 10" के स्थान पर, टैरिफ मद "2403 11 10" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) स्तंभ (1) में, टैरिफ मद "2403 10 20" के स्थान पर, टैरिफ मद "2403 19 10" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) स्तंभ (1) में, टैरिफ मद "2403 10 31" के स्थान पर, टैरिफ मद "2403 19 21" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(घ) स्तंभ (1) में, टैरिफ मद "2403 10 39" के स्थान पर, टैरिफ मद "2403 19 29" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ङ) स्तंभ (1) में, टैरिफ मद "2403 10 90" के स्थान पर, टैरिफ मद "2403 19 90" प्रतिस्थापित की जाएगी।

तेरहवीं अनुसूची

[धारा 228(ii) देखिए]

वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में,—

(i) उपशीर्ष 8702 10, टैरिफ मद 8702 10 11 से टैरिफ मद 8702 10 19, उपशीर्ष 8702 90, टैरिफ मद 8702 90 11 से टैरिफ मद 8702 90 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

टैरिफ मद		माल का विवरण	इकाई	शुल्क की दर
"8702 10	-	केवल संपीडन-प्रज्वलन अंतरदहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्धडीजल सहित) :		
	--	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 10 11	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	1%
8702 10 12	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	1%
8702 10 18	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	1%
8702 10 19	---	अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	1%
8702 20	-	संपीडन-प्रज्वलन अंतरदहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्धडीजल सहित) और नोदन के लिए मोटर के रूप में वैद्युत मोटर, दोनों के साथ :		
	--	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 20 11	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	1%
8702 20 12	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	1%
8702 20 18	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	1%
8702 20 19	---	अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	1%
8702 30	-	स्फुलिंग प्रज्वलन अंतरदहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटर के रूप में वैद्युत मोटर, दोनों के साथ :		
	--	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 30 11	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	1%
8702 30 12	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	1%
8702 30 18	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	1%
8702 30 19	---	अन्य, गैर वातानुकूलित	इ.	1%
8702 40	-	नोदन के लिए केवल वैद्युत मोटर के साथ :		
	--	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 40 11	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	1%
8702 40 12	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	1%
8702 40 18	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	1%
8702 40 19	---	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	1%
8702 90	-	अन्य :		
	--	13 व्यक्तियों से, जिसमें चालक भी है, अनधिक के परिवहन के लिए यान :		
8702 90 11	---	एकीकृत मोनोकोक यान, वातानुकूलित	इ.	1%
8702 90 12	---	एकीकृत मोनोकोक यान, गैर-वातानुकूलित	इ.	1%
8702 90 18	---	अन्य, वातानुकूलित	इ.	1%
8702 90 19	---	अन्य, गैर-वातानुकूलित	इ.	1%";

(ii) टैरिफ मद 8703 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "जिनमें" शब्द के पश्चात्, "केवल" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iii) टैरिफ मद 8703 24 99 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "यान" शब्द के पश्चात्, "केवल" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iv) टैरिफ मद 8703 33 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8703 40	-	अन्य यान, जिनमें विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर दोनों हैं :		

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(5)
8703 40 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	1%
8703 40 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	1%
8703 40 30	---	मोटर कारें	इ.	1%
8703 40 40	---	तीन पहिया यान	इ.	1%
8703 40 90	---	अन्य	इ.	1%
8703 50	-	अन्य यान, जिनमें विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) और नोदन के लिए मोटरों के रूप में वैद्युत मोटर दोनों हैं :		
8703 50 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	1%
8703 50 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	1%
8703 50 30	---	मोटर कारें	इ.	1%
8703 50 40	---	तीन पहिया यान	इ.	1%
8703 50 90	---	अन्य	इ.	1%
8703 60	-	अन्य यान, जिनमें विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर दोनों हैं :		
8703 60 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	1%
8703 60 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और उसी प्रकार के यान	इ.	1%
8703 60 30	---	मोटर कारें	इ.	1%
8703 60 40	---	तीन पहिया यान	इ.	1%
8703 60 90	---	अन्य	इ.	1%
8703 70	-	अन्य यान, जिनमें संपीड़न विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत पर डाट लगाकर चार्ज किए जाने के योग्य मोटरों से भिन्न स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर दोनों हैं :		
8703 70 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	1%
8703 70 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और वैसी ही	इ.	1%
8703 70 30	---	मोटर कारें	इ.	1%
8703 70 40	---	तीन पहिया यान	इ.	1%
8703 70 90	---	अन्य	इ.	1%
8703 80	-	अन्य यान, जिनमें केवल नोदन के लिए विद्युत मोटर है :		
8703 80 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ.	1%
8703 80 20	---	विशेषीकृत परिवहन यान जैसे एम्बुलेंस, कैदी यान और वैसी ही	इ.	1%
8703 80 30	---	मोटर कारें	इ.	1%
8703 80 40	---	तीन पहिया यान	इ.	1%
8703 80 90	---	अन्य	इ.	1%";

(v) उपशीर्ष 8703 90, टैरिफ मद 8703 90 10 और टैरिफ मद 8703 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8703 90 00	-	अन्य	इ	1%";

चौदहवीं अनुसूची

(धारा 231 देखिए)

वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में,—

(क) टैरिफ मद 2402 20 10 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "215 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2402 20 20 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "370 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2402 20 30 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "215 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 2402 20 40 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "260 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 2402 20 50 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "370 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 2402 20 90 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "560 रु0 प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी।

पंद्रहवीं अनुसूची

(धारा 234 देखिए)

निरसन

वर्ष	**सं0**	**संक्षिप्त नाम**	**निरसन का विस्तार**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1946	22	अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946	धारा 2 ।
1953	49	नमक उपकर अधिनियम, 1953	पूर्ण ।
1958	44	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958	धारा 261, धारा 262 का खंड (म), धारा 356ङ, धारा 356ट और धारा 356ण का खंड (ङ) ।
1963	41	टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963	धारा 5क, 5घ, 5ङ, 5च, धारा 7 की उपधारा (1) का खंड (कक) और धारा 22 की उपधारा (2) का खंड (घक)
1972	62	चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972	धारा 3, धारा 4 और धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (च) ।
1975	26	तंबाकू उपकर अधिनियम, 1975	पूर्ण ।
1976	55	लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976	धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6।
1981	30	सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981	धारा 3 का खंड (क) ।

संशोधन

वर्ष	**सं.**	**संक्षिप्त नाम**	**संशोधन**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1972	62	चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972	धारा 5 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— “(1) केंद्रीय सरकार चूना पत्थर और डोलोमाइट श्रम कल्याण निधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् निधि कहा गया है) का गठन करेगी ।”। निधि का गठन।
1976	56	बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976	धारा 3 की उपधारा (1) में “पचास पैसे से कम नहीं या पांच रुपए से अधिक नहीं” शब्दों के स्थान पर “पांच रुपए से कम नहीं या चौबीस रुपए से अधिक नहीं” शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली;
23 फरवरी, 2016 **अरुण जेटली**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली, के लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 23 फरवरी, 2016 के पत्र सं० 2(8)-बी०(डी०)/2016 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2016 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करते हैं ।

2. यह विधेयक लोक सभा में 29 फरवरी, 2016 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा ।

खंडों पर टिप्पण

आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2016-2017 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्गृहीत किया जाना है । इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए है ; और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है ।

निर्धारण वर्ष 2016-2017 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में आय-कर की उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2016-2017 के लिए कर के दायित्वाधीन है । ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी ।

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है । ये दरें वहीं हैं, जो वित्त अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती करने के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी । किसी व्यक्ति को जो भारत में निवासी किसी कंपनी से भिन्न बीमा कमीशन के रूप में आय के संदाय के मामले के सिवाय अब स्रोत पर कटौती पूर्ववर्ती दस प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत की दर से की जाएगी।

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में—

(i) प्रत्येक अनिवासी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या निकाय चाहे निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड 31 के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से;

(ii) प्रत्येक अनिवासी सहकारी समिति या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(iii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(iv) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए उन दरों को, जिन पर "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और उन दरों को भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है और वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करने के लिए है ।

इस भाग के पैरा क में आय-कर की निम्नलिखित दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [उपपैरा (ii) और उपपैरा (iii) में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित से भिन्न या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है :—

2,50,000 रुपए तक	कुछ नहीं
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत;
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक की आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का हैः—

3,00,000 रुपए तक	कुछ नहीं
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत;
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष की या अधिक की आयु का हैः—

5,00,000 रुपए तक	कुछ नहीं
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

इस पैरा में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, पन्द्रह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2016-2017 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं । ऐसी सहकारी सोसाइटियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2016-2017 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसी फर्मों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2016-2017 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । देशी कंपनियों की दशा में आय-कर कुल आय का उनतीस प्रतिशत होगा जहां कंपनी का पूर्ववर्ष 2014-2015 में कुल आवृत्त या शुद्ध प्राप्ति पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और अन्य सभी मामलों में आय-कर की दर कुल आय के तीस प्रतिशत होगी । देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में कर की दर उसी रूप में जारी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2016-2017 के लिए विनिर्दिष्ट है ।

ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, सात प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, दो प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

सभी अन्य मामलों (जिसमें धारा 115ञख, धारा 115ण, धारा 115थक, धारा 115द, धारा 115नक, 115नघ आदि भी है) में, अधिभार बारह प्रतिशत की दर से लागू होगा ।

पहली अनुसूची के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में दो प्रतिशत की दर से "शिक्षा उपकर" और एक प्रतिशत की दर से "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" उद्गृहीत किया जाता रहेगा । पहली अनुसूची के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, देशी कंपनी और ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है, स्रोत से कटौती किए गए या संगृहीत कर पर कोई शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा । दोनों उपकर, वेतन भुगतानों की दशा में स्रोत पर कटौती किए गए कर के संबंध में लागू रहेंगे । ये भारत में अनिवासी व्यक्तियों और देशी कंपनी से भिन्न कंपनियों के मामले में भी उद्ग्रहीत किए जाते रहेंगे ।

विधेयक का **खंड 3** परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (क) पूर्वोक्त धारा के खंड (14) का संशोधन करने के लिए है जो "पूंजी आस्ति" को परिभाषित करता है और उक्त खंड 14 की मद (vi) पूंजी आस्ति की परिभाषा से अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण निक्षेप स्कीम, 1999 के अधीन जारी स्वर्ण निक्षेप बंधपत्रों को अपवर्जित करता है । उक्त खंड 14 की मद (vi) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे पूंजी आस्ति की परिभाषा से स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015 के अधीन जारी निक्षेप प्रमाणपत्रों को भी अपवर्जित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त खंड का उपखंड (ग) आय की परिभाषा से संबंधित खंड (24) का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

उक्त धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह परिभाषित करने के लिए खंड (23ग) अंतःस्थापित किया जा सके कि "सुनवाई " पद में इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से आंकड़ों और दस्तावेज की संसूचना सम्मिलित है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

खंड (24) का उपखंड (xviii), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी निर्धारिती को, ऐसा सहायिकी या अनुदान या प्रतिपूर्ति से भिन्न, जिसे धारा 43 के खंड (1) के स्पष्टीकरण 10 के अनुसार आस्ति की वास्तविक लागत के अवधारण के लिए हिसाब में लिया जाता है, किसी सहायिकी या अनुदान या प्रतिपूर्ति इत्यादि के रूप में किसी सहायता को आय की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा ।

उक्त उपखंड (xviii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी न्यास या संस्था के निकाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायिकी या अनुदान आय का भाग नहीं होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त खंड का उपखंड (घ) उक्त धारा के खंड (37क) का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 194ठखख या धारा 194ठखग के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए किसी निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में "प्रवृत्त दरों" से, सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आय-कर की दर या दरें अथवा धारा 90 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए करार में विनिर्दिष्ट अथवा धारा 90क के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित आय-कर की दर या दरें, इनमें से जो भी लागू हो, अभिप्रेत है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 4** भारत में निवासी से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (3) का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई कंपनी किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी तब कही जाती है, यदि,—

(i) वह एक भारतीय कंपनी है; या

(ii) उसके प्रभावी नियंत्रण और प्रबंध का स्थान उस वर्ष में सम्पूर्ण भारत में अवस्थित है ।

उक्त खंड (3) को यह उपबंध करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है कि कोई कंपनी किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी कही जाती है, यदि,-

(क) यदि वह कोई भारतीय कंपनी है; या

(ख) उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान उस वर्ष में भारत में है ।

"प्रभावी प्रबंधन का स्थान" पद को स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह अभिप्रेत किया जा सके कि जहां किसी सत्ता के संपूर्ण कारबार के संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंधन और वाणिज्यिक विनिश्चय, सारवान् रूप से किए जाते हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 5** भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में एक नया खंड (ङ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि हीरों के खनन के कारबार में लगी किसी विदेशी कंपनी की दशा में कोई आय ऐसे क्रियाकलापों के माध्यम से या क्रियाकलापों से जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किसी विशेष जोन में बिना कटे और बिना छंटे हीरे के प्रदर्शन तक सीमित हैं, भारत में प्रोदभूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाएगी ।

यह संशोधन, भूतलक्षी प्रभाव से, 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 6** भारत में कारबारी संपर्क न गठित करने वाले कतिपय क्रियाकलापों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में कोई पात्र विनिधान निधि होने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों का उपबंध है ।

उक्त उपधारा के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पात्र विनिधान निधि से केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में गठित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत निधि भी अभिप्रेत हो ।

उक्त उपधारा के खंड (ट) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे भारत में या भारत से कोई कारबार नहीं करेगी या उसे नियंत्रित या उसका प्रबंधन नहीं करेगी, निधि के प्रति निर्देश का लोप किया जाए ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 7** आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (क) पूर्वोक्त धारा के खंड (12) का संशोधन करने के लिए है। उक्त खंड यह उपबंध करता है कि किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी को देय या संदेय संचित अतिशेष को चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन कर से छूट प्राप्त है ।

उक्त खंड (12) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी छूट प्राप्त कर्मचारी से भिन्न किसी कर्मचारी द्वारा 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किए गए अभिदाय की बाबत ऐसे कर्मचारी को देय और संदेय होने वाले संचित अधिशेष को उस परिमाण तक, जिस तक यह चौथी अनुसूची के भाग (क) के नियम 8 के उपबंधों के अनुसार संदेय रकम का चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

उक्त धारा में एक नया खंड 12क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम से अपना खाता बंद करने का विकल्प देने पर किसी कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास उस परिमाण तक, जहां तक यह उसके खाता बंद करने या स्कीम छोड़ने के विकल्प के समय उसे संदेय कुल रकम के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

उक्त धारा के खंड (13) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् अभिदायों में से क्रय की गई किसी वार्षिकी के सांराशिकरण में संदाय पर, जो वार्षिकी के चालीस प्रतिशत से अधिक है, कर प्रभार्य होगा । उक्त खंड का यह और प्रस्ताव है, जिसे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित धारा 80गगघ में निर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में अंतरण द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि से संदाय कर से छूट प्राप्त होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त खंड का उपखंड (ख) में संशोधित करने का प्रस्ताव है । पूर्वोक्त धारा का खंड (15) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण निक्षेप स्कीम, 2015 के अधीन जारी निक्षेप प्रमाणपत्रों पर ब्याज स्वर्ण निक्षेप बंधपत्रों पर अर्जित ब्याज को आय-कर से छूट का उपबंध करता है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त खंड का उपखंड (ग) उक्त धारा के खंड (23घक) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिभूतिकरण" पद की परिभाषा के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (य) में यथापरिभाषित प्रतिभूतिकरण भी है ।

उक्त धारा के खंड (23चग) का यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 115ण की उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी विशेष प्रयोजन एकक से प्राप्त या प्राप्य ब्याज या लाभांश के रूप में कारबार न्यास की कोई आय भी ऐसे कारबार न्यास की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

उक्त धारा के खंड (23चघ) यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का भी प्रस्ताव है कि किसी यूनिट धारक द्वारा प्राप्त कारबार न्यास से कोई वितरित आय, जो वैसी प्रकृति की है जैसी कि धारा 115ण की उपधारा (7) में निर्दिष्ट लाभांश, ऐसे यूनिट धारक की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

उक्त धारा के खंड (34) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि लाभांश के रूप में कोई आय दस लाख रुपए से अधिक है, किसी व्यष्टि, अविभाजित हिन्दू कुटुंब या किसी फर्म के मामले में कर से छूट प्राप्त नहीं होगी ।

उक्त धारा के खंड (35क) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 जून, 2016 को या उसके पश्चात् प्राप्त धारा 115नक में निर्दिष्ट वितरित आय के रूप में किसी आय को लागू नहीं होगी ।

उक्त धारा के खंड (38)का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में किए गए संव्यवहार से उद्भूत आय के मामले में पूंजी अभिलाभों से छूट प्राप्ति के लिए उपबंध किया जा सके और ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल विदेशी मुद्रा में संदत्त किया जाता है या संदेय है । अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र और मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज अभिव्यक्ति को परिभाषित करना भी प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा ।

उक्त खंड का उपखंड (घ) उक्त धारा में एक नया खंड (48क) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे भारत में किसी सुविधा में कच्चे तेल भंडारण और भारत में किसी निवासी व्यक्ति को उसे कच्चे तेल के विक्रय के मद्दे विदेशी कंपनी की किसी आय की बाबत छूट इन शर्तो के अधीन रहते हुए कि विदेशी कंपनी द्वारा भंडारण और विक्रय केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए करार या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित व्यवस्था के अनुसरण में है और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए विदेशी कंपनी और करार या व्यवस्था इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त खंड का उपखंड (ङ) उक्त धारा में नया खंड (50) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं उपबंधित विनिर्दिष्ट सेवा से उद्भूत कोई आय जो उस अध्याय के अधीन समकरण उद्ग्रहण से प्रभार्य है, को छूट प्रदान की जाएगी । प्रस्तावित खंड (50) के अधीन एक स्पष्टीकरण का उपबंध करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, " विनिर्दिष्ट सेवा" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 की धारा 161 के खंड (i) में है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 8** विशेष आर्थिक जोन में स्थापित नई यूनिटों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10कक का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में यह उपबंधित है कि किसी ऐसे निर्धारिती को, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ञ) में निर्दिष्ट उद्यमकर्ता है, जो 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्, आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना या कोई सेवा प्रदान करना आरंभ करता है, वस्तुओं या चीजों या सेवाओं के निर्यात से व्युत्पन्न नामों पर कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त धारा 10कक की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन कटौती केवल 1 अप्रैल, 2021 तक ही अनुज्ञात होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 9** "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" की परिभाषा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2), अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारिती की बाबत नियोक्ता द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में किसी अभिदाय की रकम को, जहां तक वह एक लाख रुपए से अधिक है, सम्मिलित करने के लिए "परिलब्धि" को परिभाषित करती है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नियोक्ता के अभिदाय की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 10** गृह संपत्ति से आय में से कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 24 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा का खंड (ख) यह उपबंध करता है कि गृह संपत्ति के अर्जन या सन्निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज की कटौती, गृह संपत्ति से प्राप्त आय की संगणना करते समय की जाएगी । उक्त खंड का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी गृह संपत्ति (स्व अर्जित गृह संपत्ति) का अर्जन या सन्निर्माण 11 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् उधार ली गई पूंजी से किया गया है और ऐसा अर्जन या सन्निर्माण उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें पूंजी उधार ली गई थी, तीन वर्ष के भीतर पूरा हो जाता है, वहां दो लाख रुपए की रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (ख) के दूसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परंतुक के अधीन दो लाख रूपए की रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि ऐसा अर्जन या सन्निर्माण उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें पूंजी उधार ली गई थी, पांच वर्ष के भीतर पूरा हो जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 11** कटौती के रूप में अनुज्ञात वसूल न किए गए, तत्पश्चात् वसूल किए गए, तत्पश्चात् प्राप्त किराए और प्राप्त किराए के बकाया के कराधान पर विशेष उपबंधों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 25क, 25कक तथा 25ख के स्थान पर नई धारा 25क प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी निर्धारिती द्वारा बकाया के रूप में प्राप्त किराए की रकम या वसूल न किए गए किराए की, जो बाद में वसूल किया गया हो, रकम को उस वित्तीय वर्ष में आय-कर से प्रभारित किया जाएगा जिसमें ऐसा किराया प्राप्त या वसूल किया गया है, चाहे निर्धारिती व्यक्ति संपत्ति का स्वामी हो या न हो ।

यह प्रस्ताव भी है कि निर्धारिती द्वारा किराए के बकाया या वसूल न किए गए तत्पश्चात् वसूल किए गए किराए के बकाया का तीस प्रतिशत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 12** "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा का खंड (vक) अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करता है कि किसी कारबार के संबंध में कोई क्रियाकलाप न करने के लिए किसी करार के अधीन चाहे नकद या वस्तु रूप में प्राप्त या प्राप्य, कोई राशि कारबार अस्तित्वों के लिए कारबार आय के रूप में कर से प्रभार्य है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी वृत्ति के संबंध में कोई क्रियाकलाप न करने के लिए किसी करार के अधीन, चाहे नकद या वस्तु रूप में प्राप्त या प्राप्य, कोई राशि भी "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ " शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 13** अवक्षयण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसी किसी नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की दशा में, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में या विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के कारबार में लगे हुए किसी निर्धारिती द्वारा, 31 मार्च, 2005 के पश्चात् वर्ष में अर्जित और संस्थापित की गई है, ऐसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के बीस प्रतिशत के बराबर और कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

उक्त खंड (iiक) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के अधीन कटौती विद्युत के पारेषण के कारबार के लिए भी अनुज्ञात की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 14** नए संयंत्र या मशीनरी में विनिधान से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 32कग का संशोधन करने के लिए है ।

उपरोक्त धारा की उपधारा (1क), अन्य बातों के साथ-साथ, किसी निर्धारिती, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगी हुई कोई कंपनी है, द्वारा अर्जित या प्रतिष्ठापित नई मशीनरी या संयंत्र (पोत या वायुयान से भिन्न) की वास्तविक लागत, जो पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक हो, के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य राशि अनुज्ञात करती है, यदि अर्जन या प्रतिष्ठापन उसी वित्तीय वर्ष में किया गया है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि आस्तियां 31 मार्च, 2017 को या उसके पूर्व प्रतिष्ठापित की जाती हैं ।

उक्त उपधारा में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां नई आस्तियों का प्रतिष्ठापन, अर्जन के वर्ष से भिन्न किसी अन्य वर्ष में किया जाता है, वहां उक्त उपधारा के अधीन कटौती उस वर्ष में अनुज्ञात की जाएगी, जिसमें ऐसी नई आस्तियां प्रतिष्ठापित की जाती हैं ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 15** वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (i) पूर्वोक्त धारा 35 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ii) में ऐसे वैज्ञानिक संगम को जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए संदत्त किसी रकम का एक सौ पचहत्तर प्रतिशत तक भारित कटौती के बारे में उपबंधित है ।

उक्त खंड (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे वित्तीय वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 तक भारित कटौती को एक सौ पचहत्तर से घटाकर एक सौ पचास किया जा सके । इसमें वित्तीय वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों से शत प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) में वैज्ञानिक अनुसंधान में लगी हुई किसी कंपनी के अभिदाय के संबंध में भारित कटौती के बारे में उपबंधित है ।

उक्त खंड (ii क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे वित्तीय वर्ष 2017-2018 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों से उक्त भारित कटौती को एक सौ पच्चीस प्रतिशत से घटाकर शत प्रतिशत किया जा सके ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iii) में यह उपबंधित है कि भारित कटौती सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने हेतु अनुमोदित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थाओं को किए गए अभिदायों के संबंध में अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त खंड (iii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे वित्तीय वर्ष 2017-2018 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों से भारित कटौती को एक सौ पच्चीस प्रतिशत से घटा कर शतप्रतिशत किया जा सके ।

उक्त खंड का उपखंड (ii) पूर्वोक्त धारा 35 की उपधारा (2कक) का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2कक) के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए संदत्त किसी राशि के दो सौ प्रतिशत तक भारित कटौती के बारे में उपबंधित है ।

उक्त खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे वित्तीय वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 तक भारित कटौती को दो सौ प्रतिशत से घटाकर एक सौ पचास प्रतिशत किया जा सके । इसमें वित्तीय वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती वर्षों से उक्त भारित कटौती को घटाकर शत प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है ।

उक्त खंड का उपखंड (iii) पूर्वोक्त धारा 35 की उपधारा (2कख) का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2कख) के खंड (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में किसी कंपनी या वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा अनुमोदित आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर उपगत व्यय का दो सौ प्रतिशत की भारित कटौती करने के बारे में उपबंधित है ।

उक्त खंड (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे वित्तीय वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 तक भारित कटौती को दो सौ प्रतिशत से घटाकर एक सौ पचास प्रतिशत किया जा सके । वित्तीय वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती वर्षों से उक्त भारित कटौती को घटा कर शत प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 16** आय-कर अधिनियम में दूर-संचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के उपयोग के अधिकार को अभिप्राप्त करने के लिए व्यय से संबंधित नई धारा 35कखक अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित धारा यह उपबंध करने के लिए है कि दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के उपयोग का अधिकार अर्जित करने के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत और वास्तव में संदत्त पूंजी व्यय को उस वर्ष से आरंभ होने वाली अवधि के दौरान जिसमें ऐसा संदाय किया गया है और उस वर्ष जिसमें स्पैक्ट्रम का उपयोगी जीवन समाप्त होता है, समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बराबर किस्तों में कटौती के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

प्रस्तावित धारा यह और उपबंध करती है कि धारा 35कखख की उपधारा (2) से उपधारा (8) में अंतर्विष्ट उपबंधों में "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर "स्पेक्ट्रम" शब्द रखा गया है ।

उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए, एक स्पष्टीकरण का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 17** पात्र परियोजनाओं और स्कीमों पर व्यय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 35कग का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 35कग के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी को या अनुमोदित किसी संगम या संस्था को, कतिपय पात्र सामाजिक विकास संबंधी परियोजना और ऐसी स्कीम, जो कारबार से संबंधित नहीं है, पर किसी राशि के संदाय के रूप में उपगत व्यय के लिए कटौती के बारे में उपबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (7) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन कटौती 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण के संबंध में लागू नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 18** विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लिए वर्ष के दौरान पूर्णतः या अनन्यतः उपगत पूंजी प्रकृति के व्यय की बाबत कटौती अनुज्ञात है । पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि जहां विनिर्दिष्ट कारबार उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (v) या उपखंड (vii) या उपखंड (viii) में निर्दिष्ट प्रकृति का है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती उसमें निर्दिष्ट व्यय के डेढ़ गुणा के बराबर रकम तक अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त उपधारा (1क) का लोप करने का प्रस्ताव है । उक्त धारा 35कघ की उपधारा (2) का संशोधन और करने का प्रस्ताव है जिससे विकास, प्रचालन और अनुरक्षण या अवसंरचना सुविधा के विकास प्रचालन और अनुरक्षण में लगे किसी निर्धारिती का इस धारा के अधीन कटौती का उपबंध किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (8) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा की उपधारा (2) में प्रस्तावित संशोधन की दृष्टि से उक्त धारा में "अवसंरचना सुविधा" पद को परिभाषित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 19** कृषि विस्तार परियोजना पर व्यय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 35गगग का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में यह उपबंधित है कि जहां कोई निर्धारिती द्वारा उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना पर कोई व्यय उपगत करता है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुणा के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, वहां उस व्यय की बाबत कटौती आय-कर अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे एक सौ पचास प्रतिशत के बराबर कटौती को घटाकर शत प्रतिशत किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 20** कौशल विकास परियोजना पर व्यय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 35गगघ का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में यह उपबंधित है कि जहां कोई कंपनी, बोर्ड द्वारा, उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित किसी कौशल विकास कार्यक्रम संबंधी कोई व्यय (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) उपगत करती है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुणा के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी । उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, वहां उस व्यय की बाबत कटौती इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से 'डेढ़ गुणा के बराबर राशि की कटौती को' घटाकर शत प्रतिशत किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 21** अन्य कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (viiक) में अंतर्विष्ट उपबंध, कतिपय अस्तित्वों द्वारा डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में कटौती के लिए उपबंध करते हैं ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (viiक) में उपखंड (घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में कटौती कुल आय (इस खंड और अध्याय 6-क के अधीन कटौती करने से पूर्व संगणित) के पांच प्रतिशत से अनधिक अनुज्ञात की जाएगी ।

"गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 22** आय-कर अधिनियम की कटौती न करने योग्य रकमों से संबंधित धारा 40 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 40 के उपबंध उन रकमों को विनिर्दिष्ट करते हैं जिनकी, " कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती नहीं की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) में एक नया उपखंड (iख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी विनिर्दिष्ट सेवा के लिए किसी अनिवासी को संदत्त या संदेय प्रतिफल जिस पर वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के अधीन समकरण उद्ग्रहण की कटौती की जानी है और ऐसे उद्ग्रहण की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व उसे संदत्त नहीं किया गया है ।

यह और प्रस्तावित है कि जहां ऐसे किसी प्रतिफल के संबंध में समकरण उद्ग्रहण की किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती की गई है या किसी पूर्ववर्ष के दौरान कटौती की गई है किंतु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् संदत्त किया गया है तो ऐसी राशि को उस पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में जिसमें उद्ग्रहण संदत्त किया गया है कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 23** वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 43ख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध करती है कि निर्धारिती द्वारा संदेय किसी राशि को उस पूर्ववर्ती वर्ष को ध्यान में लाए बिना की गई केवल कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उद्भूत हुआ था, यदि आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उसके पूर्व उसका वास्तव में संदाय कर दिया गया है ।

उक्त धारा में एक नया खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदत्त किसी राशि को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जा सके, यदि उसका वास्तव में संदाय पूर्ववर्ती सुसंगत वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख को या उससे पूर्व कर दिया गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 24** वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा लेखाओं के रखे जाने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कक का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कारबार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यदि उस मामले में धारा 44कघ की उपधारा (4) के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी कुल आय की संगणना के लिए ऐसी लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को रखेगा और उनको बनाए रखेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 25** वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (i) उक्त धारा के खंड (ख) में संशोधन करने का उपबंध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कारबार चलाता है, वह अपने लेखाओं को किसी लेखाकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व लेखा परीक्षित कराए यदि वृत्ति में उसकी सकल प्राप्तियां पूर्ववर्ष या वर्षों के लिए पच्चीस लाख रुपए से अधिक है ।

उक्त खंड (ख) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे बुनियादी सीमा में पचास लाख रुपए तक वृद्धि की जाए ।

उक्त खंड का उपखंड (ii) उक्त धारा के खंड (घ) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे निर्धारिती के मामले में जो नई प्रस्तावित धारा 44कघक के अंतर्गत आता है, लेखा पुस्तकों की लेखापरीक्षा अपेक्षित है यदि वह यह दावा करता है कि वृत्ति से लाभ और अभिलाभ प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संगणित लाभ और अभिलाभों से निम्नतर हैं और उसकी आय ऐसी अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है ।

उक्त खंड का उपखंड (iii), उक्त धारा में नया खंड (ङ) अंतःस्थापित करने के लिए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कारबार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यदि धारा 44कघ की उपधारा (14) के उपबंध उसके मामले में लागू होते हैं और उसकी आय ऐसी रकम से अधिक है, अय-कर से प्रभार्य नहीं है, अपनी आय की संगणना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करने के लिए लेखा पुस्तकें और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 26** उपधारणा के आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि धारा 28 से धारा 43ग में प्रतिकूल किसी बात होते हुए भी, ऐसे निर्धारिती की दशा में जो कारबार में लगा हुआ है, जिसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां एक करोड़ रुपए से अनधिक है, यथास्थिति, ऐसे कारबार मद्दे पूर्ववर्ष में निर्धारिती के, कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों के आठ प्रतिशत तक की राशि या पूर्वोक्त राशि से उच्चतर राशि जिसको निर्धारिती द्वारा अपनी आय की विवरणी में घोषित किया गया है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे।

प्रस्तावित धारा 44कघ, उस निर्धारिती की, जो किसी कारबार में लगा हुआ है, यथास्थिति, कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों की आठ प्रतिशत की समतुल्य राशि या निर्धारिती द्वारा अर्जित पूर्वोक्त राशि से उच्चतर किसी राशि पर, निर्धारिती की आय को प्राक्कलित करने का उपबंध करती है । स्कीम ऐसे निवासी निर्धारिती को लागू होगी, जो कोई व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या भागीदारी फर्म है, किंतु सीमित दायित्व भागीदारी फर्म नहीं है और जिसकी सकल प्राप्तियां दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं ।

यह और प्रस्तावित है कि स्कीम ऐसे निर्धारिती को लागू नहीं होगी, जो धारा 44कक की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट वृत्ति चला रहा है या कमीशन या दलाली के रूप में आय अर्जित कर रहा है या कोई अभिकरण कारबार चला रहा है और जिसने धारा 10कक, 10क, 10ख, 10खक के उपबंध के अधीन कटौती का दावा किया है या अध्याय VI-क के किसी उपबंध के अधीन कटौती का दावा किया गया है । स्कीम के अधीन निर्धारिती को धारा 30 से धारा 38 के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई समझी जाएगी । तदनुसार, निर्धारिती के कारबार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य संगणित किया गया समझा जाएगा मानो निर्धारिती ने दावा किया था और सुसंगत निर्धारण वर्षों के लिए अवक्षयण के संबंध में वस्तुतः कटौती अनुज्ञात की गई थी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) और उपधारा (5) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई निर्धारिती इस धारा के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए लाभ की घोषणा करता है और ऐसे पूर्ववर्ष के उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष से सुसंगत पांच निर्धारण वर्षों में से किसी के लिए लाभ की घोषणा करता है, जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं है, ऐसे पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के पश्चात्वर्ती पांच निर्धारण वर्षों के लिए वह इस धारा के उपबंधों के अधीन फायदे का दावा करने का पात्र नहीं होगा, जिसके लाभ की घोषणा उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं की गई हो ।

यह और प्रस्तावित है कि किसी निर्धारिती से, जिसको उपधारा (4) के उपबंध लागू होते हैं और जिसकी कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, धारा 44कक की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार ऐसी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज रखने और बनाए रखने की और उनकी लेखा परीक्षा कराने और ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट धारा 44कख की अपेक्षानुसार प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी ।

"पात्र कारबार" की परिभाषा में विनिर्दिष्ट एक करोड़ रुपए की बुनियादी सीमा को बढ़ाकर स्पष्टीकरण में दो करोड़ रुपए करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 27** उपधारणा आधार पर वृत्ति के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित आय-कर अधिनियम में नई धारा 44कघक अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 44कघक द्वारा यह उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है कि धारा 28 से धारा 43ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्धारिती के मामले में, जो भारत में कोई निवासी है और धारा 44कक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वृत्ति में लगा हुआ है और जिसकी सकल प्राप्तियां किसी पूर्ववर्ष में पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, यथास्थिति, ऐसी वृत्ति के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ष में निर्धारिती की सकल प्राप्तियों के पचास प्रतिशत के समतुल्य कोई राशि या निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई पूर्वोक्त दावाकृत राशि से उच्चतर कोई राशि "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसी वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे ।

यह और प्रस्तावित है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए धारा 30 से धारा 38 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय किसी कटौती को पहले ही पूर्व प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और उन धाराओं के अधीन कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

यह भी प्रस्तावित है कि वृत्ति की किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य संगणित किया गया समझा जाएगा मानो निर्धारिती ने दावा किया था और वस्तुतः सुसंगत प्रत्येक निर्धारण वर्षों के लिए अवक्षयण के संबंध में कटौती अनुज्ञात की गई थी ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि, किसी निर्धारिती से जो दावा करता है कि वृत्ति से उसके लाभ और अभिलाभ, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट लाभ और अभिलाभों से निम्नतर हैं और जिसकी कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, यह अपेक्षित होगा कि वह लेखा बहियां और दस्तावेज रखे और बनाए रखे जैसा कि धारा 44कक की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है तथा उन्हें धारा 44कख के अधीन लेखा परीक्षित कराए ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षो के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 28 अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (अ) उक्त धारा में एक नया खंड (viiग) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्धारिती, जो कोई व्यष्टि है, द्वारा प्रभुत्वसंपन्न स्वर्ण बंधपत्र स्कीम, 2015 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रभुत्वसंपन्न स्वर्ण बंधपत्र के मोचन को अंतरण के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

उक्त खंड का उपखंड (आ) उक्त धारा के खंड (xiiiख) में एक नया उपखंड (ङक) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे विद्यमान शर्तो के अतिरिक्त, इस शर्त का उपबंध किया जा सके कि पूर्ववर्ष, जिसमें इसका संपरिवर्तन सीमित दायित्व भागीदारी में हुआ है, से पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षो में से किसी एक में कंपनी की लेखा पुस्तकों में आस्तियों का मूल्य पांच करोड़ रुपए से अधिक न हो ।

उक्त खंड का उपखंड (इ) उक्त धारा में नया खंड (xix) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी यूनिट धारक द्वारा धारित पूंजी आस्ति, जो कोई यूनिट है या यूनिटें हैं, उस पारस्परिक निधि की स्कीम की समेकित योजना में उसे आबंटन के प्रतिफलस्वरूप किए गए पारस्परिक निधि स्कीम की समेकन योजना में पूंजी आस्ति, जो कोई यूनिट है या यूनिटें हैं, का कोई अंतरण पूंजी अभिलाभ कर के प्रयोजनों के लिए अंतरण नहीं समझा जाएगा ।

प्रस्तावित खंड (xix) के प्रयोजनों के लिए " समेकन योजना", " समेकित योजना" और "पारस्परिक निधि" पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षो के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 29 संगणना करने का ढंग से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 48 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करती है कि तीसरे परंतुक के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के संबंध में सूचकांकन फायदा बंधपत्रों और डिबेंचरों के लिए उपलब्ध नहीं है, सिवाय सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचकांकित बंधपत्रों के । अतः, प्रभुत्वसंपन्न स्वर्ण बंधपत्र स्कीम, 2015 के अधीन जारी प्रभुत्वसंपन्न स्वर्ण बंधपत्र वर्तमान में सूचकांकन फायदे का पात्र नहीं है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध किया गया है कि प्रतिफल का पूर्ण मूल्य संगणित करते समय किसी विदेशी कंपनी के विरुद्ध रुपए के अधिमूल्यन के कारण अभिलाभ को हिसाब में लिया जाता है ।

धारा 48 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त प्रभुत्व संपन्न स्वर्ण बंधपत्र के अंतरण पर उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के लिए सूचकांकन फायदे का उपबंध किया जा सके ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी है, उसके द्वारा अभिदत्त किसी भारतीय कंपनी के रुपए के अंकित बंधपत्र के मोचन के समय किसी विदेशी करेंसी के विरुद्ध रुपए के अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप उद्भूत किसी अभिलाभ को इस धारा के अधीन प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की संगणना के प्रयोजनों के लिए छोड़ दिया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 30** कतिपय दशाओं में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 50ग का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि किसी पूंजी आस्ति, जो भूमि है या भवन है या दोनों हैं, के अंतरण के मामले में ऐसे अंतरण की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में लिया जाएगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां प्रतिफल की रकम नियत करने वाले करार की तारीख और पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक ही नहीं हो, वहां स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा करार की तारीख को अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य को ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए लिया जा सकेगा ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि उक्त परंतुक केवल उस मामले में लागू होगा, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग अंतरण के लिए करार की तारीख को या उससे पहले किसी पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी बैंक खाते की मार्फत इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा प्राप्त किया गया हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 31** पूंजी अभिलाभ, किसी विनिर्दिष्ट निधि की यूनिटों में विनिधान पर प्रभारित नहीं किया जाएगा, से संबंधित एक नई धारा 54ङङ को आय-कर अधिनियम में अंतःस्थापित करने के लिए है ।

एक नई धारा 54ङङ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे पूंजी अभिलाभ कर से छूट प्रदान करने का उपबंध किया जा सके, यदि निर्धारिती द्वारा पूंजी अभिलाभों के आगमों का विनिधान इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा यथासत्यापित विनिर्दिष्ट निधि की यूनिटों में किया जाए ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 32** आवासिक संपत्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना, से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 54छख का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 54छख के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि किसी आवासिक संपत्ति के अंतरण के मद्दे उद्भूत पूंजी अभिलाभ पर कर प्रभारित नहीं किया जाएगा यदि ऐसे पूंजी अभिलाभ का विनिधान किसी ऐसी कंपनी के शेयरों के अभिदान में किया गया है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन, उसमें विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्यधीन लघु या मध्यम उद्यम होने के लिए अर्हित हैं ।

धारा 54छख का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी आवासिक संपत्ति के अंतरण के मद्दे उद्भूत पूंजी अभिलाभ पर कर प्रभारित नहीं किया जाएगा यदि ऐसे पूंजी अभिलाभ का विनिधान किसी ऐसी कंपनी के शेयरों के अभिदान में किया गया है जो उसमें विनिर्दिष्ट अन्य शर्तो के अध्यधीन कोई पात्र स्टार्ट-अप होने के लिए अर्हित है ।

धारा 54छख के विद्यमान उपबंध में यह अपेक्षित है कि कंपनी को आगमों का विनिधान नई आस्ति के, जो नया संयंत्र और मशीनरी है किंतु उसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, कंप्यूटर और कंप्यूटर साफ्टवेयर नहीं आते हैं, क्रय में करना चाहिए ।

धारा 54छख का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "नई आस्ति" पद के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड द्वारा इस प्रकार प्रमाणित प्रौद्योगिकी चालित स्टार्ट-अप की दशा में कंप्यूटर या कंप्यूटर साफ्टवेयर आते हैं ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 33** "समायोजित", "सुधार की लागत" या "अर्जन की लागत" के अर्थ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि पूंजी आस्ति के संबंध में सुधार की लागत, जो किसी कारबार की गुडविल है अथवा जो किसी वस्तु या चीज का निर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया का अधिकार है या किसी कारबार को करने का अधिकार है, शून्य समझी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि किसी पूंजी आस्ति के संबंध में अर्जन की लागत, जो किसी कारबार की गुडविल है या किसी कारबार से सहबद्ध कोई व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम है अथवा जो किसी वस्तु, चीज के निर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया का अधिकार है या किसी कारबार को करने का अधिकार, अभिधारण अधिकार है, मंजिली गाड़ी के परमिट या करघा घंटे हैं, निर्धारिती द्वारा ऐसी आस्ति के क्रय किए जाने की दशा में क्रय कीमत की रकम समझी जाएगी और किसी अन्य दशा में ऐसी लागत शून्य समझी जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उक्त उपखंड (1) और उपधारा (2) के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे वृत्ति करने के अधिकार को भी इसकी परिधि के अंतर्गत लाया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 34** अन्य स्रोतों से आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य स्रोतों से आय, यदि कोई धन, स्थावर संपत्ति या बिना किसी प्रतिफल सहित अन्य संपत्ति किसी निर्धारिती द्वारा, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, प्राप्त की जाती है, प्रभार्य करने का उपबंध करती है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी कंपनी के निर्विलयन या समामेलन के परिणामस्वरूप शेयरों की किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा आय को कर से छूट प्रदान करने का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 35** हानियों के लिए विवरणी का प्रस्तुत किया जाना से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि ऐसी हानि को, जो धारा 139 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार फाइल की गई विवरणी के अनुसरण में अवधारित नहीं की गई है, धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 73 की उपधारा (2) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) या धारा 74क की उपधारा (3) के अधीन अग्रनीत नहीं किया जाएगा या उसका मुजरा नहीं किया जाएगा ।

उक्त धारा 80 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 73क की उपधारा (2) के अधीन हानि को भी अग्रनीत और मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि ऐसी हानि धारा 139 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार फाइल की गई विवरणी के अनुसरण में अवधारित नहीं की गई है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2016 से भूतलक्षी प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 36** केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि निर्धारिती के खाते में संपूर्ण रकम पर, जिसके अंतर्गत निर्धारिती या नामनिर्देशिती द्वारा प्राप्त रकम का प्रोदभवन भी है, पेंशन स्कीम की समाप्ति या विकल्प छोड़ने के कारण ऐसी प्राप्ति के वर्ष में कर लगेगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के खंड (क) में निदिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन निर्धारिती की मृत्यु पर नामनिर्देशिती द्वारा प्राप्त किसी भी रकम को कर से छूट प्राप्त होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 37** आवासीय गृह संपत्ति के लिए, लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती से संबंधित आय कर अधिनियम की धारा 80ङङ के प्रतिस्थापन के लिए है ।

विद्यमान धारा में अंतर्विष्ट उपबंध, किसी निर्धारिती द्वारा, जो व्यष्टि है, किसी वित्तीय संस्था से आवासीय संपत्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए लिए गए उधार पर संदेय ब्याज के संबंध में एक लाख रुपए तक की कटौती का उपबंध करते हैं । यह फायदा 1 अप्रैल, 2014 को आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्ष के दौरान उपलब्ध था।

उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उनके लिए, जो आवासीय गृह संपत्ति प्रथम बार क्रय करते हैं, किसी वित्तीय संस्था द्वारा लिए गए उधार पर ब्याज के संबंध में उसमें विनिर्दिष्ट, अन्य बातों के अध्यधीन रहते हुए पचास हजार रुपए तक की कटौती का उपबंध किया जाए । उधार का प्रतिदाय जारी रहने तक कटौती का फायदा विस्तारित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 38** संदत्त किराए की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80छछ का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा यह उपबंध करती है कि निर्धारिती द्वारा उसकी कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक उपगत व्यय की, उस परिमाण तक जिस तक ऐसा व्यय दो हजार रुपए प्रतिमास या उस वर्ष की उसकी कुल आय के पच्चीस

प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं है और ऐसी अन्य शर्तों या मर्यादाओं के अधीन रहते हुए जो उस क्षेत्र या स्थान को जिसमें ऐसी जगह स्थित है और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएं, कटौती अनुज्ञेय है ।

उक्त धारा के अधीन अनुज्ञेय कटौती की अधिकतम रकम को बढ़ाकर पांच हजार रुपए प्रतिमास करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 39** अवसंरचना विकास आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों के लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4), अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित किसी उपक्रम के लाभ को कतिपय शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन शत प्रतिशत की दर से कटौती का उपबंध करती है ।

उक्त धारा के खंड (ii), खंड (iv) और खंड (v) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के ऐसे खंड किसी ऐसे उद्यम को लागू नहीं होंगे जो कारबार क्रियाकलाप 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् प्रारंभ करता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 40** विशेष आर्थिक जोन के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80झकख के संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के अधीन किसी उद्यम, जो किसी अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन में विकासकर्ता है, को, जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास का कारबार आरंभ करता है, ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के शत प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के उपबंध किसी ऐसे उद्यम को लागू नहीं होंगे जो कारबार क्रियाकलाप का आरंभ 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् करता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 41** आय-कर अधिनियम में विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में नई धारा 80झकग अंतःस्थापित करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जिससे किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा किसी कारबार से जिसमें नवप्रवर्तन, विकास, नए उत्पादों का लाना या उनका वाणिज्यकरण करना, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा द्वारा चालित प्रसंस्करण सेवाएं अंतर्वलित हैं, द्वारा उद्भूत लाभों और अभिलाभों के शत-प्रतिशत के बराबर कटौती अनुज्ञात करने का उपबंध किया जा सके । ऐसे कारबार से उद्भूत शत-प्रतिशत कटौती का फायदा किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा पांच वर्ष में से तीन लगातार वर्षों के लिए निर्धारिती के विकल्प पर कारबार प्रचालकों के 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व निगमन अधीन रहते हुए उठाया जा सकता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 42** अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (9), अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित किसी उपक्रम के लाभ को कतिपय शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन शत प्रतिशत की दर से कटौती का उपबंध करती है ।

उक्त उपधारा के खंड (ii), (iv) और (v) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के ऐसे खंड किसी ऐसे उद्यम को लागू नहीं होगी जो कारबार क्रियाकलाप 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ करता है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 43** गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभ और अभिलाभ की कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 80झखक को अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा किसी निर्धारिती को गृह परियोजनाओं का विकास और निर्माण से लाभ और अभिलाभ की शत प्रतिशत कटौती का उपबंध करने के लिए है, यदि परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2019 को या उसके पूर्व उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमोदित कर दिया जाता है । निर्धारिती से उक्त परियोजना को तीन वर्षों के भीतर पूरा किए जाने की अपेक्षा की जाती है जिसके न हो सकने पर पूर्ववर्षों में दावा की गई संपूर्ण कटौती को उसकी आय माना जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 44** आय-कर अधिनियम की धारा 80जजकक के स्थान पर नए कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में कटौती से संबंधित एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

विद्यमान धारा तीन वर्षों के लिए किसी कारखाने में नए नियमित कर्मकारों को संदत्त अतिरिक्त मजदूरी के तीस प्रतिशत की कटौती का उपबंध करती है।

इस फायदे का ऐसे सभी निर्धारितियों पर विस्तार करने का प्रस्ताव है जिनसे धारा 44कख के अधीन उनके लेखाओं को संपरीक्षित कराए जाने की अपेक्षा की जाती है । इसके अतिरिक्त नियोजित व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या तथा ऐसे दिनों, जिनके लिए वर्ष के दौरान उन्हें नियोजित किया जाना चाहिए, की कुल संख्या से संबंधित पात्रता को उदार बनाने का भी प्रस्ताव है ।

प्रस्तावित उपबंधों के अधीन कटौती, उन कर्मचारियों, जिनकी कुल परिलब्धियां प्रतिमास पच्चीस हजार रुपए से कम या उसके बराबर है, पर उपगत लागत के संबंध में उपलब्ध होगी । तथापि, उन कर्मचारियों पर उपगत लागत के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिनके संबंध में सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुसार अधिसूचित कर्मचारी पेंशन स्कीम के अधीन पूर्ण अंशदान का संदाय किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 45** आय-कर अधिनियम की कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर का रिबेट से संबंधित धारा 87क का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा उपबंध करती है कि कोई व्यष्टि निवासी, जिसकी कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होती है, आय-कर की रकम से ऐसे आय-कर के शत-प्रतिशत के बराबर या दो हजार रुपए, जो भी कम हो, रिबेट का हकदार होगा ।

उक्त धारा के अधीन अनुज्ञेय रकम को विद्यमान दो हजार रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 46** अंतरण कीमत अधिकारी के प्रति निर्देश से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 92गक का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3क) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 153 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) या खंड (viii) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में यदि आदेश करने वाले अंतरण कीमत अधिकारी को उपलब्ध परिसीमा की अवधि साठ दिन से कम है, तो ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक बढ़ाया जाएगा ।

यह संशोधन, 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 47** अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विर्निर्दिष्ट देशी संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेज का रखा जाना और बनाए रखना से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 92घ का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, उनके संबंध में ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, जो विहित की जाए । उक्त धारा में यह और उपबंधित है कि निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) किसी कार्यवाही के दौरान इसके मांगे जाने पर ऐसे व्यक्ति से तीस दिन की या विस्तारित अवधि के भीतर जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 286 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व है, अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा ।

उक्त धारा को संशोधित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) को जानकारी और दस्तावेज मंगाने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व है, विहित जानकारी और दस्तावेज धारा 286 में निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी को विहित रीति में ऐसी तारीख को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 48** दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 112 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) का उपखंड (iii), अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करता है कि किसी पूंजी आस्ति के, जो असूचीबद्ध प्रतिभूतियां हैं, अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर दस प्रतिशत की दर से प्रभार्य होगा ।

उक्त उपखंड (iii) के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जो किसी कंपनी, जो ऐसी कंपनी न हो, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध हो, के शेयर हैं, पर भी कर दस प्रतिशत की दर से प्रभार्य होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 49** कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम में नई धारा 115खक का अंतःस्थापन करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए किसी व्यक्ति, जो देशी कंपनी है, की कुल आय की बाबत संदेय आय-कर ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर पच्चीस प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों का समाधान हो जाता है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(क) कंपनी 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् स्थापित और रजिस्ट्रीकृत की गई है ; और

(ख) कंपनी किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगी है ; और

(ग) कंपनी की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कग या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या उपधारा (2कख) या धारा 35कग या धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के उपबंधों के अधीन या धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन "ग- कतिपय आयों की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन किसी कटौती के बिना की गई है ;

(ii) किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से अग्रनीत किसी हानि के मुजरा के बिना की गई है, यदि ऐसी हानि उपखंड (i) में निर्दिष्ट किन्हीं कटौतियों के कारण है ; और

(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) से भिन्न धारा 32 के अधीन अवक्षयण ऐसी रीति में अवधारित किया जाता है, जो विहित की जाए ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि उपधारा (2) के खंड (ग) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हानि को पहले ही पूरी तरह प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए ऐसी हानि के लिए कोई अतिरिक्त कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के विकल्प का धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए विनिदिष्ट देय तारीख को या उससे पहले विहित रीति में प्रयोग किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 50** देशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर से संबंधित एक नई धारा 115खखघक, आय-कर अधिनियम में अंतःस्थापित करने के लिए है ।

आय-कर अधिनियम के उपबंधों में यह उपबंधित है कि लाभांश आय को छूट प्राप्त होगी यदि ऐसी आय पर लाभांश वितरण कर संदत्त कर दिया गया है ।

उक्त अधिनियम में एक नई धारा 115खखघक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, जहां किसी निर्धारिती, जो कोई व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई फर्म है, जो भारत में निवासी है, की कुल आय में किसी देशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या सदंत्त लाभांशों के द्वारा दस लाख रुपए से अधिक की कोई आय सम्मिलित है, दस प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य होगा ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि लाभांश द्वारा आय की संगणना करने में किसी व्यय या मोक या हानि के मुजरा के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगो और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 51** धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 115खखङ की उपधारा (1) अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करती है कि धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ से संबंधित आय तीस प्रतिशत की दर से कराधेय है । उक्त धारा 115खखङ की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय के संबंध में किसी भी व्यय या मोक की बाबत कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी ।

धारा 115खखङ की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्वोक्त धाराओं के अधीन आय के संबंध में अध्याय 6 के अधीन अवधारित हानि अनुज्ञेय नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 52** पेटेंटों से आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 115खखच अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 115खखच यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी पात्र निर्धारिती की कुल आय में भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट के संबंध में स्वामिस्व के रूप में कोई आय सम्मिलित है, संदेय आय-कर ऐसे पेटेंट के संबंध में स्वामिस्व के रूप में आय पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम और आय-कर की ऐसी रकम जो निर्धारिती से उस दशा में प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) के प्रस्तावित उपखंड (क) में निर्दिष्ट आय घटा दी जाती, का योग होगा ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि निर्धारिती प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अपनी आय की संगणना करने में उक्त अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी व्यय या मोक के संबंध में कटौती के लिए पात्र नहीं होगा ।

उक्त धारा में स्पष्टीकरण का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि इसमें प्रयुक्त कतिपय पदों को परिभाषित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 53** कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115जख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड के उपखंड (1) कि मद (क) में पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 में नया खंड (चग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बही लाभ को धारा 115खखच के उपबंधों के अनुसार कर से प्रभार्य पेटेंट के संबंध में राजस्व के माध्यम से आय से संबंधनीय व्यय की रकम से बढ़ा दिया जाएगा ।

उक्त स्पष्टीकरण की दीर्घ पंक्ति में एक नया खंड (iiछ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115खखच के उपबंधों के अनुसार कर से प्रभार्य पेटेंट के संबंध में राजस्व के माध्यम से आय-कर की रकम को बही लाभ से कम किया जाएगा यदि ऐसी किसी रकम का लाभ या हानि लेखे में प्रत्यय किया गया है । ये संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त खंड के उपखंड (1) की मद (ख) द्वारा स्पष्टीकरण का अंतःस्थापन प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध किसी निर्धारिती को, जो विदेशी कंपनी है, लागू नहीं होंगे और कभी भी लागू किए गए नहीं समझे जाएंगे, यदि : —

(i) यदि निर्धारिती किसी ऐसे देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का निवासी है जिसके साथ भारत में धारा 90 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार किया है या केंद्रीय सरकार ने धारा 90क की उपधारा (1) के अधीन कोई करार अंगीकृत किया है और निर्धारिती का भारत में ऐसे करार के उपबंधों के अनुसार कोई स्थायी स्थापन नहीं है; या

(ii) निर्धारिती ऐसे देश का निवासी है जिसके साथ भारत का खंड (i) में निर्दिष्ट कोई करार नहीं है और निर्धारिती द्वारा कंपनियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण कराना अपेक्षित नहीं है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2001 ले प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त खंड का उपखंड (II) उक्त धारा में एक नई उपधारा (7) का अंतःस्थापन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी कंपनी की दशा में जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र की इकाई है और अपनी आय पूर्ण रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा से प्राप्त करती है, धारा 115जख के अधीन कर की दर नौ प्रतिशत होगी और इसमें प्रयुक्त कतिपय पदों को भी परिभाषित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 54** भारत में निवासी के रूप में कथित विदेशी कंपनी से संबंधित विशेष उपबंधों पर आय-कर अधिनियम में एक नया अध्याय 12खग अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 115जज की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां किसी विदेशी कंपनी का किसी पूर्ववर्ष में निवासी होना कथित किया गया है और ऐसी विदेशी कंपनी, किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में भारत में निवासी नहीं रही है, वहां कुल आय की संगणना, अनामेलित अवक्षयण के बरतने, मुजरे या अग्रनयन, हानियों के मुजरे से संबंधित आय-कर अधिनियम के उपबंध, कर के परिवर्जन, संग्रहण और वसूली से संबंधित विशेष उपबंध ऐसी शर्तो, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, के पूरा किए जाने पर ऐसे अपवादों, उपांतरणों तथा अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जैसा कि इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) का परंतुक यह उपबंध करता है कि यदि विदेशी कंपनी के निवास के बारे में अवधारणा किसी पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण कार्यवाहियों में किया गया है, तो प्रस्तावित नए अध्याय के उपबंध उन सुसंगत पूर्ववर्ष के उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों संबंध में लागू होंगे जो उस तारीख को या उससे पूर्व जिसको अवधारण किया गया है, समाप्त होता है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में उपबंधित शर्तों का पालन करने में असफल होने पर आय-कर अधिनियम के उपबंध किसी उपांतरण के बिना लागू होंगे और निर्धारण अधिकारी आवश्यक परिशोधन कर सकेगा तथा असफलता की तारीख से ऐसे परिशोधन के चार वर्ष की अवधि उपलब्ध होगी ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि प्रस्तावित नई धारा 115ञज के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 55** देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड के उपखंड (क) द्वारा एक नई धारा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात्, चालू आय में से किसी कारबार न्यास को लाभांशों (चाहे अंतरिम हों या अन्यथा) के माध्यम से विनिर्दिष्ट देशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम के संबंध में इस धारा के अधीन वितरित लाभों पर कोई कर प्रभार्य नहीं होगा । यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात विनिर्दिष्ट तारीख तक संचित लाभों और चालू लाभों में से लाभांशों द्वारा (चाहे अंतरिम हों या अन्यथा) के माध्यम से विनिर्दिष्ट देशी कंपनी द्वारा किसी भी समय घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी । इस नई धारा के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट देशी कंपनी” और “विनिर्दिष्ट तारीख” पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

उक्त खंड के उपखंड (ख) द्वारा उक्त धारा में एक नई उपधारा (8) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई है, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में व्युत्पन्न एक मात्र आय के रूप में ऐसे लाभांश को प्राप्त करने वाली कंपनी या व्यक्ति के हाथों में वर्तमान आय में से 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा) ऐसी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में एक मात्र आय से व्युत्पन्न कुल आय की बाबत वितरित लाभ पर कोई कर प्रभार्य नहीं होगा और इसमें प्रयुक्त कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए भी है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 56** शेयर धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115थक का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए कतिपय पदों की परिभाषा का उपबंध करता है ।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77क के निर्देश को “कंपनियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि” शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए उक्त स्पष्टीकरण के खंड (i) का संशोधन तथा खंड (ii) का भी यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि ‘वितरित आय’ से कंपनी द्वारा शेयरों को क्रय द्वारा वापस लिए जाने पर संदत्त प्रतिफल, जिसमें से कंपनी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित ऐसे शेयरों के निर्गमन के लिए प्राप्त रकम को घटा दिया गया हो, अभिप्रेत होगा ।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 57** विनिधानकर्ताओं को वितरित आय पर कर से संबंधित धारा 115नक का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा की कोई बात 1 जून, 2016 को या उसके पश्चात् किसी प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा उसके विनिधानकर्ताओं को वितरित किसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 58** प्रतिभूतिकरण न्यासों के व्यतिक्रमी निर्धारिती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115नग का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा का स्पष्टीकरण धारा 115नक, धारा 115नख और धारा 115नग के प्रयोजनों के लिए विभिन्न पदों को परिभाषित करता है ।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (क) में यथा उपबंधित “विनिधानकर्ता” की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित किया जा सके जिसने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन यथा परिभाषित प्रतिभूति प्राप्ति में विनिधान किया है ।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (घ) में उपबंधित “प्रतिभूति न्यास” की परिभाषा का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुसार बनाई गई प्रतिभूतिकरण कंपनियां और पुनर्गठन कंपनियां या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत या निदेशों के अनुसरण में स्थापित न्यास को भी सम्मिलित किया जा सके ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि “प्रतिभूति प्राप्ति” पद का वही अर्थ होगा जो उसका वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यछ) में है ।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 59** प्रतिभूतिकरण न्यासों से आय पर कर से संबंधित एक नई धारा 115नगक आय-कर अधिनियम में अंतःस्थापित किए जाने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति, जो किसी प्रतिभूतिकरण न्यास का कोई विनिधानकर्ता है, को, प्रतिभूतिकरण में किए गए विनिधान से प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त कोई आय, उसी रीति में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति को प्रोदभूत या उदभूत या उसके द्वारा प्राप्त आय हो, यदि प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा किए गए विनिधान उसके द्वारा प्रत्यक्षतः किए गए हों ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा संदत्त या जमा की गई आय उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के हाथ में उसी प्रकृति और उसी अनुपात में समझी जाएंगी मानो वह पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा प्राप्त की गई हो या उसको प्रोद्भूत अथवा उद्भूत हुई हो।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि किसी पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण न्यास को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय, यदि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त या जमा न की गई हो, पूर्ववर्ष के अंतिम दिन पर उक्त व्यक्ति के खाते में उसी अनुपात में जमा समझी जाएगी जिसमें ऐसा व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए हकदार होता यदि उसे पूर्ववर्ष में संदत्त किया गया होता ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि प्रतिभूतिकरण न्यास की ओर से आय को जमा करने या संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी आय के संबंध में कर के लिए दायी है और विहित आय-कर प्राधिकारी को ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में सत्यापित एक विवरण, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान संदत्त या जमा आय के ब्यौरे और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, दिए जाएंगे, प्रस्तुत करेगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि उक्त पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत होने के कारण कोई आय, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की आय में सम्मिलित किया गया है, ऐसे व्यक्ति की उस पूर्ववर्ष में कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी जिसमें ऐसी आय प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वस्तुतः उसे संदत्त की गई हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 60** कतिपय न्यासों और संस्थाओं की अनुवर्धित आय पर कर से संबंधित नई धारा 115नघ, धारा 115नङ और धारा 115नच से मिलकर बने एक नए अध्याय 12ङख के अतःस्थापन के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 115नघ की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था की कुल आय की बाबत प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त, यथाविनिर्दिष्ट तारीख प्रस्तावित नई धारा में वर्णित कतिपय संभावनाओं की दशा में को न्यास या संस्था की अनुवर्धित आय पर अधिकतम सीमांत दर से कर प्रभार्य किया जाएगा ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अनुवर्धित आय से वह रकम अभिप्रेत है, जिसके द्वारा, यथाविनिर्दिष्ट कार्य को न्यास या संस्था की कुल आस्तियों का सकल उचित बाजार मूल्य विनिर्दिष्ट तारीख को मूल्यांकन की ऐसी रीति के, जो विहित किया जाए, अनुसार संगणित ऐसे न्यास या संस्था के कुल दायित्व से अधिक हो जाता है ।

यह और उपबंध करना प्रस्तावित है कि उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले के संबंध में अनुवर्धित आय की संगणना करते हुए ऐसी आस्ति से संबंधित किन्हीं आस्तियों और दायित्वों, जिन्हें विघटन की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर उसमें यथा विर्निदिष्ट न्यास, संस्था या अन्य संगठन को अंतरित किया गया है, की अनदेखी की जाएगी ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) विनिर्दिष्ट स्थितियों का उपबंध करती है कि जिनके अधीन किसी न्यास या संस्था को किसी अन्य प्ररूप में संपरिवर्तित हुआ माना जाएगा, जो रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए पात्र नहीं है ।

प्रभारित किया जाने वाला अतिरिक्त आय-कर ऐसे न्यास या संस्था की कुल आय की बाबत प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त होगा, चाहे आय-कर न्यास या संस्था द्वारा उसकी कुल आय पर प्रभार्य है या नहीं । यह और भी उपबंध करता है कि कर की रकम को विभिन्न स्थितियों में विनिर्दिष्ट घटनाओं के होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर जमा किया जाएगा ।

प्रस्तावित धारा 115नङ विहित समय के भीतर कर संदत्त करने में असफलता पर, ऐसी असफलता के लिए प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर पर ब्याज के उद्ग्रहण का उपबंध करती है ।

प्रस्तावित धारा 115नच उपबंध करती है कि कर के संदाय में असफलता पर कोई प्रधान अधिकारी या न्यासी और न्यास या संस्था, को उसके द्वारा संदेय कर की रकम की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा और आय-कर अधिनियम के आय-कर के संग्रहण और उसकी वसूली से संबंधित सभी उपबंध लागू होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 61** यूनिट धारक और कारबार न्याय की आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115पक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि किसी कारबार न्यास से किसी यूनिट धारक द्वारा प्राप्त किसी भी वितरित आय को, जो धारा 115ण की उपधारा (7) में निर्दिष्ट लाभांश की प्रकृति की है, ऐसे यूनिट धारक की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 62** अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 119 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (क) बोर्ड को राजस्व के निर्धारण और संग्रहण के कार्य के समुचित और दक्ष प्रबंध के प्रयोजन के लिए निदेश और अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाता है परंतु यह तब जब ये निदेश निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हों ।

धारा 119 की उपधारा (2) के उक्त खंड (क) में, धारा 270क के प्रति निर्देश करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को आय-कर अधिनियम की धारा 270क के संबंध में भी निदेश और अनुदेश जारी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम में नई धारा 270क के अंतःस्थापन का पारिणामिक है जिसमें आय की कम रिपोर्ट करने और गलत रिपोर्ट करने के लिए शास्ति के उद्ग्रहण के संबंध में उपबंधित है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 63** निर्धारण अधिकारियों की अधिकारिता से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 124 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति ऐसे मामले में निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता को प्रश्नगत करने का हकदार नहीं होगा जिसके उस तारीख से जिस तारीख को उस पर धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई थी, एक मास की समाप्ति के पश्चात् या निर्धारण पूरा होने के पश्चात् इनमें जो भी पूर्वतर हो, धारा 139 के अधीन विवरणी दी है ।

उक्त उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामले में, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यापेक्षा की जाती है वहां कोई व्यक्ति निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता को, उस तारीख से जिस तारीख को उस पर धारा 153क की उपधारा (1) या धारा 153ग की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई थी, एक मास की समाप्ति के पश्चात् या निर्धारण पूरा होने के पश्चात् इनमें जो भी पूर्वतर हो, प्रश्नगत करने का हकदार नहीं होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

खंड 64 विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा जानकारी मांगने की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 133ग का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध विहित आय-कर प्राधिकारी को, उसके कब्जे में की जानकारी के सत्यापन के प्रयोजन के लिए जानकारी और दस्तावेज मांगने के लिए सूचना जारी करने के लिए सशक्त करते हैं ।

यह और उपबंध करने के लिए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अभिप्राप्त जानकारी और दस्तावेजों पर कार्यवाही की जा सकेगी और ऐसी कार्यवाही किए जाने का परिणाम अगली आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 65** आय की विवरणी से संबंधित आय-कर की धारा 139 के संशोधन के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (i) उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा(4), उपधारा (5) और उपधारा (9) का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि उसमें निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति नियत तारीख के या उसके पूर्व आय की विवरणी फाइल करेगा । उक्त धारा का छठा परंतुक यह उपबंध करता है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय है, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति है, यदि उसकी कुल आय या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, धारा 10क या धारा 10ख या धारा 10खक या अध्याय 6क के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, अधिक हो जाती है तो वह नियत तारीख को या उसके पूर्व, पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की एक विवरणी विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित, उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, देगा ।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति जिसने उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के अधीन अनुज्ञात समय या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना में अनुज्ञात समय के भीतर विवरणी नहीं दी है, किसी पूर्ववर्ष के लिए विवरणी, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व या निर्धारण पूरा होने के पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी समय दे सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में, विवरणी देने के पश्चात् उसमें किसी लोप या किसी गलत कथन का पता लगता है तो वह सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व या निर्धारण पूरा होने के पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी समय संशोधित विवरणी दे सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण का खंड (कक) यह उपबंध करता है कि आय की विवरणी त्रुटिपूर्ण समझी जाएगी जब तक कि धारा 140क के उपबंधों के अनुसार स्वनिर्धारण कर, ब्याज सहित, यदि कोई हो, विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को या उसके पूर्व संदत्त न कर दिया गया है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के छठे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जो पूर्ववर्ष के दौरान धारा 10 के खंड (38) के अधीन आय अर्जित करता है और ऐसी आय उस अधिकतम रकम से, जो उसके मामले में कर से प्रभार्य नहीं है, अधिक हो जाती है, पूर्व वर्ष के लिए विहित प्ररूप में विवरणी फाइल करने और उसे विहित रीति में सत्यापित करने के लिए भी दायी होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके की, कोई व्यक्ति जिसने उपधारा (1) के अधीन उसे अनुज्ञात समय के भीतर कोई विवरणी नहीं दी है, किसी पूर्व वर्ष के लिए विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत के पूर्व या निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी समय दे सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (5) को प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके, यदि किसी व्यक्ति को, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् इसमें किसी लोप या किसी गलत कथन का पता लगता है, तो वह सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत में एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व या निर्धारण वर्ष पूरा होने के पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय संशोधित विवरणी दे सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (कक) में यह उपबंध करने के लिए लोप करने का प्रस्ताव है कि कोई विवरणी, जो अन्यथा विधिमान्य है, मात्र इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं समझी जाएगी क्योंकि धारा 140क के उपबंधों के अनुसार संदेय स्व:निर्धारण कर, ब्याज सहित, विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को या उसके पूर्व संदत्त नहीं किया गया है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

इस खंड का उपखंड (ii) उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है । पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने " कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन या "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किसी पूर्ववर्ष में हानि उठाई है और उसका दावा है कि उस हानि या उसके किसी भाग की धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 73 की उपधारा (2) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) या धारा 74क की उपधारा (3) के अधीन अग्रनयन किया जाना चाहिए तो वह विहित प्ररूप में और आदि के अधीन अग्रनयन किया जाना चाहिए तो वह विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो यह उपधारा (1) के अधीन कोई विवरणी थी ।

उक्त उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त उपधारा में धारा 73क की उपधारा (2) का संदर्भ दिया जा सके ।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 66** आय-कर अधिनियम की निर्धारण से संबंधित धारा 143 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (क) उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि फाइल की गई विवरणी को प्रक्रियागत किया जाना है और विवरणी में किसी गणितीय भूल या किसी गलत दावे के लेखे के मद्दे समायोजनों के पश्चात् कुल आय या हानि की संगणना की जाती है, यदि विवरणी में किसी सूचना से ऐसा गलत दावा प्रकट होता है ।

उपधारा (1) के अधीन प्रक्रिया के समय किए जा सकने वाले समायोजनों की परिधि का विस्तार करने का प्रस्ताव नीचे दिए अनुसार समायोजनों को और सम्मिलित करने के लिए है :—

(i) दावा की गई हानि की अनुज्ञान होने पर यदि पूर्ववर्ती वर्ष की विवरणी जिसके लिए मुजरा या हानि का दावा किया गया है धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख से परे प्रस्तुत की गई है ;

(ii) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उपदर्शित व्यय की अनुज्ञान होने पर किंतु जिसे विवरणी में कुल आय की संगणना करने में हिसाब में नहीं लिया गया है ;

(iii) धारा 10कक, धारा 80 झक, धारा 80झकख, धारा 80झख, धारा 80झग, धारा 80झघ या धारा 80 झङ के अधीन कटौती की अनुज्ञान होने पर` यदि विवरणी धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख से परे प्रस्तुत की गई है ;

(iv) प्ररूप 26 कध या प्ररूप 16क या प्ररूप 16 में आने वाली आय में परिवर्धन किंतु विवरणी में कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं किया है ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई समायोजन करने से पूर्व निर्धारिती को ऐसी संसूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर उसे स्पष्ट करने और दूर करने का अवसर प्रदान किया जाए तथा इस प्रकार प्राप्त प्रत्युत्तर पर ऐसा समायोजन करने से पूर्व विचार किया जाएगा । यदि ऐसे समय के भीतर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो संसूचना में उपदर्शित रकम का समायोजन किया जाएगा ।

उक्त धारा 143 की उपधारा (1घ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन विवरणी पर कार्यवाही करना वहां आवश्यक नहीं है जहां उस धारा की उपधारा (2) के अधीन के अधीन निर्धारिती को सूचना जारी की गई है ।

उक्त धारा की उपधारा (1घ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई निर्धारण

करने से पूर्व अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी पर कार्यवाही की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त खंड का उपखंड (ख) उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने के लिए पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंध में यह उपबंध करते हैं कि यदि निर्धारण अधिकारी, उसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन निर्धारिती को एक सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को ऐसे साक्ष्य को, जिस पर निर्धारिती उस विवरणी के समर्थन में निर्भर करता है, पेश करे या करवाए ।

उक्त उपधारा (2) को प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती पर उक्त उपधारा के अधीन सूचना की तामील,की जा सकेगी और निर्धारिती को, निर्धारण अधिकारी के समक्ष किसी विनिर्दिष्ट तारीख को, ऐसा साक्ष्य, जिसका निर्धारिती ने अपने दावे के समर्थन में अवलम्ब लिया है, को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने की अपेक्षा करते हुए सूचना की तामील करेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 67** निर्धारण से पूर्व आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 147 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि कर से प्रभार्य कोई आय निर्धारण से छूट गई है तो वह आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा या हानि या किसी अन्य मोक की पुनः संगणना कर सकेगा । उक्त धारा का स्पष्टीकरण 2 ऐसी कतिपय दशाओं का उपबंध करता है जो उस मामले के रूप में भी समझे जाएंगे जहां कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है ।

स्पष्टीकरण 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि एक ऐसा मामला उस मामले के रूप में समझा जाएगा जहां कर से प्रभार्य आय निर्धारण से वहां छूट गई है जहां निर्धारण अधिकारी का, विहित आय-कर प्राधिकारी से प्राप्त जानकारी या दस्तावेज के आधार पर निर्धारण अधिकारी ने यह पाया है कि निर्धारिती की आय ऐसी अधिकतम आय से अधिक है जो कर से प्रभार्य नहीं है या निर्धारिती ने विवरणी में आय का न्यून कथन किया है या अत्यधिक हानि, कटौती, मोक या राहत का दावा किया है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 68** निर्धारण, पुनः निर्धारण और पुनः संगणना पूरा किए जाने की समय-सीमा से संबंधित आय-कर अधिनियम की विद्यमान धारा 153 का एक नई धारा द्वारा प्रतिस्थापन करने के लिए है ।

केवल उन उपबंधों को, जो चालू उपबंधों के सुसंगत हैं, रखकर उक्त धारा को सरल बनाने के लिए विद्यमान धारा 153 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है । विद्यमान समय-सीमा में प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित हैं :—

(क) धारा 143 या धारा 144 के अधीन निर्धारण पूरा किए जाने की समय-सीमा उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें आय पहली बार निर्धारणीय हुई थी, विद्यमान दो वर्ष से परिवर्तित करके इक्कीस मास की जाए ;

(ख) धारा 147 के अधीन निर्धारण पूरा किए जाने की समय-सीमा उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 148 के अधीन सूचना तामील की गई थी, विद्यमान एक वर्ष से परिवर्तित करके नौ मास की जाए ;

(ग) उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 254 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने वाले आदेश के अनुसरण में, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 254 के अधीन प्राप्त किया गया था या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश पारित किया गया था, अंत से विद्यमान एक वर्ष को परिवर्तित करके नौ मास की जाए ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव और है कि उस दशा में जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई नया निर्धारण या पुनः निर्धारण करने से भिन्न धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश को पूर्णतः या भागतः प्रभावी बनाया जाना है वहां ऐसे आदेश को उस मास के अंत से जिसमें, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 250 या धारा 254 या धारा 262 के अधीन आदेश प्राप्त किया गया था या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश पारित किया गया था, तीन मास की अवधि के भीतर प्रभावी बनाया जाएगा । यह प्रस्ताव भी है कि उस दशा में जहां निर्धारण अधिकारी के लिए, उसके नियंत्रण से परे कारणों से, पूर्वोक्त समय के भीतर ऐसे आदेश को प्रभावी बनाना संभव नहीं है वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यदि उसका समाधान हो जाता है तो निर्धारण अधिकारी से लिखित में ऐसे कारणों की प्राप्ति पर ऐसे आदेश को प्रभावी बनाने के लिए छह मास का अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर सकेगा । तथापि, जहां आदेश को प्रभावी बनाना 1 जून, 2016 को लंबित है वहां उसे 31 मार्च, 2017 तक प्रभावी बनाया जाएगा ।

यह प्रस्ताव भी है कि जहां धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 और धारा 264 के अधीन किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन अपील या निर्देश के रूप में किए जाने से भिन्न कार्यवाही में किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में या उसमें अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश को प्रभावी बनाने के लिए किसी निर्धारिती या किसी व्यक्ति पर निर्धारण, पुनः निर्धारण और पुनः संगणना की जाती है, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, बारह मास की समाप्ति पर या उससे पहले पूरा किया जाएगा । तथापि, 1 जून, 2016 को लंबित मामलों के लिए कार्रवाई, 31 मार्च, 2017 तक या उस मास के अंत से जिसमें आदेश प्राप्त किया गया है, बारह मास के भीतर, इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, की जाएगी ।

यह प्रस्ताव भी है कि उस फर्म की दशा में, जहां धारा 147 के अधीन फर्म पर किए गए किसी निर्धारण के परिणामस्वरूप फर्म के किसी भागीदार पर निर्धारण किया जाता है वहां उस मास के अंत से, जिसमें फर्म के मामले में निर्धारण आदेश पारित किया गया है, बारह मास की समाप्ति पर या उससे पहले पूरा किया जाएगा । तथापि, 1 जून, 2016 को लंबित मामलों के लिए भागीदार का निर्धारण 31 मार्च, 2017 तक या उस मास के अंत से जिसमें फर्म के मामले में निर्धारण आदेश पारित किया गया है, बारह मास के भीतर किया जा सकेगा ।

धारा 153 के विद्यमान उपबंधों के अनुसार निर्धारण करने के लिए निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध अवधि, यदि निर्धारण कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दी गई है या अन्य अधिकारिताओं से सूचना मांगने में लगे समय के अपवर्जन के पश्चात्, समय साठ दिन से कम है तो ऐसी अवधि साठ दिन के लिए विस्तारित हो जाएगी । तथापि, ऐसा विस्तार कीमत अंतरण अधिकारी को उपलब्ध नहीं है ।

यह प्रस्ताव है कि न्यायालय द्वारा धारा 92गक के अधीन कार्यवाहियां रोक देने के कारण समय का उसी प्रकार विस्तार किया जाए । इसके अतिरिक्त, विदेशी अधिकारिताओं से सूचना मांगने में लगी अवधि असन्निकट कीमत के अवधारण के लिए कीमत अंतरण अधिकारी को भी अनुज्ञात की जाए ।

कतिपय ऐसे उपबंधों का प्रतिस्थापन करके, जो विद्यमान उपबंधों के साथ सुसंगत नहीं रहे हैं, धारा 153 को सरल बनाने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 69** धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समयसीमा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 153ख द्वारा नई धारा 153ख को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

विद्यमान धारा 153ख का प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव है केवल उन उपबंधों को, जो चालू उपबंधों के सुसंगत हैं, रखकर उक्त धारा को सरल बनाने के लिए विद्यमान धारा 153 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है । विद्यमान समय-सीमा में प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित है :—

(i) धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत और उस पूर्ववर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी की गई है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है, धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा किए जाने के लिए परिसीमा विद्यमान दो वर्षों से परिवर्तित करके उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, इक्कीस मास की जाए;

(ii) धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में निर्धारण पूरा किए जाने के लिए परिसीमा विद्यमान दो वर्षों से परिवर्तित करके उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, इक्कीस मास या उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां ऐसे व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को धारा 153ग के अधीन सौपी गई हैं, नौ मास (जो विद्यमान उपबंधों के अनुसार एक वर्ष है) इसमें जो भी पश्चात्वर्ती है ।

कतिपय ऐसे उपबंधों का प्रतिस्थापन करके जो वर्तमान उपबंधों से अब और सुसंगत नहीं हैं, धारा 153ख को सरल बनाने का भी प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 70** किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 192क का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष से संबंधित आय की रकम किसी वित्तीय वर्ष में पाने वाले को या उसके खाते में जमा या संदत्त या जमा किए जाने के लिए संभावित या संदत्त रकम तीस हजार रुपए से अधिक नहीं है, वहां आय-कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

पूर्वोक्त तीस हजार रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर पचास हजार रुपए करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 71** घुड़दौड़ से जीत से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194खख का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, घुड़दौड़ से जीत के रूप में किसी व्यक्ति को पांच हजार रुपए से अधिक किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे संदाय पर प्रवृत्त दरों से आय-कर की कटौती करेगा ।

पूर्वोक्त पांच हजार रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर दस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 72** ठेकेदारों को संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) का परंतुक यह उपबंध करता है कि उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशियों का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा जहां वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या संदत्त या जमा या संदत्त के लिए संभाव्य राशियों का कुल योग पचहत्तर हजार रुपए से अधिक है ।

वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संव्यवहारों के लिए उक्त अधिकतम सीमा को पचहत्तर हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 73** बीमा कमीशन से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194घ का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या संदाय करते समय ऐसी आय की रकम का कुल योग पारिश्रमिक या ईनाम के रूप में चाहे कमीशन के रूप में हो या अन्यथा हो उस पर प्रवृत्त दरों के अनुसार आय-कर की कटौती की जाएगी । तथापि उक्त धारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी यदि ऐसी रकम बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

उक्त अधिकतम सीमा को घटाकर बीस हजार रुपए से पन्द्रह हजार रुपए करने का और प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 74** जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194घक का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई व्यक्ति जो किसी निवासी को जीवन बीमा पालिसी के अधीन किसी राशि का जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित ऐसी राशि भी है जो धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य रकम से भिन्न है, संदाय करने का उत्तरदायी है, उसके संदाय के समय उस पर उस दशा मेंदो प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे संदायों की कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक है ।

कर की कटौती की उक्त दर को दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 75** राष्ट्रीय बचत स्कीम आदि के अधीन निक्षेपों की बाबत संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ङङ का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई व्यक्ति राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन किसी संदाय पर उस दशा में बीस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती का दायी होगा जहां ऐसी रकम दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक है ।

कर की कटौती की उक्त दर को बीस प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 76** लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन, आदि से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194छ का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में उस दशा में जहां लाटरी टिकटों का स्टाक वितरण क्रय या विक्रय किया गया है चाहे कमीशन या पारिश्रमिक या इनाम के रूप में हो,वहां पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इसमें जो भी पूर्वतर हो, दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती की जाएगी ।

कर कटौती की उक्त दर को दस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है । उक्त एक हजार रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर पन्द्रह हजार रुपए करने का और प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 77** कमीशन या दलाली से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ज का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में दस प्रतिशत की दर से उस दशा में आय-कर की कटौती की जाएगी जहां कमीशन या दलाली से संबंधित आय की कुल रकम पाने वाले के खाते में जमा या संदाय या जमा या संदाय किए जाने के लिए संभावित रकम किसी वित्तीय वर्ष में पांच हजार रुपए से अधिक है ।

कर कटौती की उक्त दर को दस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है । उक्त अधिकतम सीमा को पांच हजार रुपए से बढ़ाकर पन्द्रह हजार रुपए करने का और प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 78** यूनिट की बाबत की आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ट और पूंजी आस्ति से अर्जन पर प्रतिकर का संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ठ का लोप, 1 जून, 2016 से, करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 79** कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करते हैं कि उस दशा में कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) स्थावर संपत्ति अर्जन से संबंधित ऐसी कुल राशि या प्रतिकर की रकम किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले के खाते में जमा या संदत्त या जमा या संदाय करने के लिए संभाव्य रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

पूर्वोक्त दो लाख रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर दो लाख पचास हजार रुपए करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 80** किसी कारबार न्याय की यूनिटों से कतिपय आय से संबधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखक का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त उपधाराओं में धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) का निर्देश दिया जा सके ।

उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन, 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 81** विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में आय-कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में यह उपबंध है कि जहां कोई आय, आय के उस अनुपात से भिन्न है, जो उस प्रकृति की आय है, जैसी धारा 10 के खंड (23चखख) में निर्दिष्ट है, किसी यूनिट धारक को धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या कोई चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर आय-कर की कटौती दस प्रतिशत की दर से की जाएगी ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे संदाय पर आय-कर की कटौती :—

(i) उस दशा में जहां पाने वाला निवासी है, दस प्रतिशत की दर से की जाएगी;

(ii) उस दशा में जहां पाने वाला अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी है, प्रवृत्त दरों पर की जाएगी ।

यह संशोधन, 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 82** प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान के संबंध में आय से संबंधित आय-कर अधिनियम में नई धारा 194ठखग अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई आय धारा 115नगक के स्पष्टीकरण के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान के संबंध में विनिधानकर्ता को, जो निवासी है, संदेय है वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर—

(i) यदि पाने वाला व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, तो दस प्रतिशत की ;

(ii) यदि पाने वाला कोई अन्य व्यक्ति है तब तीस प्रतिशत की,

दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई आय धारा 115नगक के स्पष्टीकरण के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास में किसी विनिधान के संबंध में किसी विनिधानकर्ता को, जो अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर प्रवृत्त दरों पर आय-कर की कटौती करेगा ।

प्रस्तावित नई धारा के अधीन एक स्पष्टीकरण का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि यह उपबंध करने के लिए पद "विनिधानकर्ता" का वही अर्थ होगा जो धारा 115नगक के स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है, जहां प्रस्तावित धारा में निर्दिष्ट किसी आय को ऐसे किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा बहियों में जमा किया जाता है वहां ऐसे जमा किए जाने को पाने वाले के खाते में उस आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 83** निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 197 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी व्यक्ति की किसी आय की दशा मे, आय-कर की कटौती धारा 194ठखख और धारा 194ठखग के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, जमा करते समय या संदाय करते समय अपेक्षित है, निर्धारण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्राप्तकर्ता की कुल आय पर आय-कर की कटौती, यथास्थिति, किसी निम्नतर दर पर करना या आय-कर की कटौती नहीं करना न्यायोचित हो तो निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर उसे ऐसा प्रमाणपत्र देगा, जो उचित हो ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 84** आय-कर अधिनियम की धारा 197क का, जो कुछ दशाओं में कटौती न किए जाने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1क) और उपधारा (1ग) में यह उपबंधित है कि उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट धाराओं के अधीन कर की कटौती नहीं की जाएगी, यदि उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट व्यष्टि, विनिर्दिष्ट धाराओं में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित करके लिखित रूप में इस प्रभाव की घोषणा दो प्रतियों में देता है कि उसकी उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल

आय की संगणना करने में सम्मिलित की जानी है, प्राक्कलित कुल आय पर कर शून्य होगा ।

उक्त उपधाराओं का, उसमें धारा 194झ के प्रति निर्देश करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किराए की प्रकृति के संदायों को, कर की कटौती किए बिना, प्राप्त किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 85** स्थायी लेखा संख्यांक देने की अपेक्षा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206कक का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति, जो ऐसी कोई राशि या आय या रकम प्राप्त करता है, जिस पर अध्याय 17 के अधीन कर की कटौती की जानी है, कटौतीकर्ता को अपना स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करेगा और ऐसा करने में असफल रहने पर, अधिनियम के सुसंगत उपबंधों में वर्णित दर पर या प्रवृत्त दर पर या बीस प्रतिशत की दर पर, इनमें से जो भी अधिक हो, कर की कटौती की जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (7) प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के उपबंध धारा 194 ठग में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक बंधपत्रों पर ब्याज के संदाय और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाए, किसी अन्य संदाय की बाबत किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 86** एलकोहाली लिकर, वनोत्पाद और स्क्रैप आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि विक्रेता, उक्त धारा के अधीन विनिर्दिष्ट कतिपय माल के विक्रय के समय क्रेता से विनिर्दिष्ट दर पर स्रोत पर कर का संग्रहण करेगा ।

पूर्वोक्त धारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि विक्रेता, दस लाख रुपए से अधिक मूल्य के मोटर यान के विक्रय या दो लाख रुपए से अधिक का किसी माल (सोना-चांदी व आभूषण से भिन्न) के विक्रय पर या उपलब्ध कराई गई सेवाओं नकद चा चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय पर एक प्रतिशत की दर पर कर संगृहीत करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1घ) के अधीन एक परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी रकम पर, स्रोत पर कर का संग्रहण नहीं किया जाएगा, जिस पर इस अधिनियम के अध्याय 17(ख) के अधीन संदायकर्ता द्वारा कर की कटौती की गई है ।

उपधारा (1ख) के पश्चात् एक नई उपधारा अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1घ) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी माल (सोना-चांदी या आभूषण से भिन्न) के विक्रय या सेवाओं के संबंध में क्रेताओं के ऐसे वर्गों को लागू नहीं होगी जो ऐसी शर्तें पूरी करता है, जो विहित की जाएं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 87** अग्रिम कर की किस्तों और निश्चित तारीखों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 211 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार किसी कंपनी के लिए अग्रिम कर संदाय अनुसूची क्रमशः 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक चालू आय पर संदेय कर का पन्द्रह प्रतिशत, पैंतालीस प्रतिशत, पचहत्तर प्रतिशत और शत प्रतिशत है । निर्धारिती (कंपनियों से भिन्न) के लिए अग्रिम कर का संदाय अनुसूची 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक चालू आय पर संदेय कर का क्रमशः तीस प्रतिशत, साठ प्रतिशत और शत प्रतिशत है ।

निर्धारितियों (कंपनियों से भिन्न) के लिए अग्रिम कर संदाय अनुसूची का संशोधन करने और इसे कंपनी के लिए लागू विद्यमान अग्रिम कर संदाय अनुसूची के अनुकूल बनाने का प्रस्ताव है ।

यह और प्रस्ताव है कि धारा 44कघ में निर्दिष्ट पात्र कारबार की बाबत किसी ऐसे पात्र निर्धारिती से जो उपधारणा के आधार पर कारबार के लाभों या अभिलाभों की संगणना के लिए विकल्प होता है, वित्तीय वर्ष के 15 मार्च को या उसके पूर्व संपूर्ण रकम के अग्रिम कर का संदाय एक किस्त में करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 88** कर कब संदेय होगा और निर्धारिती कब व्यतिक्रमी समझा जाएगा, से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 220 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा किसी निर्धारिती के व्यतिक्रमी के रूप में समझे जाने और निर्धारिती की ओर से देय कर की रकम का संदाय करने में विफलता की दशा में उसके परिणामों का उपबंध करती है । उक्त धारा की उपधारा (2) उस अवधि के दौरान, जब व्यतिक्रम जारी रहता है, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज के उद्ग्रहण का उपबंध करती है । उक्त धारा की उपधारा (2क), अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन संदत्त या संदेय ब्याज की रकम को कम करने या उसका अधित्यजन करने के लिए सशक्त करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्धारिती के आवेदन को मंजूर या नामंजूर करने वाला आदेश संबंधित प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त या आयुक्त उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ है, बारह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा । यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि कोई भी आदेश निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा । तथापि, 1 जून, 2016 को लंबित आवेदन के संबंध में आदेश 31 मई, 2017 को या उससे पहले पारित किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 89** अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 234ग का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 211 में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए धारा 234ग की उपधारा (1) के पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अग्रिम कर के आस्थगन पर ब्याज का उसी निर्धारिती (कंपनी से भिन्न) पर भी कंपनी को यथा लागू उसी रीति से उद्ग्रहण किया जा सके । इसके अतिरिक्त, धारा 44कघ में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती के संबंध में, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ब्याज उद्ग्रहीत किया जाएगा यदि 15 मार्च को या उसके पूर्व संदत्त अग्रिम कर विवरणी में दी गई आय पर देय कर से कम है ।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा (1) की कोई बात विवरणी में दी गई किसी आय पर देय कर के संदाय में हुई कमी पर वहां लागू नहीं होगी जहां ऐसी कमी उन मामलों में 'कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय के अवप्राक्कलन या प्राक्कलन में असफलता के कारण हुई है और आय पहली बार उक्त शीर्ष के अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होती है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 90** प्रतिदायों पर ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 244क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (क) उक्त उपधारा के खंड (क) का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा यह उपबंध करती है कि कोई निर्धारिती अग्रिम कर, कटौती किए गए या स्रोत पर संगृहीत कर आदि के अधिक संदाय से उद्भूत प्रतिदाय पर ब्याज का हकदार है ।

इसके अतिरिक्त, यह उपबंधित है कि वह अवधि, जिसके लिए कर के अधिक संदाय पर ब्याज संदत्त किया गया है, निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होती है और उस तारीख को, जिस पर प्रतिदाय मंजूर किया गया है, समाप्त होती है ।

इस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि उन मामलों में, जहां विवरणी निश्चित तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है, प्रतिदाय पर ब्याज मंजूर करने की अवधि विवरणी फाइल करने की तारीख से आरंभ होगी ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव और है कि कोई निर्धारिती, कर के संदाय की तारीख से या विवरणी फाइल करने की तारीख, इसमें जो भी पश्चातवर्ती है, से उस तारीख तक जिसको प्रतिदाय मंजूर किया जाता है, स्व-निर्धारण के प्रतिदाय पर ब्याज का पात्र होगा ।

पूर्वोक्त धारा में नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां अपील के कारण उद्भूत होने वाले प्रतिदाय का प्रभाव धारा 153 की उपधारा (5) के अधीन विहित अवधि के परे है वहां निर्धारिती धारा 244क की उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन संदेय ब्याज के अतिरिक्त, धारा 153 की उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात अवधि के अवसान की पश्चात्वर्ती तारीख से उस तारीख तक जिसको प्रतिदाय मंजूर किया जाता है, से आरंभ होने वाली अवधि के लिए तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित ऐसे प्रतिदाय की रकम पर अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा ।

उक्त खंड का उपखंड (ग) उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त उपधारा में उपधारा (1क) का निर्देश दिया जा सके जो पारिणामिक प्रकृति की है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 91** अपील का प्ररूप और परिसीमा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 249 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (ख) यह उपबंध करता है कि अपील किसी निर्धारण आदेश से संबंधित भाग की सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर आयुक्त (अपील) के समक्ष की जानी है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उस मामले में जहां निर्धारिती शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति की मांग करते हुए आय-कर अधिनियम की धारा 270कक के अधीन आवेदन करता है, वहां उस तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, उस तारीख तक जिसको आवेदन पर पारित आदेश निर्धारिती पर तामील किया जाता है, आरंभ होने वाली अवधि के परिकलन के लिए अपवर्जित की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 92** अपील अधिकरण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 252 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) का खंड (ख), उपधारा (4क) और उपधारा (5) में उपबंध अपील अधिकरण के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष की नियुक्ति और शक्तियों के लिए उपबंध करता है ।

पूर्वोक्त उपबंधों में "ज्येष्ठ उपाध्यक्ष" के संदर्भ का लोप करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 93** अपील अधिकरण को अपीलों से संबंधित धारा 253 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (क) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ग) में, अन्य बातों के साथ, आय-कर अधिनियम की धारा 271 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को कोई अपील करने के लिए उपबंधित है ।

धारा 253 की उपधारा (1) के उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 270क के अधीन आयुक्त (अपील) या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को भी अपील कर सकेगा ।

प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम में नई धारा 270क के अंतःस्थापन का पारिणामिक है जिसमें आय की न्यून रिपोर्ट करके और गलत रिपोर्ट करने के लिए शास्ति के उद्ग्रहण के संबंध में उपबंधित है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त खंड का उपखंड (ख) उक्त धारा की उपधारा (2क) और (3क) का लोप करने तथा उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील फाइल करने को समाप्त करने के लिए उक्त उपधारा (2क) और उपधारा (3क) का लोप करने का प्रस्ताव है । पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2क) यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त धारा 144ग की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती द्वारा 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् फाइल किए गए किसी आक्षेप की बाबत धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी किए गए ऐसे किसी निदेश के प्रति, जिसके अनुसरण में निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण या पुनर्निर्धारण पूरा करते हुए आदेश पारित किया है, आक्षेप करता है तो वह निर्धारण अधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (3क) यह और उपबंध करती है कि उपधारा (2क) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख के, जिसको धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने की वांछा की गई है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।

परिणामस्वरूप, पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) का संशोधन का भी प्रस्ताव है जिससे उसमें से विवाद समाधान पैनल से संबंधित निर्देश को अपवर्जित करके, उपधारा (2क) और निर्धारण अधिकारी (विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में) के आदेश को अपवर्जित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे ।

उक्त खंड का उपखंड (ग) उक्त धारा की उपधारा (6) के परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (2क) के अधीन, जैसा कि यह वित्त अधिनियम, 2016 के प्रारंभ के पूर्व थी, किसी अपील के मामले में कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 94** अपील अधिकरण के आदेशों से संबंधित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 254 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि अपील अधिकरण अपने आदेश में, आदेश की तारीख से चार वर्ष के भीतर किसी भी समय अभिलेख से प्रकट किसी भूल को ठीक कर सकेगा ।

उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिकरण उस मास के, जिसमें आदेश पारित किया गया था, अंत से छह मास के भीतर किसी भी समय अपने आदेश में, अभिलेख से प्रकट किसी भूल को ठीक कर सकेगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 253 की उपधारा (2क) के निर्देश का लोप किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन, धारा 253 की उपधारा (2क) के लोप को ध्यान में रखते हुए पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 95** अपील अधिकरण की प्रक्रिया से संबंधित आय-कर अधिनियम, की धारा 255 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि एक-सदस्यीय न्यायपीठ किसी ऐसे मामले का निपटारा कर सकेगी जो ऐसे निर्धारिती से संबंधित है जिसकी निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित कुल आय पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

उक्त उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि एक-सदस्यीय न्यायपीठ किसी ऐसे मामले का निपटारा कर सकेगी जो ऐसे निर्धारिती से संबंधित है जिसकी निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 96** आय की कम रिपोर्ट करने और गलत रिपोर्ट करने के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम में धारा 270क अंतःस्थापित करने के लिए है ।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय की विशिष्टियां छिपाने के या आय की गलत विशिष्टियां प्रस्तुत करने के कारण शास्ति आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन उद्ग्रहणीय है । शास्ति संबंधी उपबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए यह उपबंध किया गया है कि धारा 271 तारीख 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण को और उसके संबंध में लागू नहीं होगी ।

आय की कम रिपोर्ट करने और गलत रिपोर्ट करने के लिए एक नई धारा 270क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारण अधिकारी, आयुक्त (अपील) या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को शास्ति उद्ग्रहण की शक्ति हो सकेगी यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आय की कम रिपोर्ट की है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि किसी व्यक्ति के बारे में माना जाएगा कि उसने उसकी आय की कम रिपोर्ट की है, यदि—

(i) जहां आय की विवरणी फाइल नहीं की गई है वहां निर्धारित आय उस अधिकतम से अधिक है जो कर से प्रभार्य नही है ;

(ii) जहां विवरणी फाइल की गई है, जो उस रकम वहां निर्धारित आय धारा 143(1)(क) के अधीन कार्यवाही करने पर अवधारित आय से निर्धारित आय अधिक है ;

(iii) निर्धारित आय, ऐसे पुनः निर्धारण से ठीक पूर्व निर्धारित या पुनः निर्धारित आय से अधिक है ;

(iv) निर्धारित या पुनःनिर्धारित आय हानि को कम करने या ऐसी हानि को आय में संपरिवर्तित करने को प्रभावित करेगी ।

उपरोक्त आधारों पर न्यूनतम अनुकल्पी कर और अनुकल्पी न्यूनतम कर के मामलों को सम्मिलित करने वाले समुचित उपबंधों को उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि कम रिपोर्ट की गई आय की रकम, उन मामलों में, जहां आय का निर्धारण पहली बार किया गया है और विवरणी दे दी गई है, निर्धारित आय की रकम धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अवधारित आय का अंतर होगी । उन मामलों में, जहां कोई विवरणी नहीं दी गई है और आय का निर्धारण पहली बार किया गया है, कम रिपोर्ट की गई आय की रकम कंपनी, फर्म या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में, निर्धारित आय तथा किसी अन्य दशा में, निर्धारित आय की रकम और उस अधिकतम रकम का, जो कर से प्रभार्य नहीं है, अंतर होगी ।

यह और प्रस्ताव है कि उन मामलों में, जहां आय का निर्धारण पहली बार नहीं किया गया है, वहां कम रिपोर्ट की गई आय का, निर्धारित, पुनः निर्धारित या किसी पूर्ववर्ती आदेश में पुनः संगणित आय के बीच अंतर होना प्रस्तावित है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (4) उस दशा में कम रिपोर्ट की गई आय की संगणना परिकलन का उपबंध करने के लिए है, जहां पूर्वतर वर्ष से जुड़ी हुई किसी प्राप्ति, निक्षेप या विनिधान के स्रोत को धारा 271 की उपधारा (1) के विद्यमान स्पष्टीकरण पर आधारित उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (6) यह उपबंध करने के लिए है कि इस धारा के अधीन कम रिपोर्ट की गई आय में उसमें उल्लिखित कतिपय मामले सम्मिलित नहीं होंगे ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (7) यह उपबंध करने के लिए है कि शास्ति की दर कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर का पचास प्रतिशत होगी ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (8) उपबंध करने के लिए है कि आय की गलत रिपोर्ट करने के अंतर्गत आने वाले कम रिपोर्ट की गई आय के मामले ऐसी गलत रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर की दो सौ प्रतिशत की दर पर शास्ति के लिए दायी होंगे ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट आय की गलत रिपोर्ट करने के मामलों में उपबंध करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (10) यह उपबंध करने के लिए है कि कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर को किसी कंपनी, फर्म या स्थानीय प्राधिकारी के मामले में परिकलन ऐसे किया जाएगा मानो वह उसकी कुल आय थी और अन्य मामलों में विवरणी में की गई आय के अनुसार कम रिपोर्ट की गई आय की रकम में वृद्धि करने के पश्चात् लागू दर पर और यदि निर्धारिती को लागू आरंभिक सीमा सहित कम रिपोर्ट की गई आय में वृद्धि करके कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है, तीस प्रतिशत की दर के आधार पर परिकलित किया जाएगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (11) यह उपबंध करने के लिए है कि किसी रकम का परिवर्धन या मोक न किया जाना शास्ति के अधिरोपण के लिए आधार नहीं होगा, यदि ऐसा परिवर्धन या मोक न करना उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए व्यक्ति के मामले में शास्ति के अधिरोपण का आधार बना है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (12) यह उपबंध करने के लिए है कि उक्त धारा के अधीन शास्ति लिखित आदेश द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 97** आय-कर अधिनियम में कतिपय मामलों में शास्ति के अधिरोपण आदि से उन्मुक्ति से संबंधित धारा 270कक अंतःस्थापित करने के लिए है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी को धारा 270क के अधीन शास्ति के अधिरोपण तथा धारा 276ग के अधीन दांडिक कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने से उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकेगा यदि वह निर्धारण या पुनःनिर्धारण के आदेश अनुसार संदेय कर और ब्याज का ऐसी मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदाय कर देता है और ऐसे निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं करता है । निर्धारिती उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर जिसमें निर्धारण और पुनःनिर्धारण का आदेश ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्राप्त किया गया है, ऐसा आवेदन कर सकता है ।

यह प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी पूर्वोक्त शर्तों को पूरा करने के पश्चात् तथा धारा 249 की उपधारा (2) में अपील फाइल करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट, अवधि के अवसान के पश्चात् शास्ति के अधिरोपण और धारा 276ग के अधीन

दांडिक कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने से उन्मुक्ति वहां अनुदत्त करेगा जहां धारा 270क की उपधारा (9) में अधिकथित शास्ति की कार्यवाहियां गलत रिपोर्टिंग की परिस्थितियों के कारण आरंभ न की गई हों ।

निर्धारण अधिकारी द्वारा उस मास की समाप्ति से जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त किया गया था, एक मास की अवधि के भीतर ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश पारित करना अपेक्षित है । तथापि, निर्धारण अधिकारी द्वारा आवेदन को, यथास्थिति, अस्वीकार करने का कोई आदेश निर्धारिती को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना, पारित नहीं किया जाएगा और उक्त आदेश अंतिम होगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगें ।

विधेयक का **खंड 98** आय-कर अधिनियम की विवरणियां न देना, सूचनाओं का अनुपालन न करना, आय का छिपाना आदि से संबंधित धारा 271 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना का अनुपालन करने में असफलता या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी किए गए निर्देश का अनुपालन करने में असफलता या आय की विशिष्टियों को छिपाने या आय की गलत विशिष्टियां देने के कारण शास्ति उद्ग्रहणीय है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 271 के उपबंध, 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण को या उसके संबंध में लागू नहीं होंगे ।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 99** आय-कर अधिनियम की लेखा बहियों, दस्तावेजों, आदि को रखने और बनाए रखने या अनुरक्षण करने में असफलता से संबंधित धारा 271क का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा 44कक या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा अपेक्षित किन्हीं ऐसी लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों को रखने और बनाए रखने में या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लेखाबहियों या दस्तावेजों के बनाए रखने में असफलता की दशा में उक्त धारा शास्ति का उपबंध करती है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 271क, धारा 270क के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होगी ।

प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम में नई धारा 270क के अंतःस्थापन का पारिणामिक है जिसमें आय की रिपोर्ट देने और गलत रिपोर्ट देने के लिए शास्ति के संबंध में उपबंध है ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा, और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती वर्षो के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 100** आय-कर अधिनियम की कतिपय संव्यवहारों की बाबत जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहने के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 271कक का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) निदेश दे सकेगा कि कोई व्यक्ति जो धारा 92घ में निर्दिष्ट किसी सूचना और दस्तावेजों के रखने और बनाए रखने में असफल रहता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का शास्ति द्वारा संदाय करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा में 270क का निर्देश दिया जा सके, जो पारिणामिक प्रकृति का है।

उक्त धारा का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति जो प्रस्तावित नई धारा 286 में निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का संघटक है, यदि धारा 92घ के उपबंधों के अनुसार जानकारी और दस्तावेज देने में असफल रहता है तो उक्त धारा में निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति पांच लाख रुपए की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 101** आय-कर अधिनियम की धारा 271ककख का संशोधन करने के लिए जहां तलाशी आरंभ की गई है, वहां शास्ति से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि ऐसी राशि, की शास्ति जो विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के तीस प्रतिशत से कम नहीं होगी किंतु नब्बे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, उस मामले में अधिरोपित की जाएगी जहां 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई है और ऐसा मामला धारा 271ककख की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आता है।

उक्त खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसी अप्रकटित आय पर साठ प्रतिशत की सपाट दर से शास्ति उद्ग्रहीत करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) धारा 271ककख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अप्रकटित आय के संबंध में धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शास्ति का उद्ग्रहण न करने का उपबंध करता है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 271ककख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अप्रकटित आय के संबंध में भी कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 102** धारा 286 के अधीन रिपोर्ट देने में असफलता या गलत रिपोर्ट देने के लिए शास्ति से संबंधित एक नई धारा 271छख का आय-कर अधिनियम में अंतःस्थापन के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करती है कि यदि धारा 286 में निर्दिष्ट कोई रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, जिससे रिपोर्ट किए जाने वाले लेखांकन वर्ष के संबंध में उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट का दिया जाना अपेक्षित है, ऐसा करने में असफल रहता है, तो उस धारा के अधीन विहित प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् विहित प्राधिकारी कहा गया है), आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा अस्तित्व शास्ति के रूप में निम्नलिखित राशि का संदाय करे, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उसकी असफलता जारी रहती है पांच हजार रुपए यदि असफलता की अवधि एक मास से अधिक नहीं है और प्रत्येक दिन के लिए पन्द्रह हजार रुपए जब असफलता एक मास से अधिक बनी रहती है ।

यह और उपबंधित है कि यदि धारा 286 में निर्दिष्ट कोई रिपोर्टिंग अस्तित्व, उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन अनुज्ञात अवधि के भीतर सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, विहित प्राधिकारी, निदेश दे सकेगा कि ऐसा अस्तित्व प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, जो उस दिन से जब सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो, के तुरंत पश्चात् के दिन से प्रारंभ होगी, शास्ति के रूप में पांच हजार रुपए का संदाय करेगा ।

यह भी उपबंधित है कि जहां धारा 286 में निर्दिष्ट कोई रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार दी गई रिपोर्ट में गलत सूचना उपलब्ध कराता है और जहां अस्तित्व के पास रिपोर्ट फाइल करते समय गलत का ज्ञान हो किंतु वह विहित प्राधिकारी को सूचित करने में असफल रहे, अस्तित्व को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् अयथार्थता का पता लगे और वह विहित प्राधिकारी को सूचित करने में और ऐसा पता चलने के पन्द्रह

दिनों के भीतर गलत रिपोर्ट फाइल करने में असफल रहता है, अस्तित्व, धारा 286 की उपधारा (6) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के उत्तर में, गलत सूचना प्रस्तुत करता है, तो विहित प्राधिकारी, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति पांच लाख रुपए की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 103** आय-कर अधिनियम की प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी देने, विवरणियां या कथन देने, निरीक्षण अनुज्ञात करने आदि में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित धारा 272क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) आय-कर अधिनियम के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देने में प्रत्येक असफलता या व्यतिक्रम, आय-कर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के दौरान वैध रूप से अपेक्षित किसी कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने या आय-कर अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित पुस्तकें या दस्तावेज प्रस्तुत करके साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने में असफलता के लिए दस हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करती है ।

उक्त उपधारा में नया खंड (घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 142 की उपधारा (1) के या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना का अनुपालन करने में प्रत्येक व्यतिक्रम या असफलता तथा धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी निदेश का अनुपालन करने में असफलता के लिए दस हजार रुपए की शास्ति का उद्ग्रहण सम्मिलित किया जा सके ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) को भी, यह उपबंध करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन शास्ति सूचना या निदेश जारी करने वाले आय-कर प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 104** कुछ दशाओं में शास्ति आदि को घटाने या अधित्यजन करने की शक्ति से संबंधित धारा 273क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (i) उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है।

धारा 273क की उपधारा (1) का खंड (ii) धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (iii)के अधीन अधिरोपिति या अधिरोपणीय शास्ति को कम करने या उसका अधित्यजन करने का उपबंध करता है । उक्त उपधारा का स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि उस दशा में जिसमें विवरणी में उल्लिखित आय से निर्धारित आय का आधिक्य ऐसा है कि उसका धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंध लागू नहीं हो तो, यह समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने उक्त धारा 271 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है ।

इसके अतिरिक्त, खंड (ख) के विद्यमान उपबंध ऐसी शर्त का उपबंध करते हैं जिसमें धारा 273क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति को कम या अधित्यजित नहीं की जाएगी ।

उपधारा (1) के खंड (ii) और इसके स्पष्टीकरण तथा धारा 273क की उपधारा (2) के खंड (ख) में धारा 270क के प्रतिनिर्देश करने का प्रस्ताव है जिससे नई धारा 270क, जो आय की कम रिपोर्ट करने या उसकी मिथ्या रिपोर्ट करने के लिए शास्ति के उद्ग्रहण का उपबंध करती है, के अंतःस्थापन के कारण और 1 अप्रैल, 2017 को तथा उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए धारा 271 के प्रवर्तन को समाप्त किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त खंड का उपखंड (ii) उक्त धारा में एक नई उपधारा (4क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्धारिती के आवेदन को मंजूर या नामंजूर करने वाला आदेश संबंधित प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ है, बारह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा । यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि कोई भी आदेश निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा । तथापि, 1 जून, 2016 को लंबित आवेदन के संबंध में आदेश 31 मई, 2017 को या उससे पहले पारित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 105** शास्ति से उन्मुक्ति देने की प्रधान आयुक्त या आयुक्त की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 273कक का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, शास्ति से उन्मुक्ति दे सकेगा, यदि शास्ति कार्यवाहियां, ऐसे व्यक्ति की दशा में आरंभ की जा चुकी है, जिसने समझौता आयोग के समक्ष आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का अधिनियम की धारा 245जक में अंतर्विष्ट परिस्थितियों के अधीन उपशमन किया जा चुका था ।

उक्त धारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी निर्धारिती के आवेदन को मंजूर या नामंजूर करने वाला आदेश संबंधित प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ है, बारह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि कोई भी आदेश निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा । तथापि, 1 जून, 2016 को लंबित आवेदन के संबंध में आदेश 31 मई, 2017 को या उससे पहले पारित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 106** आय-कर अधिनियम की कतिपय दशाओं में शास्ति अधिरोपित न किए जाने से संबंधित धारा 273ख का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धाराओं में यह उपबंध है कि किसी व्यक्ति या निर्धारिती पर उक्त धाराओं में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए उक्त धारा 273ख में प्रगणित विभिन्न धाराओं में निर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपणीय नहीं होंगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त हेतुक था ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें प्रस्तावित नई धारा 271छख में निर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 107** आय-कर अधिनियम की अधियोजन का प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त की प्रेरणा से होना से संबंधित धारा 279 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1क) में यह उपबंध है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसकी बाबत धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन शास्ति घटा दी गई है या उसका अधित्यजन कर दिया गया है, धारा 276ग या धारा 277 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन संबंधी कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धारा 276ग या धारा 277 के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी जिसकी बाबत धारा 270क के अधीन शास्ति भी घटा दी गई है या धारा 273क के अधीन उसको अधित्यजित कर दिया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 108** कुछ दशाओं में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 281ख का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी को, निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान यदि उसकी यह राय है कि राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो उसे आय-कर प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन से निधारिती की किसी संपत्ति को छह मास की अवधि के लिए अनंतिम रूप से कुर्क करने की शक्ति है । संपत्ति की ऐसी कुर्की को उक्त आय-कर प्राधिकारियों द्वारा दो वर्ष या निर्धारण के आदेश की तारीख के पश्चात् साठ दिन, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, बढ़ाया जा सकता है ।

धारा 281ख की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन कार्यवाहियां, आय के निर्धारण के लिए, जो निर्धारण से छूट गई हैं, निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियां समझी जाएंगी । धारा 132 की उपधारा (5) का 1 जून, 2002 से लोप हो गया है, इसलिए उक्त स्पष्टीकरण का लोप करने का प्रस्ताव है ।

इसके अतिरिक्त, उक्त धारा में नई उपधारा (3) से नई उपधारा (9) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि जहां निर्धारिती, अनंतिम रूप से कुर्क की गई किसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से अन्यून किसी रकम के लिए या संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से निम्न किसी ऐसी रकम के लिए, जो राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त है, किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी देता है, वहां निर्धारण अधिकारी उपधारा (1) के अधीन की गई संपत्ति की कुर्की का प्रतिसंहरण कर सकेगा ।

यह भी प्रस्तावित है कि निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश कर सकेगा, जिससे संपत्ति के प्राक्कलन की रिपोर्ट, ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकेगी ।

यह भी उपबंधित करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी गारंटी की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर और उस दशा में, जहां मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश किया गया है, ऐसी गारंटी की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर कुर्की का प्रतिसंहरण करने का आदेश किया जाए ।

यह भी प्रस्ताव है कि जहां निर्धारिती पर, संदेय किसी राशि को विनिर्दिष्ट करने वाली मांग की सूचना की तामील की जाती है और निर्धारिती, मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उस राशि का संदाय करने में असफल रहता है, वहां निर्धारण अधिकारी, उक्त रकम की वसूली के लिए, गारंटी का पूर्णतः या भागतः अवलंब ले सकेगा ।

यदि निर्धारिती उपधारा (3) के अधीन दी गई बैंक गारंटी की समाप्ति से पंद्रह दिन पहले, गारंटी के नवीकरण में असफल रहता है या किसी समतुल्य रकम के लिए किसी अनुसूचित बैंक की नई गारंटी देने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी, यदि राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, तो बैंक गारंटी का अवलंब ले सकेगा । उपधारा (3) में निर्दिष्ट गारंटी के अवलंब द्वारा वसूल की गई रकम उस विद्यमान मांग के विरुद्ध समायोजित की जाएगी, जो संदेय है और अतिशेष रकम, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या उसके समनुषंगी या ऐसे बैंक की, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसके अभिकर्ता के रूप में नियत किया जाए, शाखा में प्रधान आयुक्त या आयुक्त के व्यक्तिगत जमा खाते में, ऐसे स्थान पर जमा की जाएगी, जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त का कार्यालय स्थित है ।

उस दशा में, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए गारंटी की अब और आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत उस गारंटी को निर्मुक्त कर देगा ।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 109** सूचनाओं और अन्य दस्तावेजों का अधिप्रमाणन करने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 282क का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां अधिनियम के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा कोई सूचना या अन्य दस्तावेज जारी की जारी किया जाना अपेक्षित है, वहां ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज की पांडुलिपि पर उस प्राधिकारी द्वारा हस्तलेख से हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

उक्त उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम के अधीन आय-कर प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने के लिए अपेक्षित सूचनाओं और दस्तावेजों को ऐसे प्राधिकारी द्वारा या तो कागज रूप में या ऐसी प्रक्रियाओं के अनुसार, जो विहित की जाएं, इलैक्ट्रानिक रूप में जारी किया जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 110** आय-कर अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित एक नई धारा 286 के अंतःस्थापन के लिए है।

प्रस्तावित धारा, किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उपबंध करती है यदि समूह का मूल अस्तित्व भारत में निवासी है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का भारत में घटक अस्तित्व जिसका मूल अस्तित्व भारत में निवासी नहीं है, विहित प्राधिकारी को समूह के मूल अस्तित्व के, जिससे वह संबंधित है या किसी वैकल्पिक अस्तित्व के विषय में अधिसूचित करेगा जो समूह के निमित्त विहित रीति में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का मूल अस्तित्व, जो भारत में निवासी है, अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में धारा 139 की धारा (1) के अधीन सुसंगत लेखांकन वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में अंतर्विष्ट किए जाने के लिए ब्यौरों के संबंध में उपबंध करती है । यह, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि रिपोर्ट में घटक अस्तित्वों के राजस्व की रकम, लाभ और हानि, प्रोद्भूत और संदत्त कर, कर्मचारियों की संख्या और ब्यौरे तथा अधिकारिता जिसमें ऐसे अस्तित्व निवासी हैं या अवस्थित हैं की सकल सूचना अंतर्विष्ट होगी।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (4) भारत में निवासी अस्तित्व द्वारा जो भारत में निवासी अस्तित्व द्वारा शीर्षस्थ अंतरराष्ट्रीय समूह के नहीं हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपबंध करती है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (5) ऐसी परिस्थितियों का उपबंध करती है जिनके अधीन उपधारा (4) में निर्दिष्ट घटक अस्तित्व से रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (6) ये उपबंध करती है कि विहित प्राधिकारी, किसी अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की शुद्धता को सत्यापित करने के प्रयोजन करने के लिए सूचना जारी करके, यथाविनिर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (7) यह उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन रिपोर्टिंग की अपेक्षा किसी लेखांकन वर्ष को लागू नहीं होगी यदि पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष के लिए समेकित समूह राजस्व का योग विहित मूल से अधिक नहीं है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (8) ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, धारा लागू करने के लिए उपबंध करती है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (9), अन्य बातों के साथ-साथ, नई धारा के प्रयोजनों के लिए विभिन्न पदों को परिभाषित करती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 111** आय-कर अधिनियम की प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिरी से संबंधित धारा 288 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) का खंड (ख) का विद्यमान उपबंध किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने से वर्जित करता है यदि उसे आय-कर कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या उस पर धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन अधिरोपित शास्ति से भिन्न आय-कर अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की गई है ।

धारा 288 की उपधारा (4) के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति को जिस पर आय-कर अधिनियम की धारा 272क की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, आय-कर अधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने से वर्जित नहीं किया जाएगा ।

प्रस्तावित संशोधन उसमें विनिर्दिष्ट सूचनाओं और निदेश का पालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति से संबंधित धारा 272क की उपधारा (1) में नया खंड (घ) का पारिणामिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 112** आय-कर अधिनियम की मान्यताप्राप्त भविष्य निधि से संबंधित चौथी अनुसूची के भाग (क) का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त अनुसूची का नियम 6, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करता है कि मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के खाते में नियोजक द्वारा किया गया अभिदाय, जो कर्मचारी के वेतन के बारह प्रतिशत से अधिक है, कर्मचारी के लिए कर का दायित्वाधीन होगा ।

उक्त नियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नियोजक द्वारा ऐसे अभिदाय की ऊपरी सीमा को एक लाख पचास हजार रुपए करने का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

सीमाशुल्क

विधेयक का **खंड 113** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जिससे—

(i) उसके खंड (43) को "भांडागार" पद को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके ;

(ii) खंड (45) का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 114** सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 3 के अध्याय शीर्ष का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 115** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9 का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 116** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (4) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके कि उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । इसकी उपधारा (5) का लोप करने का और प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 117** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है जिससे उन परिस्थितियों में शुल्क की वसूली का उपबंध किया जा सके, जहां शुल्क का उद्‌ग्रहण किया गया है किन्तु उसका संदाय नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है ।

यह खंड ऐसे मामलों के अन्वेषण के लिए, जिसमें कोई दुरभिसंधि, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाया जाना अंतर्वलित नहीं है, परिसीमा अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 118** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 में नई उपधारा (1) में परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है । केन्द्रीय सरकार को, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट आयातकर्ताओं के कतिपय वर्गों को छूट देने और ऐसे आयातकर्ताओं को, ऐसी रीति से, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, शुल्क या प्रभारों का आस्थगित संदाय करने के लिए अनुज्ञात करने की शक्ति से सशक्त किया जा सके ।

यह पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) को संशोधित करने के लिए भी है जिससे केंद्रीय सरकार को, प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की अन्यून दर से और छत्तीस प्रतिशत की अनधिक दर से ब्याज नियत करने के लिए सशक्त बनाया जाए, जहां आयातकर्ता इसमें विनिर्दिष्ट तारीख को दो दिन के भीतर पूर्णतः या भागतः आयात शुल्क का संदाय करने में असफल रहे ।

विधेयक का **खंड 119** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 51 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित करने और उसकी उपधारा (1) में परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे बोर्ड को, अधिसूचना में निर्दिष्ट निर्यातकर्ताओं के कतिपय वर्ग को शुल्क या किसी प्रभार के आस्थगित संदाय को नियमों द्वारा उपबंधित रीति में अनुज्ञात किया जाए ।

इसमें नई उपधारा अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे केंद्रीय सरकार को, प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की अन्यून दर से और छत्तीस प्रतिशत की अनधिक दर से ब्याज नियत करने के लिए सशक्त बनाया जाए, जहां निर्यातकर्ता नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से दो दिनों के भीतर पूर्णतः या भागतः निर्यात शुल्क का संदाय करने में असफल रहे ।

विधेयक का **खंड 120** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 53 का संशोधन करने के लिए है जिससे उचित अधिकारी को शुल्क का संदाय किए बिना ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, कतिपय माल और वाहन के अभिवहन को अनुज्ञात करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 121** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 57 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त में सार्वजनिक भांडागार को अनुज्ञप्ति देने की शक्ति निहित की जा सके ।

विधेयक का **खंड 122** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 58, धारा 58क और धारा 58ख के स्थान पर नई धाराएं प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित धारा 58 सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त को प्राइवेट भांडागार को अनुज्ञप्ति देने की शक्ति निहित करने के लिए है ।

प्रस्तावित धारा 58क सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त में किसी विशेष भांडागार को अनुज्ञप्ति देने की शक्ति निहित करने के लिए है, जहां शुल्कीय माल का निक्षेप किया जा सके और ऐसे भांडागार में उचित अधिकारी द्वारा ताला लगवाया जाएगा और कोई भी व्यक्ति उचित अधिकारी की अनुज्ञा के बिना भांडागार में प्रवेश नहीं करेगा या वहां से कोई माल नहीं हटाएगा ।

प्रस्तावित धारा 58ख सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त में, उस दशा में धारा 57 या धारा 58 या धारा 58क के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति को रद्द करने की शक्ति निहित करने के लिए है यदि अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम

या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी शर्त का भंग करता है ।

विधेयक का **खंड 123** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 59 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि माल का आयातकर्ता और उसमें विनिर्दिष्ट रीति से बंधपत्र निष्पादित करेगा और इसमें विनिर्दिष्ट रीति में प्रतिभूति भी देगा ।

विधेयक का **खंड 124** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 60 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित धारा 60 की उपधारा (1) किसी भांडागार में निक्षेप के प्रयोजन के लिए सीमाशुल्क स्टेशन से माल को हटाए जाने की अनुज्ञा देने संबंधी उपबंध करने के लिए है ।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में किसी भाडागार में माल का निक्षेप करने हेतु उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 125** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे ऐसी अवधि को विनिर्दिष्ट किया जा सके जिसमें माल भांडागार में रह सकेगा ।

विधेयक का **खंड 126** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 62 और धारा 63 का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 127** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 64 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापत करने के लिए है जिससे भांडागरित माल के साथ व्यौहार करने के लिए स्वामी के अधिकार के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 128** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें के कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 129** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 68 का संशोधन करने के लिए है, जिससे—

(i) उसमें के कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सके ;

(ii) यह उपबंध करने के लिए खंड (ख) के स्थान पर नया खंड प्रतिस्थापित किया जा सके कि यदि ऐसे माल के संबंध में संदेय आयात शुल्क, ब्याज, जुर्माना और शास्तियों का संदाय कर दिया गया है तो देशी उपभोग के लिए किसी भांडागारित माल की भांडागार से ऐसे माल की निकासी की जा सकेगी;

(iii) उस धारा के पहले परंतुक मे आने वाले "भाटक, ब्याज, अन्य प्रभार और" शब्दों का लोप किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 130** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 69 का संशोधन करने के लिए है जिससे—

(i) "निर्यात" शब्द के स्थान पर "निर्यात" शब्द प्रतिस्थापित किया जा सके ;

(ii) उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर नया खंड यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके कि भांडागारित माल का यदि ऐसे माल के संबंध में आयात शुल्क, जुर्माना और शास्तियों का संदाय कर दिया गया है तो आयात शुल्क का संदाय किए बिना भारत से बाहर किसी स्थान पर निर्यात किया जा सकेगा ।

विधेयक का **खंड 131** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 71 का संशोधन करने के लिए है जिससे "पुनः निर्यात" शब्द के स्थान पर "निर्यात" शब्द प्रतिस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 132** सीमाशुल्क अधिनियम धारा 72 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे—

(i) खंड (ग) का लोप किया जा सके ;

(ii) "निर्यात" शब्द के स्थान पर "निर्यात" शब्द प्रतिस्थापित किया जा सके ;

(iii) दीर्घ पंक्ति में कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह "चयन" शब्द के स्थान पर "ठीक समझे" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए उसकी उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए भी है ।

विधेयक का **खंड 133** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 73 का संशोधन करने के लिए है जिससे "जिससे निर्यात कर दिया जाता है या" शब्दों के स्थान पर "अंतरित कर दिया जाता है या" शब्द प्रतिस्थापत किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 134** सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 73क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे भांडागरित माल की अभिरक्षा और उसके हटाए जाने के बारे में उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 135** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (2) में उपखंड (ग) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को सीमा शुल्क, कर, उपकर या कोई अन्य प्रभार का आस्थगित संदाय करने के लिए देय तारीख और उसके सीमाशुल्क, कर, उपकर या किसी अन्य प्रभार के आस्थगित संदाय करने की रीति का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 136** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 367(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2000, सा.का.नि. 292(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2002, सा.का.नि. 281(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2003, सा.का.नि. 604 (अ), तारीख 10 सितंबर, 2004, सा.का.नि. 606 (अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 और सा.का.नि. 260 (अ), तारीख 1 मई, 2006 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (4) में क्रमशः उसके सामने विनिर्दिष्ट तारीख से, भूतलक्षी रूप से, संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त अधिसूचनाओं में "धारा 8" के प्रतिनिर्देश को "धारा 8ख" के रूप में सही किया जा सके ।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 137** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ग का लोप करने के लिए है क्योंकि उक्त उपबंध जो दस वर्ष की अवधि के लिए अंतःस्थापित किया गया था, व्यपगत हो गया है ।

खंड 138 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का—

(i) कतिपय मदों पर शुल्क की दर को बढ़ाने के उद्देश्य से चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है ;

(ii) नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली को सामंजस्यपूर्ण बनाने के उद्देश्य से चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में जनवरी, 2017 से संशोधन करने के लिए है ।

उत्पाद शुल्क

विधेयक का **खंड 139** केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क का संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (5) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके कि उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

इसकी उपधारा (6) का लोप करने का भी प्रस्ताव है ।

खंड 140 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11क का, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "दो वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित करके संशोधन करने के लिए है, जिससे ऐसे मामलों में, जिनमें कपट छिपाया जाना आदि अंतर्वलित नहीं है, परिसीमा अवधि को बढाया जा सके ।

खंड 141 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37ख का संशोधन करने के लिए है, जिससे बोर्ड को, उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के कार्यान्वयन के लिए आदेश, अनुदेश और निदेश जारी करने हेतु सशक्त करने के लिए धारा 37ख में, "या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के कार्यान्वयन के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जा सके ।

विधेयक का **खंड 142** केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है ।

उसका उपखंड (i) तीसरी अनुसूची का पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें कतिपय प्रविष्टियां अंतःस्थापित और संशोधित की जा सके और कतिपय मदों पर शुल्क की दर को पुनरीक्षित किया जा सके।

उसका उपखंड (ii) तीसरी अनुसूची का छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से, 1 जनवरी, 2017 से, संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें की प्रविष्टियों को, नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के संगत बनाया जा सके ।

उत्पाद शुल्क टैरिफ

खंड 143 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है ।

उसका उपखंड (i) पहली अनुसूची का सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें कतिपय प्रविष्टियां अंतःस्थापित और संशोधित की जा सकें ।

उसका उपखंड (ii) पहली अनुसूची का आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से, 1 जनवरी, 2017 से, संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची को नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के संगत बनाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 144** केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से, संशोधन करने के लिए है, जिससे उसे 1 जनवरी, 2017 से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के प्रस्तावित संशोधनों के संगत बनाया जा सके ।

सेवा कर

विधेयक का **खंड 145**, 1994 के अधिनियम की धारा 65ख का संशोधन करने के लिए है जिससे,—

(क) खंड 11 का लोप किया जा सके;

(ख) लाटरी वितरक और विक्रय अभिकर्ताओं की सेवाओं की परिधि को स्पष्ट करने के लिए खंड (44) का संशोधन किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 146,** 1994 के अधिनियम की धारा 66घ का संशोधन करने के लिए है जिससे,—

(क) खंड (ठ) का लोप किया जा सके ;

(ख) खंड (ण) के उपखंड (i) और खंड (त) के उपखंड (ii) का 1 जून, 2016 से, लोप किया जा सके ।

खंड 147, 1994 के अधिनियम की धारा 66ङ का संशोधन करने के लिए है जिससे सरकार को किसी रेडियो आवृति स्पैक्ट्रम के उपयोग और पश्चात्वर्ती अंतरणों के अधिकार के समनुदेशन हेतु सशक्त करने के लिए उसमें खंड (त्र) अंतःस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 148**, 1994 के अधिनियम की धारा 67क का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को सेवा कर की दर के संबंध में समय या समय बिन्दु विहित करने हेतु सशक्त करने के लिए उसमें नई उपधारा (2) अंतःस्थापित की जा सके ।

खंड 149, 1994 के अधिनियम की धारा 73 का, "अठारह मास" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "तीस मास" शब्द प्रतिस्थापित करके संशोधन करने के लिए है, जिससे कि ऐसे मामलों में, जिनमें कपट, तथ्यों का छिपाना अंतर्वलित नहीं है, की परिसीमा अवधि को बढ़ाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 150,** 1994 के अधिनियम की धारा 75 का उसमें एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय सरकार को, ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो सेवा कर का संग्रहण करता है किंतु इस प्रकार संगृहीत ऐसी रकम को केंद्रीय सरकार के पास संदाय करने की देय तारीख के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है, अधिसूचना द्वारा ब्याज की पृथक् दर विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

खंड 151, 1994 के अधिनियम की धारा 78क में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे उस धारा के अधीन दायी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियों के समझे गए समापन के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 152, 1994 के अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे पचास लाख रुपए की धनीय सीमा को बढ़ाकर दो करोड़ रुपए किया जा सके ।

खंड 153 1994 के अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (2) का लोप करने के लिए है क्योंकि धारा 89 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी की शक्ति को वापस लिए जाने का प्रस्ताव है ।

खंड 154, 1994 के अधिनियम की धारा 91 की उपधारा (1) का संशोधन करने और उपधारा (3) का लोप करने के लिए है क्योंकि धारा 89 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी की शक्ति को वापस लिए जाने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 155**, 1994 के अधिनियम की धारा 93क का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को अधिसूचना द्वारा रिबेट अनुदत्त करने के लिए भी सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 156**, 1994 के अधिनियम में नई धारा 101, धारा 102 और धारा 103, सम्बन्धित धाराओं में विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए भूतलक्षी रूप से सेवाकर की छूट को बढ़ाने की दृष्टि से, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 157** दसवीं अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है ।

कृषि कल्याण उपकर

विधेयक का **खंड 158** एक नया अध्याय 6 अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कृषि संबंधी सुधार को प्रारम्भ करने के लिए या उससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए वित्तपोषण और संवर्धन हेतु संघ के प्रयोजनों के लिए सभी या किन्हीं कराधेय सेवाओं पर सेवा कर के रूप में कृषि कल्याण उपकर नामक उपकर का उद्ग्रहण किया जा सके ।

अवसंरचनात्मक उपकर

विधेयक का **खंड 159**, नया अध्याय 7 अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल पर 4% की दर से उत्पाद शुल्क के रूप में अवसंरचनात्मक उपकर का उद्ग्रहण किया जा सके ।

समकरण उद्ग्रहण

विधेयक का अध्याय 8, वित्त विधेयक, 2016 में एक नया अध्याय अंतःस्थापित करने के लिए है, जो समकरण उद्ग्रहण, ऐसे उद्ग्रहण का संग्रहण और वसूली से संबंधित है ।

विधेयक के **खंड 160** में यह उपबंधित है कि उक्त अध्याय उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

विधेयक का **खंड 161** इस अध्याय में प्रयुक्त कतिपय पदों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए है ।

विधेयक के **खंड 161** का उपखंड (1) भारत में किसी व्यक्ति से और जो कारबार या वृत्ति कर रहा है या किसी अनिवासी से, जिसका भारत में स्थायी स्थापन है, किसी अप्रवासी द्वारा प्राप्त या प्राप्य विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिफल की रकम का छह प्रतिशत की दर पर समकरण उद्ग्रहण प्रभारित करने का उपबंध करने के लिए है ।

उपखंड (2) यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा उद्ग्रहण तब नहीं किया जाएगा जब अनिवासी सेवा प्रदाता का भारत में स्थायी स्थापन हो और ऐसी विनिर्दिष्ट सेवाओं से आय प्रभावी रूप से इस स्थायी स्थापन से संपृक्त है । समकरण उद्ग्रहण की परिधि में विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिफल को अपवर्जित करने का भी उपबंध है यदि ऐसा प्रतिफल कारबार या वृत्ति करने के प्रयोजन के लिए नहीं है । यह भी उपबंध किया जाता है कि ऐसा कोई उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा यदि भारत में निवासी व्यक्ति से या ऐसे निवासी से जो भारत में स्थायी स्थापन नहीं रखता है, अनिवासी द्वारा प्राप्त सेवा या प्राप्य विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिफल की कुल रकम किसी पूर्ववर्ष में एक लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

विधेयक के **खंड 162**, किसी व्यक्ति द्वारा, जो अनिवासी है, उसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त या प्राप्य किसी विनिर्दिष्ट सेवा के लिए प्रतिफल की रकम के छह प्रतिशत की दर पर समकरण उद्ग्रहण के प्रभार के बारे में उपबंधित है ।

विधेयक का **खंड 163** किसी व्यक्ति द्वारा, जो निवासी है और कारबार या वृत्ति कर रहा है या अनिवासी है जिसका भारत में स्थायी स्थापन है (निर्धारिती) द्वारा विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में अनिवासी को संदत्त या संदेय रकम से समकरण उद्ग्रहण के संग्रहण और वसूली का उपबंध करने के लिए है । संदायकर्त्ता द्वारा इस प्रकार कटौती की गई समकरण उद्ग्रहण की रकम का सरकार के जमाखाते में को उस मास के पश्चात्वर्ती मास की सात तारीख तक, जिसमें समकरण उद्ग्रहण संगृहीत किया गया था, संदत्त किया जाएगा।

विधेयक के **खंड 164** का उपखंड समकरण उद्ग्रहण की कटौती के लिए उत्तरदायी निर्धारिती द्वारा विहित प्ररूप और विहित रीति में और ऐसी विशिष्टियों को दर्शाते हुए, जो विहित की जाएं, किसी वित्त वर्ष के दौरान प्रविष्ट की गई विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक के **खंड 165** में विनिर्दिष्ट सेवाओं के मूल्य का प्रसंस्करण करने और ऐसे प्रसंस्करण के आधार पर संदेय या प्रतिदेय समकरण उद्ग्रहण से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है । यह संगणना तंत्र का भी उपबंध करता है । खंड यह भी उपबंध करता है कि सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् कोई सूचना नहीं की जाएगी ।

विधेयक का **खंड 166** किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अभिलेख पर दृश्यमान किसी भूल का सुधार करने की दृष्टि से वित्त वर्ष की समाप्ति जिसमें संशोधन की ईप्सा किया जाना वाला आदेश पारित किया गया था, भूल सुधार का उपबंध करने के लिए है । निर्धारण अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या निर्धारिती की पहल पर भूल सुधार कर सकेगा । इसके अतिरिक्त कोई संशोधन जिसका निर्धारिती के दायित्व में वृद्धि करने या प्रतिदाय में कमी करने का प्रभाव है केवल निर्धारिती को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही पारित किया जाएगा ।

विधेयक का **खंड 167** प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए जिसके दौरान समकरण उद्ग्रहण का संग्रहण किया गया था किंतु केन्द्रीय सरकार के खाते में उसका उक्त उपखंड में विनिर्दिष्ट अवधि में प्रत्यय नहीं किया गया था, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का **खंड 168** समकरण उद्ग्रहण की कटौती करने के लिए उत्तरदायी निर्धारिती पर शास्ति का अधिरोपण करने का उपबंध करने के लिए है । उस दशा में जहां निर्धारिती सम्पूर्ण समकरण उद्ग्रहण या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है वहां शास्ति समकरण उद्ग्रहण की रकम जिसकी कटौती नहीं की गई थी, के बराबर होगी । अन्य मामलों में ऐसी अधिरोपित शास्ति प्रत्येक ऐसी असफलता के लिए एक हजार रुपए होगी । तथापि, इस खंड के अधीन अधिरोपणीय शास्ति संदत्त की जाने वाली समकरण उद्ग्रहण की रकम से अधिक नहीं होगी ।

विधेयक का **खंड 169** धारा 164 के अधीन विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध करता है । ऐसे मामलों में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति सौ रुपए होगी ।

विधेयक का **खंड 170** उपबंध करता है कि खंड 168 या खंड 169 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी यदि निर्धारिती यह साबित कर देता है कि उक्त उपखंड के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था ।

विधेयक का **खंड 171** आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील के लिए तब उपबंध करता है जब निर्धारिती को किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा इस अध्याय या खंड 249 या खंड 251 के अधीन किसी आदेश के अधीन निर्धारित किए जाने के दायित्व से इनकार करता है । इस खंड में अपील आदि फाइल करने के संबंध में उपबंध भी अंतर्विष्ट हैं और उपबंध करता है कि आय-कर अधिनियम की धारा 249 से धारा 259 के उपबंध जहां तक हो सके ऐसी अपीलों को लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 172** अपील अधिकरण को इस खंड के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करने का उपबंध करता है । इस खंड को अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए समय और प्रक्रिया के संबंध में उपबंध अंतर्विष्ट हैं । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि जहां इस खंड के अधीन कोई अपील फाइल की गई है वहां आय-कर अधिनियम की धारा 252 से धारा 255 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपीलों को लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 173** किसी सत्यापन, लेखे या कथन में मिथ्या विवरण देने के लिए तीन वर्ष की अवधि तक के कारावास और जुर्माने के माध्यम से दंड का उपबंध करता है । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि इस खंड के अधीन दंडनीय किसी अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थांतर्गत असंज्ञेय माना जाएगा ।

विधेयक का **खंड 174** उपबंध करता है कि खंड 173 के अधीन सिवाय मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का **खंड 175** उपबंध करता है कि आय-कर अधिनियम की धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 138, धारा 156, अध्याय 15 और धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232, धारा 260क, धारा 261, धारा 262, धारा 265 से धारा 269, धारा 278ख, धारा 280क, धारा 280ख, धारा 280ग, धारा 280घ, धारा 282 से धारा 293 के उपबंध, अन्य बातों के साथ, मांग, कर की वसूली और संग्रह, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों को अपील, प्राधिकृत प्रतिनिधियों की पेशी आदि को, जहां तक हो सके, समकरण उद्ग्रहण के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 176** केन्द्रीय सरकार को इस अध्याय के उपबंध को पूरा करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करने के लिए है । खंड यह भी उपबंध करता है कि इस खंड के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

विधेयक का **खंड 177** केन्द्रीय सरकार को इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में आने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त करता है । केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति उस तारीख से, जिसको इस अध्याय के उपबंध नियम बनाने के प्रयोजनों के लिए प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी । इस खंड के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

ये संशोधन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना में नियत तारीख से प्रभावी होंगे ।

आय घोषणा स्कीम

विधेयक के **खंड 178 से खंड 196** आय घोषणा स्कीम, 2016 से संबंधित एक नया अध्याय 9 अंतःस्थापित करने के लिए है । उक्त स्कीम, अन्य बातों के साथ, किसी व्यक्ति द्वारा अप्रकटित आय की घोषणा के लिए उपबंध करती है । स्कीम 1 जून, 2016 से ऐसी तारीख तक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, अधिसूचित की जाए, प्रवर्तन में होगी । प्रस्तावित अध्याय, अन्य बातों के साथ, स्कीम में घोषित अप्रकटित आय पर तीस प्रतिशत का कर, कृषि कल्याण उपकर के रूप में ऐसे कर का पच्चीस प्रतिशत की दर पर अधिभार ; और उक्त स्कीम के अधीन कर प्रक्रिया का पच्चीस प्रतिशत की दर पर शास्ति उद्गृहीत की जाएगी और घोषणा फाइल करने की रीति ; उक्त स्कीम के अधीन घोषित अप्रकटित आय, जो कुल आय में सम्मिलित नहीं की जानी है या संपुरित निर्धारणों की अंतिमता को प्रभावित करती है ; उक्त स्कीम के अधीन घोषित अप्रकटित आय प्रतिदेय नहीं होगी ; घोषणा में विनिर्दिष्ट आस्तियों के संबंध में धन-कर से छूट ; केंद्रीय सरकार द्वारा कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ; और उक्त स्कीम के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की शक्ति के लिए है ।

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम

विधेयक के **खंड 197 से खंड 208** वित्त विधेयक, 2016 में एक नया अध्याय 10 अंतःस्थापित करने के लिए है, जो प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 से सम्बन्धित है ।

स्कीम को 1 जून, 2016 से प्रवृत्त किये जाने और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक की गई घोषणा के लिए खुली रहने का प्रस्ताव है ।

नया अध्याय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उपबंध करता है—

(क) "घोषणाकर्ता", "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी", "विवादित आय", "विवादित कर", "विवादित धन" , "विनिर्दिष्ट करें" और "कर बकाया" से संबंधित कतिपय पदों की परिभाषा;

(ख) इस स्कीम के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा संदेय कर की घोषणा से संबंधित परंतुक;

(ग) घोषणा के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियों से संबंधित उपबंध;

(घ) संदाय का समय और रीति से संबंधित उपबंध;

(ङ) कतिपय मामलों में अपराध के संबंध में कार्यवाहियां आरंभ करने और शास्ति अधिरोपित करने से उन्मुक्ति प्रदान करने से संबंधित उपबंध;

(च) स्कीम के अधीन संदत्त रकम के किसी प्रतिदाय नहीं करने से संबधित उपबंध;

(छ) अन्य कार्यवाहियों में अन्य फायदा, छूट या उन्मुक्ति से संबंधित उपबंध;

(ज) कतिपय मामलों में कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के लागू न होने से संबंधित उपबंध ;

(झ) केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित उपबंध ;

(ञ) कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति से संबंधित उपबंध ।

अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016

विधेयक के **खंड 209 से खंड 215**, अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 का उपबंध करने के लिए नया अध्याय 11 अंतःस्थापित करने के लिए है।

उक्त स्कीम में, 1 मार्च, 2016 को आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित विवादों का, ब्याज के साथ शोध्य कर और आक्षेपित आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति के पच्चीस प्रतिशत का संदाय करने पर परिनिर्धारण करने का उपबंध है । उक्त स्कीम 31 दिसम्बर, 2016 तक की गई घोषणाओं को लागू है।

विधेयक के खंड **216** से **खंड 220** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है । अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें "उपभोक्ता मूल्य सूचकांक", "मुद्रा स्फीति", "मुद्रा नीति समिति" पदों की कतिपय परिभाषाओं को अंतःस्थापित किया जा सके । अधिनियम में एक नया अध्याय 3च अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें अधिकाधिक जटिल अर्थव्यवस्था और कीमत स्थिरता को बनाए रखने की चुनौती का सामना करने के लिए मुद्रा नीति से संबंधित धारा 45य से धारा 45ण तक हैं ।

प्रस्तावित नए अध्याय में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि,—

(i) केंद्रीय सरकार, बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) से परामर्श करके, प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निबंधनानुसार मुद्रा स्फीति लक्ष्य अवधारित करेगी;

(ii) केंद्रीय सरकार, बैंक की मुद्रा नीति समिति नामक एक समिति का गठन कर सकेगी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का गर्वनर, सदस्यों के रूप में बैंक का डिप्टी गर्वनर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला बैंक का एक अधिकारी और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन व्यक्ति होंगे;

(iii) धारा 45यग से धारा 45यछ, मुद्रा नीति समिति के सदस्यों के निबंधनों और शर्तों से संबंधित हैं;

(iv) बैंक, मुद्रा नीति समिति के सदस्यों को ऐसी सभी सूचना उपलब्ध कराएगा, जो मुदा स्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुसंगत हो;

(v) बैंक, एक दस्तावेज प्रकाशित करेगा, जिसमें मुद्रा नीति समिति के विनिश्चयों को, जिनके अंतर्गत उसमें कोई परिवर्तन भी है, कार्यान्वित करने के लिए, उसके द्वारा उठाए गए कदम स्पष्ट किए जाएंगे;

(vi) बैंक, प्रत्येक छह मास में एक बार मुद्रा नीति रिपोर्ट नामक एक दस्तावेज प्रकाशित करेगा, जिसमें मुद्रा स्फीति के स्रोत स्पष्ट किए जाएंगे; और दस्तावेज के प्रकाशन की तारीख से अठारह मास के बीच की अवधि के लिए मुद्रा स्फीति के पूर्वानुमान होंगे ।

उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जो पारिणामिक प्रकृति के हैं ।

प्रकीर्ण

विधेयक का **खंड 221,** केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें यह उपबंध करने के लिए स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित किया जा सके कि जहां सामान्य वाहक पाइप लाइन या किसी अन्य सामान्य परिवहन या वितरण प्रणाली के माध्यम से विक्रीत या क्रय की गई या परिवहन की गई गैस, पाइप लाइन या प्रणाली में अन्य गैस के साथ आपस में मिश्रित और चिरभोग्य हो गई है और ऐसी गैस एक राज्य में पाइप लाइन या प्रणाली में समाविष्ट की जाती है और दूसरे राज्य में पाइप लाइन से निकाली जाती है वहां गैस के ऐसे विक्रय या क्रय को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का संचलन समझा जाएगा ।

विधेयक का **खंड 222,** तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे देश में उत्पादित कच्चे तेल पर, 4500 रुपए प्रति टन की वर्तमान दर के स्थान पर, मूल्यानुसार बीस प्रतिशत की दर से उपकर उद्गृहीत किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 223,** तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 2क, धारा 3 और धारा 12 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धाराएं, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए अपील अधिकरण की स्थापना के लिए उपबंध करती हैं ।

विधेयक का **खंड 224** स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68ख, धारा 68ट और धारा 76 का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धाराएं, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए अपील अधिकरण की स्थापना के लिए उपबंध करती हैं ।

पूर्वोक्त धाराओं का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि तस्कर और विदेशी मुद्र छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अधीन स्थापित अपील अधिकरण स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए अपील अधिकरण होगा ।

विधेयक के **खंड 225 से खंड 226,** विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का संशोधन करने के लिए हैं जिससे शास्ति के बकाया को वसूल करने की शक्ति से संबंधित नई धारा 14क अंतःस्थापित की जा सके ।

विधेयक का **खंड 227,** केंद्रीय सरकार के कृत्यों से संबंधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा, अन्य बातों के साथ, विभिन्न परियोजनाओं में उक्त अधिनियम के अधीन संगृहीत उपकर के वितरण के लिए उपबंध करती है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (viii) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपकर के पुनः वितरण के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उक्त खंड के उपखंड (ग) के अधीन उपकर के आबंटन से मरम्मत, अनुरक्षण या नवीकरण नहीं किया जाएगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) का लोप करने का भी प्रस्ताव है । यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 228** वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त अनुसूची का,—

(क) उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में प्रस्तावित प्रविष्टियों के साथ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के उद्ग्रहण से संबंधित प्रविष्टियों को संगत बनाने के लिए बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जा सके ;

(ख) उसे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की पहली अनुसूची में प्रस्तावित संशोधनों के संगत बनाने के लिए तेरहवीं अनुसूची विनिर्दिष्ट रीति से, 1 जनवरी, 2017 से संशोधन किया जा सके ।

खंड 229 धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन करने के लिए है । पूर्वोक्त अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा कतिपय पारिणामिक संशोधनों के अधीन किए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित अपील अधिकरण पर शक्तियां प्रदत्त की जा सकें ।

विधेयक का **खंड 230** प्रतिभूति संव्यवहार कर के प्रभार से संबंधित वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 का संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त धारा यह उपबंध करने के लिए है कि प्रतिभूतियों में विकल्प के विक्रय पर प्रतिभूति संव्यवहार कर जल विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, विकल्प प्रीमियम का 0.017 प्रतिशत है ।

प्रतिभूति संव्यवहार कर की उक्त दर को 0.017 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है ।

धारा 113क का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अध्याय 7 के उपबंध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों को या विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में निर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर भी लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 231,** वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का, कतिपय टैरिफ मदों पर उत्पाद-शुल्क को पुनरीक्षित करने के लिए, चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है ।

खंड 232 वित्त अधिनियम, 2010 के अध्याय 7 में या किसी अन्य विधि में आने वाले, "स्वच्छ ऊर्जा उपकर" शब्दों के स्थान पर, “स्वच्छ पर्यावरण उपकर” शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

यह वित्त अधिनियम, 2010 की दसवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए भी है, जिससे कोयला, लिग्नाइट और पीट पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर की दर को 300 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति टन किया जा सके।

खंड 233 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) के उपखंड (vi) में एक परंतुक उसमें यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया जा सके कि किसी कंपनी की शेयर पूंजी का अभिहित मूल्य अभिदाय करते समय आधे प्रतिशत से अधिक होने पर भी ऐसी कंपनी को विदेशी स्रोत नहीं समझा जाएगा यदि विदेशी विनिधान, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1994 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर है ।

विधेयक का **खंड 234** वस्तु संव्यवहार कर से संबंधित वित्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अध्याय के उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, कराधेय वस्तु संव्यवहारों पर कर की प्रभार्यता का उपबंध करता है ।

उक्त अध्याय का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अध्याय 8 के उपबंध, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में निर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा में किसी मान्यताप्राप्त संगम पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 235,** अन्य बातों के साथ-साथ, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि की स्थापना, उसके उपयोग तथा उसमें पड़े धन की पात्र दर को अधिसूचित करने का उपबंध करती है ।

यह खंड वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 4 के खंड (ii) का 1 अप्रैल, 2016 से लोप करने के लिए भी है ।

यह खंड निधि की स्थापना से संबंधित धारा 122, दावों के संदाय से संबंधित धारा 124 और केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित धारा 128 का संशोधन करने के लिए भी है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि की बाबत में तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों पर उक्त अधिनियम के अध्याय 7 के उपबंधों के लिए अध्यारोही प्रभाव होने का उपबंध किया जा सके । इसके अतिरिक्त, धारा 124, अन्य बातों के साथ-साथ, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि को अंतरित अदावाकृत रकम के लिए हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को दावों के संदाय का उपबंध करती है । उक्त धारा की उपधारा (5) का लोप करने का प्रस्ताव है । धारा 128 भी,अन्य बातों के साथ-साथ, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से संबंधित उक्त अधिनियम के अध्याय 7 के विभिन्न उपबंधों के संबंध में उपबंध करने वाले नियम बनाने वाले उपबंधों का भी उपबंध करती है । उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ग) का लोप करने का प्रस्ताव है । ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक के **खंड 236 से खंड 238,** पंद्रहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और पंद्रहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए है ।

पंद्रहवीं अनुसूची के स्तंभ (4) में वर्णित सीमा तक, जो अल्पतम उपकर प्राप्त करते हैं, में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में उपकर के अधिरोपण से संबंधित उपबंधों का निरसन करने और पंद्रहवीं अनुसूची के स्तंभ (4) में वर्णित सीमा तक, विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 43 आवास परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों के संबंध में कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 80झखक अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, गृह निर्माण परियोजना उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करेगी। उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि आवास परियोजना ऐसी परियोजना होगी जिसे ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों, जो विहित किए जाएं, के अनुसार 1 जून, 2016 के पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2019 को या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

विधेयक का खंड 47 अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेज का रखा जाना और बनाए रखना से संबंधित आय-कर की धारा 92घ का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि कोई व्यक्ति, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व है, अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में ऐसी जानकारी और दस्तावेज भी, जो विहित किए जाएं, रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा।

विधेयक का खंड 49 कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर से संबंधित एक नई धारा 115खक आय-कर अधिनियम में अंतःस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि कंपनी की कुल आय की संगणना करते समय धारा 32 के अधीन अवक्षयण ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा, जो विहित की जाए। प्रस्तावित धारा की उपधारा (4) यह और उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के विकल्प का, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सुसंगत वर्ष के लिए आय की विवरणी देने हेतु निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले विहित रूप में प्रयोग किया जाएगा।

विधेयक का खंड 56 शेयरधारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115थक का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि ''वितरित आय'' पद से शेयरों के क्रय द्वारा वापस लेने पर संदत्त प्रतिफल, जो उस रकम को घटाकर, जिसे कंपनी द्वारा ऐसे शेयरों के निर्गमन के लिए प्राप्त किया गया था, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अवधारित की जाएगी।

विधेयक का खंड 85 स्थायी लेखा संख्यांक देने की अपेक्षा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206कक का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (7) के उपबंध धारा 194ठग में निर्दिष्ट दीर्घकालिक बंधपत्रों पर ब्याज के संदाय और ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए किसी अन्य संदाय के संबंध में किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को लागू नहीं होंगे।

विधेयक का खंड 86 एलकोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रैप आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (1घ) में परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी माल (सोना-चांदी और आभूषण से भिन्न) के विक्रय या सेवाएं प्रदान करने के संबंध में ऐसे क्रेताओं के वर्ग को लागू नहीं होगी, जो ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, को पूरा करते हैं।

विधेयक का खंड 97 शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 270कक अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि आय-कर अधिनियम की धारा 270क के अधीन शास्ति के अधिरोपण तथा उक्त अधिनियम की धारा 276ग के अधीन दांडिक कार्यवाहियां आरंभ करने से उन्मुक्ति का दावा करने के लिए, निर्धारिती को उस मास के अंत से, जिसमें उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश प्राप्त हुआ है, एक मास के भीतर निर्धारण् अधिकारी को आवेदन करना होगा और वह ऐसे प्ररूप में किया जाएगा तथा ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा, जो विहित की जाए।

विधेयक का खंड 110 अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट देने से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 286 अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि भारत में निवासी प्रत्येक घटक अस्तित्व, यदि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह, जिसका मूल अस्तित्व भारत में निवासी नहीं है, का घटक है, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय समूह का अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व या मूल अस्तित्व के ब्यौरे या अंतर्राष्ट्रीय समूह का अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, यदि कोई हो, है या नहीं और नियत तारीख को या उसके पहले देश या राज्यक्षेत्र को, जिसका उक्त अस्तित्व निवासी है, अधिसूचित करेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह भी उपबंध करने के लिए है कि भारत में निवासी प्रत्येक मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में जिसका वह घटक है, प्रत्येक रिपोर्ट करने वाले लेखांकन वर्ष के लिए सुसंगत लेखांकन वर्ष की आय की विवरणी के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख या उसके पूर्व विहित तारीख को, ऐसे रूप और रीति में, जो विहित की जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (8) यह उपबंध करने के लिए भी है कि इस धारा के उपबंध किसी लेखांकन वर्ष के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में लागू नहीं होंगे यदि कुल समेकित समूह राजस्व, जैसा ऐसे लेखांकन वर्ष के पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण में परिलक्षित हैं, उस रकम, जो विहित की जाए, से अधिक नहीं है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (9) यह उपबंध करने के लिए भी है कि उक्त धारा के उपबंध, ऐसी शर्तों के अनुसार, जो विहित की जाएं, लागू होंगे।

अप्रत्यक्ष कर

विधेयक का खंड 118, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट आयातकर्ताओं के कतिपय वर्ग को, नियमों द्वारा उपबंधित रीति से, शुल्क या अन्य प्रभारों का आस्थगित संदाय करने हेतु अनुज्ञात करने के लिए सशक्त किया जा सके। उक्त खंड, उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए भी है। उसका खंड (ख) केंद्रीय सरकार को नियमों द्वारा शुल्क का आस्थगित संदाय करने के लिए देय तारीख विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 119, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 51 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित करने के लिए है और उपधारा (1) में परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्यातकर्ताओं के कतिपय वर्ग को, नियमों द्वारा उपबंधित रीति में शुल्क या किसी प्रभार का आस्थगित संदाय करने के लिए अनुज्ञात करने हेतु सशक्त किया जा सके।

उक्त खंड, केंद्रीय सरकार को नियमों द्वारा निर्यात शुल्क का आस्थगित संदाय करने के लिए देय तारीख विनिर्दिष्ट करने हेतु सशक्त करने के लिए उसमें उपधारा (2) अंतःस्थापित करने के लिए भी है। यह केंद्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रति वर्ष पांच प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक ब्याज की दर निश्चित करने हेतु सशक्त करने के लिए भी है।

विधेयक का खंड 120, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 53 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित नई धारा 53, बोर्ड को ऐसी शर्तों का उपबंध करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जिनके अधीन रहते हुए उचित अधिकारी, शुल्क का संदाय किए बिना अभिवहन के लिए माल और वाहन को अनुज्ञात कर सकेगा।

विधेयक का खंड 121, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 57 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित नई धारा, बोर्ड को ऐसी शर्तों का उपबंध करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जिनके अधीन रहते हुए सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त ऐसे सार्वजनिक भांडागारों को अनुज्ञप्ति दे सकेगा, जिनमें शुल्क्य माल का निक्षेप किया जा सकेगा।

विधेयक का खंड 122, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 58 के स्थान पर नई धारा 58, धारा 58क और धारा 58ख प्रतिस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित धारा 58, बोर्ड को ऐसी शर्तों का उपबंध करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जिनके अधीन रहते हुए सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त किसी ऐसे प्राइवेट भांडागार को अनुज्ञप्ति दे सकेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या उसकी ओर से आयातित शुल्क्य माल का निक्षेप किया जा सकेगा।

प्रस्तावित धारा 58क, बोर्ड को ऐसी शर्तों का उपबंध करने हेतु विनियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए है, जिनके अधीन रहते हुए सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त ऐसे विशेष भांडागारों को अनुज्ञप्ति दे सकेगा, जिसमें शुल्क्य माल का निक्षेप किया जा सकेगा।

विधेयक का खंड 123, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 59 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित धारा 59 की उपधारा (3), बोर्ड को आयातकर्ता द्वारा प्रतिभूति देने के लिए उपबंध करने हेतु विनियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का खंड 124, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 60 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित धारा 60 की उपधारा (2), बोर्ड को ऐसी रीति का उपबंध करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जिसमें, किसी भांडागार में माल के निक्षेप के प्रयोजन के लिए सीमाशुल्क स्टेशन से माल हटाने को अनुज्ञात करने वाले उचित अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के अनुसरण में, किसी भांडागार में निक्षेप किया जा सके।

विधेयक का खंड 134, सीमाशुल्क अधिनियम में नई धारा 73क अंतःस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित धारा 73क की उपधारा (2) बोर्ड को ऐसे व्यक्ति के, जिसे धारा 57 या धारा 58 या धारा 58क के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, जिसकी अभिरक्षा में भांडागारित माल है, दायित्वों का उपबंध करने के लिए विनियम बनाने हेतु बोर्ड को सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का खंड 148, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67क के विद्यमान उपबंध को, उसकी उपधारा (1) के रूप में, पुनःसंख्यांकित करने और उसमें नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित उपधारा (2), बोर्ड को सेवा कर की दर के संबंध में समय या समय बिन्दु का उपबंध करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का खंड 171 यह उपबंध करने के लिए है कि समकरण उद्ग्रहण संबंधी विषयों के संबंध में आय-कर आयुक्त के समक्ष निर्धारिती द्वारा फाइल की जाने वाली अपील, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित होगी, जो विहित की जाए और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस संलग्न होगी।

विधेयक का खंड 209 अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 का उपबंध करने हेतु एक नया अध्याय 11 अंतःस्थापित करने के लिए है।

स्कीम की धारा 211 की उपधारा (1) केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति का, जिसमें कोई व्यक्ति 31 दिसंबर, 2016 को या उसके पूर्व, अभिहित प्राधिकारी को घोषणा कर सकेगा, उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2), केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति का, जिसमें अभिहित प्राधिकारी घोषणा अभिस्वीकार करेगा, उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (4), केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जिसमें अभिहित प्राधिकारी बकायों के उन्मोचन का आदेश पारित करेगा।

विधेयक का खंड 215 अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 के अधीन केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करता है। धारा 215 की उपधारा (2) के खंड (घ) में उक्त स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की अवशिष्ट शक्ति के लिए उपबंध है।

2. वे विषय, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

3. अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक

[श्री अरुण जेटली,
वित्त मंत्री]